VISIONIAS

www.visionias.in

निबंध 2019

joval book shop all india couriar

9818869135

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

VISIONIAS
www.visionias.in

निबंध
महिला सशक्तिकरण

VISION IAS

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

विषय सूची

परिभाषा (Definition) ____ 4

विभिन्न कालों / युगों में महिला सशक्तिकरण की स्थिति (Status of Women Empowerment of over the Ages ____ 4

महिला सशक्तिकरण के आयाम (Dimensions to Women Empowerment____ 5

समाज में कामकाजी महिलाओं के सम्मुख आने वाली समस्याएं (Problem Faced by Working Women in Society) ____ 6

महिला आरक्षण के मुद्दे (Issues of Women Reservation) ____ 7

आरक्षण: सरकार के स्तर पर प्रगति (Reservation: Progress at the level of Government) ____ 8

ऐसे प्रमुख उदाहरण जिनमें महिलाओं ने पर्यावरणीय विनाश के विरुद्ध विभिन्न आंदोलनों में अग्रणी भूमिका निभाई (Promient Examples where women have been at the forefront of movements against ecological destruction)____ 10

विगत वर्षों में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा पूछे गए प्रश्न____ 12

निष्कर्ष (Conclusion) ____ 12

VISION IAS



प्रसिद्ध व्यक्तियों के कथन (Quotes of famous personalities)

- "विकास के लिए महिलाओं के सशक्तिकरण से बेहतर कोई भी उपकरण नहीं है" - **कोफ़ी अन्नान**
- "स्त्री एक टीबैग की तरह होती है, जब तक आप उसे गर्म पानी में न डालें, पता ही नहीं चलता कि वह कितनी सशक्त है।" - **एलिएनॉर रूज़वेल्ट**
- मैं किसी समुदाय की प्रगति का मापन उस समुदाय की स्त्रियों की प्रगति के स्तर के आधार पर करता हूँ।" **बी. आर. अम्बेडकर**
- "जब आप किसी पुरुष को शिक्षित करते हैं तो केवल एक पुरुष को शिक्षित करते हैं। जब आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो एक पीढ़ी को शिक्षित करते हैं।" **ब्रिघम यंग**
- पुरुष स्वार्थहीन सेवा की भावना में कभी भी महिलाओं के समान नहीं हो सकता जिससे प्रकृति ने उसे सम्पन्न किया है।" **महात्मा गाँधी**
- इस बात के महत्वपूर्ण साक्ष्य उपलब्ध हैं कि महिलाओं की शिक्षा तथा साक्षरता बच्चों की मृत्यु दरों को कम करती है " **अमर्त्य सेन**

उपाख्यान/लघु कथाएं (Anecdotes / Short Stories)

- **1 जून 2018-** समाचार पत्र द हिन्दू ने भारत द्वारा निर्मित पाल नौका INSV तारिणी से सम्पूर्ण विश्व का परिक्रमण करने वाली समस्त महिला चालक दल की सफलता का विशेष वर्णन किया। उसी समाचार पत्र में भारत में महिला सशक्तिकरण की विरोधाभासपूर्ण स्थिति पर प्रकाश डालते हुए कठुआ में एक लड़की के बलात्कार की रिपोर्टों को भी प्रकाशित किया गया था।
- एक कहानी 1950 के दशक के अंधकारमय दिनों की याद दिलाती है जब संयुक्त राज्य अमेरिका में अश्वेत निकृष्टतम भेदभाव का सामना कर रहे थे। वह रोज़ा पार्क्स नाम की एक अश्वेत महिला ही थी जिसने ऐसे समय में एक अकल्पनीय साहस का परिचय दिया। वह अलबामा के मांटगोमरी से बस में सवार हुईं। उस दिन शहर की बसों में सीटों के पृथक्करण पर सर्वोच्च न्यायालय के प्रतिबंध से बस परिवहन प्रभावित हुआ था।
- जब अग्नि IV मिसाइल का सफलतापूर्क परीक्षण किया गया तो उस दिन केवल चिल्लाहट, सीटियों तथा तालियों की ही आवाज सुनी जा सकती थी। परन्तु इन सब के पीछे दृढ़ संकल्प और साहस की कहानी थी। यह कहानी एक भारतीय वैज्ञानिक एवं अग्नि IV मिसाइल की परियोजना निदेशक टेसी थॉमस की थी।
- एक अमेरिकी शिक्षिका हेलेन केलर स्त्रियों की क्षमता एवं शक्ति का महत्वपूर्ण उदाहरण है जिसने अपने नेत्रहीन और बधिर होने के दुर्भाग्य पर विजय प्राप्त की तथा 20वीं शताब्दी की अग्रणी मानवतावादियों तथा अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन की संस्थापकों में से एक रहीं।
- किसी भी समय की सर्वाधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म तथा पांचवें स्थान पर सर्वाधिक कमाई करने वाली गैर-अंग्रेजी फिल्म किसी रूमानी या पुरुष नायक पर आधारित फिल्म नहीं है बल्कि यह फिल्म 'दंगल' है। यह फिल्म गीता और बबिता फ़ोगाट की कहानी पर आधारित है जो भारत की प्रथम विश्व स्तरीय महिला पहलवान हैं।

VISION IAS

परिभाषा (Definition)



- **संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार-** महिला सशक्तिकरण के पांच घटक हैं:
 - महिलाओं में आत्म-मूल्य की भावना;
 - विकल्प रखने और निर्धारित करने का उनका अधिकार;
 - अवसरों तथा संसाधनों तक पहुँच रखने का उनका अधिकार;
 - घर के भीतर तथा घर के बाहर दोनों स्थितियों में अपने जीवन को नियंत्रित करने की शक्ति रखने का उनका अधिकार; तथा
 - राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक न्यायोचित सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था के सृजन हेतु सामाजिक परिवर्तन की दिशा को प्रभावित करने की उनकी योग्यता।
- **आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18** ने लिंग असमानता को निम्नलिखित आयामों में परिभाषित किया है-
 - **क्षमता (AGENCY)-** प्रजनन, वित्तीय संसाधन तथा अपने स्वास्थ्य एवं सक्रियता पर व्यय करने के लिए अनन्य निर्णयन का सामर्थ्य।
 - **मनोवृति (ATTITUDE):** महिलाओं/पत्नियों के विरुद्ध हिंसा और पुत्रों की आदर्श संख्या की तुलना में वरीयता दी गई पुत्रियों की आदर्श संख्या की मनोवृत्ति।
 - **निष्कर्ष (OUTCOMES):** इसका संबंध पुत्र की चाह (अंतिम सन्तान के लिंग अनुपात द्वारा मापित), महिला नियोजन, गर्भनिरोधक विकल्प, शिक्षा स्तर, विवाह के समय आयु, पहले बच्चे के जन्म के समय आयु तथा महिलाओं द्वारा भोगी गई शारीरिक और यौन हिंसा से है।
- **विश्व बैंक के अनुसार-** विकल्पों के सृजन और उन विकल्पों को इच्छित कार्यों एवं परिणामों में रूपांतरित करने हेतु व्यक्तियों या समूहों की क्षमताओं में वृद्धि करने की प्रक्रिया सशक्तिकरण है।

विभिन्न कालों / युगों में महिला सशक्तिकरण की स्थिति (Status of Women Empowerment of over the Ages

- **ऋग्वेद** कहता है, "किसी पदार्थ के समान अर्द्धांश होने के कारण पत्नी और पति प्रत्येक संबंध में समान होते हैं। इसीलिए दोनों को सभी धार्मिक एवं लौकिक कार्यों में संयुक्त और समान रूप से भाग लेना चाहिए। उपनिषद भी स्पष्ट रूप से घोषणा करते हैं कि हमारी व्यक्तिगत आत्मा न तो पुरुष है और न ही स्त्री।
- **उत्तर वैदिक युग के उदय** के साथ ही वैदिक युग की महिलाओं की स्थिति में पतन प्रारम्भ हो गया। क्रमशः समाज में लिंग समानता बढती चली गयी।
- इसने **महिलाओं के विरुद्ध सामाजिक बुराई** की एक श्रृंखला को जन्म दिया यथा- बाल विवाह, सती प्रथा, जौहर इत्यादि। इन सबके बावजूद सफल **महिलाओं** के भी अनेक उदाहरण मौजूद थे जैसे - **लोपामुद्रा, मैत्रेय, गार्गी, अहिल्याबाई होल्कर इत्यादि।**
- **भारतीय पुनर्जागरण ब्रिटिश शासन के दौरान राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर** जैसे सुधारकों के प्रयत्नों तथा समानता के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाली पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के कारण प्रारम्भ हुआ । इसके फलस्वरूप सती प्रथा के उन्मूलन, विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा पुनर्विवाह से सम्बंधित विविध कानून अस्तित्व में आए।
- राष्ट्रीय परिदृश्य में महिला सशक्तिकरण का अगला चरण **महात्मा गाँधी** के उदय के साथ आरम्भ हुआ। महात्मा गाँधी के अनुसार भारत के स्वाधीनता सघर्ष में महिलाएं महत्वपूर्ण अहिंसात्मक भूमिका निभा सकती हैं। सरोजिनी नायडू, अरुणा आसफ अली, कल्पना दत्त, प्रीतिलता वड्डेदार, सुचेता कृपलानी, उषा मेहता इत्यादि महिलाओं ने भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं।

VISION IAS

महिला सशक्तिकरण के आयाम (Dimensions to Women Empowerment



- **सामाजिक और सांस्कृतिक सशक्तिकरण (Social & Cultural Empowerment)**
 - **व्यक्तिगत स्तर पर:** उनके अपने स्वास्थ्य से संबंधित निर्णयों, वृहद् घरेलू खरीदों से संबंधित निर्णयों, घरेलू क्षेत्र से बाहर उनकी गतिशीलता जैसे परिवार एवं रिश्तेदारों के घर और बाजार में यात्रा, अपने मित्रों के पास जाने या उनके यहाँ ठहरने से संबंधित निर्णयों, अपनी आजीविकाओं से संबंधित निर्णयों, गर्भनिरोधक, मासिक धर्म स्वास्थ्य, स्वच्छता, स्वास्थ्य, सरोगेसी, गर्भपात आदि से संबंधित निर्णयों में उनकी संलग्नता।
 - **पारिवारिक तथा सामाजिक स्तर पर:** उनकी वृत्ति (कैरियर) एवं शिक्षा, बच्चे (विशेषतः पुत्र को प्राथमिकता देना), विवाह (अर्थात् परिवार के निर्णय के विरुद्ध जाने की स्थिति में ऑनर किलिंग जैसे मुद्दे), माता-पिता या पैतृक सम्पत्ति में हिस्सा, परिवार नियोजन, व्ययों के प्रबंधन जैसे सामूहिक निर्णयों में संलग्नता, अपनी जीवनशैली के चयन जैसे-परिधान, मित्र, विचार-शैली या व्यवहार इत्यादि से संबंधित निर्णयों में उनकी सहभागिता।
 - **कानूनों के सृजन तथा क्रियान्वयन के स्तर पर:** आरंभिक स्तर पर वैवाहिक बलात्कार को अपराध न मानना, दहेज प्रतिषेध अधिनियम-1961, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम-2005 विशेष रूप से भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498A जैसे सामाजिक कानूनों के क्रियान्वयन का अभाव तथा इनका दुरुपयोग, भारत में ऑनर किलिंग की एक अपराध के रूप में अलग से कोई परिभाषा या वर्गीकरण का न होना (इसे IPC की धारा 300 के अंतर्गत हत्या माना जाता है तथा धारा 302 के अंतर्गत यह एक दंडनीय अपराध है)।

विरोधाभास तथा अंतर्विरोध (Paradoxes & Contradictions)

- भारत वह भूमि है जहाँ महिलाओं की देवियों के रूप में पूजा होती है। उन्हें एक पवित्र दर्जा दिया जाता है जबकि दूसरी ओर उन्हें मंदिरों में प्रवेश करने से वर्जित किया जाता है (सबरीमाला मुद्दा)।
- महिलाओं को समाज में गृह-निर्माता तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक देखभालकर्ता के रूप में देखा जाता है। यहाँ तक कि नर्स की नौकरी अधिकतर महिलाओं को दी जाती है। दूसरी ओर जब महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण की बात आती है तो उनकी उपेक्षा की जाती है।
- भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विगत अनेक वर्षों से यह देखा जा रहा है कि CBSE की परीक्षाओं में लड़कों की तुलना में लडकियों के उत्तीर्ण होने का प्रतिशत अधिक है। परन्तु एक परिवार में लड़के की तुलना में लड़की की शिक्षा पर व्यय के संदर्भ में अभी भी भेदभाव किया जाता है।

- **आर्थिक सशक्तिकरण (Economic Empowerment)**
 - **महिलाओं के कैरियर में निर्धारण तथा प्रतिबन्ध:** महिलाओं के घरेलू कार्य (केयर इकॉनमी) अवैतनिक हैं और इसकी कीमत कम आंकी जाती है। पिंक कॉलर नौकरियां (जिन्हें पारंपरिक रूप से महिलाओं का कार्यक्षेत्र माना जाता है), कृषि और अनौपचारिक क्षेत्र में माहिलाओं की बढती भागीदारी, उद्यमशीलता को एक करियर विकल्प के रूप में प्रोत्साहन नहीं दिया गया है आदि।
 - **कार्यस्थल पर पक्षपात:** वेतन में विभेद, शिशुसदन (क्रेच) सुविधाएँ, मातृत्व अवकाश, कार्यस्थल पर यौन-उत्पीड़न, ग्लास-सीलिंग (महिलाओं की पदोन्नति में अदृश्य सामाजिक बाधाएं) प्रभाव आदि।

VISION IAS

- **कानूनों के सृजन तथा क्रियान्वयन के स्तर पर:** पैतृक सम्पत्ति में महिलाओं के हिस्से के संबंध में निरंतर भेदभाव; कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध एवं निदान) अधिनियम, 2013 का त्रुटिपूर्ण क्रियान्वयन।



समाज में कामकाजी महिलाओं के सम्मुख आने वाली समस्याएं (Problem Faced by Working Women in Society)

- कामकाजी महिलाएं ग्लास-सीलिंग की अवधारणा से भी पीड़ित हैं जहाँ पेशेवर जीवन में उन्नति हेतु अप्रत्यक्ष बाधाएं उपस्थित हैं। इसके अतिरिक्त देखभाल उद्योग (care industry) में कुछ नौकरियां केवल महिलाओं हेतु ही आरक्षित हैं, जिन्हें प्राय: पिंक कॉलर मुद्दों के रूप में संदर्भित किया जाता है।
- इस मुद्दे से अलग कार्यस्थल पर अन्य मुद्दे भी हैं यथा - महिलाओं की क्षमताओं की अनुभूति जिन्हें प्राय: गौण या निम्न समझा जाता है; यौन-उत्पीड़न के मुद्दे; वेतन, पदोन्नति, महिलाओं के कार्य के लिए उनकी प्रशंसा करने या उन्हें क्रेडिट देने इत्यादि के संबंध में भेदभाव आदि।
- कामकाजी महिलाओं को दोहरे बोझ की समस्या का सामना करना पड़ता है। बाहर कार्य करने के अतिरिक्त उनसे घरेलू कार्य करने की भी अपेक्षा की जाती है। इसे 'सेकंड शिफ्ट' के रूप में भी संदर्भित किया जाता है।
- प्रौद्योगिकियों में उन्नति के कारण उनके कार्यों में उत्पन्न चुनौतियाँ - कृषि में हुई प्रौद्योगिकीय उन्नति के कारण महिला श्रम अनावश्यक बनता जा रहा है। इससे उनके कार्य अवसरों में कमी हो रही है।
- कामकाजी महिलाओं को उनके श्रम का स्वामी स्वीकार नहीं किया जाता। अपने वेतन को कैसे और कहाँ व्यय करना है यह निर्णय लेने में उनकी भागीदारी या तो नगण्य है या पूर्णतया अनुपस्थित है।
- अन्य समस्याओं में शामिल हैं- सुरक्षा, यात्रा, कार्यस्थल पर सुविधाओं (शिशुसदन, शौचालय) आदि की समस्याएं।

विरोधाभास तथा अंतर्विरोध (Paradoxes & Contradictions)

- परिवार में महिलाओं को देखभाल प्रबंधक (पालन-पोषण, शिक्षा आदि), संबंध प्रबंधक (संबंध स्तर पर पति और विस्तृत परिवार) तथा वित्तीय प्रबंधक (बचत, मोलभाव योग्यताएं) के रूप में देखा जाता है, जबकि कार्यस्थल पर उन्हें निरंतर ग्लास-सीलिंग का सामना करना पड़ता है।
- एक ओर वित्तीय लाभों हेतु महिलाओं के नाम पर सम्पत्तियों को पंजीकृत किया जाता है या खरीदा जाता है जबकि दूसरी ओर महिलाओं को इन लाभों से वंचित कर दिया जाता है।
- वर्ष 2008 के भारत के उत्तर वैश्विक वित्तीय संकट में आर्थिक पुनर्प्राप्ति महिला अध्यक्षता वाले बैंकों के नेतृत्व में हुई थी- एक्सिस बैंक की शिखा शर्मा, भारतीय स्टेट बैंक की अरुंधती भट्टाचार्य आदि। हालाँकि नेतृत्व वाले पदों हेतु महिलाओं के लिए अस्वीकृति अभी भी निरंतर जारी है। विश्व आर्थिक मंच की जेंडर गैप रिपोर्ट-2015 के अनुसार सार्वजनिक रूप से व्यापार करने वाली कंपनियों के बोर्ड में केवल 7% स्थान ही महिलाओं के लिए गठित किए गए हैं।
- यद्यपि भारतीय फिल्म उद्योग में महिलाओं के पास विशाल फैन फालोइंग एवं स्टारडम है तथा अधिक संख्या में दर्शकों को आकर्षित करने हेतु उनका प्रयोग किया जाता है, परन्तु उन्हें उनके पुरुष समकक्षों की तुलना में बहुत ही कम भुगतान दिया जाता है।

VISION IAS

UPSC - 2016 - स्त्री-पुरुष के समान सरोकारों को शामिल किए बिना विकास संकटग्रस्त है।

UPSC - 2012- कामकाज और घर की सम्भाल - क्या भारतीय कामकाजी महिला एक न्यायोचित बर्ताव प्राप्त कर रही है।



- **राजनीतिक सशक्तिकरण (Political Empowerment)**
 - **राजनीतिक दल और विधायिका:** पार्टी स्तर पर टिकट की संख्या के संदर्भ में भेदभाव (पार्टी टिकटों/प्रोन्नति के बदले में यौन अनुग्रह या समझौते); महिला विधायिकों/सांसदों की कम संख्या; विधायिकाओं में उचित प्रतिनिधित्व न होना आदि।
 - **कार्यपालिका:** नौकरशाही, पुलिस, सशस्त्र बल।
 - **न्यायपालिका:** प्रतिनिधित्व, महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव, महिलाओं के विरुद्ध यौन उत्पीड़न।

विरोधाभास तथा अंतर्विरोध (Paradoxes & Contradictions)

- यद्यपि अभिनेत्रियाँ आकर्षण का प्रमुख केंद्र होने के साथ-साथ विभिन्न राजनीतिक दलों हेतु प्रचार अभियानों की सक्रिय सदस्य होती हैं, किन्तु फिर भी जब टिकट आवंटन तथा सत्ता में पद की बात आती है तो उनके साथ भेदभाव किया जाता है।
- महिलाओं ने अनेक पथप्रवर्तक पहलों का नेतृत्व किया है तथा अनुकरणीय साहस का परिचय दिया है, जैसे-दुर्गा शक्ति नागपाल (IAS), किरण बेदी (IPS) आदि। हालाँकि सरकार में कार्यकारी पदों में विशेष रूप से उच्च स्तर पर उनकी संख्या/प्रतिशत निराशाजनक बनी हुई है।
- पंचायती राज स्तर पर महिलाओं हेतु स्थानों के 33.3% आरक्षण के संवैधानिक आदेश के होने के बावजूद ये पद अभी भी उनके पतियों द्वारा 'सरपंच पति' के रूप में प्रभावी रूप से नियंत्रित किए जा रहे हैं।

UPSC- 2006 - महिला आरक्षण विधेयक भारत में महिला सशक्तिकरण को प्रवेश कराएगा।

UPSC- 2004 - महिला मुक्ति किस ओर?

महिला आरक्षण के मुद्दे (Issues of Women Reservation)

- **महिला आरक्षण के लाभ (Merits of Women's Reservation)**
 - यह संसद तथा राज्य विधान मंडलों में महिला सदस्यों की संख्या में वृद्धि करेगा। वर्तमान में लोक सभा में केवल 11.8% तथा राज्य सभा में 11% महिला सदस्य हैं।
 - महिलाओं से संबंधित मुद्दे संसद में अत्यधिक प्राथमिकता प्राप्त करेंगे तथा उनका सरलता से समाधान किया जा सकेगा।
 - इससे संसद और राज्य विधानमंडलों के परिवेश को वाद-विवादों तथा चर्चाओं हेतु अधिक हितकर बनाने में सहायता मिलेगी।
 - पंचायती राज संस्थाओं में महिला आरक्षण इस तथ्य का एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत करता है कि आरक्षण का महिला सशक्तिकरण हेतु एक उपकरण के रूप में किस प्रकार प्रयोग किया जा सकता है।



- **महिला आरक्षण की हानियाँ (Demerits of Women's Reservation)**
 - यह मतदाताओं के अपना प्रतिनिधित्व चुनने के लोकतांत्रिक अधिकार को क्षति पहुंचाता है क्योंकि विधेयक के क्रियान्वयन के पश्चात् महिलाओं हेतु आरक्षित सीटों को भरना अनिवार्य हो जाएगा।
 - इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि क्या उन सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग एवं अपवंचित वर्गों की महिलाओं को लाभ प्राप्त होंगे जिन्हें वास्तविक रूप से जिन्हें इसकी अधिक आवश्यकता है।
 - अनेक विधायक और सांसद जिन्हें संसद और राज्य विधान मंडलों में पहले से ही स्थान प्राप्त हैं अन्य स्थानों को भरने हेतु अपनी पत्नियों तथा अन्य रिश्तेदारों को लाने का प्रयास करेंगे।

आरक्षण: सरकार के स्तर पर प्रगति (Reservation: Progress at the level of Government)

- **महिला आरक्षण विधेयक, 2008 (Women Reservation Bill, 2008)**
 - यह विधेयक लोक सभा एवं राज्य विधान सभाओं की कुल सीटों में एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान करता है।
- **पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण (Women reservation in Panchayati Raj)**
 - संविधान के अनुच्छेद 243 D के अंतर्गत पंचायती राज संस्थानों के सभी स्तरों की कुल सीटों में से एक-तिहाई सीटें तथा पंचायती राज संस्थानों के अध्यक्ष के पदों में से एक-तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।
 - बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य पंचायती राज संस्थानों (PRIs) में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करते हैं।
 - सरकार पंचायतों में महिलाओं के लिए मौजूदा 33% आरक्षण को बढ़ाकर 50% तक करने पर विचार कर रही है।
- **पुलिस में महिलाओं को आरक्षण (Women reservation in Police)**
 - सरकार ने गैर-राजपत्रित (non-gazetted) पदों में सीधी भर्ती के माध्यम से सभी केंद्र प्रशासित प्रदेशों के पुलिस बलों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को स्वीकृति दे दी है।
 - गुजरात एवं बिहार जैसे राज्यों ने पुलिस बलों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को लागू कर दिया है।
- **सैन्य/अर्द्ध सैनिक बलों में महिलाएं (Women in Armed/Paramilitary Forces)**
 - भारतीय वायु सेना ने फाइटर पायलटों के रूप में महिलाओं को युद्ध में भूमिका निभाने हेतु नए अवसर प्रदान किए हैं।
 - सरकार ने सभी 5 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में महिला अधिकारियों की सीधी भर्ती को स्वीकृति प्रदान की है। इसके साथ ही सीधी भर्ती के माध्यम से महिलाओं को जूनियर रैंक का अधिकारी और संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से महिला अधिकारियों की पर्यवेक्षी युद्ध भूमिका को अनुमति प्रदान की है।
 - सरकार केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (CRPF) और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) में 33% तथा सीमा सुरक्षा बल (BSF), सशस्त्र सुरक्षा बल (SSB) एवं भारत-तिब्बत सीमा सुरक्षा बल (ITBP) जैसे सीमा सुरक्षा बलों में 15% कॉन्स्टेबल रैंक के कर्मियों के रूप में महिलाओं को शामिल करने की योजना बना रही है।

VISION IAS

भारत में महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण (Political Empowerment of Women in India)

- 545 सदस्यीय लोक सभा में महिलाओं की सदस्यता 11.8%, जबकि 245 सदस्यीय राज्य सभा में इनकी संख्या 11% है।
- महिलाओं की संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों में केवल 9% और राज्य परिषद के सदस्यों में 5% है। मिजोरम, नागालैंड और पुदुचेरी जैसे राज्यों में कोई भी महिला विधायक नहीं है।
- सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में पुलिस बलों के अंतर्गत महिलाओं की संख्या केवल 7.28% है।
- अंतर-संसदीय संघ (Inter Parliamentary Union: IPU) एवं यूएन वीमेन (UN Women) द्वारा प्रकाशित वीमेन इन पॉलिटिक्स, 2017 नामक रिपोर्ट के अनुसार कार्यकारी सरकार तथा संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में भारत को विश्व स्तर पर 148वां स्थान प्रदान किया गया है।

- **पारिस्थितिकीय सशक्तिकरण (Ecological Empowerment)**
 - प्रकृति अथवा पृथ्वी को माँ का दर्जा दिया गया है।
 - **इको-फेमिनिज्म (पर्यावरणीय स्त्रीवाद)**- सर्वप्रथम "इको-फेमिनिज्म" **शब्द 1980 में फ्रांसिस डी' इउबोन द्वारा प्रयुक्त किया गया था** तथा निरंतर पारिस्थितिकीय आपदा के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन एवं गतिविधियों के कारण इसे लोकप्रियता प्राप्त हुई। यह पारिस्थितिकीय स्त्रीवाद और महिलाओं के आध्यात्मिक मुद्दों का संयुक्त रूप है। जैसे ही पर्यावरणीय आंदोलन ने पृथ्वी के क्षय हेतु पर्यावरणीय संकट के साथ महिलाओं की चेतना को जागृत किया, इसने पृथ्वी के अवमूल्यन तथा महिलाओं के अवमूल्यन के मध्य समन्वय करना प्रारंभ कर दिया। अतः प्रकृति और महिलाओं के मध्य अभिसरण को चिह्नांकित करने के लिए इको-फेमिनिज्म की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया।
 - **महिलाएं एवं जलवायु परिवर्तन- जलवायु परिवर्तन सभी को प्रभावित करता है-** परंतु ये विश्व के सबसे गरीब और सुभेद्य परिस्थितियों में रहने वाले विशेषतः महिलाएँ एवं बालिकाएँ ही हैं, जो पर्यावरणीय, आर्थिक एवं सामाजिक क्षति के आघातों का सर्वाधिक सामना करती हैं। कई विकासशील देशों में प्रायः महिलाओं और बालिकाओं को जल, ईंधन संग्रह एवं खाद्य व्यवस्था का उत्तरदायित्व निभाना पड़ता है। इस प्रकार जलवायु परिवर्तन, सूखा, बाढ़ इत्यादि के माध्यम से महिलाओं को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है।

संधारणीय उपाय: वैश्विक स्तर पर प्रतिक्रिया (Sustainable solutions - The response at Global Level)

- सतत ऊर्जा हेतु महिलाओं की उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए **यूएन वीमेन (UN Women)** और **यूएन एनवायरनमेंट (UN Environment)** वैश्विक कार्यक्रम के अंतर्गत मिलकर कार्य करेंगे। प्रारंभिक चरण में यह कार्यक्रम सेनेगल, मोरक्को, म्यांमार, भारत, इंडोनेशिया तथा बोलीविया में आरम्भ किया जाएगा।
- ऐसा अनुमान है कि **भारत में 100,000 महिलाओं** को वर्तमान कार्यक्रम के प्रयासों के भाग के रूप में स्वच्छ एवं अक्षय ऊर्जा तक पहुंच प्राप्त होगी।

VISION IAS

ऐसे प्रमुख उदाहरण जिनमें महिलाओं ने पर्यावरणीय विनाश के विरुद्ध विभिन्न आंदोलनों में अग्रणी भूमिका निभाई (Promient Examples where women have been at the forefront of movements against ecological destruction)



- 18वीं शताब्दी के **बिश्नोई आंदोलन** का नेतृत्व अमृता देवी ने किया।
- **चिपको आंदोलन** मुख्यतः महिलाओं के नेतृत्व वाला आंदोलन था, जिसमें चमोली गांव की महिलाओं ने वृक्षों को कटने से बचाने के लिए उन्हें गले लगा लिया था। वंदना शिवा नामक एक इकोफेमिनिस्ट भी इसमें शामिल थीं।
- **नर्मदा बचाओ आंदोलन** का नेतृत्व मेधा पाटकर ने किया।
- पर्यावरणीय अवक्रमण को ध्यान में रखकर गठित **प्रथम पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र विश्व आयोग** (World Commission on Environment and Development: WCED) की अध्यक्षता ग्रो हर्लेम ब्रंटलैंड नामक एक महिला द्वारा की गई थी।

कृषि का स्त्रीकरण (Feminization of Agriculture)

- विगत कुछ दशकों में महिलाओं ने कृषि उत्पादन में अपनी भागीदारी को विस्तारित एवं मजबूत किया है जिसके साथ-साथ इनके घरेलू जीवन के उत्तरदायित्व में भी उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है तथा इन्होंने वाणिज्यिक कृषि में आर्थिक अवसरों को भी अपने अनुकूल किया है। इस प्रवृत्ति को **कृषि का स्त्रीकरण** कहा जाता है।
- ग्रामीण भारत में अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर महिलाओं का प्रतिशत सबसे उच्च है और यह लगभग 84% है। महिला कृषकों की संख्या 33% है और लगभग 47% महिलाएँ कृषि श्रमिक हैं।

मुद्दे

- यद्यपि कृषि उत्पादन में महिलाओं के कार्य समय में वृद्धि हुई है, परंतु वहीं घर के भीतर पुनरुत्पादक कार्य के संबंध में श्रम के लिंग विभाजन में न्यून परिवर्तन ही आया है।
- पुरुष पुनरुत्पादक तथा घरेलू कार्यों को करने के इच्छुक नहीं होते हैं, भले ही महिलाओं को कृषि और गैर-कृषि उत्पादक गतिविधियों में अपनी भागीदारी में वृद्धि करनी पड़े।
- उत्पादक संसाधनों एवं बाजारों तक भिन्न-भिन्न पहुंच।

महिलाओं पर विवाद, संघर्ष और युद्ध का प्रभाव

(Impact of Distress, Conflict and War on Women)

- संघर्ष एवं युद्ध से संबंधित निर्णय में महिलाओं की भूमिका नगण्य होती है। हालांकि विवाद, संघर्ष और युद्ध का प्रभाव कभी भी लैंगिक रूप से तटस्थ नहीं होता है।
- संघर्ष के दौरान महिलाओं के विरुद्ध दुष्कर्म एवं यौन हिंसा को शत्रुओं को अपमानित करने, जीत का प्रदर्शन करने, जनसंख्या को आतंकित करने, पारिवारिक संबंधों को विच्छिन्न करने और कुछ मामलों में अगली पीढ़ी की नृजातीय बनावट को परिवर्तित करने हेतु एक उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है।
- महिलाओं के विरुद्ध यौन दासता को आतंकवादी समूहों में भर्ती हेतु प्रोत्साहन के रूप में प्रयोग किया जाता है।

संघर्ष के पश्चात (Post-Conflict)

- यौन हिंसा संघर्ष के पश्चात भी जारी रहती है क्योंकि यह बढ़ती लैंगिक हिंसा तथा पारिवारिक संबंधों पर पड़ने वाले इसके हानिकारक प्रभावों को प्रदर्शित करती है।
- दुष्कर्म के परिणामस्वरूप परिवारों और समुदायों द्वारा त्याग देने संबंधी समस्याएं, अवांछित गर्भधारण एवं बच्चे, इन बच्चों की अस्वीकृति, चोट पहुँची हुई (ट्रॉमेटाइज़्ड) महिलाओं पर

VISION IAS

दोषारोपण एवं उन्हें त्यागना, यौन संक्रमण और HIV का प्रसार, आत्महत्या करना और आत्महत्या करने हेतु विवश होना (पति या समुदाय के सदस्यों के दबाव में)।

- युद्ध द्वारा विस्थापित तथा बगैर पुरुष संरक्षण के शरणार्थी शिविरों में रह रही महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया जाता है।



मीडिया / प्रौद्योगिकी में सशक्तिकरण (Empowerment in Media/Technology)

- **मीडिया (Media)**
 - मीडिया में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सदैव ही पूर्वाग्रह की धारणा से ग्रस्त रहा है। उदाहरण के लिए, फिल्मों में महिलाओं को मुख्य भूमिका की बजाय माताओं या पत्नियों जैसी महत्वहीन या रूढ़िवादी भूमिकाएं दी जाती हैं। यहां तक कि विज्ञापनों में भी महिलाओं को घर अथवा बच्चे या खाद्य सामग्री/पोषण संबंधी वस्तुओं में अधिक दिखाया जाता है जबकि पुरुषों को बाहरी विश्व में दिखाया जाता हैं। ऐसे गीतों की रचना हो रही है जो छेड़छाड़/यौन उत्पीड़न का या तो औचित्य सिद्ध करते हैं अथवा उसे ग्लैमराइज़ करने का प्रयास करते हैं।।
 - हालांकि हालिया रुझानों में काफी हद तक सुधार हुआ है। उदाहरणार्थ ऐसी कई महिला केंद्रित फिल्में बनने लगी हैं जो बदलती भूमिकाओं तथा समानता की दिशा में समाज के झुकाव का प्रतिनिधित्व करती हैं (राज़ी, क्वीन, हिचकी इत्यादि जैसी फिल्में)।
- **प्रौद्योगिकी (Technology)**
 - शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल तक पहुंच एवं सामर्थ्य हेतु सक्षम बनाना।
 - विशेष रूप से सेवा क्षेत्र जैसे- सूचना प्रौद्योगिकी-सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा क्षेत्र (Information technology and IT Enabled Services: IT-ITES) में रोजगार के अवसर प्रदान करना।
 - आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं मशीनीकृत श्रम के कारण महिला श्रमिकों के समक्ष आगामी चुनौतियां।
 - महिला केंद्रित प्रौद्योगिकियों अथवा आविष्कारों को प्राथमिकता या महत्व नहीं दिया जाता है। उदाहरण के लिए, फिल्म पैडमैन अरुणाचलम मुरुगनंतम नामक एक सामाजिक उद्यमी पर आधारित थी, जिन्होंने कम लागत वाले सैनिटरी पैड बनाने की मशीन का आविष्कार किया था क्योंकि गरीब महिलाओं को वाणिज्यिक पैड की उच्च लागत के कारण अस्वच्छ अथवा फटे-पुराने कपड़ों का प्रयोग करना पड़ता था।

विरोधाभास एवं अंतर्विरोध (Paradoxes & Contradictions)

- जहां एक ओर, मीडिया ने महिलाओं को अपनी आवाज उठाने का अवसर दिया है, तो साथ ही यह एक ऐसा स्थान भी बन चुका है जहाँ महिलाओं को विभिन्न रूपों में उत्पीड़न का सामना करना पड़ता हैं जैसे ट्रोलिंग, साइबर-स्टॉकिंग, साइबर-उत्पीड़न, इमेज-मॉर्फ़िंग इत्यादि।
- प्रौद्योगिकी ने जहाँ कृषि, विनिर्माण जैसी गतिविधियों में महिलाओं की भूमिका को कम किया है तो वही कन्या भ्रूणहत्या, लिंग चयन पर आधारित गर्भपात में भी वृद्धि की है।

- **खेल-कूद में महिलाएँ (Women in Sports)**
 - खेलों को अधिकांशतः आक्रामकता, शारीरिक क्षमता इत्यादि जैसी विशेषताओं के लिए जाना जाता है और इन्हें पुरुषों का क्षेत्र (मेल-बस्टियन) माना जाता है। जो महिलाएँ खेल-कूद को अपने करियर के रूप में अपनाती है उन्हें न केवल अपने परिवार बल्कि खेल प्रशासकों, कोच इत्यादि के भी विरोध का सामना करना पड़ता है।
 - वेतन समानता के मुद्दे; संसाधनों के संबंध में भेदभाव; यौन उत्पीड़न के मुद्दे; खेल शासी निकायों में महिलाओं का न्यून प्रतिनिधित्व; खेल से पोस्ट-रिटायरमेंट (सेवा निवृत्ति के बाद की स्थिति) इत्यादि जैसे मामलों में महिलाओं की स्थिति एक जैसी ही बनी हुई है।

VISION IAS

विरोधाभास एवं अंतर्विरोध (Paradoxes & Contradictions)

- यद्यपि महिलाओं को परिवार, खेल-कूद संबंधी कर्मियों और समग्र रूप से समाज द्वारा खेलों में भेदभाव का सामना करना पड़ता किन्तु इन सबके बावजूद दो महिला खिलाड़ियों - पी. वी. सिंधु और साक्षी मलिक ने 2016 ओलंपिक खेलों में भारत का नाम रोशन किया था।



विगत वर्षों में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा पूछे गए प्रश्न

UPSC - 2001- केवल सशक्तिकरण द्वारा महिलाओं की सहायता नहीं हो सकती।

UPSC - 2000- महिला सशक्तिकरण: चुनौतियाँ एवं सम्भावनाएँ।

UPSC - 1999- महिला ईश्वर की सर्वोत्तम कृति है।

UPSC - 1998- केवल व्यापक राजनीतिक शक्ति महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं कर सकती।

UPSC - 1993- पुरुष की विफलता: अब महिला की बारी।

निष्कर्ष (Conclusion)

- यद्यपि हम महिला सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़े हैं, परंतु अभी एक लंबी दूरी तय करनी शेष है। **महिलाओं को सशक्त बनाना हमारे आने वाले कल, हमारे भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।**
- महिला सशक्तिकरण, प्रकृति के सशक्तिकरण, हाशिए पर स्थित लोगों और देशों के सशक्तिकरण से न तो भिन्न है और न उनसे ही पृथक किया जा सकता है।
- महिलाओं के संघर्ष तथा आंदोलन हमेशा से ही शांति आंदोलनों, पर्यावरण आंदोलनों, श्रमिक एवं किसान आंदोलनों, मानवाधिकार आंदोलनों और लोकतांत्रिककरण और समाज के विकेन्द्रीकरण हेतु आंदोलनों के साथ निकटता से सम्बद्ध रहे हैं।
- **महिलाओं को उनकी क्षमता से अवगत करवाना अब समय की मांग बन चुकी है।** जबकि सरकार को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महिलाओं के लिए जागरूकता इत्यादि जैसे उपायों को अपनाना चाहिए।यह समाज के लिए जागरूकता उत्पन्न करने एवं सार्वजनिक मूल्यों का सृजन करने हेतु आवश्यक है, जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा।
- यहां तक कि अनेक महिलाओं ने पितृसत्ता के मानदंडों का आंतरीकरण (internalized) को आत्मसात कर लिया है, ताकि वह अपने प्रभुत्व को अन्य महिलाओं पर स्थापित कर सके जैसे : सास का अपनी पुत्रवधु पर प्रभुत्व। इस प्रकार की संस्कृति की निरीक्षण करने की आवश्यकता है। **जैसा कि प्रसिद्ध समाजशास्त्री आंद्रे बेटेल ने कहा है- "कानून केवल उस दिशा को निर्धारित करता है जिसे समाज को अपनाना चाहिए, समाज की वास्तविक दिशा इसकी संस्कृति द्वारा निर्धारित होती है"।**
- अंत में, महिलाओं को अपने सशक्तिकरण की मांग की पूर्ति हेतु स्वयं अग्रसर होने की आवश्यकता है। **कोफ़ी अन्नान के अनुसार विकास के लिए महिलाओं के सशक्तिकरण से बेहतर कोई भी उपकरण नहीं है।**
- **"यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता:"**- मनुस्मृति के अनुसार- "जहां स्त्रियों का सम्मान होता है, वहां देवी-देवता निवास करते हैं। जिन घरों में स्त्रियों का अपमान होता है, वहां सभी प्रकार की पूजा करने के बाद भी भगवान निवास नहीं करते हैं।"

VISION IAS



VISIONIAS
www.visionias.in

निबंध
जलवायु परिवर्तन

VISION IAS

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

विषय सूची

प्रसिद्ध व्यक्तियों द्वारा दिए गए उद्धरण (Quotes by Famous Personalities) ____ 3

जलवायु परिवर्तन के साक्ष्य (Evidences of Climate change) ____ 3

जलवायु परिवर्तन का प्रभाव (Impact of Climate Change) ____ 4

भारत पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव (Impact of Climate Change on India) ____ 6

कृषि और जलवायु परिवर्तन (Agriculture and Climate Change) ____ 7

समुदाय / क्षेत्रीय स्तर (Community/ Regional Level) ____ 9

भारत की हरित कार्यवाही- जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु प्रयास (India's Green Actions-Efforts to Counter Climate Change ____ 10

लिंग और जलवायु परिवर्तन (Gender and Climate Change ____ 13

जलवायु शरणार्थी (Climate Refugees) ____ 14

जलवायु परिवर्तन एवं तकनीकी (Climate Change and Technology) ____ 14

निष्कर्ष (Conclusion) ____ 15

VISION IAS

प्रसिद्ध व्यक्तियों द्वारा दिए गए उद्धरण (Quotes by Famous Personalities)

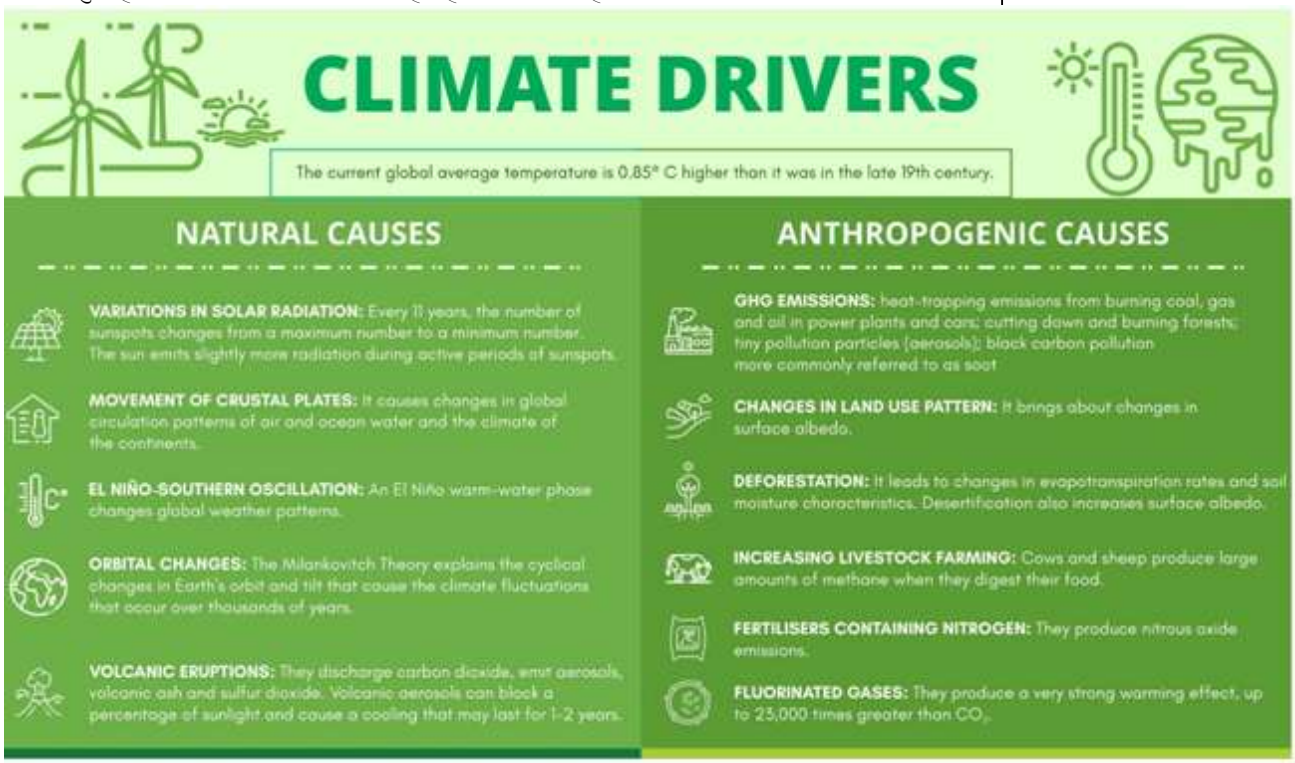
- "प्रसन्नता की प्रथम शर्त यह है कि मनुष्य और प्रकृति के मध्य जुड़ाव नहीं तोड़ा जाएगा।" ~ लियो टॉल्स्टॉय
- "ईमानदार प्रबंधन के बिना पृथ्वी अपना उत्पादन निरंतर जारी नहीं रखेगी। यदि हम भूमि को इस प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं कि यह भविष्य की पीढ़ियों के उपयोग योग्य न रहे, तो हम यह नहीं कह सकते कि हमें इस भूमि से प्यार है।" ~ पोप जॉन पॉल द्वितीय
- यदि हम पर्यावरण को नष्ट करते हैं तो हम समाज को नहीं बचा पाएंगे।" ~ मार्गरेट मीड
- "एक राष्ट्र जो अपनी मृदा को नष्ट कर देता है, वह स्वयं को नष्ट कर देता है। वन हमारी भूमि के फेफड़े हैं, वायु को शुद्ध करते हैं और हमें नई ऊर्जा प्रदान करते हैं।" ~ फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट
- "हम अपने पूर्वजों से पृथ्वी का वंशानुगत अधिकार नहीं प्राप्त करते हैं, हम इसे अपने बच्चों से उधार लेते हैं।"
- "एक वृक्ष लगाने का सबसे अच्छा समय 20 वर्ष पूर्व था। अगला सबसे अच्छा समय आज है। "- चीनी नीति वचन।

जलवायु परिवर्तन के साक्ष्य (Evidences of Climate change)

- जलवायु परिवर्तन पर अंतरसरकारी पैनल (Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC) के अनुसार "**बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध के दौरान उत्तरी गोलार्द्ध में औसत तापमान पिछले 500 वर्षों की तुलना में** काफी अधिक था"।
- IPCC द्वारा यह बताया गया है कि "विगत 6,50,000 वर्षों में **CO_2 की वायुमंडलीय सांद्रता** प्राकृतिक सीमा की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ी है।"
- क्रायोस्फीयर लगातार सिकुड़ रहा है: पिछले दशक में अंटार्कटिका में बर्फ पिघलने की दर तीन गुना हो गई है। पिछली शताब्दी में **वैश्विक समुद्र स्तर में लगभग 8** इंच की वृद्धि हुई है।
- **महासागर अम्लीकरण** - महासागरों की ऊपरी परत द्वारा अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा प्रति वर्ष लगभग 2 बिलियन टन बढ़ रही है।



- **स्टेट ऑफ़ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2017 के अनुसार, वायुमंडलीय मीथेन** एक नए उच्च स्तर तक पहुंच गया है और अब यह पूर्व-औद्योगिक स्तर का 257% है।
- वैश्विक तापन लगभग सभी स्थलीय और समुद्री पारिस्थितिकी प्रणालियों को प्रभावित कर रहा है: हाल ही में वैज्ञानिकों ने पाया कि समुद्र जल स्तर में वृद्धि से छोटे प्रवाल द्वीप के जलमग्न होने के कारण **ब्रैंबल के मेलोमिस** (Bramble Cay Melomys- चूहे की तरह का एक ऑस्ट्रेलियाई कृंतक) विलुप्त हो गया (इसे 2007 में आखिरी बार देखा गया था)। जलवायु परिवर्तन के कारण पूर्णतः विलुप्त होने के कगार पर जाने वाला यह पहला स्तनधारी है।



जलवायु परिवर्तन का प्रभाव (Impact of Climate Change)

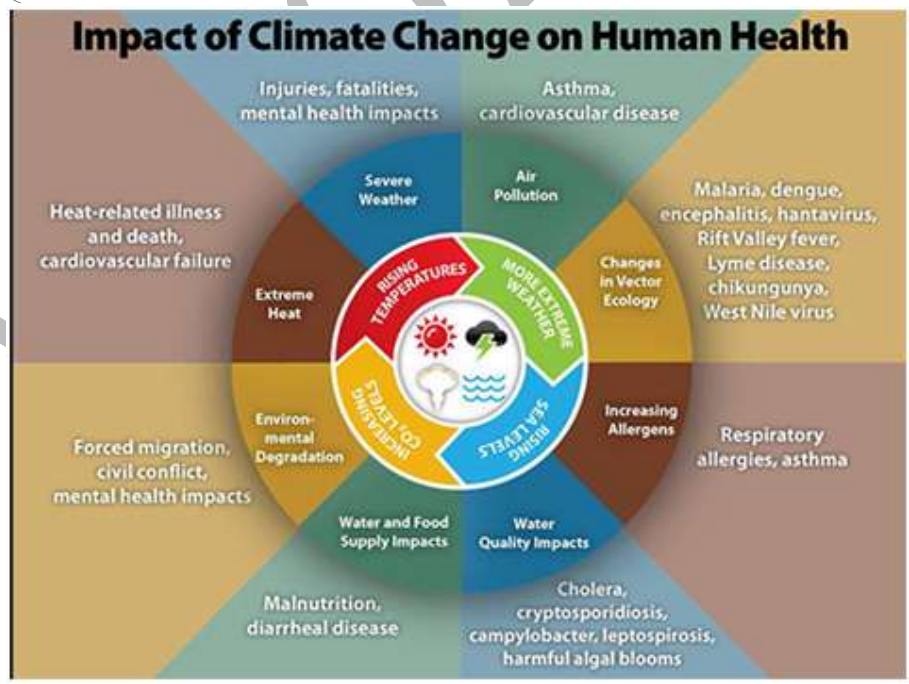
पर्यावरण (Environment)

- **मौसम संबंधी चरम घटनाओं में वृद्धि (Rise in extreme weather events)-** वैश्विक तापमान में वृद्धि के साथ मौसम और जलवायु में परिवर्तन, वर्षा में परिवर्तन के परिणामस्वरूप, बाढ़, सूखा, या तीव्र वर्षा के साथ-साथ वर्षा की बारम्बारता और भीषण हीट वेव्स में वृद्धि हुई है। वर्षा के प्रतिरूप में परिवर्तन भी अधिक स्पष्ट होगा।
- **समुद्र जल स्तर में त्वरित वृद्धि (Accelerated Sea Level Rise)**- 1880 के पश्चात वैश्विक समुद्र स्तर में लगभग 8 इंच की वृद्धि हुई है। ऊष्मन के कारण बर्फ के पिघलने एवं समुद्री जल के विस्तार से अतिरिक्त जल में वृद्धि के परिणामस्वरूप वर्ष 2100 तक समुद्र के जलस्तर में 1 से 4 फीट तक की वृद्धि होने का अनुमान है।
- **महासागरीय अम्लीकरण (Ocean Acidification)** - पृथ्वी पर महासागरों और हिमनदों में भी वृहद स्तर पर परिवर्तन देखे गए हैं - महासागर के तापमान में वृद्धि के साथ अम्लीयता में भी वृद्धि हुई है, बर्फ की चट्टानें पिघल रही हैं और समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है।
- **भू दृश्य में परिवर्तन (Changing Landscapes)**- सदी के मध्य से पहले ग्रीष्म ऋतु में आर्कटिक महासागर के अनिवार्य रूप से बर्फ मुक्त होने का अनुमान है।

- **पारिस्थितिक तंत्र के समक्ष संकट (Ecosystems at Risk)**- तापमान में वृद्धि के कारण दुनिया भर में मौसम और वनस्पति के प्रतिरूप में बदलाव हो रहा है, जिससे जन्तुओं की प्रजातियां अपने अस्तित्व के लिए नए, ठंडे क्षेत्रों में प्रवास कर रही हैं। पौधे एवं जंतुओं के क्षेत्र परिवर्तित हुए हैं और वृक्षों में शीघ्र पुष्पन हो रहा है।
- **प्रजातियों के अस्तित्व के समक्ष संकट (Threat to species survival)-** जलवायु में तीव्र बदलाव से कई प्रजातियों की प्रवास करने या उनकी समायोजित करने की क्षमता में वृद्धि होने की संभावना है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि यदि ऊष्मन की प्रवृत्ति वर्तमान दर पर बनी रहेगी तो 2050 तक पृथ्वी की प्रजातियों का एक चौथाई भाग विलुप्त होने के कगार पर होगा।

मानव स्वास्थ्य (Human Health)

- **बीमारियां (Illnesses)**- उदाहरण के लिए वर्ष 2018 में, अत्यधिक गर्म हवाओं (लू) के कारण भारत में 1,500 से अधिक मौतें हुईं।
- **संक्रामक बीमारियों का प्रसार (Spread of infectious diseases)**: मुख्य रूप से गर्म तापमान के कारण रोगकारी कीट, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों का अस्तित्व बना हुआ है जिनकी कभी ठंडे मौसम के कारण मृत्यु हो गयी थी।
- **नए क्षेत्रों में बीमारियों का प्रसार (Spread of diseases to new regions)**: बीमारियाँ एवं कीट जो एक समय केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक सीमित थे, जैसे- मच्छर, जिनके कारण मलेरिया होता है, इन्हें नए क्षेत्रों में अनुकूल परिस्थितियां मिल सकती हैं जो कभी अत्यधिक ठंडे होने के कारण इनकी वृद्धि को रोकते थे।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का अनुमान है कि केवल वर्ष 2000 में ही वैश्विक ऊष्मन के कारण 1,50,000 से अधिक मौतें हुईं, जिनका भविष्य में और बढ़ने का अनुमान है।



आर्थिक क्षति (Economic Losses)

- यदि वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तो जलवायु परिवर्तन के कारण वार्षिक वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 5 से 20 प्रतिशत तक व्यय हो



सकता है। तुलनात्मक रूप से, जलवायु परिवर्तन के सबसे विनाशकारी प्रभाव को कम करने के लिए GDP के 1 प्रतिशत भाग की आवश्यकता होगी।

- विश्व बैंक की एक हालिया रिपोर्ट में पाया गया है कि अगले 15 वर्षों में 45 मिलियन भारतीयों को अत्यधिक निर्धन बनाकर जलवायु परिवर्तन आर्थिक प्रगति को प्रभावी ढंग से निष्फल कर सकता है।
- जलवायु परिवर्तन महत्वपूर्ण रूप से तटीय अधिवासों में परिवर्तन कर सकता है और बंदरगाहों एवं तटीय अवसंरचना के पुनर्निर्माण के लिए कई मिलियन रूपए व्यय करने पड़ सकते हैं।
- वैश्विक स्तर पर, अत्यधिक तीव्र चक्रवातों (हरिकेन) और मूसलाधार वर्षा के कारण संपत्ति और अवसंरचना में कई बिलियन डॉलर की क्षति हो सकती है।
- समुद्र का उच्च तापमान, कोरल रीफ के अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है, जो वस्तु एवं सेवाओं के रूप में अनुमानतः 375 बिलियन डॉलर प्रति वर्ष उत्पादन करता है।

कृषि उत्पादकता/खाद्य सुरक्षा (Agriculture Productivity/Food Security)

- **कृषि उत्पादकता** जलवायु-प्रेरित प्रभावों के दो व्यापक वर्गों के प्रति संवेदनशील होती है। इसके प्रथम प्रत्यक्ष प्रभाव को तापमान, वर्षा और कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता में परिवर्तन के रूप में देखा जाता है; और दूसरे अप्रत्यक्ष प्रभाव को मृदा की नमी में परिवर्तन तथा कीटों और रोगों के माध्यम से संक्रमण की तीव्रता और वितरण के रूप में देखा जाता है।
- **पोषण सम्बन्धी सुरक्षा:** वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ता स्तर गेहूँ, सोयाबीन और चावल सहित अधिकांश पौधों की प्रजातियों में प्रोटीन और आवश्यक खनिजों की सांद्रता में कमी करता है।
- **मत्स्य पालन पर प्रभाव:** तापमान और मौसम में परिवर्तन प्रजनन और प्रवासन के समय को प्रभावित कर सकते हैं। कुछ समुद्री रोगों का प्रकोप भी परिवर्तित जलवायु से संबंधित होता है।
- **पशुधन पर प्रभाव:** हीट वेव्स (जो कि जलवायु परिवर्तन के कारण और अधिक बढ़ सकती हैं) रोगों के प्रति सुभेद्यता बढ़ाकर, प्रजनन क्षमता घटाकर और दुग्ध उत्पादन में कमी के माध्यम से पशुधन के लिए संकट उत्पन्न कर सकती है।

भारत पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव (Impact of Climate Change on India)

जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC) द्वारा प्रस्तुत पांचवीं आकलन रिपोर्ट के अवलोकन द्वारा ज्ञात होता है कि विशेषतः भारत में जलवायु परिवर्तन के निम्नलिखित प्रभाव रहे हैं।

मौसम पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव (Effects of Climate Change on Weather)

- **अधिकतम तापमान** में 1-4 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि होने की संभावना है, सर्वाधिक वृद्धि तटीय क्षेत्रों में दर्ज की जाएगी।
- **मॉनसून विच्छेद दिवसों की संख्या में वृद्धि हुई है** जबकि मानसून गर्त (डिप्रेशन) की संख्या में कमी आई है।
- हिमालयी क्षेत्र में वर्षा में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, जबकि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में न्यूनतम वृद्धि हुई है।
- मध्य भारतीय क्षेत्र एवं कई अन्य क्षेत्रों में निम्न वर्षा की कीमत पर कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा की परिघटनाओं में वृद्धि हुई है।
- **भारत के पूर्वी तट** पर स्थित जिलों में निवास करने वाले लोगों की कठोर मौसमी परिघटनाओं के प्रभावों के प्रति **विशिष्ट रूप से सुभेद्य** होने की संभावना है, जिसका कारण वहाँ का अपर्याप्त अवसंरचनात्मक एवं जनसांख्यिकीय विकास है।

VISION IAS



- उदाहरण के लिए, भारत में **महानदी नदी बेसिन** में **सितंबर माह में बाढ़ आने की संभावना बढ़ेगी** जबकि अप्रैल में जल के अभाव की संभावना रहेगी।
- **दिल्ली विश्व के पांच सर्वाधिक जनसंख्या वाले शहरों में से एक है**, साथ ही यह **बाढ़ के उच्च जोखिम वाले क्षेत्र** में भी स्थित है।

कृषि, वन एवं व्यापार (Agriculture, Forests and Trade)

- वर्ष 2030 तक भारत में देशव्यापी **कृषि हानि के 7 बिलियन डॉलर से अधिक तक पहुंचने** का अनुमान है। यह देश की 10 प्रतिशत जनसंख्या की आय को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा।
- ऐसा अनुमान है कि अत्यधिक गर्मी के कारण सिन्धु-गंगा मैदान के सर्वाधिक उपज वाले क्षत्रों में होने वाली गेहूं की पैदावार में 51 फीसदी तक की कमी हो सकती है।
- अक्टूबर में उत्तरी भारत में, अप्रैल एवं अगस्त में दक्षिण भारत में और मार्च से जून तक पूर्वी भारत में वर्तमान तापमान के संकटपूर्ण स्तर पर पहुँचने के कारण, **चावल की वृद्धि तीव्र होगी, परन्तु उसके विकास के लिए आवश्यक समयावधि में कमी होगी**।
- ऐसा अनुमानित है कि 2100 तक भारत के वन्य क्षेत्रों में से लगभग एक-तिहाई क्षेत्र की प्रकृति में परिवर्तन हो जाएगा, उदाहरण के लिए **वर्षा की अधिकता के कारण पर्णपाती वन सदाबहार वनों में परिवर्तित** हो रहे हैं।

2017-18 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, भारत को **कठोर मौसमी परिघटनाओं के कारण वार्षिक तौर पर 9-10 अरब डॉलर (62,000 करोड़ रुपये) की हानि** होती है। यह भी देखा गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण **किसानों को औसतन 15% से 18% तक की आय हानि** होती है।

स्वास्थ्य (Health)

- भारत में उच्च तापमान मृत्यु दर के साथ सम्बद्ध है और हीट वेव्स (heat waves) विशेषतः घर के बाहर कार्य करने वाले श्रमिकों को प्रभावित करती है। वायु प्रदूषण का बढ़ते तापमान के साथ संयोजन भी लोगों के स्वास्थ्य को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है।
- चरम मौसमी परिघटनाओं के दौरान तथा आपदा-प्रवण क्षेत्रों में मानसिक विकार और पोस्ट-ट्रॉमैटिक स्ट्रेस सिंड्रोम (post -traumatic stress syndrome) से संबंधित मामले एक सामान्य बात है।
- बाढ़ से होने वाली मृत्युयों के अतिरिक्त शहरी बाढ़ के जल से फैले प्रदूषण से जल-जनित रोगों के जोखिम में वृद्धि होती है।
- अध्ययनों में पाया गया है कि भारत में वर्षा तथा मलेरिया जैसी वेक्टर-जनित बीमारियों के प्रसार के मध्य सहसंबंध है।
- बर्कले स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ़ कैलिफ़ोर्निया द्वारा कराए गए एक अध्ययन के अनुसार विगत 30 वर्षों में 59,300 किसानों या कृषि श्रमिकों की मृत्यु का सबसे बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन है।

कृषि और जलवायु परिवर्तन (Agriculture and Climate Change)

जलवायु परिवर्तन कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा। विश्व के कुछ क्षेत्र जैसे साइबेरिया या उत्तरी कनाडा को तापमान में न्यून वृद्धि से लाभ प्राप्त हो सकता है क्योंकि इससे फसल की अवधि को बढ़ाने में सहायता मिलेगी। यद्यपि जलवायु परिवर्तन ने भारत जैसे उष्णकटिबंधीय देशों में कृषि को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। भारत के संदर्भ में, **औसत तापमान में प्रतिकूल परिवर्तन, वर्षा की अधिकता या कमी, चरम मौसमी परिघटनाएं, समुद्र जल स्तर में वृद्धि, और नियमित एवं गंभीर तटीय तूफान तथा सुनामी आदि** प्रमुख चिंताजनक क्षेत्र हैं। **जलवायु स्मार्ट**

VISION IAS



कृषि (Climate Smart Agriculture) के विचार पर आधारित स्थानीय रूप से उपयुक्त व्यापक दृष्टिकोण का निर्माण तथा कार्यान्वयन अब समय की मांग बन चुकी है।

जलवायु स्मार्ट कृषि (Climate Smart Agriculture): संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (Food and Agriculture Organization of the United Nations: FAO) के अनुसार, जलवायु अनुकूलन कृषि, कृषि का एक ऐसा प्रकार है जो कि सतत रूप से:

- **उत्पादकता में वृद्धि करता है,**
- **लचीलेपन (अनुकूलन) को बढ़ावा देता है,**
- जहां तक संभव हो, **ग्रीन हाउस गैस में कटौती/समाप्त (शमन) करता है**, और
- **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा** एवं विकास लक्ष्यों की प्राप्ति को बढ़ावा देता है।

जलवायु स्मार्ट कृषि के निम्नलिखित कुछ उपायों को भारत में अपनाया जा सकता है:

- पंचायत के स्तर पर, **क्लाइमेट रिस्क मैनेजमेंट सेंटर** स्थापित करना तथा **सामुदायिक जलवायु जोखिम प्रबंधकों** के कैडर को प्रशिक्षण देना।
- **जलवायु स्मार्ट बाजरे** (millets) को संरक्षित करना तथा इसे पुनः आहार में शामिल करना क्योंकि बाजरा और कम उपयोग की गयी कई अन्य फसलें (underutilized crops) सूखा एवं ताप प्रतिरोधी होती हैं और साथ ही अधिक पौष्टिक भी होती हैं।
- **जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन हेतु कृषि प्रणालियों** को भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् (Indian Council of Agricultural Research: ICAR), कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा डिजाइन किया जाना चाहिए तथा स्थानीय पुरुषों एवं महिलाओं को जलवायु जोखिम प्रबंधकों के रूप में प्रशिक्षित कर उनके माध्यम से इसका प्रसार करना चाहिए।
- मीथेन (जो कि एक ग्रीनहाउस गैस है) का प्रयोग बायोगैस संयंत्रों (उदाहरण - **गोबरधन योजना**) को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। उर्वरक के उपयोग के परिणामस्वरूप होने वाले नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन को नीम लेपित यूरिया के प्रयोग के माध्यम से कम किया जा सकता है।
- परिवर्तन की आवश्यकता वाले कृषि के कई क्षेत्रों में प्रत्याशित अनुसंधान की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए, फसल अवधि के घटने की संभावना को देखते हुए, **गेंहूँ एवं चावल** जैसी फसलों के लिए किसानों को प्रति फसल उत्पादकता के स्थान पर **प्रतिदिन उत्पादकता** पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
- निरंतर बाढ़ एवं ओलावृष्टि के लिए तैयार रहना- **केरल में कुट्टानाद के एक किसान** द्वारा समुद्र स्तर से नीचे चावल की कृषि (लवणता प्रबंधन और प्रतिरोधक किस्में) करने की विधि में निपुणता प्राप्त करने की तरह ही हेलोफाइट्स (नमक प्रतिरोधी पौधे) और समुद्री जलीय कृषि (marine aquaculture) दोनों को शामिल करने वाले **बायोसेलाइन कृषि** के दायरे का अन्वेषण किया जाना चाहिए।

एम. एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन ने हेलोफाइट्स को संरक्षित करने और जलवायु स्मार्ट तटीय कृषि विधियों को डिजाइन करने हेतु प्रजनकों को उपलब्ध कराने के लिए **हेलोफाइट्स के एक जेनेटिक गार्डन** को तमिलनाडु के वेदारणयम में स्थापित किया है।

जलवायु परिवर्तन से बचने के लिए प्रयास (Efforts to Counter Climate Change)

अब समय की मांग है कि ऐसे सतत समाधानों पर विचार किया जाए जो केवल अस्थायी न रहें बल्कि भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखे।

यह भी स्वीकार किया जाना चाहिए कि प्राकृतिक संसाधन असीमित नहीं हैं और इसलिए इनकी खपत को नियंत्रित एवं नियोजित किया जाना चाहिए ताकि सतत विकास को सुनिश्चित किया जा सके। विद्युत उत्पादन के लिए पवन ऊर्जा, जल विद्युत, सौर ऊर्जा, भू-तापीय और बायोमास जैसे प्रकृति अनुकूल विकल्पों की खोज की जानी चाहिए और इन्हें तंत्र (system) में पर्याप्त रूप से कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

VISION IAS



व्यक्तिगत स्तर पर (Individual level) - व्यक्तिगत स्तर पर, कई प्रकार की गतिविधियों से व्यक्तिगत कार्बन फुटप्रिंट को पर्याप्त कम किया जा सकता है।

- **पादप-आधारित भोजन का सेवन करना, हवाई यात्रा करने से बचना, कार मुक्त जीवन व्यतीत करना या सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना तथा छोटे परिवार का होना** इत्यादि कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए अधिक प्रभावी हो सकते हैं।
- नियमित गाड़ियों को **इलेक्ट्रिक एवं हाइब्रिड मॉडल की गाड़ियों से परिवर्तित करना, अपशिष्ट का पुनर्चक्रण और लाइट बल्ब** का उन्नयन जैसे सरल उपाय भी कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में प्रभावी हो सकते हैं।
- उदाहरण के लिए, **कार के बिना जीवन व्यतीत करने से प्रति वर्ष 2.4 टन CO_2 समतुल्य की बचत होती है,** जबकि **पादप-आधारित आहार का सेवन करने से प्रतिवर्ष 0.8 टन CO_2 समतुल्य की बचत होती है।**

समुदाय / क्षेत्रीय स्तर (Community/ Regional Level)

समुदाय स्तर पर अनेक पहलें प्रारम्भ की गई हैं, निम्नलिखित कुछ मामलों के अध्ययन को क्षेत्रीय स्तर पर सामुदायिक कार्यवाहियों की शक्तियों के सुदृढीकरण हेतु दृष्टान्तों के रूप में देखा जा सकता है।

- **कानपुर शहर अपनी एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना के माध्यम से** ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में एक मॉडल शहर के रूप में उभरा है। कानपुर में अनेक प्रमुख उद्योग हैं जैसे कि वस्त्र, चर्म, उर्वरक, शस्त्र निर्माण आदि, परन्तु ये सभी प्रदूषण सक्षम उद्योग हैं। हालांकि कानपुर नगर निगम ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी हेतु उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर कार्य किया है, जिसने शहर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था को बदल दिया है।
- **गोरखपुर में जलवायु अनुकूल निर्माण तकनीकी** अपनाई गई है। इसके अंतर्गत ईमारतों के निर्माण हेतु स्थानीय क्षेत्रों से ईंटों को मंगवाया गया तथा स्वदेशी ज्ञान का प्रयोग किया गया। इससे ईमारत की लागत में कटौती करने, लम्बी दूरी से ईंटों के परिवहन से संबंधित कार्बन फुटप्रिंट को कम करने तथा जलवायु प्रत्यास्थ आवासन को सक्षम करने में सहायता प्राप्त हुई है।
- **सेनेगल** में **संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) की वित्तीय सहायता द्वारा** परिवारों की (विशेष रूप से महिला समूहों की) जीवन निर्वाह स्थितियों में सुधार करने तथा जलवायु परिवर्तन के प्रति प्रत्यास्थता में वृद्धि करने के उद्देश्य से, 203 गाँवों के समुदायों द्वारा 26 **कम्युनिटी नेचुरल रिज़र्वस (RNC)** के साथ-साथ नौ क्रेडिट्स एंड सेविंग म्यूच्यूअल्स की स्थापना की जा रही है।
- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) के अनुसार यदि वर्तमान प्रदूषण दर जारी रही तो वर्ष 2050 तक समुद्र में मछलियों की तुलना में प्लास्टिक की संख्या अधिक हो जाएगी, क्योंकि वैश्विक स्तर पर केवल 14% प्लास्टिक को ही पुनर्चक्रित किया जाता है। हाल ही में **महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में प्लास्टिक पर प्रतिबन्ध लागू कर दिया है।** हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 15 जुलाई 2018 से (2015 के बाद से तीसरी बार) राज्य में प्लास्टिक पर प्रतिबन्ध पुनर्स्थापित किया है, जो पूर्ववर्ती प्रतिबंधों के खराब क्रियान्वयन को प्रतिबिंबित करता है।
- **केरल के पलक्कड़** में एदाथेरुवु गाँव ने लगभग 160 घरों से **अपशिष्ट** के संग्रहण, पृथक्करण तथा **वैज्ञानिक निपटान** पर लक्षित एक **अद्वितीय नागरिक पहल** प्रारम्भ की है। यह पहल पांच वर्ष पूर्व प्रारम्भ हुई थी। गाँव में एक अपशिष्ट संग्रहण केंद्र है जो गाँव के परिवारों के प्रतिनिधियों के पर्यवेक्षण में कार्य करता है।

वैश्विक स्तर (Global level)

जलवायु परिवर्तन तथा वैश्विक तापन से निपटने हेतु प्रयासों में तीव्रता लाने के लिए वैश्विक स्तर पर विभिन्न पहलें प्रारम्भ की गई हैं। कुछ हालिया पहलें निम्नलिखित हैं:

VISION IAS

भारत का *इन्टेन्डेड नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रिब्यूशन्स* (INDC)

- 2005 के स्तर से वर्ष 2030 तक अपनी GDP की उत्सर्जन गहनता (emissions intensity) को 33 से 35% तक कम करना।
- प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण तथा निम्न लागत अंतर्राष्ट्रीय वित्त की सहायता से वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 40% विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता प्राप्त करना।
- वर्ष 2030 तक अतिरिक्त वन एवं वृक्ष आच्छादन के माध्यम से 2.5 से 3 बिलियन टन CO_2 के समतुल्य का कार्बन सिंक सृजित करना।

- **पेरिस जलवायु समझौता**: इसका उद्देश्य वैश्विक औसत तापमान में होने वाली वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस के अन्दर सीमित रखना तथा इसे और आगे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए प्रयास करना है। विकसित देशों से वर्ष 2020 तक संयुक्त रूप से 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तथा तत्पश्चात् वर्ष 2025 तक प्रत्येक वर्ष 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के योगदान के लक्ष्य की प्राप्ति की ओर एक सम्पूर्ण रोडमैप के साथ वित्तीय सहायता के उनके स्तर को बढ़ाने हेतु आग्रह किया गया है। अन्य पक्षकार भी विशुद्ध रूप से स्वैच्छिक आधार पर अंशदान कर सकते हैं। **रैचट प्रणाली (Ratchet mechanism)** देशों से वर्ष 2020 में पुनर्वार्ता हेतु मंच पर आने तथा वर्ष 2025 से 2030 के लिए अपनी योजनाओं की व्याख्या करने की मांग करती है। यह विश्व के लिए संभावित रूप से एक ऐसे मार्ग के अनुसरण का अवसर सृजित करती है जिससे वह स्वयं को 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे रख सके।
- **यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज:** UNFCCC का **COP-23** हाल ही में जर्मनी के बॉन में सम्पन्न हुआ था। इस सम्मेलन में **कार्यान्वयन हेतु फिजी मोमेंटम** को अपनाया गया था। COP-23 में पहली बार UNFCCC के **जेंडर एक्शन प्लान** को अंगीकार किया गया। इसकी अन्य पहलों में **पॉवरिंग पास्ट कोल अलायन्स (Powering Past Coal Alliance)** तथा **बिलो 50 इनिशिएटिव (Below 50 initiative)** शामिल हैं।
- **सुवा एक्सपर्ट डायलॉग (Suva Expert Dialogue):** इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से संबंधित हानियों और क्षतियों को संबोधित करने हेतु लामबंदी करना और विशेषज्ञता को सुनिश्चित करना, तथा वित्त, प्रौद्योगिकी एवं क्षमता-निर्माण सहित समर्थन को बढ़ावा देना है।

भारत की हरित कार्यवाही- जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु प्रयास (India's Green Actions-Efforts to Counter Climate Change

भारत का उद्देश्य वर्ष 2022 के अंत तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने के लक्ष्य को प्राप्त करना है।

VISION IAS



भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम(Initiative taken by the Government)

- **जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NPCC) के आठ मिशन (The Eight Missions of NAPCC)**

• राष्ट्रीय सौर मिशन	• सुस्थिर हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र हेतु राष्ट्रीय मिशन
• संवर्द्धित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन	• हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन
• सुस्थिर निवास पर राष्ट्रीय मिशन	• सुस्थिर कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन
• राष्ट्रीय जल मिशन	• जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन

- **नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग (Use of Renewable Energy)-** विद्युत अधिनियम 2003, राष्ट्रीय विद्युत नीति (National Electricity Policy: NEP) 2005 तथा प्रशुल्क नीति (Tariff Policy: TP) के साथ मिलकर नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत् उत्पादन के संवर्धन को अधिदेशित करता है। विद्युत् अधिनियम और ये नीतियाँ नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के संवर्धन हेतु विनियामकीय हस्तक्षेपों पर विचार करती हैं।
- **परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड योजना (PAT scheme)** वर्तमान में भारत के प्रयास को परिभाषित करने वाली प्रमुख नीति है। इसका निरीक्षण ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (Bureau of Energy Efficiency: BEE) द्वारा किया जाता है तथा यह राष्ट्रीय उन्नत ऊर्जा दक्षता मिशन (National Mission on Enhanced Energy Efficiency: NMEEE) द्वारा प्रारम्भ की गई है।
- **पर्यावरण प्रभाव आकलन (Environmental Impact Assessment: EIA) -** यह परस्पर संबद्ध सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक तथा मानव-स्वास्थ्य प्रभावों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित परियोजना या विकास के संभावित पर्यावरणीय प्रभावों के मूल्यांकन की प्रक्रिया है।
- **राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (National Afforestation Program)-** इस कार्यक्रम को निम्नीकृत वन भूमियों के वनीकरण हेतु क्रियान्वित किया गया है।
- **नगर वन उद्यान योजना (Nagar Vana Udyan Yojana)-** शहर में न्यूनतम 25 हेक्टेयर वनों का विकास किया जाएगा।
- **भारत का मरुस्थलीकरण तथा भू-निम्नीकरण मानचित्र (Desertification and Land Degradation Atlas of India)-** अंतरिक्ष विभाग द्वारा निर्मित यह एटलस विभिन्न राज्यों में वर्तमान भू-उपयोग तथा भू-निम्नीकरण की तीव्रता पर विस्तृत सूचना उपलब्ध कराएगी।
- **हरित कौशल विकास कार्यक्रम (Green Skill Development Programme)-** हरित कौशल सतत भविष्य हेतु पर्यावरणीय गुणवत्ता को संरक्षित या नवीकृत करने में योगदान देता है। इसके साथ ही यह उन रोजगारों को भी शामिल करता है जो पारिस्थितिकी तंत्र एवं जैवविविधता का संरक्षण और ऊर्जा में कटौती करते हैं तथा अपशिष्ट और प्रदूषण को न्यून करते हैं।
- **जलवायु अनुकूल परिवहन क्षेत्र (Climate Friendly Transport Sector)-** प्रमुख पहलों में से

VISION IAS



एक है जिसके अंतर्गत वाहन उत्सर्जन मानदंडों का उन्नयन किया गया है जैसे कि भारत स्टेज-III तथा भारत स्टेज-IV। कम कार्बन उत्सर्जन करने वाले या शून्य उत्सर्जन वाले वाहनों को प्रोत्साहन देने के दृष्टिकोण के साथ भारत में बैटरी चालित वाहनों का व्यावसायिक निर्माण शुरू हो गया है। नेशनल मिशन ऑन हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स।

- **कृषि, वन तथा जल स्रोतों का संरक्षण (Conservation of Agriculture, Forest and Water Resources)-** सुस्थिर कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन (National Mission for Sustainable Agriculture)। फसल सुधार तथा सूखा रोधन हेतु भी कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। भारत ने 10 मिलियन हेक्टेयर भूमि-क्षेत्र में वन आच्छादन की गुणवत्ता तथा मात्रा में वृद्धि करने हेतु महत्वाकांक्षी **हरित भारत मिशन** प्रारंभ किया है। केंद्र सरकार द्वारा सतत वानिकी प्रबंधन हेतु सभी राज्यों को प्रोत्साहन आधारित 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अतिरिक्त विशेष अनुदान प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है।
- **वानिकी क्षेत्र- राष्ट्रीय वन नीति (1988),** सहभागी वन प्रबंधन/संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम, राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय वानिकी कार्यवाही कार्यक्रम तथा वर्षा सिंचित क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय वाटरशेड विकास परियोजना।
- **अनुकूलन क्षमता में वृद्धि-** राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड/NABARD) UNFCCC के तहत निर्मित अनुकूलन निधि (Adaptation Fund) हेतु भारत की राष्ट्रीय कार्यान्वयन इकाई (National Implementing Entity: NIE) है।

भारत ने वैश्विक पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा जर्मनी के पश्चात् चौथा स्थान प्राप्त किया है। इस समय भारत ने 46.3 गीगावाट ग्रिड इंटरेक्टिव विद्युत क्षमता; नवीकरणीय ऊर्जा में 7.5 गीगावाट ग्रिड-कनेक्टेड विद्युत उत्पादन क्षमता तथा 4.3 गीगावाट लघु जलविद्युत क्षमता प्राप्त कर ली है।

जलवायु के लिए वित्त (Climate finance)

- जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCC) **वैश्विक पर्यावरण सुविधा (Global Environmental Facility: GEF)** नामक एक कार्यक्रम चलाता है, जो अल्प विकसित देशों और छोटे द्वीपीय राष्ट्रों को अनुकूलन के लिए कुछ धन उपलब्ध कराता है।
- GEF के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन हेतु वित्त पोषण लक्ष्यों को पूरा करने के लिए GEF ट्रस्ट फंड, **अल्प विकसित देशों के लिए कोष (LDCF-Least Developed Countries Fund) और विशेष जलवायु परिवर्तन निधि (Special Climate Change Fund: SCCF)** क्रियाशील हैं।
- UNFCC के अंतर्गत एक अन्य तंत्र **अनुकूलन कोष (Adaptation Fund)** है, जो परियोजनाओं के लिए धन प्रदान करता है, यह जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन के लिए अतिरिक्त लाभ साबित हुआ है। क्योटो प्रोटोकॉल के ही भाग के रूप में स्थापित स्वच्छ विकास तंत्र (Clean Development Mechanism: CDM), UNFCC अनुकूलन कोष के लिए आय का मुख्य स्रोत है।

VISION IAS



- कोपेनहेगन समझौता, जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन में विकासशील देशों की सहायता हेतु विकसित देशों द्वारा 2020 तक 100 बिलियन डॉलर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखता है। इस जलवायु परिवर्तन कोष को **ग्रीन क्लाइमेट फंड (Green Climate Fund: GCF)** के नाम से जाना जाता है।
- **ग्रीन फाइनेंस इकोसिस्टम -** एक व्यापक शब्द जो स्थायी विकास परियोजनाओं और पहलों, पर्यावरणीय उत्पादों और नीतियों में उपयोग होने वाले वित्तीय निवेश को संदर्भित करता है, जो एक ज्यादा टिकाऊ अर्थव्यवस्था के विकास को प्रोत्साहित करेगा। कुछ प्रमुख पहलों में शामिल हैं -
 - नाबार्ड के तहत जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन निधि (National Adaptation Fund for Climate Change: NAFCC)
 - 2015 में भारत का पहला ग्रीन बांड जारी करना।
 - GIFT सिटी में स्थापित INDIA INX ने हाल ही में भारतीय रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन (Indian Railways Finance Corporation's: IRFC) के पहले GREEN बांड को अपने वैश्विक प्रतिभूति बाजार (global securities market: GSM) पर सूचीबद्ध किया है।
 - BSE ने, BSE GREENEX नामक एक ग्रीन इंडेक्स प्रारंभ किया है।
 - RBI ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया है।
 - भारत के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने वित्त पोषण में 1 ट्रिलियन डॉलर और 2030 तक 1000GW सौर क्षमता को स्थापित करने का लक्ष्य रखा है।
- **CAMPA फंड:** इसका प्रयोग वनीकरण द्वारा निर्वनीकरण से हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए, वन पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार, वन्यजीव संरक्षण और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किया जाएगा।

लिंग और जलवायु परिवर्तन (Gender and Climate Change

- आम तौर पर महिलाओं को निर्धनता की स्थितियों में **जलवायु परिवर्तन के प्रभाव** के कारण **उच्च जोखिम** और अत्यधिक दबाव का सामना करना पड़ता है **और विश्व में अधिकांश गरीब महिलाएं ही हैं।**
- निर्णयन प्रक्रियाओं और श्रम बाजारों में महिलाओं की **असमान भागीदारी** असमानताओं को बढ़ाती है और प्रायः महिलाओं को **जलवायु परिवर्तन से संबंधित योजनाओं, नीति निर्माण और कार्यान्वयन में पूरी तरह से योगदान** देने से रोकती हैं।
- फिर भी, महिलाएँ संसाधनों की स्थानीय जानकारी और कुशल नेतृत्व द्वारा जलवायु परिवर्तन की प्रतिक्रिया में **महत्वपूर्ण भूमिका** निभा सकती हैं; उदाहरण के लिए **धारणीय संसाधन प्रबंधन** और/या **घरेलू और सामुदायिक स्तर पर धारणीय प्रथाओं को अपनाने के संदर्भ में।**
- UNFCC के पक्षकारों ने लिंग एवं जलवायु परिवर्तन के मुद्दों को संबोधित करने के लिए कन्वेंशन के तहत एक समर्पित एजेंडा स्थापित कर तथा पेरिस समझौते में एक महत्वपूर्ण बिंदु सम्मिलित

VISION IAS

करके, UNFCC प्रक्रियाओं और लिंग-उत्तरदायी **राष्ट्रीय जलवायु नीतियों** के विकास और कार्यान्वयन में महिलाओं और पुरुषों को समान रूप से शामिल करने के महत्व को मान्यता दी है।



- **जेंडर एक्शंस प्लांस (Gender Action Plans: GAP)** सरकारों के लिए विशेष रूप से उपयोगी हो गए हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनकी राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन रणनीतियों और लिंग-उत्तरदायी कार्यक्रमों और अन्य क्षेत्रकों में सामंजस्य बना हुआ है। GGO (Global Gender Office) ने प्रक्रियाओं के माध्यम से, क्लाइमेट चेंज जेंडर एक्शंस प्लांस (Climate Change Gender Action Plans: ccGAPs) निर्मित करने के लिए अनेक सरकारों का समर्थन किया है।

लीमा वर्क प्रोग्राम ऑन जेंडर (COP-2014): इसका उद्देश्य वार्ता के सभी क्षेत्रों में लिंग उत्तरदायी जलवायु नीतियों एवं अधिदेशों के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाना है।

जलवायु शरणार्थी (Climate Refugees)

अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन (International Organization for Migration) के अनुसार, पर्यावरणीय प्रवासी (Environmental migrants) व्यक्ति या व्यक्तियों के ऐसे समूह होते हैं, जो मुख्य रूप से पर्यावरण में आए अचानक या क्रमिक परिवर्तन के कारण या तो अपने देश के अन्दर या दूसरे देशों में स्थानांतरित होने को मजबूर हैं। यह पर्यावरणीय परिवर्तन उनके जीवन या रहन-सहन की स्थितियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं तथा वे अस्थायी या स्थायी रूप से अपने घरों को छोड़ने के लिए बाध्य होते हैं।

UN ऑफिस फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन (UN Office for Disaster Risk Reduction: UNISDR) की रिपोर्ट के अनुसार, **भारत को निवासियों के विस्थापन के लिए विश्व का सर्वाधिक आपदा-प्रवण देश माना गया है।**

पारंपरिक भूमि से अलगाव अल्पसंख्यक समूहों और मूल निवासियों की **पारंपरिक और सांस्कृतिक विरासत** के अस्तित्व को खतरे में डाल देता है। विस्थापित प्रायः **आतंकवादी संगठनों द्वारा भर्ती के लिए अत्यधिक सुभेद्य होते हैं।**

राष्ट्रों को **सामान्य लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व (common but differentiated responsibility: CBDR)** के सिद्धांत के साथ ही **'प्रदूषक द्वारा भुगतान के सिद्धांत' (polluter pays principle)** और **जलवायु न्याय दृष्टिकोण** को अपनाना चाहिए, ताकि जलवायु परिवर्तन के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार व्यक्ति/इकाई जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने का प्राथमिक उत्तरदायित्व स्वीकार करे।

नानसेन पहल (Nansen Initiative-2012)

यह आपदाओं और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के कारण सीमाओं के आर-पार विस्थापित लोगों की आवश्यकताओं को संबोधित करने वाले सुरक्षा एजेंडे पर सर्वसम्मति बनाने के लिए राष्ट्रों की अगुआई वाली परामर्श प्रक्रिया है।

जलवायु परिवर्तन एवं तकनीकी (Climate Change and Technology)

जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों को तकनीकी कैसे हल कर सकती है से संबंधित केस स्टडीज (Case Studies on How Technology can solve Climate Change related Issues)

- शेल (Shell) ने प्रमाणित किया है कि **फुटबॉल मैदान** में खेलने वाले खिलाड़ी भी **ऊर्जा उत्पादन का**

स्रोत हो सकते हैं, इसने एक ऐसी तकनीकी विकसित की है जो ब्राजील के फेवेला में फुटस्टेप्स को ऊर्जा में बदल दे।



- **इमारतों से होने वाला ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन** भी महत्वपूर्ण है। हमें घर या कार्यालय में, स्कूल में या अस्पताल में प्रकाश, विद्युत, हीटिंग, कूलिंग इत्यादि की आवश्यकता होती है। इन स्रोतों से होने वाला संयुक्त उत्सर्जन **वैश्विक उत्सर्जन में लगभग 20% का योगदान** देता है।
- **ग्रीन बिल्डिंग टेक्नोलॉजी:** यह एक इमारत के जीवन चक्र में पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार और संसाधन-कुशल प्रक्रियाओं और अनुप्रयोग, दोनों को संदर्भित करता है। इसके अंतर्गत निर्माण की योजना और डिज़ाइन, संचालन, रख-रखाव, नवीकरण और विघटन आदि आते हैं।
- मीथेन उत्सर्जन में कमी करने वाले **जैविक या रासायनिक फ़ीड (खुराक)** या कम उत्सर्जन वाली पशुधन प्रजातियाँ, ऐसे कुछ संभावित उदाहरण हैं जो कृषि में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम कर सकते हैं।
- वैश्विक ऊर्जा से संबंधित CO_2 उत्सर्जन में परिवहन 23% का योगदान करता है। कुछ वैज्ञानिकों ने **नये तत्वों की खोज की है, जो बैटरी आधारित शक्ति की जगह नये विकल्प** के तौर पर प्रयोग हो सकते हैं, साथ ही ये मौजूदा बैटरी की तुलना में 1,000-10,000 गुना अधिक शक्तिशाली साबित हुए हैं। माना जाता है कि नई तकनीकी से **इलेक्ट्रिक कारों द्वारा भी लंबे समय तक रिचार्जिंग के लिए रुके बिना, पेट्रोल कारों के जैसे ही समान दूरी तय करने की संभावना है।**
- वैश्विक उत्सर्जन का लगभग एक चौथाई विश्व के 7 अरब लोगों के भरण-पोषण से सम्बन्धित है और इसका कुछ हिस्सा मांस की खपत से सबंधित है। विकल्पों के तौर पर **प्रयोगशाला में बनने वाले मांस** का उत्पादन शुरू करने की आवश्यकता है, जो दिखने में वास्तविक मांस के समान होने के साथ ही स्वाद में भी उसके समान लगता है। बिल गेट्स द्वारा समर्थित कंपनी **Beyond Meat** ने विश्व का पहला मीट बर्गर बनाया है, जो पूरी तरह से पादप आधारित है। यह मुख्यतः मटर में पाए जाने वाले वेजिटेबल प्रोटीन से बना है।
- **UNEPs की क्लाइमवार्न परियोजना (Climewarn project)** से केन्या में किसान अब एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (Early Warning System) के माध्यम से अपनी फसलों की बेहतर देखभाल कर सकते हैं। यह चेतावनी प्रणाली संभावित बाढ़ या अन्य जोखिमों के संबंध में समुदायों को अलर्ट करती है।
- **साइडवॉक लैब्स (Sidewalk Labs)** वर्तमान की शहरी समस्याओं को हल करने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर रही है। वर्तमान में चल रही इनकी परियोजनाओं में से एक इस बात का निरीक्षण करती है कि **एक शहर में यातायात किस प्रकार गतिशील है और भीड़-भाड़ वाले प्रमुख स्थलों (हॉटस्पॉटस) की समस्या को कैसे सुलझाया जा सकता है।** यह हमारे शहरों में वायु प्रदूषण को पर्याप्त मात्रा में कम कर सकता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

- **गांधीजी ने कहा था, "पृथ्वी पर हर किसी की जरूरतों के लिए तो पर्याप्त है, पर हर किसी के लालच के लिए नहीं।'** भविष्य को सुरक्षित करने और पृथ्वी की विरासत को हमारी आगामी पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए, सम्पूर्ण विश्व को एक साथ लाकर ही हम सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संसाधनों के सृजन की आशा कर सकते हैं।
- **औद्योगिक विकास, बेहतर कृषि प्रबंधन और कृषि वानिकी प्रथाओं पर** एकीकृत दृष्टिकोण वर्तमान समय की आवश्यकता है।

VISION IAS



- कुछ पहलों के माध्यम से भारत ऊर्जा उद्योग में वैश्विक उपस्थिति दर्ज कराने को प्रयासरत है, ऐसे प्रयासों से R&D में निवेश बढ़ेगा और विभिन्न हितधारकों के मध्य ज्ञान के साझाकरण को राष्ट्रीय परिदृश्य पर एकीकृत किया जा सकेगा।
- प्लास्टिक बैग के उपयोग को इको-फ्रेंडली प्लास्टिक से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। जल की कमी वाले क्षेत्रों में जल भंडारण और वर्षा जल संचयन के माध्यम से सूखा निरोधी उपायों को लागू किया जा सकता है। जब तक हम स्वदेशी हरित प्रौद्योगिकी विकसित नहीं करते हैं, तब तक सतत विकास प्राप्त करना संभव नहीं होगा।
- अंततः, इसे पुनः दोहराने की जरूरत है कि, पारिस्थितिक रूप से संतुलित एक सभ्यता का विकास, वर्तमान में भारत सहित सभी देशों की रणनीतियों का हिस्सा होना चाहिए।
- मानव जाति को अन्य प्रजातियों और पारिस्थितिक तंत्रों की देखरेख करना सीखना होगा; अर्थात्, प्रकृति के साथ उसके महत्त्व के अनुरूप उचित व्यवहार किया जाना चाहिए। इस समय यह समझना अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि मानव और अधिक समय तक पर्यावरण और अन्य प्रजातियों के साथ वस्तुओं के जैसा व्यवहार नहीं कर सकता है, बल्कि मानव को अपना स्वयं का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए उनकी देखभाल करनी पड़ेगी।

VISION IAS

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.



VISIONIAS
www.visionias.in

निबंध
भारत में स्वास्थ्य देखभाल

VISION IAS

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

विषय सूची

परिचय (Introduction) ____ 3

भारतीय समाज में स्वास्थ्य से संबंधित विरोधाभास एवं अंतर्विरोध (Paradoxes & Contradictions Related to Health in Indian Society ____ 4

स्वास्थ्य क्यों -स्वास्थ्य के विभिन्न आयाम/महत्व (Why Health-importance / Dimensions to Health) ____ 4

भारत में स्वास्थ्य सम्बन्धी चुनौतियां (Challenges in Health in India) ____ 5

स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां (India's Achievements in Health Sector ____ 8

भारत में स्वास्थ्य देखभाल में सुधार हेतु उठाए गए अन्य कदम Other Steps Taken to improve Health Care in India ____ 9

आगे की राह - क्या भारत की विखंडित स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को सुदृढ़ किया जा सकता है? (Way Forward – Can India's Broken Healthcare System Be Fixed ?) ____ 11

निष्कर्ष (Conclusion) ____ 13

VISION IAS



प्रसिद्ध व्यक्तियों के कथन (Quotes by Famous Personalities)

- "स्वास्थ्य ही वास्तविक धन है; सोने व चाँदी के टुकड़े नहीं।"- **महात्मा गांधी**
- "शरीर के स्वास्थ्य को अच्छा रखना हमारा कर्तव्य है, अन्यथा हम अपने मन को मजबूत और स्पष्ट रखने में सक्षम नहीं होंगे।"**-महात्मा बुद्ध**
- "अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी समझ जीवन के सबसे महान वरदान हैं।"**-पब्लियस सायरस**
- **"** स्वस्थ नागरिक किसी देश के लिए सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं।"**-विंस्टन एस.चर्चिल**
- "यदि धन खो दिया तो हमने कुछ नहीं खोया है, लेकिन यदि स्वास्थ्य खो दिया तो हमने अवश्य कुछ खो दिया है।"-**फ्रांसीसी लोकोक्ति**
- *"सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः"* अर्थात "सभी खुश रहें, सभी निरोगी रहें।"- **उपनिषद**

परिचय (Introduction)

- **प्राचीन भारत में स्वास्थ्य को किसी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक कल्याण के रूप में परिभाषित किया गया था।** इस प्रकार, औषधि की चिकित्सा पद्धति केवल रोग और स्वतंत्र उपचार प्रणाली से संबंधित नहीं थी।
- यह व्यक्ति के उपचार में विभिन्न संकल्पनाओं यथा आहार, जलवायु, आस्था, संस्कृति, अलौकिक एवं आनुभविक अवधारणाओं आदि को शामिल करती थी।
- उपचार के लिए प्राकृतिक और निवारक दृष्टिकोण पर बल दिया जाता था। इसका उद्देश्य रोग के मूल कारण का उपचार करना था।
- इस क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण चिकित्सकों में सुश्रुत, चरक और वाग्भट शामिल थे। सुश्रुत को "भारतीय शल्य चिकिसा का जनक" भी माना जाता है।
- इस प्रकार, भारत के सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में योग, ध्यान एवं आयुर्वेद शामिल हैं।
- इसके अतिरिक्त, दक्षिण-पूर्व, इंडोनेशिया, तिब्बत और जापान सहित संपूर्ण एशिया में भारतीय चिकित्सा पद्धतियों का उत्तरोत्तर प्रसार हुआ था।
- **आधुनिक समय में स्वास्थ्य को प्राय: नकारात्मक अर्थ में समझा जाता है अर्थात् इसका अर्थ रोगों की अनुपस्थिति को माना जाता है।**
- हालांकि, यह परिभाषा सीमित और संकीर्ण है। **अमर्त्य सेन** के अनुसार, "स्वास्थ्य एक सामाजिक वस्तु है। एक व्यक्ति को स्वस्थ कहा जाना चाहिए, यदि वह समाज में सक्रिय रूप से भाग लेने में सक्षम है"।
- हमारे वैदिक ग्रंथों में भी स्वास्थ्य को समग्रता में देखा गया था। इसे धन/संपदा का व्यापक रूप और सुख का मार्ग माना जाता था।

"आरोग्यं परमं भाग्यं स्वास्थ्यं सर्वार्थसाधनम्"

इसका आशय है कि निरोगी होना परम भाग्य है एवं स्वास्थ्य से ही अन्य सभी कार्य सिद्ध होते हैं।

इस प्रकार, **स्वास्थ्य को पृथक रूप में नहीं देखा जा सकता है, बल्कि मानव जीवन के व्यापक परिप्रेक्ष्य के रूप में, मानव जीवन के एक हिस्से के रूप में, तथा मानव जीवन के लिए लाभदायक साधन के रूप में देखने की आवश्यकता है।**

- स्वस्थ रहना एक प्रक्रिया है। इसकी शुरुआत प्रात:काल से ही हो जाती है और यह इस बात पर निर्भर करता है कि, हम किस तरह से सांस लेते हैं, हम क्या और किस प्रकार का भोजन करते हैं तथा हमारे सोने का तरीका क्या है।
- नए भारतीय परिप्रेक्ष्य में स्वास्थ्य के प्रति इस समझ को उचित रूप से समाहित कर लिया गया है। वर्तमान में बीमा के बजाय स्वास्थ्य बीमा पर अधिक ध्यान देने की प्रवृत्ति में वृद्धि हुई है।

VISION IAS

भारतीय समाज में स्वास्थ्य से संबंधित विरोधाभास एवं अंतर्विरोध (Paradoxes & Contradictions Related to Health in Indian Society



- **प्रत्येक वर्ष 21 जून को 'योग दिवस' के रूप में मनाया जाता है,** जो कि स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों के लिए भारत के सबसे बड़े योगदान में से एक, योग को अभिस्वीकृति प्रदान करता है। योग अवसाद, मधुमेह जैसे जीवनशैली संबंधी रोगों के परिप्रेक्ष्य में विशेष रूप से लाभकारी है।
- हालांकि, इसके साथ ही एक तथ्य यह भी है कि- **इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन (IDF) द्वारा भारत को डायबिटीज कैपिटल** (यहाँ टाइप-2 मधुमेह से पीड़ित लोगों की संख्या सर्वाधिक है) के रूप में घोषित किया गया है। यह विरोधाभास हमारी स्वास्थ्य प्रणाली की एक व्यापक समस्या अर्थात इसकी निराशाजनक स्थिति को प्रतिबिंबित करता है।
- यह एक विडम्बना है कि सुश्रुत, चरक, वाग्भट्ट, राम चन्द्र शर्मा (जयपुर फुट के डिजाइनर और निर्माता) और आधुनिक समय में विश्व की जेनेरिक फार्मेसी की भूमि, भारत को लेंसेट की हेल्थकेयर एक्सेस एंड क्वालिटी इंडेक्स (HAQ) में 195 देशों की सूची में 145वां स्थान प्राप्त हुआ है।

स्वास्थ्य क्यों -स्वास्थ्य के विभिन्न आयाम/महत्व (Why Health-importance / Dimensions to Health)

- **स्वास्थ्य एक सामाजिक कल्याण के रूप में (Health as a Social good)**
 - सामाजिक कल्याण का आशय ऐसे किसी भी कल्याण से है जो विभिन्न संभव तरीकों से अधिकतम लोगों को लाभान्वित करता है।
 - सामाजिक कल्याण के रूप में स्वास्थ्य किसी समाज को अधिक समतावादी, सहिष्णु, टिकाऊ, संवेदनशील और नैतिक-आधारित समाज के रूप में विकसित होने में सक्षम बनाता है।
 - यह शिक्षा, कौशल जैसे अन्य सामाजिक कल्याण के बेहतर समावेशन तथा प्राकृतिक संसाधनों के साथ बेहतर संबंधों को स्थापित करने में भी सहायता करता है।
- **स्वास्थ्य राजनीतिक कल्याण के रूप में (Health as a Political good)**
 - राजनीतिक कल्याण का आशय ऐसे किसी भी कल्याण से है जो राजनीतिक प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी को सक्षम बनाता है।
 - राजनीतिक कल्याण के रूप में स्वास्थ्य किसी समाज के राजनीतिक संवाद को और अधिक लोकतांत्रिक, उत्तरदायी और विकेन्द्रीकृत बनने में सक्षम करता है।
 - इसके अतिरिक्त, महत्वपूर्ण मुद्दों पर विशेष रूप से स्वच्छ ऊर्जा, सतत विकास आदि पर सर्वसम्मति विकसित करना अत्यधिक सरल हो जाता है।
- **स्वास्थ्य एक आर्थिक कल्याण के रूप में (Health as a Economic good)**
 - आर्थिक कल्याण का आशय आर्थिक विकास, समृद्धि इत्यादि को सक्षम करने वाले कल्याण से है।
 - आर्थिक कल्याण के रूप में स्वास्थ्य, कौशलों के बेहतर उपयोग, कार्यबल की बेहतर उत्पादकता, उद्योगों में श्रमिकों की बेहतर भागीदारी, प्रौद्योगिकियों के संबंध में बेहतर निर्णय लेने आदि में सहायता प्रदान करता है।
 - इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य पर कम व्यय परिवार, सरकार और व्यापक रूप से समाज के भार को कम करता है।

VISION IAS



- अमेरिका के सेंटर फॉर डिज़ीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (CDC) के अनुसार, बाल्यावस्था में टीकाकरण पर प्रत्येक 1 डॉलर के निवेश से 10 डॉलर का प्रतिफल (रिटर्न) प्राप्त होता है।

- **स्वास्थ्य एक पारिस्थितिक कल्याण के रूप में (Health as an Ecological good)**
 - पारिस्थितिकीय कल्याण के रूप में स्वास्थ्य, सतत विकास, सतत उपभोग और पर्यावरण-अनुकूल नीति निर्माण को सक्षम बना सकता है।
 - हाल ही में तमिलनाडु में स्टारलाइट कंपनी के विरुद्ध आसपास के लोगों द्वारा किए गए विरोध-प्रदर्शन का कारण स्वास्थ्य पर पड़ने वाला नकारात्मक प्रभाव ही था। प्रदूषण में वृद्धि और स्वास्थ्य पर बढ़ते प्रतिकूल प्रभाव के कारण दिल्ली में भी इसी प्रकार के विरोध प्रदर्शन किये जाते रहे हैं।
- **स्वास्थ्य एक नैतिक कल्याण के रूप में (Health as a Ethical good)**
 - वर्तमान में स्वास्थ्य का अधिकार, एक मूलभूत मानव अधिकार के रूप में तेजी से स्वीकार किया जा रहा है।
 - मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध आदि ने स्वास्थ्य को एक मूलभूत मानव अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान की है। सतत विकास लक्ष्य # 3 (अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण) स्वास्थ्य को मूलभूत मानव अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान करता है।
 - भारतीय संविधान के भाग III के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के एक भाग के रूप में स्वास्थ्य के अधिकार को घोषित करने हेतु भारत में सर्वसम्मति विकसित हो रही है।
 - अतः, इस अधिकार की पूर्ति का दायित्व समाज और सामाजिक संस्थानों पर है।

- **बाल मृत्यु के कारण (Causes of Child Mortality)**
 WHO के 2012 के एक अनुमान के अनुसार, भारत में 0-5 वर्ष के आयु वर्ग में बाल मृत्यु के कारण निम्नलिखित हैं: नवजात शिशुओं से सम्बंधित कारण (53%); निमोनिया (15%); अतिसार (12%); खसरा (3%); चोट (3%) एवं अन्य (14%)
- **शिशु मृत्यु के कारण (Causes of Infant Mortality)**
 शिशुओं की मृत्यु के प्रमुख कारण प्रसवकालीन परिस्थितियां (46%); श्वसन सम्बन्धी संक्रमण (22%); अतिसार (10%); अन्य संक्रामक और परजीवी बीमारियां (8%) तथा जन्मजात विसंगतियां (3.1%) आदि हैं।
- **नवजात मृत्यु के कारण (Causes of Neo-Natal Mortality)**
 नवजात मृत्यु के प्रमुख कारणों में संक्रमण (33%) यथा निमोनिया, सेप्टिसिमीया और अम्बिलिकल कॉर्ड संक्रमण; समयपूर्व अर्थात गर्भावस्था के 37 सप्ताह पूर्व नवजात शिशु का जन्म होना (35%); एस्फेक्सिया (20%) अर्थात जन्म के तुरंत बाद सांस लेने में असमर्थता के कारण ऑक्सीजन की कमी होना आदि हैं।

भारत में स्वास्थ्य सम्बन्धी चुनौतियां (Challenges in Health in India)

- **कमजोर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्रक (Weak primary health care sector)**
 - भारत में सार्वजनिक सेवाएं असमान रूप से वितरित हैं। उदाहरण के लिए- सरकारी अस्पताल में बेड की उपलब्धता जहाँ गोवा में 614 व्यक्तियों पर एक बेड की है, वहीं बिहार में 8789 व्यक्तियों पर एक बेड उपलब्ध है।

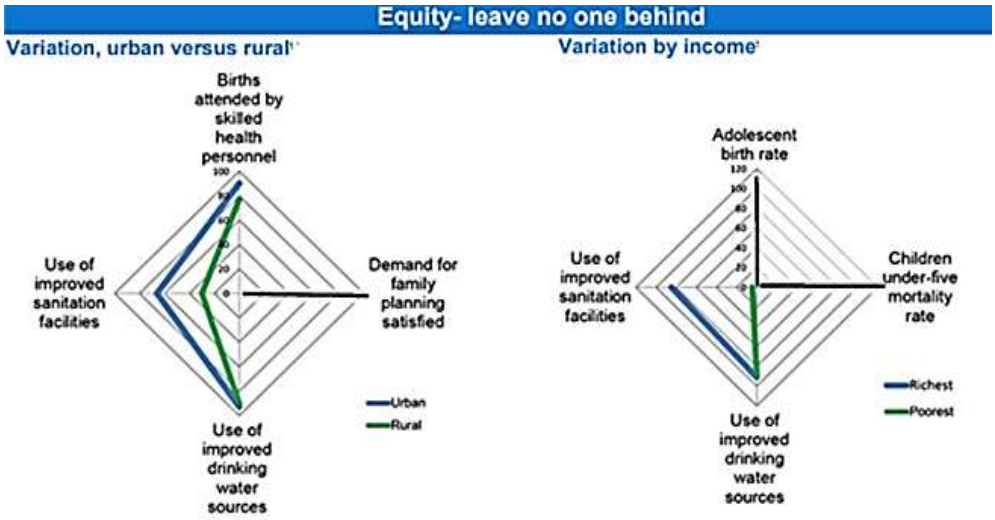
VISION IAS



- मेडिकल टूरिज्म का एक केंद्र और स्वास्थ्य देखभाल विशेषज्ञों का निर्यातक होने के बावजूद भारत में **जनसंख्या के अनुपात में डाक्टरों की संख्या** निराशाजनक है (प्रति 1000 जनसंख्या पर 1 से भी कम डॉक्टर उपलब्ध हैं)।

- समस्त विश्व की वैश्विक फार्मेसी होने के बावजूद, **भारत में 70% से अधिक स्वास्थ्य देखभाल व्यय आउट ऑफ़ पॉकेट व्यय** के रूप में होता है।
 - स्वास्थ्य देखभाल पर होने वाले व्यय के कारण भारत में लगभग 5 करोड़ लोग गरीबी में जीवन व्यतीत करने के लिए विवश होते हैं।
 - हाल ही में गोरखपुर में दो दिनों के अन्दर 42 बच्चों की मौत हो गई। इसी प्रकार एक अन्य मामले में गुडगाँव के फोर्टिस अस्पताल द्वारा डेंगू के एक रोगी के लिए (जहाँ रोगी की मृत्यु हो गयी थी) 16 लाख रुपये का बिल चार्ज किया गया था।
 - ये मामले गुणवत्ता, मात्रा, फुट-प्रिंट, पहुंच और वहनीयता जैसे मुद्दों की विकृत प्रणाली को प्रतिबिंबित करते हैं।
- **अपर्याप्त वित्तीयन (Inadequate Financing)**
 - भारत में स्वास्थ्य देखभाल पर होने वाला सरकारी व्यय निराशाजनक रूप से सकल घरेलू उत्पाद का केवल 1.28% है, जो कि कुल स्वास्थ्य संबंधी व्यय के 30% से भी कम है। भारत में इस क्षेत्र में प्रत्येक नागरिक पर प्रति व्यक्ति व्यय केवल 3 रुपये प्रति दिन है।
 - इसके अतिरिक्त, यद्यपि यह तथ्य सर्वविदित है कि निवारक स्वास्थ्य देखभाल पर किया गया व्यय अधिक अनुकूल है और गैर-संक्रमणीय बीमारियां भारत के स्वास्थ्य संबंधी भार का 60% हैं, तथापि वित्तीयन ढांचे का झुकाव उपचारात्मक एवं संक्रमणीय बीमारियों के पक्ष में है।
- **कमजोर नियामक ढांचा और निजी क्षेत्र**
 (Weak Regulatory Framework and Private Sector)
 - भारत में स्वास्थ्य सम्बन्धी नियामक ढांचा अभी भी व्यवस्थित नहीं है। नोडल एजेंसी अर्थात भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (MCI) को भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और पक्षपात में लिप्त पाया गया है।
 - इसके अतिरिक्त, फोर्टिस द्वारा अत्यधिक बिल चार्ज करने जैसे मामले नियामक ढांचे की निराशाजनक स्थिति को प्रतिबिंबित करते हैं।
- **अपर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल कार्मिक और अवसंरचना**
 (Inadequate Healthcare Personnel and Infrastructure)
 - भारत में जनसंख्या के अनुपात में डॉक्टरों की संख्या बहुत कम है, जो WHO द्वारा अनुशंसित 1:1000 से काफी कम है। यह समस्या हृदय रोग विशेषज्ञों, मनोचिकित्सकों आदि जैसे विशेषज्ञ डॉक्टरों के सम्बन्ध में और अधिक गंभीर है।
 - इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के संबंध में स्पष्ट रूप से ग्रामीण-शहरी विभाजन, क्षेत्रीय विभाजन, लिंग-विभाजन इत्यादि भी उपस्थित हैं।
 - **उदाहरण के लिए:**
 - 73% 'पब्लिक हॉस्पिटल बेड्स' शहरी क्षेत्रों में विद्यमान हैं, जबकि भारत की 69% जनसंख्या ग्रामीण इलाकों में निवास करती है।
- **स्वास्थ्य देखभाल में असमानता (Inequity in Healthcare)**
 - स्वास्थ्य के संदर्भ में अमीरों और गरीबों के बीच विभाजन पहुंच, वितरण और सेवाओं के मामले में व्यापक है।

VISION IAS



2009 – UPSC - "स्वास्थ्य देखभाल का झुकाव तेजी से हमारे समाज के 'सुविधासम्पन्न' लोगों की ओर बढ़ रहा है।" ("The focus of health care is increasingly getting skewed towards the 'haves' of our society".)

- **विखंडित स्वास्थ्य सूचना प्रणाली (Fragmented health information systems)**
 - आंकड़ा संग्रहण प्रणालियों में कई कमजोरियां विद्यमान हैं जैसे कि अपूर्ण आंकड़ा संग्रहण और इसमें निजी क्षेत्र को समाविष्ट न करना। निजी क्षेत्र के गैर-समावेशन से भारत में प्रमुख स्वास्थ्य प्रदाता बाहर रह जाते हैं।
- **कमजोर शासन और जवाबदेही (Weak Governance and accountability)**
- **चिकित्सीय शिक्षा (Medical Education)**
 - भारत में शिक्षा प्राप्त स्वास्थ्य देखभाल सम्बन्धी पेशेवर विश्व प्रसिद्ध हैं; किन्तु इसके बाद भी भारत में चिकित्सा शिक्षा निराशाजनक रही है।
 - अधिकांश समस्याओं में भाई-भतीजावाद, कैपिटेशन फीस, कमजोर नियामक संरचना इत्यादि शामिल हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय परीक्षाएँ यथा NEET, अलग-अलग राज्यों की आवश्यकता के अनुसार विभिन्नता लाने में असमर्थ रही हैं।
- **सामाजिक कारण (Social Reasons)**
 - स्वास्थ्य देखभाल को पृथक रूप से नहीं देखा जा सकता है, बल्कि इसका अध्ययन सामाजिक संदर्भ में किया जाना चाहिए। भारत में स्वास्थ्य देखभाल की दयनीय स्थिति भी व्यापक निर्धनता, लाभकारी रोजगार की कमी, अज्ञानता, निरक्षरता, महिलाओं की निम्न स्थिति, खुले में शौच की समस्या और निम्नस्तरीय स्वच्छता सुविधाओं के कारण है।
 - टी.बी, कुष्ठ रोग, HIV/एड्स आदि के मामले में बीमारियों के आधार पर भेदभाव भी भारतीय समाज की एक बड़ी समस्या है।
 - उदाहरण के लिए, दस्त संबंधी बीमारियां खुले में शौच की समस्या से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं तथा इसकी वजह से भारत में प्रत्येक वर्ष 11 महीने से कम आयु के लगभग 1 लाख बच्चे मृत्यु के शिकार हो जाते हैं।
- **स्वदेशी प्रणालियों की स्थिति (Status of Indigenous systems)**
 - योग, आयुर्वेद आदि जैसी स्वदेशी प्रणालियों पर जोर बढ़ रहा है, परन्तु कार्यान्वयन हेतु उनकी समर्थन प्रणाली कमजोर है।
 - इन प्रणालियों में उचित विनियामक ढांचे, प्रमाणीकरण बेंचमार्किंग और अनुसंधान का अभाव है।

VISION IAS



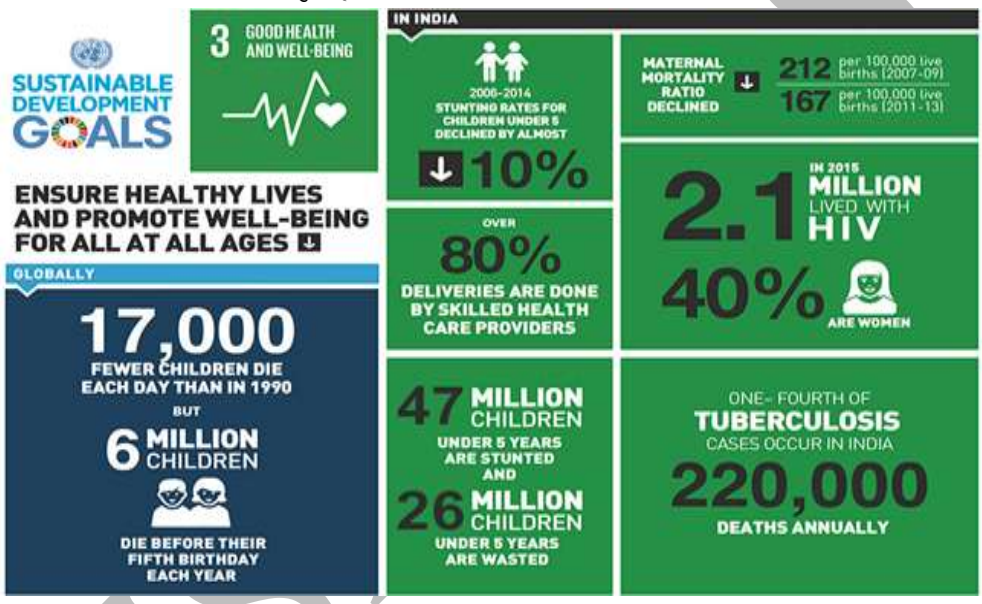
- **उभरते स्वास्थ्य सम्बन्धी मुद्दे (Emerging Health Issues)**
 - रहन-सहन का आधुनिक तरीका, हिंसा एवं व्यक्तिवाद में वृद्धि, प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं, शहरी जीवनशैली, परीक्षा का दबाव, कार्य का दबाव, कॉर्पोरेट संस्कृति के कारण स्वास्थ्य देखभाल सम्बन्धी व्यवधान और गैर-संक्रामक बीमारियों को बढ़ावा दे रही है।
 - भारत में, मधुमेह, एंजायटी डिसऑर्डर, अवसाद आदि जैसी जीवन शैली से सम्बंधित बीमारियां विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में प्रमुख चुनौतियों के रूप में उभर रही हैं।
 - हालांकि, महामारी के प्रसार के बावजूद, भारत मानसिक स्वास्थ्य देखभाल पर अपने स्वास्थ्य देखभाल बजट का केवल 0.06 प्रतिशत व्यय करता है।
 - समग्र स्वास्थ्य क्षेत्र के रूप में नैतिकता, विशेष रूप से डॉक्टर -रोगियों के सम्बन्धों में विकृत होते सिद्धांत, जैसे रोगियों के इलाज, मानव अंगों की तस्करी, बीमारियों या बच्चों के लिंग आदि के संदर्भ में गोपनीयता का पालन न करना आदि जैसे मुद्दे भी विद्यमान हैं।
 - इसके अतिरिक्त, भारत की वृद्ध आबादी 100 मिलियन तक पहुंच गई है और आगे इसमें और अधिक वृद्धि होने की संभावना व्यक्त की गई है। हालांकि, भारतीय स्वास्थ्य देखभाल वृद्धावस्था (जेरियाट्रिक) संबंधी स्वास्थ्य देखभाल (जिसमें हृदय संबंधी एवं मनोवैज्ञानिक रोग आदि शामिल हैं) के लिए पूर्णतः तैयार नहीं है।
 - इसके अतिरिक्त, जलवायु परिवर्तन और वैश्वीकरण के कारण दवा के प्रति प्रतिरोध विकसित होने और महामारियों में वृद्धि जैसी चुनौतियाँ उभर रही हैं। उदाहरण के लिए ज़िका वायरस, निपाह वायरस, MERS वायरस इत्यादि का हालिया मामला।
 - अंत में, यूथेनेसिया जैसे मुद्दे चिकित्सकीय नैतिकता के लिए नई चुनौतियों उत्पन्न कर रहे हैं।

UPSC – 1997 - आधुनिक चिकित्सक एवं उनके मरीज़ (The modern doctor and his patients.)

स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां (India's Achievements in Health Sector

- **विश्व की जेनेरिक फार्मेसी के रूप में (As a Generic Pharmacy of the World)**
 - वैश्विक दवा उद्योग में भारत की भागीदारी लगभग 10% (मात्रात्मक रूप में) तथा जेनेरिक-दवा निर्यात के लिए 20% (मात्रात्मक रूप में) है।
 - भारतीय दवा क्षेत्र के लिए देश में कई अनुकूल परिस्थितियां विद्यमान हैं जैसे- भूमि, श्रम, आवश्यक सामग्री और उपकरणों की कम लागत; अनुकूल घरेलू कानून इत्यादि।
- **चिकित्सा पर्यटन (Medical Tourism)**
 - अपेक्षाकृत सस्ती स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली, प्रशिक्षित स्वास्थ्य देखभाल कार्मिकों, स्वदेशी स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों जैसे योग, प्राकृतिक चिकित्सा आदि के कारण चिकित्सा पर्यटन भारत के लिए विदेशी मुद्रा का प्रमुख स्रोत रहा है।
 - 2015 तक, चिकित्सा पर्यटन का मूल्य 3 बिलियन अमरीकी डॉलर का था और 2020 तक इसके 9 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है।
 - भारत से गये स्वास्थ्य देखभाल कर्मी विभिन्न देशों में अपनी सेवाएँ देते हैं।

- **लागत प्रभावी उपचार (Cost effective solutions)**
 - भारत चिकित्सा संबंधी मुद्दों के लिए लागत प्रभावी उपचार का एक प्रमुख केंद्र रहा है।
 - 'जयपुर फुट' को 1968 में राम चंद्र शर्मा द्वारा भारत में डिजाइन और विकसित किया गया था।
 - भारत टीकों के अनुसंधान एवं विकास के लिए भी एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा है। विश्व के 60% से अधिक टीकों का निर्माण भारत द्वारा किया जा रहा है।
 - हाल ही में, भारत में विकसित रोटावैक वैक्सीन नामक एक टीके को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 'प्री-क्वालिफाइड' घोषित किया गया है। यह पहली बार है जब भारत में पूर्ण रूप से विकसित किसी टीके को यह मान्यता प्रदान की गयी है।
- **प्रमुख स्वास्थ्य संकेतकों** के संदर्भ में, **भारत की स्थिति में** काफी सुधार हुआ है; जैसे MMR 212 (2007-09) से घटकर 167 (2011-13) हो गया है (जिसे 100 तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है); 2013 में 5 वर्ष से कम आयु के प्रति 1000 जीवित जन्में शिशुओं में से मृत शिशुओं की दर 49/1000 तक कम हुई है, इत्यादि।



भारत में स्वास्थ्य देखभाल में सुधार हेतु उठाए गए अन्य कदम Other Steps Taken to improve Health Care in India

- **संवैधानिक प्रावधान (Constitutional Provisions)**
 - उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने विभिन्न निर्णयों में स्वास्थ्य के अधिकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अंतर्निहित घोषित किया गया है।
 - इसके अतिरिक्त, भाग-4 (निदेशक सिद्धांत) के विभिन्न अनुच्छेदों यथा 39 (e), 41, 42, 47 और 48 के द्वारा भारत में स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को सुदृढ करने का दायित्व राज्य को सौंपा गया है।
- **स्वास्थ्य देखभाल संबंधी विधान, योजनाएं और नीतियां (Legislations, Schemes and Policies for healthcare)**
 - **राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017:** इसका उद्देश्य- परिवर्तनशील सामाजिक-आर्थिक, महामारी विज्ञान और तकनीकी परिदृश्यों से उत्पन्न होने वाली वर्तमान और उभरती चुनौतियों का समाधान कर सभी को "सुनिश्चित तरीके" से स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना है।



 - इसका लक्ष्य सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल व्यय को वर्तमान 1.2% के स्तर से 2025 तक सकल घरेलू उत्पाद के 2.5% तक बढ़ाना है, कुल आवंटन का दो तिहाई से अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर व्यय किया जाएगा।
 - इस नीति के तहत, 2018 तक कुष्ठ रोग को समाप्त करने और 2020 तक वैश्विक HIV लक्ष्य- '90: 90: 90' की प्राप्ति के लिए प्रावधान किए गए हैं।
- **मिशन इंद्रधनुष को तीव्रता से लागू करना (Intensified Mission Indradhanush)**
 - इसका उद्देश्य दो वर्ष से कम उम्र के प्रत्येक बच्चों और उन सभी गर्भवती महिलाओं को नियमित रूप से टीकाकरण कार्यक्रम तक पहुँच उपलब्ध कराना है, जो नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत छूट गए थे।
 - **आयुष्मान भारत**
 - इसका लक्ष्य, केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त सहयोग के द्वारा, 10 करोड़ परिवारों को बिना किसी लागत के 5 लाख का वार्षिक बीमा कवर प्रदान करना है।
- भारत सरकार ने 2025 तक क्षय रोग (ट्यूबरक्लोसिस) के उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया है।
- इसके अतिरिक्त **स्वदेशी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को पुनर्जीवित करने के प्रयासों में भी वृद्धि हुई** है। सरकार द्वारा इसके लिए **राष्ट्रीय आयुष मिशन प्रारंभ किया गया है और योग दिवस को आधिकारिक तौर पर वैश्विक वार्षिक आयोजन के रूप में घोषित किया गया है।**
- सरकार द्वारा मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के सभी पहलुओं के लिए अधिकार-आधारित दृष्टिकोण अपनाते हुए **मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017** पारित किया गया है।
- **सिविल सोसायटी संगठनों के प्रयास (Efforts of Civil Society Organisations)**
 - **स्माइल इंडिया फाउंडेशन-** इसका उद्देश्य ज़रूरतमंद लोगों की गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं तक पहुँच सुनिश्चित करना और स्वास्थ्य देखभाल जागरूकता को प्रोत्साहित करना है।
 - **रूरल हेल्थकेयर फाउंडेशन-** इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कम लागत वाले प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल उपलब्धता अंतराल को समाप्त करना है।
 - **सेवा निलयम-** यह ग्रामीण क्षेत्रों में मातृ मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से तमिलनाडु सरकार के साथ साझेदारी में कार्य कर रहा है।
- **अंतर्राष्ट्रीय संगठन (International Organisations)**
 - स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत कुछ अंतरराष्ट्रीय संगठनों में WHO, UNDP, FAO इत्यादि शामिल हैं।
 - इसके अतिरिक्त, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउन्डेशन का उद्देश्य स्वास्थ्य देखभाल में वृद्धि करना और चरम गरीबी में कमी लाना है।
 - **डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स-** यह युद्धग्रस्त-क्षेत्रों (conflict zones) में और स्थानिक बीमारियों से प्रभावित देशों में चिकित्सीय सेवाएं प्रदान करता है।

भारत में प्रचलित सर्वोत्तम प्रथाएं (Best Practices in India)

- **केरल और तमिलनाडु का आदर्श बीमा मॉडल**
 - वैश्विक स्तर पर स्वीकृत इस हेल्थकेयर मॉडल के तहत कम और वहनीय लागत पर बेहतर स्वास्थ्य देखभाल प्रदान की जाती है।
 - प्रीमियम और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का भार राज्य द्वारा वहन किया जाता है, जबकि निजी भागीदारी अधिकांशतः तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक ही सीमित होती है।

VISION IAS



- इसके अतिरिक्त, केरल में आश्रम मिशन का उद्देश्य सरकारी अस्पतालों के अवसंरचना में सुधार कर इसे जन-अनुकूल बनाना है।

- **मुहल्ला क्लीनिक मॉडल**
 - मुहल्ला क्लीनिक नई दिल्ली में संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं जो दवाइयों, निदान एवं परामर्श सहित आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं निशुल्क प्रदान करते हैं।
 - ये क्लीनिक जनसामान्य के लिए प्रथम संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करते हैं। साथ ही ये समय पर सेवाएं प्रदान करते हैं, और राज्य में माध्यमिक एवं तृतीयक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए रेफरल के भार को कम करते हैं।
- **ओडिशा ई-हेल्थकेयर**
 - इसकी शुरूआत 2009 में हुई थी। ओडिशा टेलीमेडिसिन द्वारा 127 टेलीमेडिसिन केंद्रों को स्थापित और 900 टेलीमेडिसिन टेकनीशियंस को प्रशिक्षित किया गया है।
 - इसके द्वारा देश में अनेक सुपर स्पेश्यलिटी अस्पतालों के साथ सहयोग हेतु समझौते किए गए हैं जिससे राज्य में लगभग पांच लाख रोगी लाभान्वित हुए हैं।
- **आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ता**
 - मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ASHA) निवारक स्वास्थ्य देखभाल हेतु एक अत्यधिक उपयोगी मॉडल के रूप में उभरा है।
 - इसकी शुरुआत राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के एक भाग के रूप हुई थी। इसने स्वास्थ्य देखभाल लागत में कमी, और IMR एवं MMR जैसे बेहतर स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार को बढ़ावा दिया है।

आगे की राह - क्या भारत की विखंडित स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को सुदृढ़ किया जा सकता है? (Way Forward – Can India's Broken Healthcare System Be Fixed ?)

जहाँ एक ओर पारंपरिक सुधार यथा व्यय में वृद्धि, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों का सशक्तिकरण, स्वास्थ्य विनियमन को प्रभावी बनाना आदि अनिवार्य हैं; वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे महत्त्वपूर्ण सुधार भी हैं जो स्थिति को परिवर्तित करने में समर्थ हैं किन्तु उन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। ऐसे प्रमुख सुधार निम्नलिखित हैं-

- **निवारक स्वास्थ्य देखभाल पर बल देना (Shift to Preventive healthcare)**
 - भारत की स्वास्थ्य प्रणाली को उपचारात्मक स्वास्थ्य देखभाल द्वारा निर्देशित किया जाता है। हालाँकि वर्तमान समय में निवारक स्वास्थ्य देखभाल पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है जो अधिक समावेशी, सस्ती और बेहतर जीवन का विकल्प प्रदान करती है।
- **स्वास्थ्य सम्बन्धी अवधारणा में परिवर्तन (Change in conception of Health)**
 - स्वास्थ्य को बीमारी की अनुपस्थिति के रूप में नहीं बल्कि कल्याण की स्थिति के रूप में परिभाषित किए जाने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के अस्पताल केंद्रित मॉडल को परिवर्तित किया जाना चाहिए।
 - इस प्रकार, मूल्य प्रणाली में खेल, उचित परिवेश, अच्छा भोजन, अच्छी नींद आदि के महत्व को समाविष्ट करने हेतु सुधार किया जाना चाहिए।



- **स्वास्थ्य एजेंसी के रूप में महिलाएं (Women as agency of health)**
 - महिला एजेंसी के माध्यम से सुधार स्वास्थ्य देखभाल में सुधार किए जाने का एक प्रभावी उपाय है। अमर्त्य सेन ने अपनी 'कैपिसिटी एप्रोच' में महिला सशक्तिकरण द्वारा प्रजनन दर, IMR और MMR में हुए महत्वपूर्ण सुधार-पद्धति को चिन्हित किया।
- **प्रौद्योगिकी का प्रयोग (Use of technology)**
 - हेल्थकेयर सेक्टर में सूचना प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण गेम चेंजर सिद्ध हो सकती है। बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी नई तकनीकें स्वास्थ्य देखभाल वितरण की पहुंच को सुदृढ़ और प्रोत्साहित करने में सक्षम हो सकती हैं। ओडिशा, छत्तीसगढ़ आदि जैसे राज्य अब हेल्थकेयर डिलीवरी को सुदृढ़ करने हेतु टेलीमेडिसिन का उपयोग कर रहे हैं।
 - भारत को अनुसंधान और नवाचार, विशेष रूप से जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इससे स्वास्थ्य देखभाल को अधिक वहनीय, सुलभ और सुगम्य बनाने में सक्षम बनाया जा सकता है।
- **SHGs, PRI का उपयोग और ANMs, ASHAs को सशक्त बनाना (Use of SHGs, PRI and Strengthening of ANMs, ASHAs)**
 - स्वास्थ्य सेवाओं को वितरित करने के लिए SHGs, PRIs जैसे विकेन्द्रीकृत संस्थानों को विकसित करने की आवश्यकता है।
 - इसके अतिरिक्त ASHA, पारंपरिक कौशल और आधुनिक स्वच्छता के साथ दाई, कुशल ANM और ICDS कार्यकर्ताओं को ग्राम स्तर पर एक मल्टी-स्किल्ड टीम के रूप में कार्य करने हेतु प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
- **स्वदेशी प्रणाली का पुनरुद्धार (Rejuvenating our indigenous systems)**
 - योग और आयुष पर बल देने के बावजूद, नीतिगत पहलों के लिए सहायक और विनियामकीय तंत्र कमजोर है।
 - इन प्रणालियों को वर्तमान आवश्यकतों के अनुरूप बनाने के लिए इनमें अधिक अनुसंधान की आवश्यकता है।
 - उदाहरण के लिए, हाल के अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि कैंसर और अवसाद के उपचार हेतु हल्दी का उपयोग लाभदायक हो सकता है।
- **अन्य सफल मॉडल/उदाहरणों से सीख (Learning from other successful models/examples)**
 - बांग्लादेश, थाईलैंड, रवांडा जैसे देशों ने प्रदर्शन-आधारित वित्तपोषण के सफल स्वास्थ्य देखभाल मॉडल विकसित किए हैं।
 - भारत में भी केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों ने कुछ सफल हेल्थकेयर मॉडल विकसित किए हैं।
 - इन मॉडलों को भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के अनुसार संशोधित एवं क्रियान्वित किया जा सकता है।
- **ब्रिज कोर्स (Bridge Courses)**
 - हालांकि एलोपैथी दवाओं के लिए आयुष डॉक्टरों द्वारा ब्रिज कोर्स को प्रारंभ करने का प्रयास किया गया है।
 - आयुष के लिए भी एलोपैथी डॉक्टरों हेतु ब्रिज कोर्स प्रारंभ किए जाने की आवश्यकता है।

VISION IAS

- **नैतिकता (Ethics)**
 - स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों में सेवाभाव, ईमानदारी, गोपनीयता, स्वायत्तता, सुस्पष्ट सहमति और न्याय जैसे नैतिक मूल्यों को भी अंतर्निविष्ट करने की आवश्यकता है।
 - इसके अतिरिक्त, रोगियों को भी स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों की स्थिति के संबंध में अधिक संवेदनशील होना चाहिए।

अंतर्राष्ट्रीय प्रणालियां- हेल्थकेयर के वे मॉडल जिनसे भारत सीख ले सकता है। (International Practices - Models of Healthcare – From which India can learn)

- **बेवरिज मॉडल-** ग्रेट ब्रिटेन, स्पेन, अधिकांश स्कैंडिनेवियन देश और न्यूजीलैंड आदि में प्रचलित।
 - इसका नाम ब्रिटेन की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा को स्वरूप प्रदान करने वाले एक समाज सुधारक विलियम बेवरिज के नाम पर रखा गया था।
 - इसमें कर के आरोपण के माध्यम से सरकार द्वारा स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का वित्तीयन किया जाता है एवं उन्हें उपलब्ध करवाया जाता है। इस प्रकार यह स्वास्थ्य सेवा को भी पुलिस सेवाओं या सार्वजनिक पुस्तकालय के समान राज्य द्वारा प्रदान किये जाने का समर्थन करता है।
 - हालाँकि इस प्रणाली की प्रति व्यक्ति लागत कम है लेकिन इसमें दक्षता और प्रभावशीलता से समझौता किया जाता है।
- **बिस्मार्क मॉडल-** जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, जापान, स्विट्ज़रलैंड में प्रचलित।
 - यह बीमा प्रणाली का उपयोग करता है जहां बीमाकर्ताओं को "रुग्णता कोष (sickness funds)" कहा जाता है। इस कोष को सामान्यतः पेरोल कटौती के माध्यम से नियोक्ता और कर्मचारियों द्वारा संयुक्त रूप से वित्तपोषित किया जाता है।
 - यह योजना सभी व्यक्तियों को कवर करती है और कोई लाभ प्रदान नहीं करती।
 - कठोर विनियमन के कारण, सरकार के पास महत्वपूर्ण लागत-नियंत्रण उपकरण है।
- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा मॉडल-** कनाडा, ताइवान और दक्षिण कोरिया में प्रचलित प्रणाली।
 - इस प्रणाली में बेवरिज और बिस्मार्क दोनों मॉडल की विशेषताएँ सम्मिलित हैं।
 - इसमें निजी क्षेत्र के प्रदाताओं का उपयोग किया जाता है, लेकिन भुगतान एक सरकार संचालित बीमा कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त होता है। इस बीमा कार्यक्रम में प्रत्येक नागरिक भुगतान करता है।
 - इस प्रणाली की मार्केटिंग की कोई आवश्यकता नहीं होती है, दावों से इनकार करने हेतु कोई वित्तीय उद्देश्य नहीं है और कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। ये सार्वभौमिक बीमा कार्यक्रम वहनीय और अधिक सरल होते हैं।
- **आउट-ऑफ-पॉकेट मॉडल -** अफ्रीका के ग्रामीण क्षेत्रों, भारत, चीन और दक्षिण अमेरिका में।
 - यह अधिकांशतः उन देशों में देखा जाता है जो किसी भी प्रकार की जन चिकित्सा देखभाल प्रदान करने हेतु अत्यधिक निर्धन और असंगठित हैं।

निष्कर्ष (Conclusion)

- वर्तमान में भारतीय स्वास्थ्य देखभाल एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर है।
- अमर्त्य सेन के अनुसार, भारत की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली कैलिफोर्निया के एक द्वीप (उपलब्धियों के संदर्भ में) और उप-सहारा अफ्रीका (चुनौतियों के संदर्भ में) के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं।

VISION IAS



- हालाँकि, भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन की आवश्यकता है। तथापि यह स्वास्थ्य देखभाल की एक पूर्णतः पृथक अवधारणा को भी सम्मिलित करता है, जिसमें इसे जीवन की एक प्रक्रिया या एक भाग के रूप में देखा जाए।
- हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी इसी तरह के दृष्टिकोण को मान्यता प्रदान की गई है।
- वर्तमान विश्व में, जहां अधिकाधिक लोग धन अर्जन के पीछे लगे हैं और धन ही उनकी अंतिम इच्छा बन कर रह गयी है, ऐसे में राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के एक कथन को उद्धृत करना महत्वपूर्ण है, जिसके अनुसार 'केवल स्वास्थ्य ही वास्तविक संपत्ति है।' अतः हमारे द्वारा इस पर विचार कर अपने जीवन सम्बन्धी निर्णय लिए जाने चाहिए।

VISION IAS

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.



VISIONIAS
www.visionias.in

निबंध
भारत की सामाजिक-सांस्कृतिक विविधता

VISIONIAS

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

विषय सूची

परिचय (Introduction) ____ 3

भारत की सामाजिक-सांस्कृतिक विविधता की अभिव्यक्ति (Manifestation of India's Socio-Cultural Diversity) ____ 4

सामाजिक-सांस्कृतिक विविधता पर विचार-विमर्श (Debate on Socio-Culture Diversity) ____ 8

विविधता में एकता (Unity in Diversity) ____ 10

निष्कर्ष (Conclusion) ____ 11

VISION IAS



प्रसिद्ध व्यक्तियों के कथन (Quotes of famous personalities)

- "विविधता, किसी समाज के एक-साथ रहने में कठिनाई उत्पन्न कर सकती है किन्तु इसका अभाव समाज के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकता है।" - **डब्ल्यू. एस. कॉफिन जूनियर**
- "जब हम औरों से अलग होने का अधिकार खो देते हैं, तब हम स्वतंत्र होने का विशेषाधिकार भी खो देते हैं।" - **सी. ई. ह्यूज**
- "शिक्षा का सर्वोत्कृष्ट परिणाम सहिष्णुता है।" - **हेलेन केलर**
- "हमारे पास विभिन्न धर्म, विभिन्न भाषाएं, विभिन्न रंग की त्वचा हो सकती है, परंतु हम सभी एक मानव जाति से संबंधित हैं।" - **कोफी अन्नान**
- "सभ्यता परिपक्वता के स्तर तक केवल तब पहुंच पाएगी जब यह चरित्र और विचारों की विविधता के मूल्यों को सीख लेगी।" **- आर्थर सी. क्लार्क**

लघु कथा (Short Story)

"दूध में चीनी की तरह" - जादी राणा और पारसी प्रवासियों के मध्य मुलाकात

- जब पारसियों ने शरण देने का अनुरोध किया, तो जादी राणा ने दूध से भरा एक कटोरा उनके सामने रखकर यह संकेत दिया कि उनके राज्य में शरणार्थियों को शरण देने के लिए जगह नहीं है।
- इन शरणार्थियों के मुखिया ने उस दूध के कटोरे में थोड़ी सी चीनी मिलाकर यह समझाने का प्रयास किया कि जिस प्रकार दूध से भरे हुए कटोरे में चीनी घुल-मिल जाती है और अधिक मिठास उत्पन्न करती है, उसी प्रकार वे भी वहां के समुदाय में घुल-मिल जाएंगे और अधिक सौहार्द्रपूर्ण तरीके से एक-साथ रहेंगे। इस तर्क से प्रभावित होकर जादी राणा ने प्रवासियों को शरण दी और उन्हें स्वतंत्र रूप से अपने धर्म और परंपराओं के आचरण की अनुमति प्रदान की।

भारतीय समाज में, विविधता अस्थायी एवं स्थानिक दोनों रूपों के साथ सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन के सभी पहलुओं में व्याप्त है।

जापान के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (CEPA)

- जापान के साथ CEPA संपन्न होने की प्रक्रिया के दौरान, जापानी अधिकारियों ने यह तर्क दिया कि भारतीय दवा कंपनियों को रियायतें देना संभव नहीं है क्योंकि उन्होंने अपनी दवाओं का परीक्षण मंगोलाइड समूह के लोगों पर नहीं किया था।
- अतः, भारतीय अधिकारियों ने तत्परता से उनका ध्यान इस तथ्य पर आकृष्ट किया कि कंपनियों ने पहले से ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों पर अपने उत्पादों का परीक्षण किया है जोकि मंगोलाइड समूह से संबंधित हैं। अंततः, भारतीय अधिकारी CEPA के एक भाग के रूप में भारतीय कंपनियों को रियायतें प्रदान करवाने हेतु अपने जापानी समकक्षों को विश्वास में लेने में सक्षम हुए।

परिचय (Introduction)

- प्राय: यह कहा जाता है कि विविधता की अवधारणा अपने आप में इतनी विविधतापूर्ण है कि इसकी एक समान और मानक परिभाषा तय करना कठिन हो जाता है। हालांकि, विविधता की मुख्य एवं आवश्यक विशेषताओं के संदर्भ में इसे परिभाषित किया जा सकता है।

VISION IAS

- विविधता को निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है -
 - यह समझना कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय और अलग है। यह भिन्नता प्रजाति, नस्ल, लिंग, लैंगिक अभिविन्यास, सामाजिक-आर्थिक स्थिति और राजनीतिक मान्यताओं जैसे विभिन्न आयामों में हो सकती है।
 - इन भिन्नताओं की पहचान करना।
 - आपसी सहिष्णुता और इन मतभेदों की स्वीकार करना, प्रत्येक व्यक्ति में अन्तर्निहित विविधता के समृद्ध आयामों को अपनाना और उनका सम्मान करना।
- भारतीय समाज विभिन्न धर्मों, भाषाओं, खान-पान की आदतों, रीति-रिवाजों, पहनावे, त्योहारों, विश्वासों आदि के रूप में व्यक्त होने वाले सामाजिक-सांस्कृतिक विविध समाज का सबसे प्रभावशाली दृष्टान्त प्रस्तुत करता है। मुगलों, अंग्रेजों आदि के आक्रमणों से लक्षित होने के बावजूद इसे सर्वाधिक प्राचीन उत्तरजीवी सभ्यता (लगभग 5000 वर्ष पुरानी) के रूप में भी जाना जाता है।
- सहिष्णुता, आपसी सम्मान, असंतोष और विचार-विमर्श के मूल्य भारतीय समाज की स्थायी विशेषता रहे हैं। इसने लोगों को अपनी संस्कृति को संरक्षित करने के लिए पर्याप्त स्थान देने के साथ ही विश्व के अन्य भागों से आने वाले लोगों को अपनाने और समाज के साथ एकीकृत करने में सक्षम बनाया है।
- जैसा कि **शशि थरूर ने कहा** है, **"यदि अमेरिका को एक मेल्टिंग-पॉट मान लें, तो भारत एक प्लेट है जिसमें अलग-अलग कटोरों में भव्य व्यंजन रखे गए हैं। इनमें से प्रत्येक का स्वाद अलग है, और यह आवश्यक रूप से अगले के साथ मिश्रित नहीं होता है, लेकिन वे एक ही प्लेट पर एक साथ हैं, और भोजन को संतोषजनक बनाने में एक-दूसरे के पूरक हैं।"**

भारत की सामाजिक-सांस्कृतिक विविधता की अभिव्यक्ति (Manifestation of India's Socio-Cultural Diversity)





- **नृजातीय/नस्लीय विविधता (Racial Diversity):**
 - नृजाति अथवा नस्ल का आशय लोगों के एक ऐसे समूह से है जिनमें विशिष्ट शारीरिक विशेषताएँ यथा त्वचा, रंग, नाक का प्रकार, बालों का रूप आदि पाई जाती हैं।
 - भारतीय उपमहाद्वीप, पूर्व और पश्चिम दोनों ही दिशाओं से से बड़ी संख्या में प्रवासी नृजातीय समूहों के आगमन का एक प्रमुख केंद्र रहा है।
 - भारत को प्रायः एक नृजातीय संग्रहालय (ethnological museum) के रूप में वर्णित किया जाता है जिसमें छह मुख्य नृजातीय समूह शामिल हैं -

नृजातीय समूह	भारतीय उपसमूह
निग्रिटो	दक्षिण भारत, बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप समूह आदि की कुछ जनजातियां;
प्रोटो-आस्ट्रेलायड	मध्य भारत की जनजातियां
मंगोलायड	पूर्वोत्तर क्षेत्रों में
मेडिटेरियन	तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में
पश्चिमी बैकीसेफल	ओडिशा में, बॉम्बे के पारसी
नॉर्डिक	गुजरात की बनिया जातियां; बंगाल के कायस्थ, आदि

विरोधाभास और चुनौतियाँ (Paradoxes & Challenges)

यद्यपि प्रजातियों का प्रवासन और विविधता पुरातन समय से चली आ रही एक सतत घटना है, किन्तु इसके बाद भी भारत में नस्लवाद और जेनोफोबिया के उदाहरण देखे गए हैं। उदाहरण के लिए अफ्रीकी नागरिकों पर हालिया हमले। ऐसी स्थित में पूर्वोत्तर के लोगों और अफ्रीकी देशों के लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा है।

- **भौगोलिक विविधता (Geographical Diversity)**
 - भारत शुष्क मरुस्थल, सदाबहार वन, हिमालय पर्वत, लंबी तट रेखा और उपजाऊ मैदानों जैसी अनेक विविध भौगोलिक विशेषताओं से संपन्न है।
 - **जलवायु-** मैदानी क्षेत्रों में अत्यधिक उष्णता (सर्वाधिक उष्ण अफ्रीका के उष्ण स्थानों) से लेकर हिमालय के हिमांक बिंदु तक शीत जलवायु।
 - **उर्वरता -** गंगा के मैदानों को विश्व के सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्रों में से एक माना जाता है, जबकि थार मरुस्थल जैसे अन्य क्षेत्र अत्यधिक अनुत्पादक हैं।
 - **वर्षा-** भारत मानसून पर अत्यधिक निर्भर है, देश भर में वर्षा की मात्रा समान नहीं है। पश्चिमी घाट के कुछ स्थानों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित मासिनराम और चेरापूंजी में अत्यधिक वर्षा होती है, जबकि सिंध और राजस्थान जैसे स्थानों में वार्षिक वर्षा बहुत कम होती है।
 - जलवायु की इस अनियमितता ने भारत में विभिन्न वनस्पतियों और जीवों के विकास में भी योगदान दिया है। वास्तव में, भारत विश्व के 17 मेगा-डायवर्सिटी (वृहद जैव विविधता संपन्न देश) देशों में शामिल है। इसके अतिरिक्त, भारत में 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट भी पाए जाते हैं।

VISION IAS

विरोधाभास और चुनौतियाँ (Paradoxes & Challenges)

- यद्यपि भौगोलिक विविधता ने भारत में जलवायु स्थितियों, मृदा, जैव विविधता आदि की विविधताओं के अस्तित्व को सक्षम बनाया है, तथापि भारत में इसके कारण विभिन्न समस्याएँ भी उत्पन्न हुई हैं। इन समस्याओं में भौगोलिक उपेक्षा, अवसंरचना तक अपर्याप्त पहुँच, लोगों और शासन की नीतियों के मध्य सामंजस्य का अभाव आदि शामिल हैं।
- उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र को निरंतर उपेक्षित किया गया है और पूर्वोत्तर के लोगों के मध्य अलगाव की बढ़ती समस्या विद्यमान है। इसी प्रकार की स्थिति जनजातीय क्षेत्रों के संदर्भ में भी विद्यमान है। इसके अतिरिक्त पहाड़ी क्षेत्रों, वन क्षेत्रों आदि में सार्वजनिक सेवा वितरण संबंधी चुनौतियाँ निरंतर बनी हुई हैं।

- **धार्मिक विविधता - आध्यात्मिकता और दर्शन की भूमि (Religious Diversity - Land of Spirituality and Philosophy)**
 - भारत विश्व के 4 प्रमुख धर्मों जैसे हिंदू धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उद्गम स्थल है।
 - इनके अतिरिक्त, प्रवासन और भारतीय समाज की ग्रहणशील प्रकृति के कारण इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म आदि के अनुयायी निरंतर हमारी जनसंख्या का एक प्रमुख हिस्सा बने रहे हैं।
 - हमारी सभ्यता के आरंभ अर्थात वैदिक और उत्तर वैदिक युग के समय से ही वैदिक (न्याय, वेदांत आदि) और गैर-वैदिक (चार्वाक, बौद्ध धर्म आदि) अवधारणाएं विद्यमान थीं।
 - इस प्रकार धार्मिक विविधता और उनकी मान्यताओं के विभिन्न स्तर देखे जा सकते हैं, यथा:
 - एक ईश्वर से बहुत से देवी-देवताओं तक तथा ईश्वर की मान्यता को नकारने तक।
 - केवल शाकाहारी भोजन से लेकर मांसाहारी भोजन तथा सात्विक भोजन तक।
 - ज्ञान का अनुसरण करने, तपस्या का अनुसरण करने जैसे मुक्ति प्राप्त करने के विभिन्न साधनों तक।

विरोधाभास और चुनौतियां (Paradoxes & Challenges)

यद्यपि धार्मिक विविधता भारतीय सभ्यता का प्रतीक रही है, किन्तु इसके बाद भी यह विभिन्न समस्याओं का कारण बनती है। इन समस्याओं में - धार्मिक संघर्ष, धार्मिक ध्रुवीकरण; तुष्टिकरण की राजनीति; सांप्रदायिकता; आदि शामिल हैं। ये विदेशी राष्ट्रों को भी भारतीय समाज को हानि पहुँचाने और अस्थिर करने में सहायता करती है। प्राय: पाकिस्तान द्वारा इसका लाभ उठाया जाता है।

- **जातिगत विविधता (Caste Diversity)**
 - यद्यपि जातीय समूह मुख्य रूप से हिंदू समाज की विशेषता हैं, किन्तु वर्तमान में वे अन्य समुदायों जैसे इस्लाम, ईसाई धर्म आदि के भी प्रमुख घटक बन गए हैं।
 - जाति व्यवस्था की उत्पत्ति चतुर्वर्ण सिद्धांत से हुई तथा कालांतर में यह वंशानुगत और कठोर बन गई।
 - परंपरागत रूप से चार वर्ण होते हैं - ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यद्यपि, निम्न स्तर पर कई प्रमुख जातियां और उपजातियां विद्यमान हैं।
 - इन जातियों के अलग-अलग व्यवसाय, अनुष्ठान,विवाह और भोजन आदि के अलग-अलग नियम आदि होते हैं।

VISION IAS



विरोधाभास और चुनौतियाँ (Paradoxes & Challenges)

- यद्यपि जाति प्राचीन समय से भारतीय समाज की एक मूल इकाई रही है और इसकी उत्पत्ति व्यावसायिक आधार पर हुई थी; तथापि यह समय के साथ अनम्य और शोषणकारी बन गई।
- परिणामस्वरूप, इसने जाति संघर्ष के रूप में विशेषत: निम्न जातियों के विरुद्ध समस्याओं की श्रृंखला को उत्पन्न किया है; जिसमें जाति आधारित हिंसा; जाति आधारित आरक्षण के लिए अथवा विरुद्ध विरोध प्रदर्शन तथा वोट बैंक राजनीति की घटनाएँ शामिल हैं। उदाहरण के लिए, हाल ही में मराठों और पटेलों द्वारा आरक्षण के लिए विरोध; महाराष्ट्र में दलितों के विरुद्ध हिंसा के मामले आदि देखे गए हैं।

- **भाषायी विविधता (Language Diversity)**
 - भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है।
 - हालांकि, भारतीय भाषाई सर्वेक्षण के अनुसार, भारत में 780 भाषाएं और 86 लिपियां विद्यमान हैं।
 - भारत के संदर्भ में प्रायः यह कहा जाता जाता है कि प्रत्येक 4 मील की दूरी पर भाषा परिवर्तित हो जाती है।

विरोधाभास और चुनौतियाँ (Paradoxes & Challenges)

यद्यपि भारत में विभिन्न भाषाओं के बावजूद यहाँ एकता और कार्यात्मक शासन विद्यमान है; तथापि भाषाई विविधता ने विभिन्न समस्याओं और चुनौतियों को भी उत्पन्न किया है:

- **राज्यों का विभाजन -** स्वतंत्रता के 70 वर्षों के बाद भी यह एक निरंतर अनसुलझा मुद्दा बना हुआ है और हरित प्रदेश (यूपी), बोडोलैंड (असम), सौराष्ट्र (गुजरात) आदि के संदर्भ में या कुछ अन्य रूपों में इसे बार-बार उभरते हुए देखा जा सकता है।
- **संवैधानिक मान्यता-** यद्यपि, भारत में बहुत सी भाषाएं विद्यमान हैं परन्तु संविधान की आठवीं अनुसूची के अंतर्गत केवल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है।
- भाषायी अतिवाद (Language Chauvinism)- संपूर्ण भारत में हिंदी को अधिरोपित करने और इसे राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्रदान करने के प्रयास बढ़ रहे हैं जिसके कारण गैर-हिंदी भाषी जनसंख्या में असंतोष उत्पन्न हुआ है। उदाहरण के लिए, हिंदी को अधिरोपित करने के विरुद्ध तमिलनाडु में विरोध प्रदर्शन।

- **पारिवारिक विविधता (Family Diversity)**
 - परिवार भारतीय समाज की सबसे महत्वपूर्ण संस्था रही है। हालांकि, परिवार के स्वरूप और संरचना में भी वृहद स्तर पर भिन्नताएं पायी जाती हैं-:
 - उत्तरी भारत में अधिकांश परिवारों में पितृसत्तात्मक स्वरूप पाया जाता है, जबकि केरल की जनजातियों और नायरों में मातृसत्तात्मक स्वरूप पाया जाता है।
 - भारत में एक विशिष्ट संयुक्त परिवार प्रणाली पायी जाती है, जिसे शायद ही कभी किसी समाज में देखा गया है। वर्तमान में, परिवार प्रणाली के स्वरूप का कामकाजी महिलाओं के परिवार सहित एकल परिवार प्रणाली, लिव इन रिलेशनशिप, सिंगल पेरेंट फॅमिली आदि में परिवर्तन हुआ है।
 - LGBT समुदाय का उद्भव एक प्रमुख परिवर्तन है, जिसमें विषम परिवारों की तुलना में एक विशिष्ट लैंगिक अभिविन्यास पाया जाता है।

VISION IAS

विरोधाभास और चुनौतियाँ

यद्यपि भारत में विभिन्न प्रकार की पारिवारिक संरचनाएं विद्यमान हैं, तथापि महिलाओं की निरंतर खराब स्थिति के साथ-साथ सिंगल पेरेंट फैमिली, LGBT जैसे नए पारिवारिक स्वरूपों को मान्यता मिलने से समस्याएं उत्पन्न हुई हैं।



- **खान पान की आदतें, पहनावा, संगीत, त्यौहार (Food Habits, Dress Code, Music, Festivals)**
 - भोजन की आदतें भिन्न-भिन्न होती हैं जो मांसाहारी से शाकाहारी तक; गेहूं केंद्रित से चावल केंद्रित; मसालेदार से मीठे और गैर-मसालेदार भोजन तक विस्तृत होती हैं। यहां तक कि सार्वभौमिक रूप से पायी जाने वाली पानी-पूरी के बहुत से क्षेत्रीय नाम और विविध प्रकार हैं।
 - **पहनावा -** सलवार-सूट; साड़ी; धोती इत्यादि।
 - **संगीत -** हिंदुस्तानी, कर्नाटक, पश्चिमी, लोक संगीत इत्यादि।
 - **त्यौहार -** दिवाली; होली; गणेश चतुर्थी; ईद; दुर्गा पूजा; लोक त्योहार आदि।

विरोधाभास और चुनौतियां (Paradoxes & Challenges)

यद्यपि खान-पान की आदतों में विविधता, पहनावा और त्यौहारों ने एक समग्र संस्कृति के विकास को उत्पन्न किया है, वहीं कुछ मुद्दे भी हैं, यथा- कपड़ों के संबंध में मोरल पोलिसिंग की समस्या; बीफ बैन आदि जैसे कुछ खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने संबंधी मुद्दे; कुछ क्षेत्रों में कुछ त्योहारों के उत्सव का निषेध आदि।

- **राजनीतिक विविधता (Political diversity)**
 - विभिन्न विचारधाराएं - कांग्रेस की तरह केंद्रवादी; बीजेपी की तरह दक्षिणपंथी; CPI की तरह वामपंथी; AAP जैसे भ्रष्टाचार-विरोधी दल; तथा BSP, SP, DMK, TDP आदि जैसे क्षेत्रीय दल उपस्थित हैं।
 - विभिन्न दबाव समूह, NGOs, सिविल सोसायटी संगठन आदि; यथा FICCI; MKS; ADR इत्यादि।

विरोधाभास और चुनौतियाँ (Paradoxes & Challenges)

- यद्यपि राजनीतिक विविधता ने भारत में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थानों की सफलता को सक्षम बनाया है, तथापि इसने कई समस्याओं को भी उत्पन्न किया है; उदाहरणार्थ: विविध हितों के साथ समझौता; पार्टियों का प्रसार, दबाव समूह इत्यादि।
- इसके अतिरिक्त, NGO समूह जो लोगों के कल्याण के लिए थे, वर्तमान में वे लाभ अर्जित करने के लिए एक साधन बन गए हैं। वे अपने कामकाज में अपारदर्शी बन गए हैं और उनके द्वारा विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम -2010 के निरंतर उल्लंघन की जानकारी प्राप्त होती है।

सामाजिक-सांस्कृतिक विविधता पर विचार-विमर्श (Debate on Socio-Culture Diversity)

(Debate on Socio-Culture Diversity)

- सामाजिक-सांस्कृतिक विविधता समाज के लिए वरदान है अथवा अभिशाप, इस संदर्भ में लगातार विवाद जारी है। एक वरदान के रूप में:

VISION IAS



- **मानव प्रकृति के लिए स्वाभाविक**
 - विविधता मनुष्यों में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होती है। यह हमारे अस्तित्व का आधार है।
 - उदाहरण - हमारी शारीरिक विशेषताएं; विचार प्रक्रिया; प्राकृतिक प्रतिभा आदि।
- **मानसिक आयामों को खोलना और विस्तृत करना; बौद्धिक विकास**
 - तर्क-वितर्क की संस्कृति और मूल्यों की विविधता, भारतीय समाज का एक अभिन्न अंग रहे हैं।
 - अमर्त्य सेन की पुस्तक 'आर्गुमेंटेटिव इंडियन' के अनुसार वैदिक काल के समय प्राचीन भारतीय समाज ने सभा और समिति जैसी संस्थाओं के माध्यम से वाद-विवाद और चर्चा को बढ़ावा दिया था।
 - यह परंपरा अशोक और अकबर के समय इबादत खाना के रूप में निरंतर बनी रही। आधुनिक भारत में, यह लोकतंत्र के मंदिर - संसद और राज्य विधायिका के रूप में प्रकट होती है।
- **विवादों का समाधान करने के लिए विचार-विमर्श और चर्चा के साधन**
 - विविधता समाज को विवादों के समाधान हेतु हिंसा अथवा अपराध के बजाय विचार-विमर्श का प्रयोग करने में सक्षम बनाती है।
 - उदाहरण के लिए ज्याँ द्रेज और रितिका खेरा द्वारा केस स्टडी से निष्कर्ष निकाला गया है कि उच्च लिंगानुपात वाले समाज में अपराध दर कम होती है। इसी क्रम में भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या तथा पूर्वोत्तर विद्रोह की समस्या आदि को देखा जा सकता है।
 - भारत संघर्षग्रस्त देशों और आतंकवाद, चरमपंथ, अलगाववाद आदि की समस्याओं का सामना कर रहे देशों के लिए एक परीक्षण का विषय बन गया है।
- **आर्थिक विकास**
 - आधुनिक नगरों का उदाहरण - मुंबई और हैदराबाद जैसे नगर अपनी महानगरीय संस्कृति और विविधता की ग्रहणशीलता के कारण विकास का केंद्र बन गए हैं।
 - संगठनों का उदाहरण- जिन कंपनियों ने लैंगिक विविधता, क्षेत्र सम्बन्धी विविधता इत्यादि को अपना लिया है उन्होंने अपने संबंधित क्षेत्र में अत्यधिक प्रगति की है। उदाहरण के लिए ISRO, अमूल, बायोकॉन इत्यादि।
 - IMF प्रमुख क्रिस्टीन लेगार्ड के अनुसार, श्रम बल में महिलाओं की अधिक भागीदारी से भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद में 27% की वृद्धि कर सकता है।
- **आधुनिक समस्याओं के लिए दूरदर्शी और प्रभावी समाधान**
 - आधुनिक समाज तुलसी, नीम आदि के गुणों को अपना रहे है जो पहले केवल स्थानीय लोगों द्वारा उपयोग में लाये जाते थे।
 - अब एकाग्रता, फिटनेस इत्यादि को बढ़ाने के लिए वैश्विक स्तर पर योग की संभाव्यता स्वीकार की गई है। उदाहरण अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाना।
- **विदेश नीति को प्रोत्साहन**
 - अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रतिनिधित्व;
 - योग दिवस को मान्यता
 - भारतीय डायस्पोरा की भूमिका जिसे अपने विविध विचारों और अन्य संस्कृतियों के साथ एकीकृत करने की क्षमता के कारण मान्यता प्राप्त है। उदाहरण के लिए माइक्रोसॉफ्ट के CEO के रूप में सत्य नडेला अथवा गूगल के CEO के रूप में सुंदर पिचाई।

VISION IAS



- **समन्वयात्मक संस्कृति का विकास**
 - बौद्ध धर्म, जैन धर्म, भक्ति आंदोलन, पारसी, सूफी आंदोलन आदि का उदय
 - दृश्य कला, निष्पादन कला, वास्तुकला इत्यादि पर प्रभाव - इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, ग्रीक-रोमन इत्यादि का प्रभाव।
 - उदाहरण के लिए गुजरात में मुस्लिम समुदाय की लड़कियों ने रमजान के महीने में रोज़ा रखने में सहजता के लिए योग का अभ्यास किया तथा हाल ही में श्री वर्धमान स्थानकवासी के संरक्षक के तहत वैश्विक शांति के लिए 5000 जैनों द्वारा 36 लाख बार नवकार मंत्र का जाप किया।

संगठनात्मक विविधता - कार्यस्थल पर विविधता (Organizational Deiversity- Diversity at workplace)

- वैश्विक मंचों पर **वैश्विक स्तर पर मानवीय आवागमन में वृद्धि के साथ ही; प्रवासन, समावेश, अनुकूलन और संगठनात्मक विविधता से संबंधित राजनीति के मुद्दों** पर प्रभावशाली तरीके से चर्चा की जा रही है। इस प्रकार वर्तमान में, संगठनों अथवा कार्यस्थल पर विविधता एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है।
- **विभिन्न देशों में संगठनों को विभिन्न विविधता संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए यूरोप के विभिन्न देशों में हाल के वर्षों में प्रवासन में वृद्धि होने से** दीर्घकालिक एकल सांस्कृतिक परिदृश्य में परिवर्तन हुआ है। इससे विविधता को आत्मसात करने के सन्दर्भ में गंभीर बहस हुई है। यहाँ तक की **अमेरिका,** जो एक लम्बे समय से बहु-सांस्कृतिक परंपराओं के लिए उदार बना हुआ है, में अब **प्रजाति-संबंध विविधता की बहस के केंद्र में हैं। फिलीपींस** की राजधानी मनीला में (जहां सन लाइफ फाइनेंशियल का एशिया का प्रमुख सर्विस सेंटर है) **एक सशक्त और उन्मुक्त LGBT समुदाय की उपस्थिति, कार्यस्थल को उदार और भेदभाव मुक्त बनाने के लिए विविधता धारकों को अधिदेशित करती है।**
- **कार्यस्थल को अनेक प्रकार से राष्ट्र के एक लघु रूप में देखा जाता है। वस्तुतः यह जाति, लिंग, नृजातीयता, संस्कृति, धर्म, लैंगिक अभिविन्यास के आधार पर विभिन्न प्रकार के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है -** जिसमें सभी एक ही स्थान पर, एक ही लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं।
- भारत को विश्व के सर्वाधिक विविध राष्ट्रों में से एक के रूप में देखा जाता है। इसके बाद भी **पूर्वोत्तर भारत के लोगों द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्याएँ एक समाज के रूप में हमारे व्यवहार, आत्मसात करने में समस्याओं और मतभेदों की स्वीकृति के अभाव को दर्शाती हैं।**
- पूर्वाग्रह सामाजिक व्यवस्था का भाग हो सकता है, परन्तु एक नैतिक संस्थान के रूप में, एक संगठन को यह सुनिश्चित करना होता है कि व्यक्तिगत कर्मचारी अपने सहयोगियों के साथ वार्ता करते समय कार्यस्थल पर ऐसी पक्षपातपूर्ण अभिवृत्तियों का प्रदर्शन नहीं करते हैं।
- भाषा संबंधी अवरोध, भर्ती के समय पूर्वाग्रह, कामकाजी अथवा गर्भवती माताओं आदि पर नीतियों का अभाव जैसी चुनौतियों के बावजूद विभिन्न संगठनों की संस्कृति में विविधता और समावेशन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

विविधता में एकता (Unity in Diversity)

विविधता 'में एकता' शब्द का आशय अत्यधिक विविधता की उपस्थिति के बावजूद एकजुटता अथवा एकत्व की भावना से है।

विविधता में एकता की अवधारणा को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है:

VISION IAS



- लोगों के विविध समूहों का आपसी सहयोग एवं समन्वय से एक इकाई के रूप में कार्य करना,
- विभिन्न क्षेत्रों अथवा राज्यों का एक देश के रूप में एकीकरण,
- विभिन्न समूहों द्वारा अपने मतभेदों को अलग रखते हुए एक साझे लक्ष्य की ओर बढ़ना।

भारतीय समाज को विविधता का पर्याय माना जाता है। यह विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक विशेषताओं, धार्मिक मान्यताओं एवं सांस्कृतिक प्रतिरूपों को प्रस्तुत करता है। इसे अनेक भाषाओं का उत्पत्ति का स्थल माना जाता है तथा सामान्यतः 'विश्व गुरु' की उपाधि से संदर्भित किया जाता है। यद्यपि ,यह विविधता प्राचीन काल से एकता के तत्वों के साथ जुड़ी हुई है -:

- **भौगोलिक एकता -** प्राचीन समय से ही भारत को 'भारत वर्ष' नाम से जाना जाता था जोकि इसकी मौलिक एकता का प्रतीक है। इसके अतिरिक्त, यहाँ के धर्माचार्यों, राजनीतिक दार्शनिकों तथा कवियों ने सदैव भारत को एक इकाई के रूप में संदर्भित किया है।
- **राजनीतिक एकता -** भारत के शासकों ने भी संपूर्ण देश में अपना शासन स्थापित किया और एक इकाई के रूप में इस पर विचार किया। ऐसे प्रमुख शासकों में अशोक, समुद्रगुप्त तथा अकबर को शामिल किया जा सकता है। वर्तमान समय में राजनीतिक एकता को भारत का संविधान, संसद और नौकरशाही प्रमुख रूप से अखिल भारतीय सेवाओं द्वारा सुनिश्चित किया जाता है।
- **धार्मिक एकता -** भारत चार प्रमुख धर्मों का उत्पत्ति स्थल है। यह भी संपूर्ण भारत की एकता का मुख्य कारण है।
 विभिन्न नामों से विष्णु तथा शिव की पूजा उत्तर और दक्षिण भारत में प्रचलित है। रामायण तथा महाभारत को संपूर्ण भारत में पढ़ा जाता है।
- **सांस्कृतिक एकता -** दिवाली, दशहरा, ईद आदि जैसे त्यौहारों को संपूर्ण देश के लगभग सभी भागों में मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त, सहिष्णुता, पारस्परिक सम्मान, परिवार के प्रति सम्मान जैसे मूल्य पूरे भारत में प्राप्त होते हैं तथा क्रिकेट, बॉलीवुड फिल्मों आदि से भी भारतीय एकता प्रतिबिंबित होती है।

निष्कर्ष (Conclusion)

- विविधता से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद भी, भारतीय समाज को सतत रूप से बनाए रखने और विकास में सामाजिक-सांस्कृतिक विविधता द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता है।
- **समस्या विविधता की नहीं है, अपितु भारतीय समाज में विविधता के प्रबंधन की है, जिससे क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता, जातीय संघर्ष जैसी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। वस्तुतः विकास का सभी स्थानों तक समान रूप से वितरण नहीं किया गया है अथवा कुछ समूहों की संस्कृतियों को उचित महत्व नहीं प्रदान किया गया।**
- उदाहरण के रूप में: **पंजाब में यह समस्या नगण्य औद्योगिकीकरण के कारण युवाओं के निरंतर बेरोजगार रहने से और अधिक विकट हो गई** है; **उत्तर-पूर्व के राज्यों में विद्रोह** मुख्यतः बेरोजगारी एवं उनकी संस्कृति को उचित महत्व प्रदान न किए जाने के कारण है।
- अतः इस संदर्भ में संविधान एवं उसके मूल्यों द्वारा समाज के मार्गदर्शक सिद्धांतों का निर्माण करना चाहिए। भारत के संविधान में विविधता का सम्मान (पंथ निरपेक्ष राज्य; मौलिक अधिकार; DPSP; सकारात्मक कार्यवाही; अनुसूची 5,6,8 की व्यवस्था) करने के साथ ही राष्ट्रीय पहचान के विकास का भी समर्थन किया गया है।

VISION IAS



- जब किसी समाज द्वारा सभी को एक-रुपी (होमोजेनाइज़) करने का प्रयास किया जाता है तब निश्चित रूप से उस समाज में अस्थिरता ही देखी जाती है जो अंत में उसके पतन का कारण बनती है। इसके सबसे प्रमुख उदाहरण के रूप में पाकिस्तान को देखा जा सकता है, जहां पूर्वी पाकिस्तान पर पश्चिमी पाकिस्तान की संस्कृति अधिरोपित करने का प्रयास किया गया, जिसका परिणाम अंततोगत्वा बांग्लादेश के निर्माण के रूप में सामने आया।
- भारत को सदैव 'विविधता में एकता' के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तथा भारत को स्वयं भी इसे प्रोत्साहित तथा संरक्षित करने का प्रयास करते रहना चाहिए। संविधान एवं उसके मूल्यों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनेक बार दोहराया है कि - **"संविधान हमारी पवित्र पुस्तक है"।**
- प्राचीन ग्रंथों के द्वारा हमें विचारों और विचारधारा की विविधता को स्वीकृत करने तथा उनका सम्मान करने का मूल्य प्राप्त होता है। ऋग्वेद का प्रसिद्ध उद्धरण, "महान विचार प्रत्येक स्थान से प्राप्त होते है"; हमें विचारों की विविधता को स्वीकार करने हेतु प्रेरित करता है।
- विविधता का सम्मान एवं राष्ट्रीय पहचान को पोषित करना भारतीय समाज का उद्देश्य होना चाहिए। वर्तमान समय में जब विश्व अपने मार्गदर्शन के लिए भारत को देख रहा है - तब विश्व गुरु भारत द्वारा अपनी सामाजिक-सांस्कृतिक विविधता को कम करने का कोई भी प्रयास सर्वोच्च स्तर की त्रासदी होगी।
 - जैसा कि **गांधी जी** ने कहा - "विविधता में एकता को प्राप्त करने की हमारी क्षमता, हमारी सभ्यता की परीक्षा का सर्वश्रेष्ठ उपहार होगा।"
 - विविधता के सार को ऋग्वेद के निम्नलिखित उद्धरण में बड़ी सुंदरता से प्रस्तुत किया गया है,

"एकं सत् विप्र बहुधा वदन्ति।"

(अर्थात ऐसे अनेक मार्ग हैं जो ईश्वर की ओर ले जाते हैं और लोगों द्वारा इसके लिए भिन्न-भिन्न नामों तथा रूपों का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार विभिन्न मार्गों के बावजूद, मूल उद्देश्य समान है।)

UPSC - 1994 - चौराहे पर भारतीय समाज। (The Indian society at the crossroads.)

UPSC - 1998 - भारत की समग्र संस्कृति। (The composite culture of India.)

UPSC - 2000 - वर्तमान भारतीय संस्कृति: एक मिथक या वास्तविकता? (Indian culture today: A myth or a reality?)

VISION IAS

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.



VISIONIAS
www.visionias.in

निबंध
भारत में पर्यटन

VISIONIAS

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

विषय सूची

परिभाषा (Definition) ____ 3

परिचय (Introduction) ____ 3

पर्यटन से संबंधित तथ्य / आँकड़े (Facts/ Statistics Related with Tourism ____ 4

पर्यटन के प्रकार (Types of Tourism) ____ 5

पर्यटन के आयाम (Dimensions of Tourism) ____ 5

पर्यटन के आर्थिक प्रभाव (Economic impacts of Tourism)____ 7

भारत में पर्यटन से संबंधित चुनौतियां (Challenges Facing Tourism in India ____ 7

सतत पर्यटन (Sustainable Tourism) ____ 10

समाधान और आगे की राह (Solutions and Way Forward ____ 11

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा हाल ही में उठाए गए महत्वपूर्ण कदम (India's Recent Steps in Promotion of Tourism) ____ 12

निष्कर्ष (Conclusion) ____ 14

VISION IAS



प्रसिद्ध व्यक्तियों के कथन (Quotes by Famous Personalities)

- "एक ऐसी भूमि जिसे सभी लोग देखना चाहते हैं और एक बार देख लेने पर, भले ही वह एक झलक ही क्यों न हो, वे शेष विश्व के सभी सम्मिलित दृश्यों के बदले भी उस झलक का त्याग नहीं करेंगे।" **- मार्क ट्वेन**
- यात्रा व्यक्ति को उदार बनाती है। इससे आप देखते हैं कि आप विश्व में कितने छोटे स्थान पर रहते हैं। **"- गुस्ताव फ्लैबर्ट**
- "यात्रा ही गंतव्य है।" **- डैन एल्डन**
- "यात्रा के द्वारा विश्व के नए आयामों का अनावरण किया जा सकता है जिसके बारे में केवल देखने से पता नहीं कर सकते हैं।" **- वेन क्रीसा (Wayne Chirisa)**

परिभाषा (Definition)

- "पर्यटकों और अन्य आगंतुकों को आकर्षित करने और उनकी मेजबानी करने की प्रक्रिया में पर्यटकों, व्यापार आपूर्तिकर्ताओं, मेजबान सरकारों और मेजबान समुदायों के मध्य होने वाले पारस्परिक व्यवहार से उत्पन्न होने वाले संबंधों और परिघटनाओं का योग पर्यटन है " **- मैकिंटोश और गोएल्डनर**
- पर्यटन की पहली परिभाषा 1905 में गायर फ्यूलर द्वारा दी गई थी।
- **संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (UNWTO-UN World Tourism Organization) -**"पर्यटन में अवकाश, व्यापार एवं अन्य उद्देश्यों के लिए अधिकतम एक वर्ष तक के समय तक अपने सामान्य परिवेश से बाहर के स्थानों पर यात्रा करने एवं रहने वाले व्यक्तियों की गतिविधियों को सम्मिलित किया गया है।"
- **यात्रा से पर्यटन कैसे भिन्न है?**
 - पर्यटन के लिए, किसी प्रकार का विस्थापन अवश्य होना चाहिए; व्यक्ति को परिवहन के किसी न किसी साधन का उपयोग करके यात्रा अवश्य करनी होती है (पैदल तीर्थयात्री, यात्री, आदि)। किन्तु सभी यात्राएँ पर्यटन नहीं होती हैं।
 - किसी यात्रा को पर्यटन से संबंधित यात्रा के रूप में निर्धारित करने के लिए तीन मानदंडों का एक साथ उपयोग किया जाता है। इसके लिए विस्थापन निम्नलिखित प्रकार से होना चाहिए;
 - इसमें सामान्य परिवेश के बाहर विस्थापन शामिल है।
 - उद्देश्य का प्रकार: यात्रा, किसी भी उद्देश्य के लिए हो सकती है बस उनको छोड़कर जिनके लिए गंतव्य स्थान द्वारा भुगतान किया जा रहा हो। पहले की सीमाएं जिनमें पर्यटन मनोरंजन और परिवार एवं मित्रों से मिलने तक ही प्रतिबंधित था, अब विस्तृत उद्देश्यों को शामिल करने के लिए विस्तारित कर दी गयी हैं।
 - यात्रा की अवधि न्यूनतम के स्थान पर अधिकतम होनी चाहिए। पर्यटन सम्बन्धी विस्थापन रात्रि विश्राम के साथ या इसके बिना भी हो सकता है।

परिचय (Introduction)

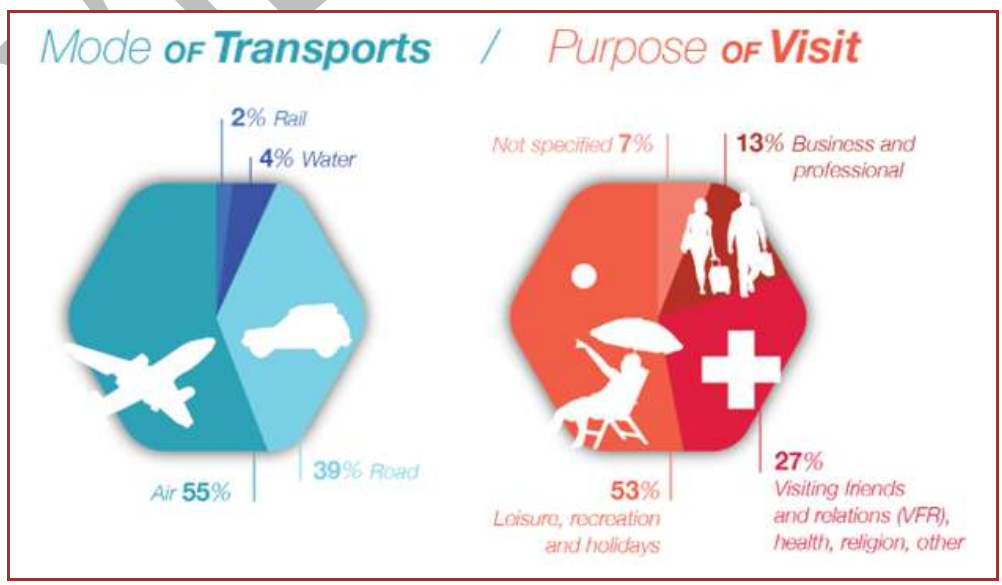
- **"विश्व एक पुस्तक है और जो लोग यात्रा नहीं करते हैं वे इसका केवल एक पृष्ठ पढ़ पाते हैं"।** सेंट ऑगस्टीन का यह कथन वास्तव में यात्रा की भावना को बताता है और एक आकर्षक देश के रूप में भारत, विश्व भर के यात्रियों को अपने गंतव्य के रूप में भारत को चुनने हेतु अनेक कारण प्रदान करता है।

VISION IAS

- **1990 के दशक के आरंभ तक भारत के पर्यटन उद्योग का अधिक विकास नहीं हुआ था**। यद्यपि भारतीय अर्थव्यवस्था की गति धीमी हुई है, फिर भी शेष विश्व की तुलना में इसकी वृद्धि तीव्र है।
- भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रति वर्ष लगभग 5 फीसदी की वृद्धि हो रही है तथा भारतीयों की अतिरिक्त आय में वृद्धि के साथ, देश और विदेश में अवकाश यात्रा पर जाने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि के परिणामस्वरूप पर्यटन उद्योग में वृद्धि हुई है।
- वृद्धि के प्रतिरूप (growth pattern) से ज्ञात होता है कि भारत का पर्यटन उद्योग केवल विदेशी पर्यटकों पर ही निर्भर नहीं है क्योंकि वैश्विक समस्याओं और अव्यवस्थाओं के कारण विदेशियों का आगमन सदैव प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता रहता है।
- घरेलू पर्यटन में वृद्धि सुव्यवस्थित तरीके से हो रही है। भारत में मेलों और त्यौहारों का निरंतर आयोजन किया जाता है। उत्तर में कुंभ तथा दक्षिण में ओणम एवं महामस्तकाभिषेक जैसे उत्सव लगभग प्रत्येक वर्ष पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।
- हालाँकि पर्यटन प्रायः संसाधन-केंद्रित होता है, यह विकासशील देशों में गरीबी में कमी लाने का एक प्रमुख उपाय है। **पंडित जवाहरलाल नेहरू** ने पहली बार देश में पर्यटन के महत्व पर ध्यान दिया था। उनके अनुसार, यह न केवल विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का एक साधन है, बल्कि राष्ट्रों के मध्य अंतरराष्ट्रीय सहयोग, समझ और शांति हेतु प्रयास का भी एक माध्यम है।

पर्यटन से संबंधित तथ्य / आँकड़े (Facts/ Statistics Related with Tourism

- अंतरराष्ट्रीय पर्यटन उद्योग --- 1.4 ट्रिलियन डॉलर का है।
- 2000-2018 के मध्य वैश्विक स्तर पर पर्यटन से सम्बंधित राजस्व में वृद्धि लगभग दोगुनी हुई है।
- फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इन इंडिया (FICCI) और यस बैंक (निवेश बैंक) ने एक अध्ययन में पाया है कि भारत में एक पर्यटक द्वारा की जाने वाली औसत यात्रा ,सिंगापुर में की जाने वाली यात्रा का 2.8 गुना, मलेशिया में की जाने वाली यात्रा का 4.5 गुना और चीन के 6.5 गुना के समान है। इसके बावजूद सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में पर्यटन उद्योग का योगदान चीन, मलेशिया और सिंगापुर से कम है।



पर्यटन के प्रकार (Types of Tourism)



- **मनोरंजनात्मक पर्यटन (Recreational tourism):** पर्यटन प्रायः मनोरंजन गतिविधियों के उद्देश्य से किया जाता है। अधिकांश पर्यटन माहौल में परिवर्तन एवं आराम के लिए किया जाता है; यही कारण है कि पैकेज टूर अधिक लोकप्रिय हो गए हैं।
- **पर्यावरणीय पर्यटन (Environmental tourism)**: धनी और समृद्धशाली पर्यटक ऐसे सुदूरवर्ती स्थानों की यात्रा को अधिक प्राथमिकता देते हैं, जहां उन्हें साँस लेने के लिए प्रदूषण मुक्त वायु प्राप्त हो।
- **ऐतिहासिक पर्यटन (Historical tourism)**: पर्यटक यह जानने में रूचि रखते हैं कि हमारे पूर्वज किस प्रकार किसी विशेष क्षेत्र में रहते थे एवं उसे प्रशासित करते थे। अतः वे विरासत स्थलों, मंदिरों, चर्चों, संग्रहालयों, किलों आदि की यात्रा करते हैं।
- **विरासत विशेष पर्यटन (Ethnic tourism):** यह उन लोगों के पर्यटन को संदर्भित करता है जो अपने मूल से जुड़ने और पारिवारिक दायित्वों को पूरा करने के लिए दूरस्थ स्थानों की यात्रा करते हैं। विवाह और मृत्यु के समय लोग अपने पैतृक स्थानों पर एक साथ एकत्रित होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो अपने शेष जीवन के लिए विदेश में बसे होते हैं जब अपने जन्म स्थान की यात्रा करते हैं तो वे ऐसे पर्यटन को बढ़ावा देते हैं।
- **सांस्कृतिक पर्यटन (Cultural tourism)**: कुछ लोग यह जानने में रूचि रखते हैं कि अन्य लोग या समुदाय कैसे रहते हैं, कैसे जीवन व्यतीत करते हैं और किस प्रकार समृद्ध होते हैं; उनकी संस्कृति और कला एवं संगीत हमारी संस्कृति से किस प्रकार भिन्न हैं। इसलिए वे ज्ञान प्राप्त करने, संस्कृति से परिचित होने एवं संस्कृति को बेहतर तरीके से समझने के लिए यात्रा करते हैं।
- **साहसिक पर्यटन (Adventure tourism)**: युवाओं के मध्य साहसिक यात्रा करने की प्रवृत्ति होती है। वे ट्रेकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, रिवर राफ्टिंग इत्यादि के लिए जाते हैं। वे कैम्प फायर का आयोजन करते हैं और खुले आसमान के नीचे रहते हैं। यह पर्यटन मजबूत इच्छाशक्ति वाले लोगों के लिए है जो तनाव सहन कर सकते हैं।
- **स्वास्थ्य पर्यटन (Health tourism):** हाल के वर्षों में, स्वास्थ्य पर्यटन अत्यधिक लोकप्रिय हुआ है। लोग प्राकृतिक देख-भाल केंद्रों और अस्पतालों में जाते हैं जहां उनका उपचार विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है। उपचार हेतु अनेक विदेशियों द्वारा भारत की यात्रा की जाती है क्योंकि उनके देश में इस प्रकार की सेवाएं काफी महंगी होती हैं।
- **धार्मिक पर्यटन (Religious tourism):** भारत, बहु-धार्मिक संरचना वाली जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ लोगों को धार्मिक कर्तव्यों को पूरा करने और धार्मिक महत्व के स्थानों की यात्रा करने में सक्षम बनाने हेतु विभिन्न पर्यटन पैकेज आयोजित किए जाते हैं। जैसे- चारधाम यात्रा।
- **संगीत पर्यटन (Music tourism):** यह आनंददायक पर्यटन का भाग हो सकता है क्योंकि इसमें लोगों के गाने, संगीत सुनने तथा उसका आनंद लेने के क्षण शामिल होते हैं।
- **ग्रामीण पर्यटन (Village tourism):** इसमें विभिन्न ग्रामीण गंतव्य स्थलों को लोकप्रिय बनाने के लिए पर्यटन करना और यात्रा की व्यवस्था करना सम्मिलित है।
- **वन्यजीव पर्यटन (Wild life tourism):** यह पर्यावरण एवं जंतु अनुकूल पर्यटन हो सकता है। वन्य जीव पर्यटन से तात्पर्य जंगली जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में देखने से है।

पर्यटन के आयाम (Dimensions of Tourism)

- **ऐतिहासिक (Historical):**
 - अवकाश उद्देश्यों के लिए यात्रा करना बहुत कम लोगों के लिए आरक्षित अनुभव से विकसित होकर अब ऐसे अनुभव में बदल गया है जिसका आनंद अनेक लोग लेते हैं।
 - ऐतिहासिक रूप से, यात्रा करने की क्षमता राजसी और उच्च वर्गों के लिए आरक्षित थी। प्राचीन रोमन काल से लेकर 17वीं शताब्दी तक, उच्च वर्गों के युवाओं को सम्पूर्ण यूरोप का

VISION IAS



"ग्रैंड टूर" करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। मध्य युग में अनेक समाजों ने **धार्मिक तीर्थयात्रा** (भारत के इतिहास में अब तक का सबसे लोकप्रिय रूप) के प्रचलन को प्रोत्साहित किया।

- रेल यात्रा की निरंतर बढ़ती लोकप्रियता और ऑटोमोबाइल के विकास ने पर्यटन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
- 1952 में लंदन, इंग्लैंड से जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका और कोलंबो, श्रीलंका तक **प्रथम वाणिज्यिक हवाई उड़ानों** और **जेट युग** के आने से पर्यटन में अत्यधिक तीव्रता आयी। अनेक लोग इसे आधुनिक पर्यटन उद्योग की शुरुआत मानते हैं।
- हालांकि, इतिहास में विभिन्न महत्वपूर्ण पड़ावों जैसे प्रथम विश्व युद्ध, महान आर्थिक मंदी और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण इस उद्योग की वृद्धि में बाधा उत्पन्न हुयी थी। इस शताब्दी की शुरुआत में 11 सितंबर, 2001 को न्यूयॉर्क शहर के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला (जिसे 9/11 के रूप में जाना जाता है), इराक युद्ध, भविष्य के संभावित आतंकवादी हमलों के खतरे और स्वास्थ्य सम्बन्धी खतरे जैसे कि, *सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम* (SARS), *बोवाइन स्पॉन्गिफॉर्म एनसेफेलोपैथी* (BSE), और *वेस्ट नील वायरस* (WNV) जैसी वैश्विक घटनाओं के कारण अंतरराष्ट्रीय यात्राओं में कमी आई है।
- इसी समय पर्यटन उद्योग में बड़े पैमाने पर तकनीकी परिवर्तन हुए जैसे इंटरनेट के प्रयोग ने यात्री सेवाओं में क्रांति ला दी। 2000 के दशक में ऑनलाइन यात्रा बुकिंग में तीव्र वृद्धि हुई और 2014 तक विश्व की अग्रणी कम्पनी एक्सपेडिया ने होटल्स डॉट कॉम, द हॉटवायर ग्रुप, ट्रिवागो और एक्सपेडिया क्रूज शिप सेंटर जैसे ब्रांडों को शामिल कर अपना काफी विस्तार कर लिया था। एक्सपेडिया की कुल राजस्व आय 4.7 मिलियन डॉलर से अधिक है।

- **सामाजिक और सांस्कृतिक (Social and Cultural)**
 - सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव, उस प्रभाव को प्रदर्शित करता है जो स्थानीय लोगों के जीवन में सामाजिक परिवर्तनों के संदर्भ में उत्पन्न होता है। इसमें कई प्रकार के प्रभाव जैसे कि कैसे लोकप्रिय संस्कृतियाँ अन्य को प्रभावित करती हैं, अवसंरचना में सुधार, पारंपरिक शिल्प और परम्पराओं का पुनरुत्थान, जीवनशैली में परिवर्तन, अंतर-सांस्कृतिक संचार में वृद्धि और समझ आदि में परिवर्तन सम्मिलित होते हैं।
 - नकारात्मक प्रभाव बढ़ती अपराध दर, पारंपरिक संस्कृतियों का पतन, आदिम समाजों, उनकी संस्कृति तथा उनके संसाधनों का बाहरी लोगों द्वारा दोहन आदि के रूप में भिन्न-भिन्न हो सकते हैं।
- **अंतरराष्ट्रीय आयाम: पर्यटन और शांति (International Dimensions: Tourism and Peace)**
 - शांति स्थापना और सहायता समाधान की प्रक्रिया में पर्यटन महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकता है, संघर्ष के बाद के समाजों (post-conflict societies) में पर्यटन के द्वारा शांति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने हेतु सामुदायिक संलग्नता एवं सशक्तिकरण, क्षमता निर्माण तथा प्रशिक्षण और सार्वजनिक/ निजी क्षेत्र की साझेदारी महत्वपूर्ण कारक हैं।
 - यह विश्वास और सद्भावना का वाहक होता है। सांस्कृतिक समझ अभिवृत्तियों (attitudes) में परिवर्तन ला सकती है और शांति का निर्माण कर सकती है। शांति निर्माण में पर्यटन की भूमिका गरीबी उन्मूलन, सांस्कृतिक संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण में इसके योगदान के माध्यम से भी हो सकती है।
- **आर्थिक (Economic)**
 - पर्यटन उद्योग मेजबान देश और पर्यटक के गृह देश, दोनों के लिए पर्याप्त आर्थिक लाभ उत्पन्न करता है। विशेष रूप से विकासशील देशों में, किसी क्षेत्र द्वारा स्वयं का प्रचार पर्यटन गंतव्य के रूप में करने का मुख्य उद्देश्य अनुमानित आर्थिक लाभ होता है।

VISION IAS

पर्यटन के आर्थिक प्रभाव (Economic impacts of Tourism)



सकारात्मक	नकारात्मक
1. विदेशी विनिमय की प्राप्तियाँ 2. सरकार के राजस्व में योगदान 3. रोजगार सृजन 4. भुगतान संतुलन /व्यापार खाता संतुलन 5. अवसंरचनात्मक निवेश को प्रोत्साहन 6. स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान	1. मुद्रास्फीति 2. अवसर लागतें 3. निर्भरता 4. मौसमी लाभ (किसी विशेष समय के लिए) 5. लीकेज की समस्या 6. विदेशी अन्तःक्षेत्र पर्यटन 7. रोजगारों की मौसमी प्रकृति 8. वेश्यावृत्ति एवं भूमिगत अर्थव्यवस्था

पर्यावरणीय आयाम (Environmental Dimensions)

- आकर्षण के रूप में पर्यावरण (Environment as an Attraction) - पर्यटन में, पर्यावरण के प्रति सार्वजनिक रूचि बढ़ाने और लोगों को प्रकृति एवं पर्यावरण के साथ निकट संपर्क में लाकर पर्यावरणीय समस्याओं के संबंध में जागरूकता का प्रसार करने की संभावना है। यह संपर्क लोगों में प्रकृति के महत्व के बारे में जागरुकता बढ़ा सकता है और पर्यावरण को संरक्षित करने हेतु पर्यावरणीय जागरुक व्यवहार और गतिविधियों को बढ़ावा दे सकता है।
- पर्यटन-पर्यावरण के मध्य सम्बन्ध (The Tourism-Environment Connection) -
 - पर्यावरण की सुरक्षा, संरक्षण और जैविक विविधता के पुनर्भंडारण और प्राकृतिक संसाधनों के संधारणीय उपयोग में पर्यटन महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। प्राचीन स्थलों और प्राकृतिक क्षेत्रों को उनके आकर्षण के कारण मूल्यवान धरोहर के रूप में चिन्हित किया जाता है और इनके आकर्षण को बनाए रखने की आवश्यकता राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव उद्यानों के निर्माण को बढ़ावा दे सकती है।
 - यद्यपि विश्व के कई क्षेत्रों को उद्यान एवं संरक्षित क्षेत्रों के रूप में संरक्षित किया गया है, फिर भी पर्यटन के विकास के गंभीर नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। UNEP (The United Nations Environment Programme) के अनुसार इनमें शामिल हैं:
 - प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास (जल, वन, आदि)
 - प्रदूषण (वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, सीवेज, अपशिष्ट और कूड़ेदान)
 - भौतिक प्रभाव (निर्माण गतिविधियाँ, बंदरगाह विकास, विध्वंस, जैव विविधता का नुकसान)

भारत में पर्यटन से संबंधित चुनौतियां (Challenges Facing Tourism in India

- **अवसंरचना संबंधी चुनौतियां (Infrastructure Roadblocks)**

 - पर्यटन अवसंरचना, एक गंतव्य के सृजन हेतु क्षेत्रीय स्तर पर सामंजस्यपूर्ण तरीके से कार्य करने वाली परिवहन, सामाजिक और पर्यावरणीय अवसंरचना की एक आपूर्ति श्रृंखला है जिसमें अंतरराष्ट्रीय और घरेलू बाजारों से आगंतुकों का एयरपोर्ट, प्रमुख सड़कों एवं रेलवे के माध्यम से

ठहरने के लिए कमरों (होटलों) तक पहुँचना शामिल है। इसके साथ ही इसमें आगंतुकों को आकर्षित करने वाली प्रदर्शनियों, कार्यक्रमों और सेवाओं हेतु भौतिक संरचनाएं तथा राष्ट्रीय उद्यानों, समुद्री उद्यानों एवं अभ्यारण्यों जैसी पर्यावरणीय अवसंरचना के साथ-साथ आगंतुक सुविधाएं भी शामिल होती हैं।



- **पर्यावरणीय चिंताएं (Environmental concerns)**
 - प्राकृतिक और मानव निर्मित पर्यावरण की गुणवत्ता पर्यटन हेतु आवश्यक है।
 - पर्यावरण के साथ पर्यटन का जटिल संबंध है। इसमें विभिन्न गतिविधियाँ शामिल होती हैं जो पर्यावरण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती हैं। पर्यटन के विकास का नकारात्मक प्रभाव धीरे-धीरे उन पर्यावरणीय संसाधनों को नष्ट कर सकता है जिस पर यह निर्भर होता है।
 - पर्यटन न केवल जलवायु परिवर्तन में योगदान देता है, बल्कि इससे पूर्णतः प्रभावित भी होता है। जलवायु परिवर्तन के कारण आपदाएं, तूफान और गंभीर मौसमी घटनाओं की आवृत्तियों में वृद्धि हो सकती है, जो प्रभावित क्षेत्रों में पर्यटन पर विनाशकारी प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। पर्यटन के कुछ अन्य प्रभावों में सूखा, रोग, हीट वेव्स, तीव्र बाढ़ (उदाहरण: उत्तराखंड बाढ़), भूस्खलन, नदियों और महासागरों में प्लास्टिक के कचरों में वृद्धि आदि शामिल हैं।
- **संसाधन संबंधी चिंताएं (Resources concern)**
 - पर्यटकों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले पेशेवरों का अभाव।
 - भारत में हजारों अतुल्य पुरातात्विक स्थल हैं जिनके जीर्णोद्धार एवं रख-रखाव की आवश्यकता है।
- **विखंडित नीतियाँ एवं कार्यक्रम (Fragmented Policy and Programs)**
 - एक समग्र व्यापक पर्यटन नीति का अभाव है। इससे सम्बंधित कार्यक्रम अनेक मंत्रालयों द्वारा चलाए जाते हैं, जिस कारण पर्यटन से संबंधित विषयों पर राज्य और केंद्र के मध्य विवाद भी उत्पन्न होता है।
- **सामाजिक-आर्थिक चिंताएं (Socio-economic concerns)**
 - **हिंसा (Violence):** पर्यटकों पर प्राय: हमला होने से यह एक विकर्षी कारक बन गया है। भारत में अफ्रीकियों के खिलाफ हुई हालिया अमानवीय हिंसा एक गंभीर घटना है। विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा के मामलों में यह सत्य है (गोवा में जर्मन लड़की की हत्या और इसके पश्चात मुकदमे की कार्रवाई)
 - **स्वास्थ्य सम्बन्धी मानक (Health Standards):** निम्न स्वच्छता मानक पर्यटकों के लिए एक बड़े अवरोधक के रूप में कार्य करते हैं। हाल ही में, भारत प्रवास के दौरान सुपरबग से संक्रमित एक अमेरिकी महिला की मृत्यु हो गई थी।
 - **संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP-United Nations Environment Programme) द्वारा चिन्हित पर्यटन के नकारात्मक सामाजिक प्रभावों में शामिल हैं:**
 - स्वदेशी पहचान और मूल्यों में परिवर्तन अथवा क्षति
 - संस्कृति संघर्ष
 - सामाजिक तनाव के भौतिक कारण (संसाधनों की मांग में वृद्धि)
 - नैतिक मुद्दे (यौन पर्यटन अथवा बाल श्रमिकों के शोषण में वृद्धि)
- **विनियमन (Regulation):**
 - वीजा सम्बन्धी कठोर नियम और अन्य देशों में आन्दोलन (जैसे यूरोप में शेंजेन क्षेत्र) पर्यटन के प्रोत्साहन में एक अन्य बाधा है।

VISION IAS



लिंग और पर्यटन (Gender & Tourism)

- लिंग और पर्यटन क्यों?
 - पर्यटन में वृहत लैंगिक समानता एवं महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए योगदान देने की संभावना मौजूद है।
 - यद्यपि महिलाएं निम्न भुगतान, निम्न कौशल क्षेत्र वाले उद्योगों में संकेंद्रित हैं और अधिक संख्या में पारिवारिक पर्यटन व्यवसायों में बिना भुगतान के कार्य करती हैं।
- **ग्लोबल रिपोर्ट ऑन वीमेन इन टूरिज्म 2010,** UNWTO और UN-वीमेन के सहयोग पर आधारित प्रथम यथार्थपूर्ण रिपोर्ट थी। इसमें विकासशील देशों पर विशेष फोकस के साथ विश्व स्तर पर पर्यटन में महिलाओं की भागीदारी का खाका तैयार करने का पहली बार प्रयास किया गया है।

इसके प्रमुख निष्कर्ष हैं:

- **रोजगार**: महिलाओं का पूर्ण प्रतिनिधित्व होने के बावजूद उनमें पेशेवर या निर्णय निर्माण स्तर पर कार्य करने की अपेक्षा सेवा या निम्न पदों पर कार्य करने की ही प्रवृत्ति पायी गयी
- **उद्यमिता:** अन्य क्षेत्रों की तुलना में पर्यटन क्षेत्र में महिला कर्मचारियों की संख्या दोगुनी है और प्रायः पुरुष कर्मचारियों की तुलना में महिला कर्मचारी अधिक हैं।
- **शिक्षा**: अन्य क्षेत्रों की तुलना में यहां आनुपातिक रूप से कुछ ही महिला स्नातक कार्यरत हैं।
- **नेतृत्व :** सभी पर्यटन मंत्रालयों एवं टूरिज्म बोर्डों के अध्यक्षों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अभी भी केवल ⅕ ही है।
- **सामुदायिक विकास** : विशेष रूप से अन्य क्षेत्रों से तुलना करने पर यह देखा गया कि पारिवारिक पर्यटन व्यवसायों में महिलाएं अधिक संख्या में बिना भुगतान के कार्य करती हैं।
- **पर्यटन क्षेत्र में कार्यरत महिलाएं समान्यत: अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में 10% से 15% कम आय प्राप्त कर रही हैं।**

"नैतिक रूप से उत्तरदायी पर्यटन (Responsible Tourism)- गांधीवादी पद्धति "

- *'लिव गांधी फॉर ए व्हाइल '* एक पर्यटक कार्यक्रम है जिसकी कल्पना एवं विकास ट्रैवल एजेंट निश्चल बरोट द्वारा की गई थी। इसकी शुरुआत अक्टूबर 2016 में कोचरब आश्रम (अहमदाबाद) में की गई थी।
- इसे उत्तरदायी पर्यटन के रूप में नामित किया गया क्योंकि यह **वाणिज्यिक हितों पर आधारित गंतव्य आधारित पर्यटन का विरोध करता** है।
- प्रतिभागियों से कम से कम पांच दिनों के लिए एक सच्चे गांधी आश्रमवासी की तरह आश्रम में रहने की उम्मीद की जाती है साथ ही हाथ से बुने कपड़े पहनना, शारीरिक श्रम करना, सच्चाई, शुद्धता, अहिंसा, आदि का अभ्यास करना होता है।
- महात्मा गांधी संभवतः प्रथम जिम्मेदार यात्री थे, जिन्होंने देश भर में यात्रा की, समुदायों से जुड़े, गांवों में गए, उनके घरों में रहे, उन्होंने उनकी सहायता करने की कोशिश की, और पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव के साथ उनकी समस्याओं का समाधान किया।" इसका उद्देश्य लोगों को सतत जीवनशैली के विभिन्न उपायों की तलाश करने, गांधी की सादगी से सीख लेने, महात्मा के गुणों का अनुभव करने की सीख प्रदान करना है।

VISION IAS

सतत पर्यटन (Sustainable Tourism)

- सतत पर्यटन, पर्यटन का वह रूप है जिसका अधिक उत्तरदायित्व के साथ उपयोग किया जा सकता है। यह एकमात्र विकल्प है जिसके द्वारा नकारात्मक सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभावों को कम किया जा सकता है। यह स्थानीय लोगों के लिए आर्थिक लाभ का अवसर प्रदान करता है और मेजबान समुदायों के कल्याण में वृद्धि करता है।
- संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2017 को "विकास के लिए सतत पर्यटन का अंतरराष्ट्रीय वर्ष" घोषित किया है। इस संदर्भ में, यह पहले ही परिलक्षित हो सकता है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय और राष्ट्र राज्य 2030 एजेंडे को कितनी गंभीरतापूर्वक ले रहे हैं।





समाधान और आगे की राह (Solutions and Way Forward

- पर्यटन को **अंतर-मंत्रालयी स्तर पर एक सुदृढ़ समन्वय की** आवश्यकता होती है क्योंकि ग्राहकों का अनुभव वीजा, वायु मार्ग और स्वास्थ्य नियमों, आयात प्रतिबंधों पर निर्भर करता है, जो गृह मंत्रालय, नागरिक उड्डयन, स्वास्थ्य, वित्त, पर्यावरण और वाणिज्य मंत्रालयों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।



- भारत के सभी जिलों में **पर्यटन परिषदों** (के निर्माण) की आवश्यकता है।
- भारत को **इको-टूरिज्म** को बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि पर्यटन के माध्यम से भारत के प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण की विविधता को बनाए रखने और संरक्षित रखने में सहायता प्राप्त हो सके।
- सड़कों और अभिगम केन्द्रों (access points) का निर्माण करना और सुलभ अवसंरचनाओं को बढ़ावा देना।
- **धरोहर गोद लें योजना (Adopt A Heritage Scheme)** के माध्यम से विरासत भवनों हेतु कॉर्पोरेट प्रायोजन (corporate sponsorship) की अनुमति प्रदान करना।
- पर्यटन, त्योहारों, समृद्ध ग्राम विरासत जैसे पर्यटन के विशिष्ट **क्षेत्रों को प्रोत्साहित करना।**
- विश्व स्तरीय संग्रहालय बनाने हेतु महत्त्वाकांक्षा; स्विट्जरलैंड के जिनेवा जैसे खूबसूरत शहर पर विचार कीजिए, जहां 2 लाख से कम लोगों की जनसंख्या है। इसमें 40 से अधिक संग्रहालय और 50 आर्ट गैलरी हैं, जिनका व्यवस्थित ढंग से रखरखाव किया गया है।

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा हाल ही में उठाए गए महत्वपूर्ण कदम (India's Recent Steps in Promotion of Tourism)

- रोजगार और आर्थिक विकास के संदर्भ में पर्यटन के योगदान की बढ़ती स्वीकृति, उन्नत अवसंरचना की उपलब्धता, फोकस्ड मार्केटिंग और प्रोत्साहन सम्बन्धी प्रयास, हवाई परिवहन का उदारीकरण, ऑनलाइन यात्रा पोर्टलों में वृद्धि, बढ़ते अंतर-क्षेत्रीय सहयोग और अधिक प्रभावी सार्वजनिक निजी भागीदारी को आने वाले दशकों में पर्यटन हेतु महत्वपूर्ण घटक के रूप में देखा जाता है।
- **हाल ही में, विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक (TTCI)** में भारत को शीर्ष 50 पर्यटक देशों (रैंक 40/166) में स्थान प्राप्त हुआ है। शीर्ष 50 देशों में इसके द्वारा दर्शाया गया सर्वाधिक सुधार का तथ्य भारत में पर्यटन की बढ़ती संभावना का साक्ष्य है।
- **पर्यटन और आतिथ्य (hospitality) में लागू नियमों और कानूनों के अधीन स्वचालित मार्ग के तहत 100% FDI की अनुमति है।**
- पर्यटन मंत्रालय के योजनागत बजट के आधे से अधिक भाग का आवंटन गंतव्यों (destinations), सर्किट्स, मेगा परियोजनाओं के साथ-साथ ग्रामीण पर्यटन अवसंरचना परियोजनाओं के विकास के वित्त पोषण हेतु किया गया है। 2013-14 में अपने कुल वार्षिक योजनागत व्यय का 10% और 2.5%, क्रमशः पूर्वोत्तर क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों में पर्यटन परियोजनाओं के लिए दिया गया था।
- 'वीजा ऑन अराइवल' सुविधा की उपलब्धता किसी भी देश के पर्यटकों की यात्रा योजनाओं को अत्यधिक प्रभावित करती है। वर्ष 2013 में कुल 20,294 'वीजा ऑन अराइवल' जारी किए गए, जो वर्ष 2012 की इसी अवधि में 16,084 की तुलना में 26% की वृद्धि के बराबर है।
- भारत सरकार द्वारा **'अतुल्य भारत' और 'अतिथि देवो भवः'** जैसी कई ब्रांडिंग और विपणन पहलों का शुभारंभ किया गया जो विकास केंद्रित प्रोत्साहन प्रदान करती हैं।
- हाल ही में, भारत सरकार ने **भारत में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वीजा की एक नई श्रेणी- चिकित्सा वीजा या M वीजा जारी की है।**



- **"धरोहर गोद लें योजना"** -इस परियोजना के तहत निजी, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और कॉरपोरेट जगत के व्यक्तियों को विरासत स्थलों को गोद लेने और संरक्षण तथा विकास के माध्यम से स्मारकों और पर्यटन स्थलों को उन्नत बनाने हेतु आमंत्रित किया जाता है। वे **'स्मारक मित्र'** बनेंगे और इन स्थलों को गोद लेंगे। उनके द्वारा पर्यटक स्थलों पर आधारभूत और उन्नत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उनके द्वारा इनका संचालन और इनकी देखभाल भी की जाएगी।

भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने वाली योजनाएं (Schemes to boost Tourism in India)

- **स्वदेश दर्शन (Swadesh Darshan):** यह योजना, पूर्वोत्तर भारत सर्किट, बौद्ध सर्किट, हिमालय सर्किट जैसे योजनाबद्ध और प्राथमिकता के आधार पर पर्यटन क्षमता वाले 15 थीम आधारित पर्यटन सर्किटों के विकास हेतु बनाई गई है। चिन्हित किए गए सर्किटों में एकीकृत अवसंरचनात्मक विकास, देश की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना, सर्किट गंतव्यों में विश्व स्तरीय अवसंरचना का विकास, गरीबोन्मुखी पर्यटन दृष्टिकोण अपनाने, स्थानीय कला को प्रोत्साहित करने, हस्तशिल्प, व्यंजनों के विकास को बढ़ावा और रोज़गार सृजित करने जैसे कार्य किये जाएँगे।
- **तीर्थयात्रा पुनरुद्धार और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान (प्रसाद) के लिए राष्ट्रीय मिशन (National Mission on Pilgrimage rejuvenation and Augmentation Drive, PRASAD):** इसका उद्देश्य सतत तीर्थयात्रा पर्यटन को बढ़ावा देना, सुरक्षा मानकों को सुदृढ़ बनाना और तीर्थस्थल वाले नगरों में पर्यटन सेवाएँ, सुरक्षा आदि उपलब्ध कराना है।
- **हुनर से रोज़गार तक (Hunar Se Rozgar Tak):** युवाओं के बीच नियोजन योग्य कौशल का सृजन करने हेतु यह पहल पूर्ण रूप से पर्यटन मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित है।
- **स्वच्छ भारत स्वच्छ पकवान (हुनर जायका) {Swachh Bharat Swachh Pakwan (HunarZaika)} :** आतिथ्य सेवा हेतु दी जाने वाली सेवाओं में स्ट्रीट फ़ूड विक्रेताओं की एक बड़ी संख्या शामिल है और सम्पूर्ण भारत में एक लम्बे समय से इनकी उपस्थिति रही है। **स्ट्रीट फूड की क्वालिटी बेहतर बनाने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया है।**
- **अतुल्य भारत हेल्पलाइन (Incredible India Helpline):** पायलट आधार पर स्थापित इस योजना को पर्यटन मंत्रालय द्वारा आरम्भ किया गया है,' अतुल्य भारत हेल्प लाइन' का संचालन इसलिए किया जा रहा है ताकि पर्यटकों को प्राकृतिक आपदाओं में या अन्य स्थानों पर फंसे होने पर उनका मार्गदर्शन किया जा सके।

ग्लोबल कोड ऑफ़ एथिक्स फॉर टूरिज्म (Global Code of Ethics for Tourism)

- **ग्लोबल कोड ऑफ़ एथिक्स फॉर टूरिज्म को (GCET) 1999 में अपनाया गया। यह जनरल असेंबली ऑफ़ दी वर्ल्ड टूरिज्म आर्गेनाईजेशन द्वारा डिजाइन किया गया नियमों का व्यापक सेट है जिसका उद्देश्य पर्यटन विकास के महत्वपूर्ण घटकों जैसे सरकार, यात्रा उद्योग, समुदाय और पर्यटकों आदि सभी अभिकर्ताओं को सामान रूप से दिशा-निर्देश प्रदान करना है।**
- इसका उद्देश्य पूरे विश्व में पर्यावरण, सांस्कृतिक विरासत और समाज पर पड़ने वाले इसके संभावित नकारात्मक प्रभाव को कम करते हुए इस क्षेत्र के लाभ को अधिकतम बनाने में सहायता प्रदान करना है।

VISION IAS



- यह विभिन्न आयामों से संबंधित है जैसे- पर्यटन में बाल संरक्षण, सुलभ पर्यटन, लिंग और पर्यटन, सांस्कृतिक विरासत और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (ICH), सृजनात्मक उद्योग एवं पर्यटन के माध्यम से सामुदायिक सशक्तिकरण जो मुख्यतः महिलाओं, युवाओं, स्वदेशी समुदायों और दिव्यांगजनों पर केंद्रित हो।

<u>कोड के 10 सिद्धांतों में यात्रा और पर्यटन के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय घटकों को शामिल किया गया है:</u>

- अनुच्छेद 1: लोगों और समाजों के मध्य पारस्परिक समझ और सम्मान में पर्यटन का योगदान।
- अनुच्छेद 2: व्यक्तिगत और सामूहिक आपूर्ति के माध्यम के रूप में पर्यटन।
- अनुच्छेद 3: पर्यटन, संधारणीय विकास के एक कारक के रूप में पर्यटन।
- अनुच्छेद 4: पर्यटन, मानव जाति की सांस्कृतिक विरासत का उपयोगकर्ता और इसकी वृद्धि में योगदानकर्त्ता।
- अनुच्छेद 5: पर्यटन, मेजबान देशों और समुदायों के लिए एक लाभकारी प्रक्रिया।
- अनुच्छेद 6: पर्यटन विकास में हितधारकों के दायित्व।
- अनुच्छेद 7: पर्यटन का अधिकार।
- अनुच्छेद 8: पर्यटकों के आने-जाने की स्वतंत्रता।
- अनुच्छेद 9: पर्यटन उद्योग में श्रमिकों और उद्यमियों के अधिकार।
- अनुच्छेद 10: पर्यटन हेतु वैश्विक आचार संहिता के सिद्धांतों का कार्यान्वयन।

निष्कर्ष (Conclusion)

- पर्यटन को **बहुलवाद और बहुसंस्कृतिवाद को बढ़ावा देने** वाले एक माध्यम के रूप में भी देखा जा सकता है, जो भारत के विभिन्न समुदायों के बीच धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिक सद्भाव के निर्माण और इसके विस्तार में सहायक हो सकता है।
- पर्यटन गाइड, टूर पैकेज, आतिथ्य सेवाओं के माध्यम से पर्यटन में **रोज़गार सृजन हेतु अपार संभावना विद्यमान है** और पर्यटन के माध्यम से भारत की "सॉफ्ट पावर" को बेहतर बनाने हेतु भारत को इस क्षेत्र की किसी भी संभावना को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
- भारत का पर्यटन उद्योग विकास की एक बेहतर स्थिति का अनुभव कर रहा है, जो भारतीय मध्यम वर्ग की बढ़ती संख्या, विदेशी पर्यटकों द्वारा व्यय में वृद्धि और सरकार द्वारा पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु प्रारंभ किए गए अभियानों के साथ समन्वय के माध्यम से आगे बढ़ रहा है।
- पर्यटन उद्योग आवास, विश्राम, मनोरंजन, खाद्य और पेय सेवाओं, परिवहन तथा यात्रा सेवाओं सहित अनेक उद्योगों का एक जटिल समूह है। इसके अंतर्गत **घरेलू, व्यापार, अवकाश या अन्य उद्देश्यों के लिए आंतरिक (inbound) तथा बाह्य (outbound) यात्राएँ शामिल होती हैं।** अतः, इसके वृहद विस्तार के कारण, पर्यटन विकास के लिए निजी व्यवसाय, सरकारी एजेंसियों,

VISION IAS



शैक्षणिक संस्थानों, समुदायों एवं नागरिकों सहित सभी क्षेत्रों के लोगों की भागीदारी की आवश्यकता होती है।

- अतः, हम कह सकते हैं कि भारत विभिन्न उद्योगों से अलग पर्यटन उद्योग के एक पृथक परिधीय दृष्टिकोण (peripheral vision) को विकसित करने का प्रयास कर रहा है, जिससे आय के साधन सृजित हों और वह उन राष्ट्रों के समूह में शामिल हो जाए जिनके पास बेहतर पर्यटन की आधारभूत अवसंरचना उपलब्ध है।
- भारत में पर्यटन का भविष्य निश्चित रूप से उज्ज्वल है लेकिन हमें एक लम्बी यात्रा तय करनी है। **दार्शनिक लाओत्से (Lao Tzu) ने कहा था, "एक हजार मील की यात्रा एक कदम के साथ शुरू होती है"** और इस क्षेत्र में हाल ही में हुए विकास के साथ वह पहला कदम उठाया जा चुका है।

VISION IAS

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.



VISIONIAS
www.visionias.in

निबंध
सोशल मीडिया और इसके दुष्परिणाम

VISION IAS

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

विषय सूची

परिचय (Introduction) ____ 3

परिभाषा (Definition) ____ 4

सोशल मीडिया का उदय क्यों हुआ ? (Rise of Social Media - Why?) ____ 5

सोशल मीडिया की उपलब्धियाँ (What has Social Media done?) ____ 6

सोशल मीडिया की चुनौतियां (Social Media – Its Challenges) ____ 7

निष्कर्ष (Conclusion) ____ 9

VISION IAS



प्रसिद्ध व्यक्तित्वों के कथन (Quotes by Famous Personalities)

- "सोशल मीडिया ने हमारे संवाद को लोकतांत्रिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है" - **नरेंद्र मोदी**
- प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया ने सत्ता को जन केन्द्रित बनाया है" - **मार्क मैककिनन**
- "सोशल मीडिया की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसने समाज के कमजोर वर्गों को स्वयं की समस्याओं को उठाने हेतु सशक्त बनाया है" - **जॉन रॉनसन**
- "जो भी मीडिया को नियंत्रित करता है, वह लोगों के दिमाग को नियंत्रित करता है" - **जिम मॉरिसन**
- "कनेक्टिविटी (परस्पर जुड़ाव) एक मानव अधिकार है" - **मार्क जुकरबर्ग**

उपाख्यान/लघु कथाएँ (Anecdotes / Short Stories)

- **वर्ष 2008 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में बराक ओबामा पहले अफ्रीकी-अमेरिकी (अश्वेत) राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। हालांकि, उनके उदय के पीछे सोशल मीडिया (ट्विटर, फेसबुक) एक प्रमुख साधन रहा था, जिसने लोगों को प्रभावित करने में एक प्रमुख भूमिका निभाई** थी। इसी प्रकार का एक अन्य उदाहरण वर्ष 2014 में भारत में एक अन्य नेता नरेंद्र मोदी के उदय के संदर्भ में भी देखा जा सकता है।
- **2010 के दौरान, सम्पूर्ण मध्य-पूर्व में निरंकुश शासनों के विरुद्ध व्यापक असंतोष उभरा था, जिसे प्राय: अरब स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है।** हालांकि यह असंतोष नया नहीं था, जो नया था वह था सोशल मीडिया और इसकी शक्ति। सोशल मीडिया ने उन लोगों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जो लोकतंत्र और निर्णयन प्रक्रिया में भागीदारी की मांग कर रहे थे।
- **यौन उत्पीड़न और शोषण के विरुद्ध सोशल मीडिया पर '#मी टू अभियान' (#MeToo campaign),** एक वैश्विक आंदोलन बन गया था और इससे विशेष रूप से कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न और शोषण के व्यापक प्रसार का प्रदर्शन करने में सहायता मिली।
- **भारत में नेट न्यूट्रैलिटी के लिए संघर्ष** किसी भी स्थल, जल या अंतरिक्ष में नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर लड़ा गया था। सोशल मीडिया पर प्राप्त समर्थन के माध्यम से अंततः सरकार द्वारा नेट न्यूट्रैलिटी के सिद्धांत की पुष्टि की गयी।

परिचय (Introduction)

- कनेक्टिविटी और संवाद साझा करने, सीखने, वाद-विवाद करने और चर्चा करने के लिए एक आधार का निर्माण करते हैं।
- **प्राचीन काल से** ही ये हमारे जीवन, हमारे समाज का एक अभिन्न अंग रहे हैं। ये वार्तालाप, पत्र भेजने जैसे संचार के प्रत्यक्ष साधनों में ही नहीं बल्कि संचार के अप्रत्यक्ष प्रतिमानों जैसे निष्पादन और गैर-निष्पादन कलाओं में भी शामिल हैं।
- इसलिए, यह कोई आश्चर्य नहीं है कि मनुष्यों को प्राय: सामाजिक प्राणी के रूप में जाना जाता है।
- यद्यपि संचार की विषय वस्तु और साधन स्थिर नहीं रहे हैं। **कबूतर के माध्यम से पत्र भेजने** के साथ संचार का आरम्भ हुआ था। इसके पश्चात **डाक के माध्यम से और उसके बाद फिर टेलीफोन के माध्यम से पत्र भेजे जाने लगे। वर्तमान में स्मार्ट फोन तथा सोशल मीडिया के माध्यम से पत्रों का आदान -प्रदान किया जाने लगा है।**
- **महत्वपूर्ण बात यह है कि सोशल मीडिया न केवल लोगों के संवाद करने के तरीकों को परिवर्तित कर रहा है बल्कि लोग क्या संवाद करते हैं इसको भी परिवर्तित कर रहा है।**

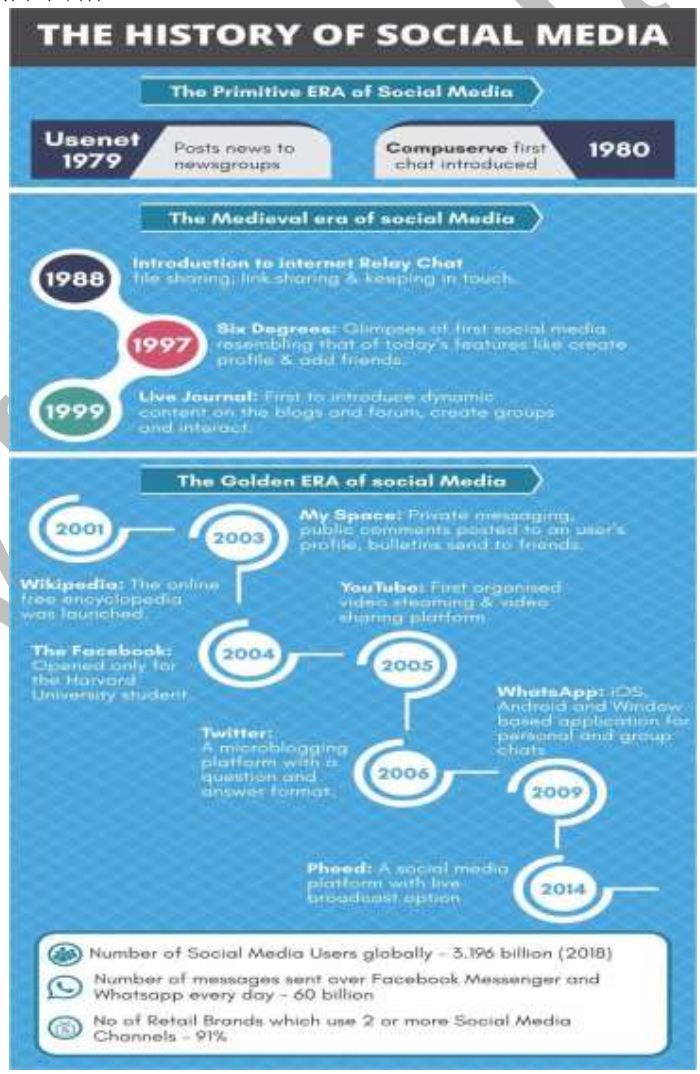
VISION IAS

- **वर्तमान में सोशल मीडिया हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है।** हमारे दिन का आरम्भ सोशल मीडिया एकाउंट को चेक करने और उन्हें अपडेट करने के साथ होता है और इसी प्रकार की गतिविधियों के साथ दिन का समापन होता है।
- हालांकि, इन सभी के मध्य सोशल मीडिया की समस्याओं और चुनौतियों के संबंध में स्वीकृति और बहस में वृद्धि भी हो रही है।



परिभाषा (Definition)

- सामान्य शब्दों में, सोशल मीडिया को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, लिंक्डइन इत्यादि के समानार्थी के रूप में देखा जाता है।
- हालांकि, सोशल मीडिया इससे परे है और इसका क्षेत्र अत्यधिक व्यापक है। यह एक व्यापक शब्द है और यह उन वेबसाइटों और अनुप्रयोगों को संदर्भित करता है जो उपयोगकर्ताओं को सृजन करने, विषय-वस्तु साझा करने, परस्पर वार्ता करने और सोशल नेटवर्किंग में भाग लेने में सक्षम बनाता है।
- यह अंत:क्रिया विभिन्न रूपों में हो सकती है, किन्तु कुछ सामान्य प्रकारों में निम्नलिखित शामिल हैं:
 - अपने विचारों, किसी तीसरे पक्ष के लिंक, फोटो, वीडियो और पोस्ट को साझा करना
 - किसी की प्रोफ़ाइल का सार्वजनिक रूप से अपडेट प्राप्त होने के साथ-साथ वर्तमान गतिविधियों और यहां तक कि अवस्थिति संबंधी डेटा की जानकारी भी प्राप्त होती है
 - दूसरों द्वारा साझा की गई फ़ोटो, पोस्ट, अपडेट, वीडियो और लिंक पर कमेन्ट करना और उनकों रेटिंग प्रदान करना।



सोशल मीडिया का उदय क्यों हुआ ? (Rise of Social Media - Why?)



- सोशल मीडिया को 21वीं शताब्दी की मूक क्रांति (silent revolution) के रूप में वर्णित किया गया है। हाल ही में सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या तीन बिलियन से भी अधिक हो चुकी है जिसमें भविष्य में कमी होने के स्थान पर और अधिक वृद्धि होने का ही अनुमान है।
- किन्तु सोशल मीडिया इतना लोकप्रिय क्यों है? यह अनिवार्य क्यों होता जा रहा है? समाचार से शासन तक, वस्तुओं के क्रय-विक्रय से लेकर सामाजिक आंदोलनों के लिए समर्थन प्राप्त करने तक लगभग सभी के लिए यह पहली पसंद क्यों बनता जा रहा है?
- इसके कुछ कारक निम्नलिखित हैं:

सोशल मीडिया की अनन्य विशेषताएँ

- गति, उपयोग में सरल, अनुकूलता; कोई प्रयोक्ता शुल्क नहीं (अधिकांश सोशल मीडिया ऐप्लिकेशन पंजीकरण अथवा उपयोग के लिए कोई शुल्क नहीं लेते हैं), सभी सूचनाओं को भेजने, पोस्ट करने, शेयर करने और प्राप्त करने हेतु केवल एक क्लिक का उपयोग आदि सोशल मीडिया की अनन्य विशेषताएँ (USP) हैं।

डिजिटल पहुँच और अनुप्रयोग

- भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 500 मिलियन तक पहुंच चुकी है तथा इनकी संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इसके अतिरिक्त, सोशल मीडिया साइट्स और एप्लिकेशनों का प्रसार भी तेज़ी से हुआ है।

सामाजिक प्रतिष्ठा के मापदंड के रूप में

- लोगों द्वारा स्वयं की फोटो, वीडियो और व्यक्तिगत सूचनाओं को तेजी से शेयर करने के साथ ही सोशल मीडिया सामाजिक प्रतिष्ठा के मापदंड के रूप में भी उभर रहा है। कमेंट्स, लाइक, फॉलोअर्स की बढ़ती संख्या स्टेटस सिम्बल बन चुका है जो उन्हें सोशल मीडिया पर एक सेलिब्रिटी के रूप में स्थापित कर रहा है।

नगरीकरण और व्यक्तिवाद में वृद्धि तथा पारंपरिक सामाजिक संरचनाओं का टूटना

- नगरीकरण और व्यक्तिवाद में वृद्धि तथा परिवार जैसी पारंपरिक सामाजिक संरचनाओं के टूटने के कारण लोग अकेलेपन, एकान्तता का शिकार होने के साथ ही साथ भावनात्मक रूप से असुरक्षित होते जा रहे हैं।
- इसके अतिरिक्त, पर्याप्त संसाधनों के अभाव में बढ़ती अपेक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं के कारण लोग अपने आप को एक 'हारा हुआ व्यक्ति' (लूजर) मान लेते हैं जो उनमें चिंता और कुंठा का कारण बनता है।
- इस प्रकार के परिदृश्य में, सोशल मीडिया (जहाँ स्वयं की पहचान को गुप्त रखने का विकल्प विद्यमान होता है) लोगों के लिए एक सुरक्षा वाल्व के रूप में कार्य करता है। इसके माध्यम से लोग अपनी कुंठा को व्यक्त कर सकते हैं एवं किसी अन्य के द्वारा उनकी गतिविधियों की जांच करने का भय भी नहीं होता है। उदाहरण के लिए ब्लू व्हेल चैलेंज गेम की बढ़ती लोकप्रियता उन बच्चों के मध्य अधिक थी जो अकेले थे और जिन्हें 'लूजर' के रूप में प्रचारित किया गया था।

VISION IAS

सोशल मीडिया की उपलब्धियाँ (What has Social Media done?)



- सोशल मीडिया के उदय ने विश्व को विभिन्न रूपों में परिवर्तित किया है। वर्तमान में, सोशल मीडिया मानव जीवन और समाज के प्रत्येक पहलू में प्रवेश कर चुका है। इसने लोगों के जीवन को पारस्परिक रूप से पहले की तुलना में कहीं अधिक संयोजित किया है।
- स्मार्ट फोन, टैबलेट, कंप्यूटर और अन्य मोबाइल उपकरणों की उपलब्धता ने केवल एक स्पर्श से ही सूचनाओं तक पहुंच प्रदान करते हुए लोगों को परस्पर संयोजित किया है। इसने विश्व को सुदृढ़ और रहने के लिए एक बेहतर स्थान बनाया है। इसके कुछ प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं-
- **राजनीति और मीडिया (Politics and Media)**
 - राजनीतिक अभियान और विज्ञापन के लिए एक साधन के रूप में; योजनाओं, पहलों, कानूनों पर लोगों की राय प्राप्त करने के एक साधन के रूप में; नीतियों के क्रियान्वयन और निगरानी के एक साधन के रूप में; पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने के एक साधन के रूप में; राजनीतिक अभियानों के लिए समर्थन जुटाने के एक साधन के रूप में।
 - उदाहरण - बराक ओबामा, नरेंद्र मोदी आदि के लिए चुनाव जीतने में सोशल मीडिया की भूमिका; MyGov.in सरकार द्वारा आरंभ किया गया एक पोर्टल है जहाँ लोगों से फीडबैक प्राप्त किया जाता है; अरब स्प्रिंग- अरब स्प्रिंग के लिए समर्थन जुटाने में सोशल मीडिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
 - सोशल मीडिया ने मीडिया के सभी रूपों में वृहद एवं अभूतपूर्व परिवर्तन किया है। ट्विटर और फेसबुक समाचारों के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में उभरे हैं। सोशल मीडिया ने नागरिक पत्रकारिता (citizen journalism) को बढ़ावा दिया है। वर्तमान में सोशल मीडिया को लोकतंत्र के पांचवे स्तंभ के रूप में माना जा रहा है।
- **सामाजिक मुद्दे और मीडिया (Social Issues and Media)**
 - सोशल मीडिया ने लोगों को अधिक सहिष्णु बनाने, अन्य लोगों के विश्वासों एवं संस्कृति के प्रति जागरूक होने में सहायता की है। इसने लोगों की सोचने-समझने की शक्ति को भी व्यापक बनाया है।
 - लोगों को परिवारों, मित्रों, रिश्तेदारों आदि के साथ संपर्क बनाए रखने में सक्षम बनाया है।
 - महिलाओं, संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी-अमेरिकी (अश्वेत) लोगों, जनजातियों इत्यादि जैसे कमजोर वर्गों को अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने में सक्षम बनाया है।
 - शिक्षा, स्वास्थ्य के वितरण की पहुंच को बढ़ाने में सहायता की है।
 - उदाहरण - **#मी टू अभियान (#Metoo Campaign); #ब्लैक लाइव्स मैटर (#BlackLivesMatter); खानअकैडमी; स्वयं (SWAYAM) आदि।**
- **अर्थव्यवस्था और मीडिया (Economy and Media)**
 - रोजगार के एक नए स्रोत के रूप में - प्रत्येक संगठन के पास अब एक अलग सोशल मीडिया विभाग है। कंपनियों के लिए फीडबैक के एक साधन के रूप में - PROSUMER की अवधारणा; ई-कॉमर्स, स्टार्ट-अप को बढ़ावा देना; डिजिटल मार्केटिंग जिसने दूरदराज के क्षेत्रों में स्थित हस्तशिल्प उत्पादों के विपणन को भी सक्षम बनाया है।
 - उदाहरण - **ई-कॉमर्स, स्टार्ट अप्स, पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रभाव उत्पन्न किया है तथा डेटॉल ग्लोबल हैंडवाशिंग डे सोशल मीडिया अभियान।**

VISION IAS



- **पारिस्थितिकी और मीडिया (Ecology and Media)**
 - सोशल मीडिया ने लोगों को पर्यावरण और पर्यावरण संरक्षण के बारे में अधिक जागरूक बनाया है।
 - इसने स्वतंत्र सक्रियतावाद के उदय को प्रेरित किया है। उदाहरण के लिए **डीपवॉटर होराईज़न ऑयल स्पिल के दौरान मेक्सिको की खाड़ी के तटीय निवासियों ने अपने समुदायों द्वारा प्राप्त सूचनाओं के स्वतंत्र एवं नए वैकल्पिक स्रोत प्रदान करने तथा उन्हें साझा करने हेतु फेसबुक और ट्विटर का उपयोग एक प्लेटफॉर्म के रूप में किया।**
 - इसका उपयोग प्रभाव उत्पन्न करने वाले एक साधन के रूप में भी किया जा रहा है और विशिष्ट अभियानों के दौरान समर्थन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उदाहरण के लिए **ग्रीनपीस द्वारा सोशल मीडिया का उपयोग आर्कटिक क्षेत्र में किये जा रहे शेल ऑयल ऑपरेशंस को लक्षित करने हेतु किया गया; यूरोपीय ग्रीन पार्टी (European Green Party: EGP) के उदय के लिए सोशल मीडिया सक्रियता महत्वपूर्ण रूप से उत्तरदायी रही है।**
 - **#विश्व पर्यावरण दिवस (#WorldEnvironmentDay) और #पृथ्वी दिवस (#EarthDay)** वैश्विक प्रवृत्ति के निर्धारक बन गए हैं और पर्यावरण के संबंध में जागरूकता बढ़ाने में सहायता की है। तमिलनाडु में **स्टरलाइट प्लांट के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन सोशल मीडिया के नेतृत्व में ही किया गया था।**
- **नैतिकता और मीडिया (Ethics and Media)**
 - सोशल मीडिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रदत्त वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का साधन बन गया है; सोशल मीडिया ने कमजोर वर्गों को अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने में सक्षम बनाया है; इंटरनेट के अधिकार को अब क्रमशः मान्यता प्रदान की जा रही है।
 - **उदाहरण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इंटरनेट एक्सेस को एक मानव अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है; हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने प्रत्येक भारतीय के लिए इंटरनेट एक्सेस के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में घोषित किया है।**

सोशल मीडिया की चुनौतियां (Social Media – Its Challenges)

- **पहुँच (Access)**
 - भारत में अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों, महिलाओं, निचले वर्गों आदि तक डिजिटल पहुँच स्थापित नहीं हो पाई है।
 - इसके अतिरिक्त, देशी भाषाओं में डिजिटल साक्षरता एवं सोशल मीडिया ऐप्लिकेशन की अत्यधिक कमी बनी हुई है।
- **निजता (Privacy)**
 - सोशल मीडिया के कारण लोगों की निजता के संबंध में चिंताएं उत्पन्न हो रही हैं। उदाहरण के लिए फेसबुक एवं कैम्ब्रिज एनालिटिका के मामले, जहां मौद्रिक लाभ प्राप्ति हेतु उपयोगकर्ताओं की निजी सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जा रहा था।
- **आंतरिक सुरक्षा के समक्ष चुनौतियां (Challenges to internal Security)**
 - सोशल मीडिया ने कट्टरवादी एवं आतंकवादी समूहों की कट्टरता को बढ़ावा देने, लोगों को अपने समूहों में भर्ती करने तथा अपने साहित्य का वितरण करने में सक्षम बनाया है। लोन वुल्फ अटैक की घटनाएं भी कट्टरता फैलाने वाले साहित्य के परिणाम के रूप में देखी जा सकती हैं। उदाहरण- **ISIS ने सोशल मीडिया का कुशलतापूर्वक उपयोग** किया है।

VISION IAS



- **भ्रामक ख़बरें** (फेक न्यूज़) कानून प्रवर्तन एजेंसियों के समक्ष एक बड़ी चुनौती के रूप में उभर रही हैं। उदाहरण के लिए कश्मीर का मामला, **भ्रामक ख़बरों के परिणामस्वरूप बंगलौर से उत्तर-पूर्वी राज्यों के लोगों का पलायन।**

- **मनोवैज्ञानिक तथा स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं (Psychological and Health Problems)**
 - **सोशल मीडिया की लत की समस्या** - फेसबुक एडिक्शन डिसऑर्डर; हाल के अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग अधिक विषाद एवं खराब स्वास्थ्य का कारण बनता है।
 - **FOMO (फियर ऑफ़ मिसिंग आउट) की समस्या** - जो व्यक्ति निरंतर अपने जीवन की तुलना अन्य व्यक्तियों के साथ करता रहता है उसे मानसिक रूप से अस्वस्थ माना गया है। यह स्थिति ईर्ष्या की भावना को जन्म देती है। इसके अतिरिक्त, सोशल मीडिया के कारण ही लोग लंबे समय तक एकाग्र नहीं हो पाते हैं।
 - **आत्महत्या की लाइव स्ट्रीमिंग** - किशोरों के द्वारा आत्महत्या की लाइव स्ट्रीमिंग की नवीन घटनाएं सोशल मीडिया पर बढ़ रही हैं। इस प्रकार की घटनाओं के लिए विभिन्न कारण उत्तरदायी हैं जैसे - मीडिया में अपने नाम को प्रदर्शित करना; लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना; बढ़ते अलगाववाद की प्रतिक्रिया के रूप में जहां आत्महत्या को एक अभिव्यक्ति के रूप में माना जाता है।
 - **शारीरिक समस्याएं:**
 - अत्यधिक टाइपिंग के कारण कार्पल टनल सिंड्रोम जो हाथ अथवा कलाई को प्रभावित करता है; तथा आंखों से संबंधित समस्याएँ।
 - थकान - सोशल मीडिया के अत्यधिक प्रयोग से आवश्यक नींद की कमी हो जाती है, । इससे थकान की समस्या उत्पन्न हो जाती है।
 - **व्यायाम की कमी** - सोशल मीडिया ने लोगों को विशेष रूप से बच्चों को आलसी बना दिया है एवं उनकी गतिशीलता को कम कर दिया है। इसके परिणामस्वरूप लोगों का पार्कों में घूमना या व्यायाम करना बंद हो गया है।
 - **ध्यान भटकना** - सोशल मीडिया की लत के सबसे खतरनाक संभावित परिणामों में से एक है - ड्राइविंग के दौरान ध्यान भटकना। जैसे मोबाइल फ़ोन का उपयोग अनेक सड़क दुर्घटनाओं का कारण बन रहा है।

- **सार्वजनिक जीवन का वस्तुकरण (Commodification of public life)**
 - सोशल मीडिया द्वारा सार्वजनिक जीवन को एक वस्तु के रूप (कमोडिफिकेशन) में प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है। जहां जीवन के प्रत्येक पहलू को सार्वजनिक उपभोग के विषय रूप में देखा जा रहा है। निजी एवं सार्वजनिक जीवन के मध्य अब कोई अन्तर नहीं रह गया है। जैसे - सेल्फी के लिए उन्माद, फेसबुक पर लोकेशन अपडेट करना आदि।

- **साइबर अपराधों की समस्या (Problem of Cyber crimes)**

 साइबर अपराध, साइबर बुलिंग, साइबर एब्यूज, ट्रोल एवं विधि प्रवर्तन से संबंधित समस्याएँ विद्यमान हैं।
 - सोशल मीडिया **साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग, पहचान को गुप्त रखना, पाइरेसी जैसे** साइबर अपराधों के क्षेत्र के रूप में उभरा है।
 - इसके अतिरिक्त **ट्रोल्स की समस्या** के कारण लोगों के साथ निरंतर दुर्व्यवहार किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, हाल ही में हुआ विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का मामला दुर्व्यवहार की सीमा के अंतर्गत ही आता है।
 - सोशल मीडिया पर कानून प्रवर्तन स्वयं में एक बड़ी चुनौती है क्योंकि तीव्र गति से सूचनाओं का प्रसार हो रहा है। अपराध करने वाले अपराधियों की पहचान की समस्या और फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया माध्यमों से सहयोग की कमी के कारण अन्य समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं।

VISION IAS

- **भ्रामक ख़बरें एवं उनके प्रचार-प्रसार की समस्या (Problem of Fake News and Propaganda)**
 - पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की मृत्यु की अफवाह, अमेरिका में होने वाले चुनावों के दौरान मैसेजिंग ऐप स्नैपचैट पर प्रतिबन्ध जैसी भ्रामक ख़बरें भावनात्मक आघात, प्रतिष्ठा को क्षति, मौद्रिक हानि एवं ब्रांड इमेज क्राइसिस का कारण बनती हैं।
 - सोशल मीडिया को भी प्रचार-प्रसार का एक साधन बना दिया गया है। वेबसाइटों, सोशल मीडिया अकाउंट इत्यादि का उदय, जिसे एक एजेंडे जैसे- किसी ब्रांड या व्यक्ति की प्रतिष्ठा को हानि पहुँचाना, द्वेष या हिंसा फैलाना, चुनाव के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करना, एक विषय पर ही निरंतर बहस करना आदि के रूप में एक संगठन द्वारा वित्त पोषित किया जाता है।

UPSC 2017 - "सोशल मीडिया स्वाभाविक रूप से एक स्वार्थी माध्यम है (Social media is inherently a selfish medium)"

निष्कर्ष (Conclusion)

- सोशल मीडिया वर्तमान में एक दोधारी तलवार के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है। जहाँ एक ओर सोशल मीडिया ने हम जिस प्रकार से विचार करते हैं, विश्वास करते हैं एवं कार्यों का निष्पादन करते हैं, उसे परिवर्तित किया है; वहीं दूसरी ओर इसने हमारी निजता के उल्लंघन, ट्रोल्स की समस्या एवं फेक न्यूज़ आदि को बढ़ावा दिया है।
- इन बढ़ती समस्याओं से सोशल मीडिया के विनियमन एवं इस पर कुछ प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। हालांकि, सोशल मीडिया को विनियमित करना न केवल अवांछनीय है बल्कि यह संभव भी नहीं है। सोशल मीडिया की विशिष्टता यह है कि इसे स्वयं के द्वारा विनियमित होना चाहिए :
 - **प्रौद्योगिकी एवं बेहतर कानूनों के आधार पर निजता से सम्बंधित मुद्दों का समाधान किया जा रहा है**। उदाहरण के लिए प्रौद्योगिकी के साथ निजता; यूरोपीय संघ का सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन (General Data Protection Regulation: GDPR) निजता की सुरक्षा के लिए एक आदर्श कानून बन गया है।
 - **सोशल मीडिया की सक्रियता एवं नागरिक पत्रकारिता** के माध्यम से भ्रामक ख़बरों पर तेज़ी से नियंत्रण किया जा रहा है।
 - स्वयं सोशल मीडिया, सोशल मीडिया से संबंधित मुद्दों एवं चुनौतियों के बारे में लोगों को शिक्षित और जागरूक करने का साधन बन रहा है।
 - यद्यपि सोशल मीडिया कानून प्रवर्तन को कठिन बना रहा है, फिर भी यह एक ही समय में होने वाले अपराधों पर नियंत्रण लगाने एवं उसका समाधान निकालने में सहायता प्रदान कर रहा है।
- **निम्नलिखित उपायों द्वारा आगे की राह सुनिश्चित की जानी चाहिए:**
 - कठोर निजता के कानून का निर्माण एवं उसका क्रियान्वयन।
 - कठोर साइबर सुरक्षा प्रणाली एवं कानून प्रवर्तन।
 - बच्चों को माता-पिता, शिक्षकों एवं समाज द्वारा प्रारंभ से ही सोशल मीडिया की समस्याओं से अवगत कराना एवं जागरूक बनाना।



- सोशल मीडिया की क्षमता क्रांतिकारी है। डिजिटल पहुँच में हो रही वृद्धि और ऐप्लिकेशनों के विकास में वृद्धि के साथ ही सोशल मीडिया की भी वृद्धि अपरिहार्य है। इसके अतिरिक्त, स्वतंत्रता, पारदर्शिता, खुलेपन जैसे सोशल मीडिया के मूल्य मनुष्यों के लिए सामाजिक प्राणी होने के नाते अंतर्जात हैं।
- जैसे कि **विक्टर ह्यूगो का कथन है कि,"पृथ्वी पर कोई शक्ति किसी विचार को रोक नहीं सकती जिसका समय आ गया हो। "वर्तमान में यह शक्ति" सोशल मीडिया है।**

सोशल मीडिया के विनियमन संबंधी मुद्दा (Regulation Issue of Social Media)

- सोशल मीडिया का विनियमन अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रत्याभूत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 19(2) के तहत उल्लिखित इसके प्रतिबंधों के मध्य संतुलन के प्रयास की एक अत्यंत सामान्य दुविधा को प्रस्तुत करता है।
- भारत में सोशल मीडिया के विनियमन हेतु कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। हालांकि, सोशल मीडिया पर सामग्रियों के विनियमन हेतु अनेक क़ानून विद्यमान हैं -:
 - **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000** - इस अधिनियम के अर्थ के अंतर्गत 'सोशल नेटवर्किंग मीडिया' एक "मध्यस्थ" है और भारत में विधि के अंतर्गत दंडनीय विभिन्न कृत्यों या गलतियों के लिए उत्तरदायी है। अधिनियम की धारा 79 यह अधिदेशित करती है कि यदि किसी साइट पर कुछ आपत्तिजनक सामग्री है तो इस अपराध के उजागर होने के 36 घंटे के भीतर इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए।
 - भारतीय दंड संहिता (IPC) - धर्म, मूलवंश इत्यादि के आधार पर समूहों के मध्य शत्रुता को बढ़ावा देना (धारा 153 A), मानहानि (धारा 499), किसी महिला के शील या सम्मान का अनादर करना (धारा 509), आपराधिक धमकी (धारा 506), राजद्रोह (धारा 124-A), मानहानि (धारा 499 और धारा 500) इत्यादि धाराएँ सोशल मीडिया पर सामग्री के विरुद्ध आरोपित की जा सकती हैं।
- हाल ही में, सोशल मीडिया के विनियमन पर सुप्रीम कोर्ट के पर्यवेक्षण ने सोशल मीडिया के विनियमन संबंधी लाभों एवं हानियो पर एक नई चर्चा आरम्भ कर दी है।

लाभ -

- धार्मिक रुढ़िवाद या कट्टरतावाद से संबंधित पोस्ट को नियंत्रित करने में सहायता करेगा और शांति एवं सामाजिक एकजुटता के समक्ष उत्पन्न होने वाले किसी भी खतरे को दूर करने में सहायता करेगा।
- आतंकवादियों को अपने एजेंडे का प्रसार करने या उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष खतरे उत्पन्न करने से रोकने में भी सहायता करेगा।
- उन सामग्रियों को नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी जो अश्लील या भ्रामक हैं और जिन्हें बच्चों की पहुंच से दूर रखना आवश्यक होता है।

हानियाँ -

- इसका प्रयोग असहमति एवं रचनात्मक आलोचना की आवाजों को दबाने के लिए किया जा सकता है।
- यह नैतिकता, राजद्रोह या निंदा के नाम पर रचनात्मकता को नष्ट कर सकता है।
- यह किसी व्यक्ति को उसके विचारों को पूर्णतः व्यक्त करने (शांतिपूर्ण तरीके से) से प्रतिबंधित कर सकता है और बोलने के उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है।

VISION IAS

- यह लोकतांत्रिक आदर्शों के बिना एक दमनकारी और असहिष्णु समाज के निर्माण का जोखिम उत्पन्न करता है।

नवीनतम पहल

- सरकार एक ऐसी नीति को अंतिम रूप दे रही है जिसका उद्देश्य सोशल मीडिया पर बाज़ की तरह निगरानी रखना है जिससे कि यह जांच हो सके कि कहीं इसका "दुरुपयोग" भारत के विरुद्ध षड्यंत्र करने और राष्ट्र-विरोधी प्रचार करने के लिए तो नहीं किया जा रहा है।
- सरकार सोशल मीडिया और ऑनलाइन सामग्री के लिए भी एक नियामक ढांचा प्रस्तुत करने की योजना बना रही है।

आगे की राह

- निजता के कानूनों को सुदृढ़ करने, बेहतर कानून प्रवर्तन और सोशल मीडिया साइटों और एप्लीकेशन के सुरक्षित सक्रिय सहयोग को अनिवार्य रूप में आगे बढ़ाने का उपाय किया जाना चाहिए।
- इसके अतिरिक्त, सोशल मीडिया के संभावित दुरुपयोगों के सम्बन्ध में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है।

VISION IAS

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

VISIONIAS
www.visionias.in

निबंध

क्या विश्व वैश्वीकरण की विपरीत धारा का साक्षी बन रहा है?

VISIONIAS

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

विषय सूची

वैश्वीकरण क्या है? (What is Globalization?) ____ 3

वैश्वीकरण के प्रति भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रतिक्रिया (Indian Economy's Response) ____ 3

वैश्विक स्तर पर वैश्वीकरण का प्रभाव (Impact Of Globalization Around The World) ____ 4

सामाजिक-सांस्कृतिक पहलू (Socio-cultural Aspects) ____ 5

क्या विश्व वैश्वीकरण की विपरीत धारा का साक्षी बन रहा है? (Is the world Witnessing Reverse Globalization?) ____ 6

आगे की राह (Way Forward) ____ 10

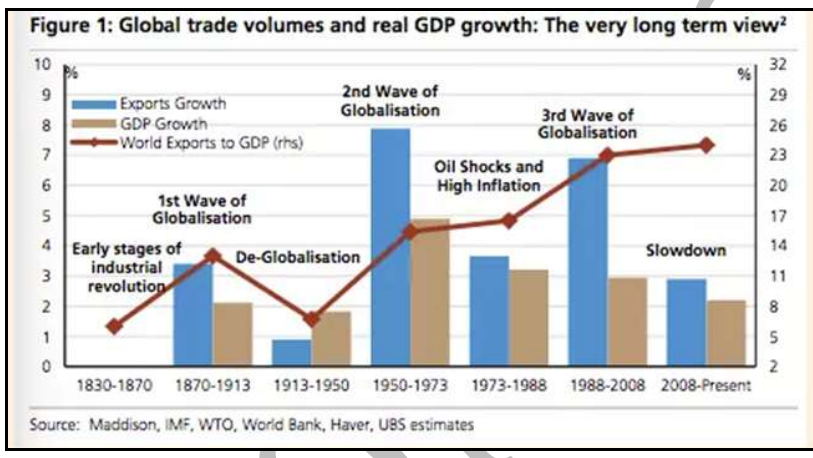
भारत की स्थिति (India's Stance) ____ 11

VISION IAS

वैश्वीकरण क्या है? (What is Globalization?)

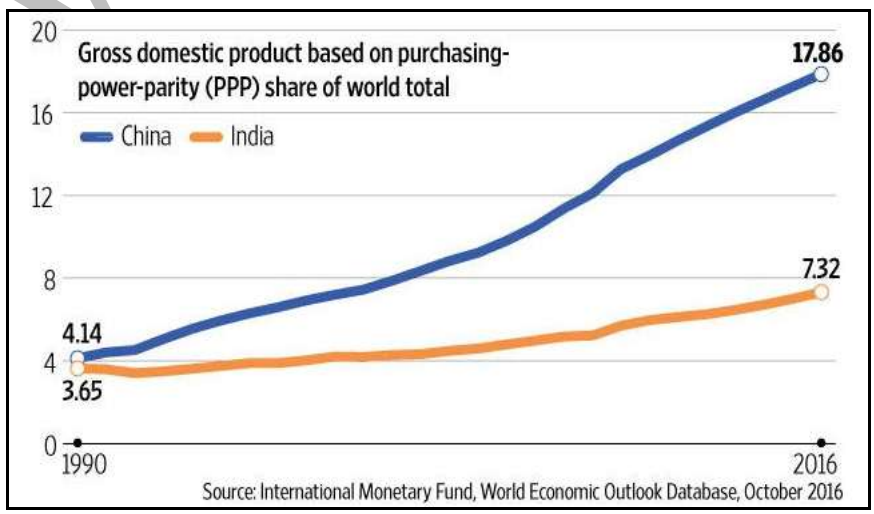
विगत दो दशकों में एक वैश्विक अर्थव्यवस्था का उदय हुआ है जो हजारों मील की दूरी तक विस्तृत होने के बावजूद निर्बाध रूप से परस्पर संबद्ध है। इसने राष्ट्रीय अवरोधों को समाप्त कर दिया है तथा इसका लक्ष्य एक सीमारहित विश्व के आदर्श स्वरूप को प्राप्त करना है। व्यापार पर अत्यधिक सरकारी नियंत्रण की अनुपस्थिति ने कंपनियों को कम लागत के विकल्पों की निरंतर खोज करने तथा इस प्रक्रिया में विश्व को और अधिक बेहतर बनाने की अनुमति प्रदान की है। विश्व भर में साझा आर्थिक, वाणिज्यिक तथा राजनीतिक हितों ने राष्ट्र राज्यों को और अधिक एकीकृत किया है।

इसके साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का विकास हुआ है। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में विभिन्न कारकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जैसे - उभरते बाजारों में सुधार, वैश्विक व्यापार समझौते, नए व्यापारिक मॉडल जिन्होंने एकीकृत कंपनियों को विभाजित किया है, निम्न परिवहन लागत इत्यादि।



वैश्वीकरण का प्रथम चरण मुख्य रूप से औपनिवेशिक साम्राज्यों द्वारा संचालित था जिन्होंने विदेशों में उपलब्ध सस्ते संसाधनों को प्राप्त कर उनका घरेलू स्तर पर मूल्य वर्धन किया और लाभ प्राप्त किया। जब ये आपूर्ति श्रंखलाएं विफल हुईं तो इसके कारण यूरोप में दीर्घकालीन औद्योगिक क्षमता होने के बाद भी वस्तुओं की कमी हो गई। इसने एक अस्थिरकारी असंतुलन को जन्म दिया जो कालांतर में दो विश्वयुद्धों का कारण बना।

वैश्वीकरण के प्रति भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रतिक्रिया (Indian Economy's Response)

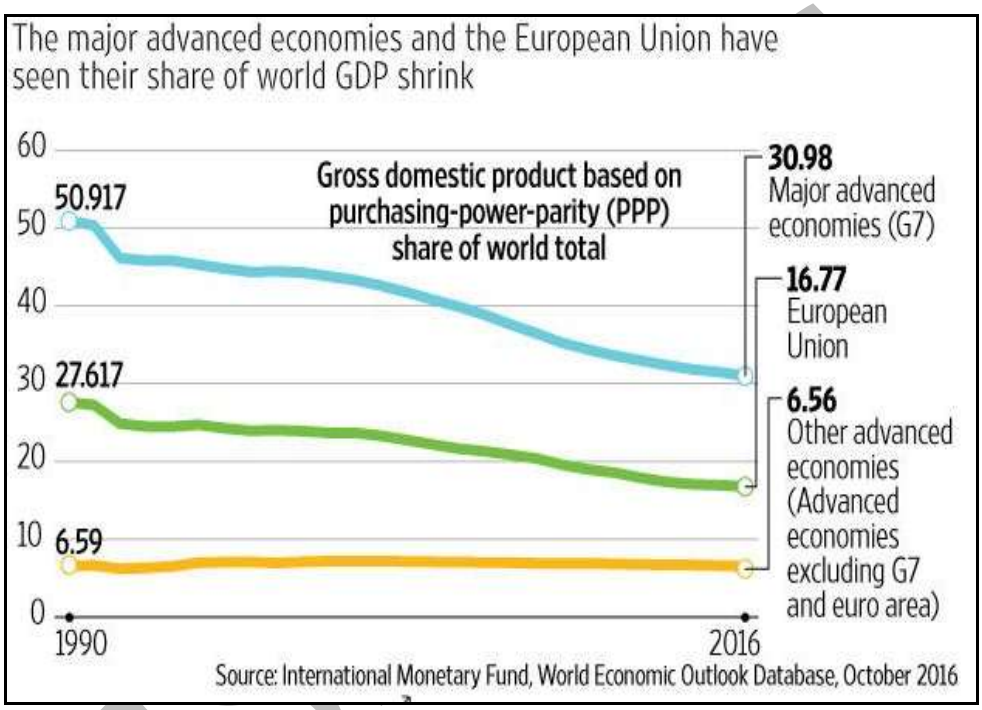


यद्यपि यह समझा जाता है कि सीमा-पार व्यापार और निवेश में वृद्धि ने सभी देशों को लाभांवित किया है, लेकिन कुछ राष्ट्रों ने अन्य राष्ट्रों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। यह वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में भारत और चीन जैसे देशों की बढ़ती हिस्सेदारी के रूप में प्रतिबिंबित होता है।

वैश्वीकरण के कारण, भारत की वैश्विक GDP में हिस्सेदारी वर्ष 1990 के 3.6% से बढ़कर वर्ष 2016 में अनुमानित 7.3% तक हुई है।

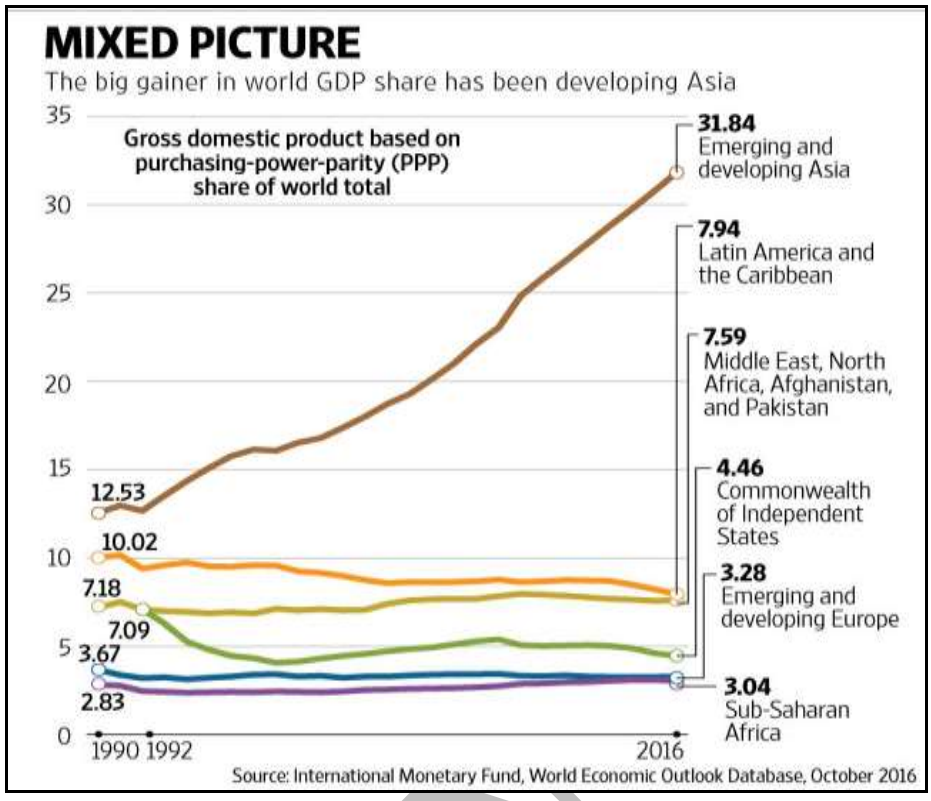
वैश्विक स्तर पर वैश्वीकरण का प्रभाव (Impact Of Globalization Around The World)

आधुनिक विचार प्रक्रिया में वैश्वीकरण एक प्रभावी तत्व के रूप में उभरा है। इसने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सहित मानव जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित किया है।



आर्थिक पहलू (Economic Aspects)

- वर्तमान में उभरते हुए बाजारों की वैश्विक अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी वर्ष 1990 की तुलना अधिक हो गई है। इन बाजारों की वैश्विक अर्थव्यवस्था में समग्र हिस्सेदारी 1990 के 36% से बढ़कर वर्तमान में 58% हो गई है।
- हालांकि वैश्विक GDP में कुछ देशों की हिस्सेदारी में गिरावट आयी है। G-7 समूह (कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम तथा संयुक्त राज्य अमेरिका) की प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थाओं की वैश्विक GDP में हिस्सेदारी वर्ष 1990 के लगभग 50% से घटकर वर्ष 2016 में 30.9% हो गई है। इसी अवधि में यूरोपीय संघ (28 सदस्य देश) की हिस्सेदारी 27.6% से घटकर 16.8% रह गई है।
- हालांकि, प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थाओं की घटती हिस्सेदारी को सभी उभरते बाजारों के लाभों के रूप में प्रत्यक्षत: परिवर्तित नहीं किया जा सका है। 'उभरते एवं विकासशील एशिया' (जिसमें चीन एवं भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ तथा **दक्षिण-पूर्वी एशियाई टाइगर अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं)** की हिस्सेदारी **12.5% से बढ़कर 31.8% हो गई है।**



- वहीं 1990 से 2016 के मध्य वैश्विक GDP में **उप-सहारा अफ्रीका** की हिस्सेदारी में बहुत कम वृद्धि **(2.8% से बढ़कर 3%)** देखी गई थी। इसी प्रकार **'मध्य-पूर्व, उत्तरी अफ्रीका, अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान' जैसे देशों की** हिस्सेदारी में भी कम वृद्धि देखी गई थी। **लैटिन अमेरिका तथा कैरेबियन क्षेत्र** की हिस्सेदारी **10% से घटकर 7.9% रह** गई।
- संयुक्त राज्य अमेरिका सहित विकसित विश्व के विभिन्न भागों में संरक्षणवाद की मांग में वृद्धि हो रही है जो विश्व व्यापार और संवृद्धि के समक्ष संकट उत्पन्न कर सकती है।
- यदि सांख्यिकीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो वैश्वीकरण ने सभी भागीदारों को लाभ पहुंचाया है। वैश्विक स्तर पर समग्र रूप में निर्धनता के निरपेक्ष स्तर में गिरावट हुई है। वैश्वीकरण से कुछ लोगों को लाभ प्राप्त हुआ है तो कुछ को हानि उठानी पड़ी है। कुछ लोग अत्यधिक समृद्ध बन गए हैं। शीर्ष 1% समृद्ध व्यक्तियों द्वारा अपने देश की आर्थिक सम्पदा के एक बड़े भाग का संचय कर लिया गया है तथा वे करों के भुगतान से भी बचते हैं। जबकि मध्य स्तर पर आय स्थिर हो गई है तथा युवाओं में बेरोजगारी की दर में वृद्धि हो रही है।
- वे विदेशों के घरेलू रोजगार को भी क्षति पहुंचाते हैं। इसके अतिरिक्त, अधिकारों हेतु जनवादी आंदोलनों द्वारा भी आतंक और हिंसा के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की मांग की जा रही है। इस प्रकार असमानता तथा असुरक्षा ने जनवादी और सत्तावादी सरकारों के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण किया है।

सामाजिक-सांस्कृतिक पहलू (Socio-cultural Aspects)

- वैश्वीकरण के न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक-सांस्कृतिक प्रभाव भी होते हैं। वैश्विक स्तर पर एकल परिवारों का उदय हुआ है तथा इसके साथ ही विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पोषण से संबंधित लैंगिक समानता की प्रवृत्ति देखी जा रही है।
- इसके साथ ही, वैश्वीकरण ने इंटरनेट पर सूचना के प्रसार के माध्यम से शिक्षा तक पहुंच को सक्षम बनाया है जिससे लोगों के मध्य कौशल विकास और जागरूकता में वृद्धि हुई है।

VISION



- इसके अतिरिक्त, सेवा क्षेत्रक में वृद्धि के कारण वैश्वीकरण ने नगरीकरण की गति को और अधिक तीव्र किया है तथा नगर केन्द्रित रोजगारों के सृजन के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय प्रवास में वृद्धि हुई है। उदाहरणार्थ एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2050 तक भारत की 50% से अधिक जनसंख्या शहरों में निवास करेगी।
- वैश्वीकरण ने एक देश के स्थानीय खान-पान, वेशभूषा तथा निष्पादन कला परम्पराओं को भी प्रभावित किया है। उदाहरण के लिए पिज़्ज़ा, बर्गर, चाइनीज़ तथा अन्य पश्चिमी खाद्य पदार्थ वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय हो गए हैं। होली, दीपावली तथा क्रिसमस जैसे त्यौहार संपूर्ण विश्व में मनाए जाते हैं। इसी प्रकार योग और भारतीय हस्तशिल्प वैश्विक लोकप्रियता प्राप्त कर रहे हैं।
- भारतीय शास्त्रीय संगीत ने विश्वव्यापी ख्याति अर्जित की है। संगीतज्ञों के मध्य पश्चिमी संगीत के साथ भारतीय संगीत के सम्मिश्रण को बढ़ावा दिया जा रहा है। पश्चिमी नृत्य शैली जैसे कि जैज़, हिप-हॉप, सालसा, बैले (ballet) आदि भारतीय युवाओं के मध्य काफी लोकप्रिय बन गए हैं।
- हालांकि, वैश्वीकरण की आलोचना भी की जाती है। इसने वृद्धजनों की प्रस्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। इसके अतिरिक्त, स्वच्छंद व्यक्तिवाद, संस्कृति के एकरूपीकरण (होमोजेनिज़शन) की प्रवृत्ति तथा अत्यधिक उपभोक्तावाद ने भी समाज को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है।

राजनीतिक पहलू (Political Aspects)

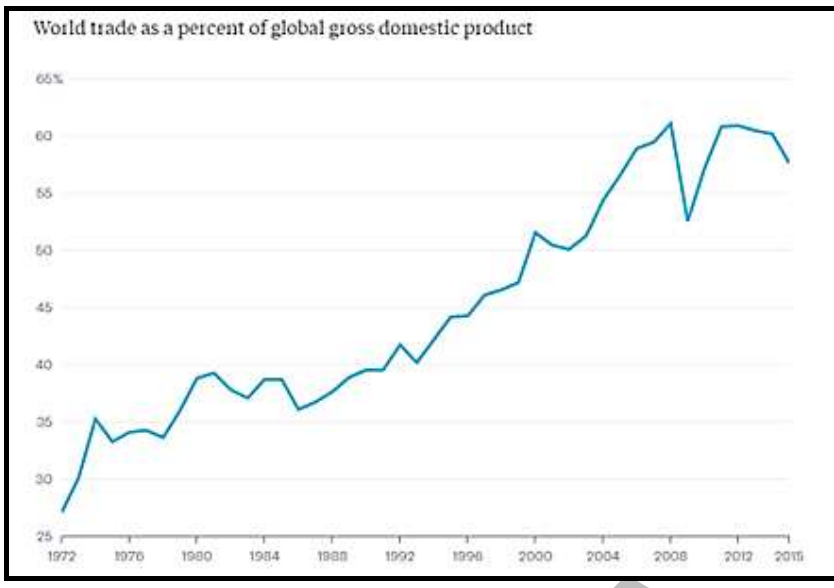
- वैश्वीकरण ने वैश्विक राजनीतिक व्यवस्था को भी प्रभावित किया है। इसने लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अधिकार आधारित कल्याणकारी दृष्टिकोण तथा विधि के शासन संबंधी मूल्यों को प्रसारित किया है। वैश्वीकरण विश्व भर में लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना हेतु आंदोलनों के एक प्रमुख कारक के रूप में उभरा है। उदाहरण के लिए मध्य-पूर्व देशों में लोकतांत्रिक सरकारों की स्थापना की मांग से संबंधित अरब स्प्रिंग।
- विश्व व्यापार, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद तथा विवाद समाधान जैसे वैश्विक मुद्दों से निपटने हेतु G-20, विश्व व्यापार संगठन, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज आदि वैश्विक तथा क्षेत्रीय संस्थाओं एवं संगठनों की स्थापना की गयी है।
- हालांकि, विकसित देशों का पक्ष लेने तथा विकासशील एवं कमजोर देशों की चिंताओं की उपेक्षा करने के कारण वैश्विक संस्थाओं की आलोचना की जाती है। उदाहरण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक आदि वैश्विक संस्थाओं में सुधार के प्रति विकसित देश अनिच्छुक हैं।

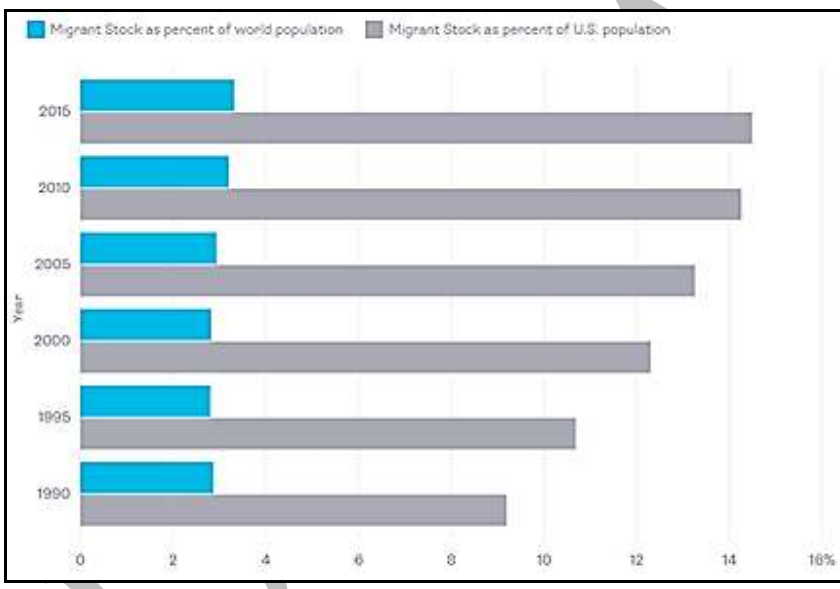
क्या विश्व वैश्वीकरण की विपरीत धारा का साक्षी बन रहा है? (Is the world Witnessing Reverse Globalization?)

विश्व भर में, वैश्वीकरण और इसके दुष्प्रभावों के विरुद्ध प्रतिक्रिया में वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय उद्योगों की सुरक्षा और रोजगार के अवसरों एवं आय में वृद्धि हेतु वैश्विक वित्तीय संकट के पश्चात से ही देश वैश्वीकरण की प्रक्रिया से तीव्रता से पीछे हट रहे हैं।

वैश्वीकरण द्वारा राष्ट्रीय नीतियों की प्रभावकारिता को जिस प्रकार से कम किया जा रहा है उससे सरकारों के मध्य निराशा में वृद्धि हुई हैं। उदाहरण के लिए, घरेलू मांग का समर्थन करने के लिए राजकोषीय विस्तार, वित्तीय रिसाव के रूप में व्यर्थ हो सकता है और घरेलू गतिविधि को प्रोत्साहित करने के स्थान पर आयात को बढ़ावा दे सकता है।

VISION IAS





बहुत सी कंपनियों ने निम्न कौशल वाले रोजगारों (low-end job) की आउटसोर्सिंग के माध्यम से अत्यधिक लाभ अर्जित किया है। सीमाओं के बंद होने से बहुराष्ट्रीय कंपनियों की प्रगति मंद हो जाती है तथा स्थानीय श्रमिकों की सौदेबाजी करने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। 2012 से, अमेरिका की राष्ट्रीय आय में कॉर्पोरेट की हिस्सेदारी में कमी तथा श्रमिकों की हिस्सेदारी में वृद्धि देखी जा रही है। ट्रम्प जैसे नेताओं का उदय, जिनकी नीतियां कंपनियों और रोजगारों को अमेरिका में वापस लाने के प्रति समर्पित हैं, इस प्रवृत्ति को अधिक तीव्र करेगा।

निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर यह देखा जा सकता है कि 2008 के वित्तीय संकट के पश्चात वैश्वीकरण विपरीत दिशा में बढ़ रहा है:

- **व्यापार (Trade):** 2008 तक कई दशकों में वैश्विक व्यापार में सकारात्मक रूप से वृद्धि हुई। परंतु संकट और मंदी ने व्यापार वृद्धि के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया और इसमें पुन: सुधार संभव नहीं हो पाया। कुल उत्पादन के प्रतिशत के रूप में वैश्विक व्यापार 2008 में अपने सर्वोच्च स्तर पर था। IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार, व्यापार उदारीकरण में गिरावट और संरक्षणवाद का उदय वैश्विक व्यापार में कमी के प्रमुख कारणों के रूप में उभरे हैं।



- **आप्रवासन में गिरावट (Immigration Boom has fizzled):** वैश्विक स्तर पर, अन्य देशों में रहने वाले प्रवासियों की संख्या में धीरे-धीरे किन्तु निरंतर वृद्धि हुई है। ग्रीस, मेसेडोनिया, हंगरी और रोमानिया जैसे देशों में आप्रवासन-रोधी अवरोधों (एंटी-इमिग्रेंट फेन्स) का निर्माण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, ग्वाटेमाला, अर्जेंटीना, एस्टोनिया, नॉर्वे जैसे देश भी ऐसी योजनाएँ बना रहे हैं। इस संबंध में एक अन्य उदाहरण ईरान, लीबिया, उत्तरी कोरिया इत्यादि देशों के लोगों के लिए अमेरिका द्वारा यात्रा प्रतिबंध लगाना और हाल ही में ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों द्वारा वीजा व्यवस्था और वर्क परमिट को कठोर बनाया जाने का भी है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका में, बड़े स्तर पर होने वाला आप्रवासन समाप्त हो गया है। 2008 से 2014 तक, संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने वाले मेक्सिकन लोगों की संख्या में 1 मिलियन से अधिक की गिरावट दर्ज की गई क्योंकि बड़ी संख्या में बिना दस्तावेज वाले आप्रवासी मेक्सिको वापस जा रहे हैं।
- **वित्त (Finance):** वित्तीय उद्योग से संबंधित **विनियामकीय कमी** एक अन्य कारक है। वित्तीय संकट के समय अमेरिका और यूरोप में स्थित बड़े वैश्विक बैंकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन यह तो केवल शुरुआत भर थी। उसके बाद से उच्च पूंजी आवश्यकताओं, कठोर विनियामक जांच और संयुक्त राज्य अमेरिका के **डॉड-फ्रैंक अधिनियम** जैसे नए नियमों ने बैंकों के व्यापार मॉडल को कमजोर और उनकी लाभप्रदता को कम कर दिया है जिससे सीमापार वित्तीयन में कमी हो रही है।
- **पक्षपातपूर्ण व्यापार उपायों में वृद्धि (Increasing Discriminatory Trade Measures):** वर्ष 2009 और 2015 के मध्य, उदारीकरण की पूर्व अवधि की तुलना में तीन गुना अधिक पक्षपातपूर्ण व्यापार उपायों को लागू किया गया। केवल वर्ष 2015 में ही, नवीनतम ग्लोबल ट्रेड अलर्ट डेटाबेस के अंतर्गत विश्व भर में सरकारों द्वारा अपनायी गयी 539 ऐसी पहलों को दर्ज किया गया था जो विदेशी व्यापारियों, निवेशकों, श्रमिकों या बौद्धिक संपदा के स्वामियों को क्षति पहुँचाती हैं।
- वर्तमान में, सरकारें इस प्रकार के प्रशुल्क अथवा अन्य कठोर अवरोधों को अधिरोपित नहीं कर सकती हैं जो विश्व व्यापार संगठन के नियमों का उल्लंघन करते हैं। किन्तु व्यापार प्रवाह को नियंत्रित करने के प्रयासों में निरंतर वृद्धि हो रही है, यथा:
 - **घरेलू उद्योगों के लिए वित्त का प्रवाह सुनिश्चित करना:** संयुक्त राज्य अमेरिका (ऑटो बेलआउट) से लेकर ब्रिटेन, चीन, ब्राजील, कनाडा और कई यूरोपीय संघ के सदस्य देशों तक, सभी देश घरेलू उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं।
 - **राज्य खरीद नियम-** चीन जैसे देशों द्वारा विदेशों से सामरिक और रक्षा प्रौद्योगिकी की खरीद को प्रतिबंधित करते हुए घरेलू आपूर्तिकर्ताओं को समर्थन प्रदान किया जा रहा है।
 - 2009 से संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में प्रारंभ किए गए " **बाई लोकल (Buy local)**" जैसे अभियान।
 - कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स, उपकरण और विद्युत सामान, प्राथमिक धातुओं, मशीनरी, फर्नीचर, प्लास्टिक और रबड़, कागज और विनिर्मित धातुओं जैसे क्षेत्रों में "रि-शोरिंग" या "लोकल-टू-लोकल" जैसी पहलें सामान्य बनती जा रही हैं। उदाहरण के लिए जनरल इलेक्ट्रिक (GE) द्वारा मेड इन यूएसए पहल के अतर्गत ओहियो और इलिनोइस संयंत्रों में उच्च दक्षता वाले लाइट बल्ब का निर्माण किया जा रहा है।
 - **नए सुरक्षा और पर्यावरणीय मानकों** ने सहायता प्रदान करने के साथ-साथ विदेशी उत्पादों के विरुद्ध अवरोध भी उत्पन्न किए हैं।
 - अनेक देशों द्वारा विभिन्न **खाद्य आयातों** पर **प्रतिबंध** आरोपित किए जाते हैं।
 - **एक व्यापार उपाय के रूप में वित्तीय नीति:** अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन और जापान द्वारा **कृत्रिम रूप से निम्न ब्याज दरों, क्वांटिटेटिव इजिंग तथा मुद्रा और विदेशी विनिमय बाजारों में प्रत्यक्ष**

VISION IAS



हस्तक्षेप के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करने हेतु मुद्रा स्तरों को जानबूझकर लक्षित किया गया है। अवमूल्यन ने विदेशी निवेशकों (जिनके द्वारा अवमूल्यनकर्ता देश से ऋण लिया गया है) की क्रय शक्ति को कमजोर कर दिया है।

- **विशिष्ट कर**: कनाडा, हांगकांग, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया सहित अनेक देशों ने विदेशी संपत्ति खरीददारों पर विशिष्ट करों अथवा अन्य प्रतिबंधों को लागू किया है।
- **परिवर्तनशील और संभावित रूप से अस्थिरताकारी अन्तः प्रवाहों** ने स्विट्ज़रलैंड, चीन, ब्राजील, दक्षिण कोरिया और भारत जैसे अनेक देशों को किसी न किसी रूप में **पूंजी को संकुचित बनाये रखने** हेतु प्रेरित किया है।
- ऋण के उच्च स्तर के साथ स्पेन और पुर्तगाल जैसे राष्ट्रों ने वित्तीय संस्थानों और आर्थिक गतिविधियों का समर्थन करने हेतु घरेलू रूप से फंड को सुव्यवस्थित करने का प्रयास किया है।
- अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोजोन के देशों और अन्य देशों द्वारा बैंकों और निवेशकों को "पेट्रियोटिक (patriotic)" बैलेंस शीट को अपनाने, राष्ट्रीय सरकारी बांड क्रय करने अथवा ऋण प्रदान करने में घरेलू उधारकर्ता को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु **विनियमन और राजनीतिक दबाव** का उपयोग किया गया है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पूअर्स के अनुसार, 2008 से बैंकों के ऋण में राज्य के ऋण की हिस्सेदारी दोगुनी हो गई है।
- अमेरिका सहित अन्य राष्ट्र, **संकीर्ण द्विपक्षीय और क्षेत्रीय समझौते** करने हेतु प्रयासरत हैं, जहां अनेक वार्ता भागीदारों को अलग-अलग संतुष्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है और महत्त्वपूर्ण क्षेत्रकों को संरक्षण प्रदान किया जा सकता है। ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप जैसे व्यापार समझौतों के समक्ष अकस्मात समस्या उत्पन्न हो गई है।

- **जनसंख्या में गिरावट (Population decline):** विश्व के अधिकांश देशों में प्रजनन दर का कम होना निस्संदेह विकास की गति को मंद करता है। चीन की कार्यशील-आयु की जनसंख्या में प्रत्येक वर्ष लाखों लोगों की कमी हो रही है और यह कमी आगे और तेजी से बढ़ेगी। यूरोप और पूर्वी-एशिया में वृद्ध लोगों की संख्या तीव्रता से बढ़ रही है और विश्व के अनेक देशों में प्रजनन दर प्रतिस्थापन स्तर की तुलना में भी कम हो गई है। केवल विश्व का सर्वाधिक निर्धन क्षेत्र उप-सहारा अफ्रीका एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ निरंतर उच्च प्रजनन दर विद्यमान है।
- **वेतन (Wages):** विश्व भर में वेतन समान होता जा रहा है तथा चीन में इसमें तीव्र वृद्धि हो रही है। यहाँ तक कि कुछ अनुमानों के अनुसार तो यह भी कहा जा रहा है कि गुणवत्ता, बौद्धिक संपदा की चोरी और सीमापार आपूर्ति श्रृंखलाओं के प्रबंधन की गंभीर समस्याओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में चीन में वस्तुओं का निर्माण करना USA में निर्माण की तुलना में सस्ता नहीं रह गया है। इस प्रकार अपतटीय उत्पादन भी विगत दशक की तुलना में कमजोर प्रतीत होता है।
- **राजनीति (Politics):** महान मंदी (Great Recession) के पश्चात् संरक्षणवाद की प्रवृत्ति में वृद्धि हुई है। ऐसे में चीन, विदेशी कंपनियों पर अपनी अर्थव्यवस्था की निर्भरता को कम करने का प्रयास कर सकता है। इसके साथ ही कई महाद्वीपों में लोकप्रिय समर्थन के साथ अधिनायकवाद (Authoritarianism) का उदय हुआ है। जहाँ एक ओर चीन (और रूस में व्लादिमीर पुतिन) पश्चिमी आधिपत्य के समक्ष गंभीर चुनौती प्रस्तुत कर रहा है; वहीं दूसरी ओर पश्चिमी देशों के अंदर भी, विभिन्न व्यवस्था विरोधी, वामपंथी और दक्षिणपंथी जनवादी आंदोलनों द्वारा समूचे तंत्र को अस्थिर किया जा रहा है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प (और बर्नी सैंडर्स) की व्यवस्था विरोधी राजनीति की विजय और यूरोप में देशीयता समर्थक, अधिनायकवादी, राजनीतिक नेताओं का तीव्र उदय।
- **वैश्विक मंदी (Global Slowdown):** विशेष रूप से विकसित अर्थव्यवस्थाओं में धीमी संवृद्धि के होने का आशय कम व्यापार का होना है, जिसके परिणामस्वरूप अंतरराष्ट्रीय वित्त में कमी हो जाती है। इससे आर्थिक कारणों से होने वाले आप्रवासन में भी कमी आती है। वर्तमान में चीन, जोकि वैश्विक विकास और अंतरराष्ट्रीय निवेश का एक बड़ा केंद्र है, की संवृद्धि दर में भी कमी आई है।

VISION IAS



- **वैश्विक संस्थानों की भूमिका में गिरावट (Decline of global institutions):** वैश्विक संस्थानों और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की अवमानना की जा रही है। हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर हुए पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका का बाहर हो जाना इसका एक उदाहरण है। यहां तक कि पश्चिमी एशियाई संकट, विशेष रूप से सीरिया संकट का समाधान करने में विफल रहने के कारण, संयुक्त राष्ट्र संघ की गंभीर आलोचना की गई है। वैश्विक संस्थानों की भूमिका में गिरावट को प्रतिबिंबित करने वाले अन्य उदाहरणों में यूनेस्को से अमेरिका का बाहर होना, चीन द्वारा UNCLOS के निर्णय को अस्वीकार करना और तीव्र विरोध के बावजूद अमेरिका द्वारा येरुशलम में अपने दूतावास का उद्घाटन करना सम्मिलित है।
- **क्षेत्रीय संगठनों का कमजोर होना (Weakening of regional associations):** वैश्वीकरण की विपरीत धारा (रिवर्स ग्लोबलाइजेशन) के युग में क्षेत्रीय संगठनों (जो वैश्वीकरण का प्रतीक रहे हैं) के समक्ष संकट उत्पन्न हो गया है। इसी प्रकार यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के अलग होने को वैश्वीकरण की अस्वीकृति के रूप में व्याख्यायित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, हाल ही में G-7, अमेरिका और अन्य देशों के मध्य असहमति के कारण एक साझा बयान जारी करने में विफल रहा है।
- **विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की मांग (Call for Boycott of foreign goods):** वैश्वीकरण की विपरीत धारा की एक और अभिव्यक्ति विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की बढ़ती मांग है। इस सन्दर्भ में दो प्रमुख उदाहरण तुर्की (तुर्की राष्ट्रपति द्वारा अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक सामानों का बहिष्कार करने को कहा गया) और घाना (घाना की अर्थव्यवस्था में वृद्धि के लिए विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने की मांग गई) हैं।
- **स्थानीय संस्कृति पर बल (Assertion of local culture):** यह भी एक विचारणीय विषय है।
- **वैश्विक आंदोलन (Global movements):** वर्तमान में, वैश्वीकरण की विपरीत धारा में वृद्धि सम्बन्धी मांग औपचारिक संरचना और नेतृत्व के साथ सामाजिक आंदोलन के रूप में प्रकट हुई है। 1999 की "बैटल ऑफ़ सिएटल" को वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन की अनौपचारिक शुरुआत के रूप में चिह्नित किया जाता है। गुप्त रूप से आयोजित इस नए विरोध आंदोलन में अचानक हजारों लोग सड़कों पर एकत्रित हो गये थे। वर्तमान में, वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन ने लोगों के मध्य स्वीकार्यता प्राप्त कर ली है। वे नव-उदार नीतियों और पारिस्थितिकी, श्रम और अल्प विकसित देशों पर इसके पड़ने वाले प्रभावों की गंभीर आलोचना कर रहे हैं। विश्व व्यापार संगठन, G-20, WEF आदि की बैठकों के दौरान वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन के अंतर्गत कई विरोध प्रदर्शनों का आयोजन किया गया है। इनमें से कुछ आंदोलनों में संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट मूवमेंट, ब्राजील में होमलेस वर्कर्स मूवमेंट, दक्षिण अफ्रीका में लैंडलेस पीपुल्स मूवमेंट आदि सम्मिलित हैं।
- पूँजी के बाह्य प्रवाह को रोकने हेतु नकारात्मक ब्याज दर जैसी नीतियों पर उत्तरोत्तर कठोर नियंत्रण स्थापित करने की आवश्यकता होगी।

आगे की राह (Way Forward)

20वीं शताब्दी के अंत और 21वीं सदी के आरंभ में होने वाली वैश्वीकरण की तीव्र वृद्धि अब समाप्ति की कगार पर है। **भावी वैश्वीकरण गतिकी** की तीव्रता और व्यापकता पूर्ण रूप से उन शक्ति असंतुलनों द्वारा निर्धारित की जाएगी जिसमें एक तरफ औद्योगिक अर्थव्यवस्थाएं होंगी जिन्हें वर्तमान में भी सस्ते श्रम या वस्तुओं तक पहुंच की आवश्यकता है तथा दूसरी तरफ वे राष्ट्र होंगे जिनके पास संसाधन हैं, लेकिन औद्योगिक क्षमता या औद्योगिक क्षमता के निर्माण हेतु आवश्यक इच्छाशक्ति का अभाव है।

जब तक सरकारें सहकारी भावना को शीघ्रता से पुनर्स्थापित नहीं कर लेती हैं (जैसा कि उनके द्वारा वित्तीय संकट के प्रत्युत्तर में प्रदर्शित किया गया) तथा वैश्वीकरण के लाभ एवं लागत के न्यायोचित साझाकरण को सुनिश्चित करने की स्वयं की क्षमता के प्रति मतदाताओं में विश्वास उत्पन्न नहीं करती हैं (जोकि एक कठिन कार्य है); तब तक भविष्य की अर्थव्यवस्थाएं वर्तमान की तुलना में कम खुली होंगी।

वस्तुतः कॉर्पोरेट शासन में और सुधार किये जाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही निगमों के प्रति विश्वास को पुनर्स्थापित करने के लिए पूंजीवादी निगमों के प्रबंधन में नवाचार की आवश्यकता है।



बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक व्यापक स्कोरकार्ड को अपना सकती हैं जिसके माध्यम से समुदायों की स्थितियों जैसे स्वास्थ्य, स्थानीय रोजगारों का सृजन, कौशल विकास, सकारात्मक कार्रवाई आदि तथा पर्यावरण पर **निगमों के व्यवसाय संचालन एवं उत्पादों के प्रभावों की पारदर्शी तरीके से रिपोर्टिंग की जाएगी**। इससे उन्हें न केवल निवेशकों के लिए सृजित लाभ और वित्तीय मूल्य पर बल्कि विकास प्रक्रिया में पीछे रह गए विभिन्न हितधारकों पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता मिलेगी।

व्यवसायों द्वारा सामाजिक स्थितियों जैसे- रोजगार के अवसरों का सृजन, सकारात्मक कार्रवाई, स्थानीय समुदायों के सशक्तिकरण आदि के साथ-साथ पर्यावरण पर विकास के प्रभावों जैसे जल-अभाव, वायु प्रदूषण, हरित आवरण, नवीकरणीय ऊर्जा आदि के सन्दर्भ में सूचना प्रेषित की जानी चाहिए।

लोकतंत्र की गुणवत्ता में विश्वास की पुनर्स्थापना हेतु **राजनीतिक दलों और चुनाव अभियानों के वित्तीयन** में भी सुधार किया जाना चाहिए। मत प्राप्ति हेतु चलाए जाने वाले अभियानों के लिए धन की आवश्यकता होती है परंतु लोकतंत्र की गुणवत्ता को बनाए रखना अत्यावश्यक है। अधिक धन संपन्न लोगों के द्वारा चुनावों के परिणामों एवं सार्वजनिक नीतियों को कम धन संपन्न लोगों की तुलना में अधिक प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए।

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) ने सुझाव दिया है कि विश्व भर में जनवादी राजनीतिक आंदोलनों के बढ़ते प्रभावों से निपटने के लिए पूंजीवाद की प्रकृति में सुधार की आवश्यकता होगी। **इसके द्वारा अगले 10 वर्षों में वैश्विक मामलों में संभावित रूप से सबसे बड़े संचालक के रूप में "बढ़ती आय और संपत्ति की असमानता" की पहचान की गई है।**

इस बढ़ती असमानता के उदाहरण के रूप में, WEF ने कंपनियों के CEO के वेतन में अत्यधिक वृद्धि को इंगित किया है। यह वृद्धि ऐसे समय में हो रही हैं जब वैश्विक वित्तीय संकट के पश्चात विकसित अर्थव्यवस्थाओं में अनेक लोग अपनी आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

वस्तुतः वैश्वीकरण की आलोचना नहीं की जा रही अपितु इसके प्रतिकूल प्रभावों की आलोचना की जा रही है। अतः भविष्य में वैश्वीकरण की दिशा में आगे बढ़ने हेतु इनमें सुधार किया जाना चाहिए। जैसा कि **कोफी अन्नान ने कहा था कि "वैश्वीकरण के विरुद्ध तर्क करना गुरुत्वाकर्षण के नियमों के विरुद्ध तर्क करने के समान हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन भी सर्वाधिक वैश्वीकृत आंदोलन है।**

भारत की स्थिति (India's Stance)

व्यापक संशय की स्थिति के बावजूद ऐसा माना जाता है कि वैश्वीकरण एक सतत प्रक्रिया है और भारत को अपने बेहतर जनसांख्यिकीय लाभांश के माध्यम से इससे प्रतिस्पर्धी लाभ प्राप्त करने के अवसर को नहीं खोना चाहिए। विश्व व्यापार में संरक्षणवाद के पुनरुत्थान के बावजूद, भारतीय उद्योगों को विदेशी बाजारों में निर्यात वृद्धि को सुनिश्चित करने हेतु और भी अधिक प्रतिस्पर्धी बनने की आवश्यकता है।

NITI आयोग ने भारत के आक्रामक तरीके से वैश्वीकरण की ओर आगे बढ़ने, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए सभी शेष अनुमोदन आवश्यकताओं को समाप्त करने और श्रम-केंद्रित क्षेत्रों में रोजगार सृजन के प्रयासों को आगे बढ़ाने का समर्थन किया है।

भारत ने वैश्वीकरण के मॉडल को परिवर्तित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। इसे अधिक संतुलित, अधिक निष्पक्ष और अधिक समतापूर्ण होना चाहिए। उदाहरण के लिए जलवायु न्याय; दोहा विकास एजेंडा; विश्व व्यापार संगठन में सब्सिडी सुधार; संयुक्त राष्ट्र, IMF और विश्व बैंक में सुधार आदि।

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.



VISIONIAS
www.visionias.in

निबंध
भारत में शिक्षा

VISION IAS

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

विषय सूची

परिभाषा (Definition) 3
भारत में शिक्षा का इतिहास (History of Education in India) 3
भारत में शिक्षा के विभिन्न स्तर- इनसे संबंधित मुद्दें, चुनौतियां एवं समाधान (Different Levels of Education in India – Their Issues, Challanges and Solutions) 5
शिक्षा क्षेत्र में विभिन्न हितधारक - इनसे संबंधित मुद्दे, चुनौतियां तथा समाधान (Stakeholders in Education – Issues, Challenges & Solutions) 8
पाठ्यक्रम (Curriculum) 11
व्यावसायिक शिक्षा: 'NEET' (नॉट इन एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन ऑर ट्रेनिंग) को टैप करने की आवश्यकता (Vocational Education: A need to tap the 'NEET' (Not in Employment, Education or Training) 12
शिक्षा में वित्तपोषण (Financing in Education) 13
सुरक्षा संबंधी मुद्दे एवं चुनौतियाँ (Security Issues & Challenges) 14
बच्चों की सुरक्षा के लिए उठाए जा सकने वाले अन्य कदम (Other Steps that can be taken for security of children) 16
शिक्षा का निजीकरण (Privatisation of Education) 16
चुनौतियां (Challenges) 17
शारीरिक शिक्षा (Physical Education) 18
उद्यमिता, नवाचार और अनुसंधान (Entrepreneurship, Innovation and Research) 19
उच्च शिक्षा में विनियमन (Regulation in Higher Education) 19
आगे की राह (Way forward) 20
मूल्य आधारित शिक्षा (Value Based Education) 20
मूल्य आधारित शिक्षा का महत्व - क्यों ? (Importance of Value-based Education -WHY?) 21
मूल्य-आधारित शिक्षा छात्रों को क्या सीख देगी? (What Value-Based Education can instill in students?) 21
क्रेडिट-आधारित उच्च शिक्षा प्रणाली - स्थिति, अवसर और चुनौतियां - UPSC 2011 (Credit – based higher education system :CBES – status, opportunities and challenges – UPSC 2011) 23
मूल्यांकन व्यवस्था- मुद्दे एवं पहलें (Evalution Systems- Issues & Initiatives) 24
आगे की राह (Way Forward) 24
मुद्दे और चुनौतियाँ (Issues and Challenges) 25
आगे की राह (Way Forward) 26
शिक्षा से संबंधित प्रावधान NBA (Provision Related To Education 26
शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण (International Examples In The Field Of Education) 27
ऑनलाइन शिक्षा - लाभ एवं हानियाँ (Online Education-Advantages & Disadvantages) 27
निष्कर्ष (Conclusion) 29

VISION IAS

प्रसिद्ध व्यक्तियों के कथन (Quotes by Famous Personalities)

- "अधिगम अध्यापन का उत्पाद नहीं है। अधिगम, सीखने वालों की गतिविधि का उत्पाद है " - **जॉन हॉल्ट**
- "शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप विश्व को बदलने के लिए कर सकते हैं" - **नेल्सन मंडेला**
- "एक सभ्य घर के समान कोई स्कूल नहीं है और एक सच्चरित्र अभिभावक के समान कोई शिक्षक नहीं है" - **महात्मा गांधी**
- "किसी बच्चे की शिक्षा अपने ज्ञान तक सीमित मत रखिए, क्योंकि वह किसी और समय में पैदा हुआ है" - **रवींद्रनाथ टैगोर**
- "सर्वश्रेष्ठ शिक्षक वे हैं जो यह दिखाते हैं कि आपको कहां देखना है, किन्तु आपको यह नहीं बताते कि आपको क्या देखना है" - **अलेक्जांड्रा के. ट्रेनफर**
- "सच्ची शिक्षा का लक्ष्य चरित्र के साथ बुद्धिमता का विकास करना है" - **मार्टिन लूथर किंग**
- "शिक्षा रचनात्मकता प्रदान करती है, रचनात्मकता, सोच विकसित करती है, सोच से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान आपको महान बनाता है" - **डॉ. अब्दुल कलाम**

परिभाषा (Definition)

- शिक्षा की उत्पत्ति दो लैटिन शब्दों से मिलकर हुई है: "educare" जिसका अर्थ है प्रशिक्षित करना या साँचे में ढालना और "educere" जिसका तात्पर्य है निर्देशित करना।
- **शिक्षा साक्षरता से कैसे भिन्न है? (How does Education differ from Literacy?)**
 - साक्षरता एक मात्रात्मक युक्ति है वहीं शिक्षा की प्रकृति गुणात्मक अधिक है।
 - साक्षरता अधिकांशतः औपचारिक स्कूली शिक्षा तक ही सीमित होती है, जबकि शिक्षा में न केवल औपचारिक स्कूली शिक्षा बल्कि माता-पिता, परिवार और समाज भी सम्मिलित होता है।
 - साक्षरता जहां कौशल से संबद्ध है वहीं शिक्षा का संबंध मनुष्यों के समग्र विकास से है। इसमें केवल कौशल ही नहीं, अपितु मूल्य, नैतिकता इत्यादि भी सम्मिलित होती हैं।
 - महान दार्शनिक रवींद्रनाथ टैगोर ने भी शिक्षा पर अपने विचार अभिव्यक्त करते हुए कहा है कि 'शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक, मानसिक, सौंदर्यात्मक और नैतिक विकास के माध्यम से रचनात्मक स्व-अभिव्यक्ति का विकास करना है'।

भारत में शिक्षा का इतिहास (History of Education in India)

- भारत में विकसित होने वाली सबसे प्राचीन शिक्षा प्रणाली को **'वैदिक प्रणाली'** के रूप में जाना जाता है, जिसका अंतिम लक्ष्य स्वयं का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना था। यह प्रणाली **'गुरुकुल'** आधारित थी, जिसने गुरु और शिष्य के मध्य एक संबंध को बढ़ावा दिया और एक शिक्षक केंद्रित प्रणाली की स्थापना की। इस प्रणाली में शिष्यों को कठोर अनुशासन के अंतर्गत रखा जाता था और अपने गुरु के प्रति इनके कुछ दायित्व भी होते थे।
- **700 ईसा पूर्व में**, तक्षशिला में विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था और इसके पश्चात् चौथी शताब्दी ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ। इन विश्वविद्यालयों में

VISION IAS

प्रसिद्ध भारतीय विद्वानों, जैसे- चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, चाणक्य, पतंजलि आदि ने ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों, जैसे- गणित, खगोल विज्ञान, भौतिकी, रसायन शास्त्र, चिकित्सा विज्ञान और शल्य चिकित्सा इत्यादि में महत्वपूर्ण योगदान दिया।



- **स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान** गोखले, राजा राम मोहन रॉय और महात्मा गांधी जैसे कई व्यक्तियों ने भारतीयों, विशेष रूप से महिलाओं की शिक्षा के लिए कार्य किए। शिक्षा का स्वदेशी मॉडल महात्मा गांधी के स्वराज और स्वदेशी की अवधारणा का एक प्रमुख घटक था।
- **स्वतंत्रता के पश्चात** नेताओं द्वारा शिक्षा के महत्व को विकास की पूर्व शर्त के रूप में पूर्ण रूप से मान्यता प्रदान की गयी थी।
- **विगत 20 वर्षों में**, भारत में शिक्षा व्यवस्था में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। साथ ही इसमें अनेक नई अवधारणाएं, जैसे- प्राथमिक शिक्षा के लिए अधिकार आधारित दृष्टिकोण; साक्षरता एवं बुनियादी शिक्षा से माध्यमिक, उच्च, तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा की ओर स्थानांतरण; माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के विस्तार हेतु प्रयास करना; उच्च शिक्षा परिदृश्य को पुनः आकार प्रदान करना आदि विकसित हुई हैं।

विगत वर्षों में शिक्षा से संबंधित आयोग और समितियां (Commissions and Committees related with Education over the years)

- **डॉ. एस. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948):** इसके द्वारा क्षेत्र, जाति, लैंगिक विषमता पर ध्यान दिए बिना समाज के सभी वर्गों के लिए उच्च शिक्षा को सुलभ बनाने की अनुशंसा की गई।
- **डॉ. ए. लक्ष्मण स्वामी मुदलियार की अध्यक्षता में गठित माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952):** इस समिति ने आउटकम की दक्षता में वृद्धि, मैट्रिक पाठ्यक्रमों का विविधीकरण, बहुउद्देशीय मैट्रिक विद्यालयों की स्थापना, सम्पूर्ण भारत में एक समान प्रारूप लागू करने और तकनीकी विद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की।
- **डी. एस. कोठारी की अध्यक्षता में गठित भारतीय शिक्षा आयोग (1964-66):** इसके द्वारा तीन मुख्य पहलुओं, यथा- a) आंतरिक परिवर्तन b) गुणात्मक सुधार और c) शैक्षिक सुविधाओं का विस्तार, के आधार पर एक व्यापक पुनर्निर्माण की सिफारिश की गयी।
- **1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति:** यह नीति कोठारी आयोग की सिफारिशों के अनुसार तैयार की गई थी। इसने भारतीय संविधान में प्रस्तावित 6-14 वर्ष की आयु वर्गों के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करने; माध्यमिक विद्यालयों में क्षेत्रीय भाषाओं पर बल देने; अंग्रेजी को विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम बनाने, हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार करने एवं संस्कृत के विकास को बढ़ावा देने तथा राष्ट्रीय आय का 6 प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करने की सिफारिश की।
- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986):** इसके प्रमुख प्रावधानों में शामिल हैं- समाज के सभी वर्गों विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं को शिक्षा प्रदान करना; निर्धनों के लिए छात्रवृत्ति का प्रावधान, प्रौढ़ शिक्षा प्रदान करना, वंचित/पिछड़े वर्गों से शिक्षकों की भर्ती करना और नए स्कूलों एवं कॉलेजों का विकास करना; छात्रों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना; गांधीवादी दर्शन के साथ ग्रामीण लोगों को शिक्षा प्रदान करना; मुक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना करना; शिक्षा में IT का प्रचार करना; तकनीकी शिक्षा क्षेत्र को

VISION IAS

प्रारम्भ करने के अतिरिक्त वृहद स्तर पर निजी उद्यम को बढ़ावा देना।

- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1992):** भारत सरकार द्वारा 1990 में आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में 1986 की राष्ट्रीय नीति के परिणामों का पुनः आकलन करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया। इसकी प्रमुख सिफारिशों में शामिल थीं- केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देने के लिए उच्चतम सलाहकार निकाय के रूप में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (Central Advisory Board of Education: CABE) का गठन; शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करना; छात्रों में नैतिक मूल्यों को विकसित करना तथा जीवन में शिक्षा को आत्मसात करने पर बल देना।
- **T.S.R. सुब्रमण्यम समिति की प्रमुख सिफारिशें:** एक अखिल भारतीय सेवा के रूप में भारतीय शिक्षा सेवा (Indian Education Service: IES) का गठन किया जाना चाहिए; शिक्षा पर व्यय GDP का कम से कम 6% तक बढ़ाया जाना चाहिए; मौजूदा B.Ed पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए स्नातक स्तर पर 50% अंकों के साथ न्यूनतम पात्रता शर्त होनी चाहिए; सभी शिक्षकों की भर्ती के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (Teacher Eligibility Test: TET) अनिवार्य किया जाना चाहिए; सरकार और निजी स्कूलों में शिक्षकों के लिए लाइसेंसिंग या प्रमाणीकरण को अनिवार्य बनाना चाहिए; 4 से 5 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए पूर्व-विद्यालय शिक्षा को अधिकार के रूप में घोषित किया जाना चाहिए; मिड डे मील (MDM) कार्यक्रम का विस्तार माध्यमिक विद्यालयों तक किया जाना चाहिए; भारत में कैंपस खोलने के लिए शीर्ष 200 विदेशी विश्वविद्यालयों को अनुमति दी जानी चाहिए।
- **केंद्र सरकार द्वारा भारत के लिए एक नई शिक्षा नीति तैयार करने हेतु कस्तूरीरंगन आयोग (2017) का गठन किया गया है। नई शिक्षा नीति में ध्यान केंद्रित किए जाने वाले प्रमुख बिंदु हैं:** प्रमुख चिंताओं, जैसे - पहुंच एवं भागीदारी, गुणवत्ता, समानता, अनुसंधान एवं विकास और शिक्षा के विकास के लिए वित्तीय प्रतिबद्धता आदि का समाधान करना। 'नैतिक शिक्षा' से संबंधित संस्कृति शिक्षा का समावेश करना, इसे प्राथमिक रूप से प्री-स्कूल एवं किशोरावस्था शिक्षा, पाठ्यक्रम विकास और परीक्षा सुधार, शिक्षक और संकाय प्रशिक्षण, आजीवन साक्षरता, उच्च शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा में नीतिगत पहलों के माध्यम से समाधान किया जायेगा।

भारत में शिक्षा के विभिन्न स्तर- इनसे संबंधित मुद्दे, चुनौतियां एवं समाधान (Different Levels of Education in India – Their Issues, Challanges and Solutions)

- **प्री-स्कूल स्तर (Pre-Schooling level)**
 - **मुद्दे और चुनौतियाँ (Issues and Challenges)**
 - बचपन व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसी समय आजीवन सीखने एवं मानव विकास की नींव रखी जाती है।
 - तीव्र शहरीकरण, एकल परिवारों में वृद्धि और संयुक्त परिवार के विघटन के कारण अनेक माता-पिता अपने बच्चों को प्री-स्कूल में भेजने के लिए विवश हैं।
 - **राज्य की भूमिका:** 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों की देखभाल और शिक्षा केंद्र या राज्य सरकारों के तहत औपचारिक शिक्षा का भाग नहीं है। इसके अतिरिक्त, इस रिक्तता की पूर्ति स्कूलों और प्री-स्कूलों द्वारा आंशिक रूप से की जा रही है, जो बिना उचित विनियमन के निजी क्षेत्र में विकसित हो रहे हैं।



- अधिकांशतः प्री-स्कूलों द्वारा बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं को ध्यान में रखे बिना प्री-स्कूल शिक्षा के लिए एक सार्वभौमिक अथवा सभी के लिए अनुकूल (वन-साइज़-फिट्स-आल) दृष्टिकोण पर बल दिया जाता है। साथ ही, प्री-स्कूल शिक्षा सीखने हेतु एक मंच के बजाय प्रतिष्ठित स्कूलों में प्रवेश के लिए एक मंच बन गया है।
- संसाधनों का अभाव और सार्वभौमिक पाठ्यक्रम की अनुपस्थिति।

○ **समाधान (Solutions)**

- बचपन की देखभाल और 4-5 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2008 के तहत अधिकार के रूप में घोषित किया जाना चाहिए।
- प्री-स्कूलों के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा हेतु तैयार करने के लिए, आंगनवाड़ी केन्द्रों में एक नये शिक्षा संबंधी कार्यक्रम को लागू करने की आवश्यकता है।
- NCERT और SCERTs को शिक्षकों को प्री-स्कूलों के बच्चों की देख-रेख हेतु सक्षम बनाने के लिए गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के अतिरिक्त प्री-प्राथमिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा तैयार करना चाहिए।

- **प्राथमिक स्तर (Primary level)**

○ **मुद्दे एवं चुनौतियाँ (Issues and Challenges)**

- **स्कूल से बाहर बच्चे:** एक आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, 92 लाख से अधिक बच्चे अभी भी स्कूलों से बाहर हैं।
- ड्रॉपऑउट (बीच में स्कूल छोड़ने) की उच्च दर और निम्न उपस्थिति।
- **निम्नस्तरीय अधिगम परिणाम:** *एनुअल स्टेटस ऑफ़ एजुकेशन सर्वे* द्वारा इसकी पुष्टि की गई है।
- **आधारभूत सुविधाओं** की कमी।
- स्कूलों से बाहर सहायता का अभाव।
- महिलाओं, आदिवासियों आदि जैसे सुभेद्य वर्गों के लिए अपर्याप्त सहायता।
- निजी स्कूलों की संख्या बढ़ने के कारण शिक्षा की लागत में वृद्धि।

○ **समाधान (Solutions)**

- अधिगम संबंधी आउटकम (जो प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं) को मानदंड प्रदान करने के लिए RTE अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता है।
- RTE के तहत विशेष रूप से उच्च प्राथमिक चरण में उपचारात्मक कोचिंग के प्रावधानों और उच्च कक्षा में जाने के लिए कम से कम दो अतिरिक्त अवसरों के प्रस्ताव के साथ "फेल न करने की नीति" (No detention policy) को पुनः प्रारंभ करने की आवश्यकता है।
- धीमी गति से सीखने वालों की सहायता हेतु तकनीक के उपयोग की आवश्यकता है, जिससे बच्चें अपने कमजोर पक्षों को मजबूत कर सकें।

- **माध्यमिक स्तर (Secondary level)**

○ **मुद्दे और चुनौतियाँ (*Issues and Challenges)***

- **स्कूली शिक्षा तक पहुंच:** राज्य मुख्य रूप से माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के प्रबंधन हेतु उत्तरदायी होते हैं और केंद्र सरकार के साथ शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए केवल सीमित भूमिका निभाते हैं।

VISION IAS



- **ड्रॉपआउट की उच्च दर:** निर्धनता, सामाजिक प्रतिबंध या शिक्षा की उपयोगिता में विश्वास की कमी के कारण विशेष रूप से सुभेद्य वर्गों में माध्यमिक शिक्षा ड्रॉपआउट के उच्च स्तर को दर्शाती है।
- **पाठ्यक्रम:** इस स्तर पर IT और व्यावसायिक क्षेत्रों से संबंधित पाठ्यक्रम की अवहेलना की गयी है अथवा इसे विशेष महत्व प्रदान नहीं किया गया है।
- **उच्च शिक्षा के साथ निम्न जुड़ाव:** माध्यमिक स्तर की शिक्षा कौशल या योग्यता के संदर्भ में, छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु तैयार करने में विफल रही है। परिणामस्वरुप कोचिंग संस्थानों का प्रसार हुआ है।

- **समाधान (Solutions)**
 - माध्यमिक शिक्षा को सम्मिलित करने के लिए RTE के प्रावधान को क्रमशः विस्तारित करने की आवश्यकता है।
 - अधिक छात्रों को कवर करने के लिए विद्यमान राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। स्थानीय अवसरों और संसाधनों के अनुरूप व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के विकल्पों में वृद्धि करने की भी आवश्यकता है।

- **उच्च स्तर (Higher level)**
 - **मुद्दे एवं चुनौतियाँ (Issues, Challenges)**
 - **नामांकन एवं साम्यता (Enrolment and Equity):** सकल नामांकन अनुपात (Gross Enrolment Ratio: GER) लगभग 25% है जो समान स्तर पर अन्य देशों की तुलना में निम्न है। इसके अतिरिक्त, समाज के विभिन्न संप्रदायों के मध्य GER में कोई साम्यता नहीं है।
 - **विनियमन:** भारतीय चिकित्सा परिषद (Medical Council of India: MCI), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (The University Grants Commission: UGC), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (All India Council of Technical Education: AICTE) जैसे विनियामकों में वित्तीय अपर्याप्तता एवं मानव संसाधनों की कमी, भाई-भतीजावाद, भ्रष्टाचार एवं पक्षपात की समस्या निरंतर विद्यमान रही है।
 - **राजनीतिक हस्तक्षेप:** उच्च शिक्षा तीव्रता से एक आकर्षक व्यवसाय के रूप में उभर रही है और राजनीतिक नेताओं के स्वामित्व वाले अनेक संस्थानों का भी उद्भव हुआ है। इसके अतिरिक्त, शैक्षणिक संस्थान को संचालित करने में राजनीतिक हस्तक्षेप में वृद्धि हुई है, जैसा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के मामले में देखा गया है।
 - **संसाधन:** वित्तीय और मानवीय संसाधन, दोनों की कमी।
 - **रोजगार:** *एस्पायरिंग माइंड्स* (एम्प्लॉयमेंट सॉल्यूशन कंपनी) द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, केवल 7% इंजीनियरिंग स्नातक नियुक्ति के योग्य हैं।
 - उद्योगों के साथ अनुसन्धान एवं सहयोग पर अपर्याप्त बल।
 - **समाधान (*Solutions)***
 - उच्च शिक्षा क्षेत्र के वित्तपोषण को सुव्यवस्थित करने के अतिरिक्त नियामकीय निरीक्षण करने की आवश्यकता है।
 - इसके अतिरिक्त, शिक्षकों के लिए भर्ती, अवसर आदि की प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता है। शिक्षकों को रैंक प्रदान करने और प्रोत्साहित करने के लिए वस्तुनिष्ठ मानदंडों पर प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहनों को लागू करने की आवश्यकता है।
 - इसके अतिरिक्त, मान्यता प्रदान करने वाले संस्थानों, उनकी पद्धति और जवाबदेहिता में सुधार करने की आवश्यकता भी है।

VISION IAS

शिक्षा क्षेत्र में विभिन्न हितधारक - इनसे संबंधित मुद्दे, चुनौतियां तथा समाधान (Stakeholders in Education – Issues, Challenges & Solutions)



- **माता-पिता: "घर बच्चों की प्रथम पाठशाला और माता-पिता उसके प्रथम शिक्षक होते हैं।"**
 - **मुद्दे तथा चुनौतियां (Issues & Challenges)**
- **शहरी परिवार**
 - बच्चों के साथ व्यतीत किए जाने वाले समय के अभाव के कारण कम्युनिकेशन गैप/जनरेशन गैप में वृद्धि हुई है।
 - 10वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा के बाद कैरियर विकल्पों/विषयों (विज्ञान/कला) के चयन में छात्रों पर बलपूर्वक अपना निर्णय थोपना।
 - उच्च ग्रेड के साथ उत्तीर्ण होने के लिए बच्चों पर दबाव बनाना।
 - उच्च आय वर्ग वाले परिवार अपने बच्चों को बेस्ट स्कूलों में नामांकन करवाने हेतु शिक्षा के वास्तविक मूल्य या सार को समझे बिना अत्यधिक डोनेशन का सहारा लेते हैं। उदाहरणस्वरुप कई माता-पिता फर्जी डिग्री, धोखाधड़ी जैसे कृत्यों का समर्थन कर रहे हैं।

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका के 6.2 घंटे एवं ब्रिटेन के 3.6 घंटे के औसत की तुलना में भारतीय अभिभावकों द्वारा अपने बच्चों के होमवर्क पर सप्ताह में औसतन 12 घंटे समय व्यतीत किया जाता है। इसके अतिरिक्त, 62 प्रतिशत भारतीय माता-पिता अपने बच्चों के होमवर्क में सहायता करते हैं, जो अन्य देशों की तुलना में अधिक है।

- **ग्रामीण परिवार**
 - शिक्षा को सिर्फ एक डिग्री प्राप्त करने के साधन के रूप में देखा जाता है।
 - कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी के अभाव एवं अवहनीय स्कूल फ़ीस के कारण बीच में स्कूल छोड़ने (ड्रापआउट) की उच्च दर।
 - लड़कियों तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करने में परिवहन या संचार एक बड़ी बाधा है।
 - निर्देश का माध्यम भी एक बड़ी बाधा है।
 - जाति आधारित भेदभाव।
 - स्कूलों में बच्चों को प्राप्त होने वाले परिवेश और माता-पिता की शिक्षा के मध्य व्यापक अंतराल।
 - शिक्षा के मूल्य एवं महत्व के संबंध में प्रथम पीढ़ी के छात्रों के माता-पिता को समझाने की जरुरत है।

विशेष ध्यान दिए जाने वाले बच्चे (Children with Special Needs)

- भारत में दिव्यांग बच्चों की संख्या काफी अधिक है, जिन्हें RTE के विधिक प्रावधानों के बावजूद इस अधिकार से वंचित किया जा रहा है।
- CAG की एक हालिया रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया है कि सभी योग्य दिव्यांग बच्चों को अधिनियम में प्रावधानित परिवहन, सहायता और उपकरण संबंधी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करायी गयी हैं।
- यह स्पष्ट है कि बच्चों की इस श्रेणी में अशिक्षित बच्चों का अनुपात शेष बच्चों की तुलना में बहुत अधिक है।
- आगे किए जाने वाले उपायों में उचित अध्ययन सामग्री की उपलब्धता, शिक्षकों और उनके उचित प्रशिक्षण के मध्य पर्याप्त संवेदनशीलता, शिक्षा के लिए सहायता उपकरणों की उपलब्धता आदि शामिल होना चाहिए।

- **छात्र: "एक आदर्श छात्र वही होता है जो सिर्फ ग्रेड प्राप्त करने और अपने सहपाठियों से प्रतिस्पर्धा करने हेतु अध्ययन नहीं करता, अपितु वह अपनी रूचि के कारण अध्ययन करता है"।**

VISION IAS



- **मुद्दे एवं चुनौतियां (Issues & Challenges)**
 - परिवार की अधिक अपेक्षाओं और दबाव के कारण, कॉलेज में प्रवेश, बोर्ड परीक्षा में अच्छे ग्रेड लाने इत्यादि के लिए अंधाधुंध प्रतिस्पर्धा का भाग बनना पड़ता है।
 - परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए नकल एवं अनुचित साधनों का उपयोग करना।
 - रचनात्मक अन्वेषण क्षमताओं, स्पष्ट एवं तार्किक रूप से सोचने की क्षमता एवं चिंतनशील प्रक्रिया से जुड़ाव, स्वतंत्र और मौलिक सोच आदि का अभाव।
 - **मीडिया का प्रभाव:** फिल्में, इंटरनेट और कंप्यूटर गेम इत्यादि।
 - **मानसिक विकार:** अवसाद, एकाग्रता-अभाव संबंधी अवसाद, चिंता, लत आदि।
 - चोरी, यौन दुर्व्यवहार, शिक्षकों के प्रति असहिष्णुता जैसे अपराध।
 - इंटरनेट एवं दोस्तों के साथ बिताए गए अधिक समय के कारण परिवार से अलगाव।

- **शिक्षक: "आधुनिक शिक्षक का कार्य वनों की सफ़ाई कर भूमि तैयार करना नहीं है, बल्कि रेगिस्तान की सिंचाई करना है।"**
 - **मुद्दे एवं चुनौतियां (Issues & Challenges)**
 - वर्तमान में शिक्षा को छात्रों के भविष्य के निर्माण के कार्य की बजाय एक पेशे के रूप में माना जाने लगा है।
 - अधिकांश मामलों में, शिक्षण संबंधी पेशे को अपनाना रूचि की अपेक्षा बाध्यता अधिक बन गया है, विशेषतः महिलाओं के लिए (इसे 'पिंक कॉलर जॉब', अच्छे विवाह प्रस्तावों में वृद्धि आदि के साधन के रूप में देखा जाता है)।
 - यांत्रिक/अप्रचलित तकनीकों का प्रयोग एवं अध्यापन हेतु नवाचारी पद्धतियों का अभाव।
 - शिक्षकों पर अध्यापन के अतिरिक्त अन्य कार्यों की अतिभारिता एवं अतिसंलग्नता।
 - कार्यभार की तुलना में कम वेतनमान, मुख्यतः निजी संस्थानों में, कार्य करने में अनिच्छुकता को बढ़ावा देता है। इसके अतिरिक्त कठोर परिश्रम तथा सुधार करने के लिए प्रोत्साहन का अभाव है। अतः युवा वर्ग में अध्यापन हेतु उत्साह एवं जोश की कमी है।
 - शिक्षकों की जवाबदेही एवं छात्रों से फीडबैक प्राप्त करने की प्रणाली का अभाव।

शिक्षा पर व्यय (Expenditure on Education)

- आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार, भारत में शिक्षा पर कुल औसत व्यय सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 2.8% है।
- दक्षिण अफ्रीका तथा ब्राजील जैसे विकासशील देश शिक्षा पर अपनी GDP का लगभग 5.8% व्यय करते हैं, वहीं पड़ोसी देश भूटान शिक्षा पर अपनी GDP का 7% से अधिक व्यय करता है।
- **विश्व बैंक के अनुसार:**
 - नॉर्वे, स्वीडन तथा फिनलैंड जैसे देश शिक्षा पर अपनी GDP का लगभग 7.5% व्यय करते हैं।
 - जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी एवं ऑस्ट्रेलिया द्वारा शिक्षा पर 5 से 6 प्रतिशत तक व्यय किया जाता है।

- **समाधान (Solutions)**
 - संवेदनशीलता/भावनात्मक बुद्धिमत्ता की आवश्यकता: शिक्षकों को बच्चों की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि को समझने की आवश्यकता है, उदाहरण के लिए भूख अथवा दुर्व्यवहार से पीड़ित छात्र प्रभावी रूप से सीखने में सक्षम नहीं हो सकता। कार्यक्रमों के द्वारा शिक्षकों का मार्गदर्शन किया जाना चाहिए कि इस समूह के बच्चों को कैसे पोषित तथा विकसित किया

VISION IAS



जाए। शिक्षक छात्र के विषय में जितनी अधिक समझ विकसित करेगा, वह उन्हें सिखाने एवं उनकी प्रगति में उतने ही बेहतर ढंग से अपना योगदान देने में सक्षम होगा।
 - स्कूल प्रबंधन समितियों की भागीदारी में वृद्धि के माध्यम से शिक्षकों को अधिक जवाबदेह बनाने की आवश्यकता है।
 - शिक्षकों के प्रदर्शन एवं उसकी जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सहायक पर्यवेक्षण तथा प्रोत्साहन की आवश्यकता की पहचान करना, साथ ही शिक्षकों की उपस्थिति की निगरानी करने के लिए एवं उनकी अनुपस्थिति को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना।
 - भारत एवं विश्व में प्रचलित अन्य सर्वोत्तम पद्धतियों से परिचित होने की आवश्यकता है तथा छात्रों द्वारा ज्ञान को आत्मसात करने एवं उनके बेहतर रीति से सीखने के लिए नवीन तकनीकों को अपनाए जाने की आवश्यकता है।
- **संस्थान**: **"विद्यालय चार दीवारों से युक्त एक भवन है जिसमें भविष्य की प्रतिभाओं का निर्माण होता है।"** शिक्षण संस्थानों को विद्या प्रदान करने वाले मंदिरों के रूप में माना जाता है, किन्तु वर्तमान में ये शिक्षण संस्थान उद्योगों के समान कार्य कर रहे हैं।
 - **मुद्दे एवं चुनौतियां (Issues & Challenges)**
- **पहुंच तथा साम्यता (Access and Equity)**
- **शिक्षा का व्यवसायीकरण:** स्कूल तथा कॉलेज गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के बजाय केवल धन अर्जित करने वाले संस्थान बन गए हैं, जैसे- कैपिटेशन फीस, अत्यधिक शुल्क वृद्धि, ड्रेस, किताबों आदि के लिए अतिरिक्त शुल्क वसूल करना आदि।
- शिक्षा को सब्सिडी प्रदान किए जाने के बावजूद, अभी भी यह निर्धन वर्ग के लिए **अवहनीय** है, परिणामतः उन्हें बीच में स्कूल छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ता है। गैर-अनुदान प्राप्त स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (Economically Weaker Section: EWS)/वंचित वर्गों (Disadvantaged Groups: DG) के लिए 25% आरक्षण जैसे नियमों का इन स्कूलों द्वारा नियमित रूप से उल्लंघन किया जाता है।
- मिड डे मील जैसी **कल्याणकारी योजनाओं को विकृत रूप में प्रस्तुत करना** एवं इसके तहत मिलने वाले भोजन के लिए माता-पिता से भुगतान की मांग करना।
- फर्जी आय तथा जाति प्रमाण पत्र की समस्या के कारण सरकारी योजनाओं का लाभ लक्षित लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाता है।
- बाल श्रम, प्रवासन, बाल विवाह आदि भी शिक्षा के मार्ग में बड़ी बाधाएं हैं।
- प्रवेश प्रक्रिया में **पारदर्शिता तथा निष्पक्षता का अभाव** एवं शिकायत निवारण तंत्र का अभाव, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन में मुख्य बाधाएं हैं।

शिक्षा में गुणवत्ता सुधार से सम्बंधित मुद्दों का समाधान (Solutions to improve quality issue in education)

- **उन्नत तकनीकों का प्रयोग:** शिक्षा संबंधी आउटकम में सुधार करने के साथ-साथ शिक्षण प्रक्रिया को छात्रों के लिए सरल एवं रुचिकर बनाने हेतु शिक्षण संस्थानों में उन्नत तकनीकों को तीव्रता से प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।
- अजीम प्रेमजी फाउंडेशन तथा डिजिटल स्टडी हॉल जैसे गैर सरकारी संगठनों एवं ILFS (Infrastructure Leasing & Financial Services), एजुकॉम, इंटेल, मीडियालैब जैसे निगमों ने शिक्षण सामग्री के निर्माण, शिक्षकों के प्रशिक्षण एवं कक्षा अधिगम में अग्रणी भूमिका निभाई है।
- अध्यापन के लिए विशेषज्ञ एवं फैकल्टी उपलब्ध कराने, पाठ्यक्रम निर्माण और छात्र तथा शिक्षक आदान-प्रदान कार्यक्रमों को आयोजित करने हेतु विदेशी तथा भारतीय संस्थानों के मध्य समझौता किया जा सकता है।

VISION IAS



गुणवत्ता (Quality)

- **अवसंरचना का अभाव:** स्कूलों में पेयजल, शौचालय आदि जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी, अत्यधिक भीड़ युक्त कक्षाएं तथा कक्षाओं/ स्कूलों का अनुपयुक्त निर्माण (वेंटिलेशन तथा प्रकाश की अपर्याप्त व्यवस्था), छात्रों के लिए खुले स्थानों, हरियाली एवं खेल के मैदानों का अभाव।
- मुख्य रूप से सार्वजनिक संस्थानों में निम्न प्रशिक्षित संकाय, रिक्तियों की अधिक संख्या एवं शिक्षकों की अनुपस्थिति।
- छात्रों पर होमवर्क का अत्यधिक भार।
- स्कूलों में बच्चों को प्रदान किए जाने वाले सुरक्षित परिवेश का अभाव। सुरक्षा संबंधी नियमों के उल्लंघन के कारण दुष्कर्म एवं बच्चों की हत्या आदि घटनाओं में वृद्धि हुई है।
- अपर्याप्त इंटर्नशिप, शिक्षण की गुणवत्ता और तकनीकों जैसे इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स (Internet of Things: IOT), आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंडस्ट्री 4.0, का अपर्याप्त प्रयोग।
- **पाठ्यक्रम के चयन में विविधता का अभाव:** लगभग 180 पाठ्यक्रमों (स्ट्रीम) में से केवल 10 में ही उच्च शिक्षा में नामांकित कुल छात्रों का 83% भाग सम्मिलित है। (All India Survey on Higher Education: AISHE)।
- एनुअल सर्वे ऑफ़ एजुकेशन रिपोर्ट (ASER) के अनुसार उच्च नामांकन के बावजूद भी शिक्षा निष्पादन निम्न है। उदाहरण के लिए, 14-18 आयु वर्ग के लगभग 25% छात्र अपनी भाषा में स्पष्ट रूप से मूल पाठ को पढ़ने में सक्षम नहीं है।

शिक्षा में भाषा एवं संस्कृति (Language and Culture in Education)

- मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा एवं देशज संस्कृति से संबंधित ज्ञान मानव जाति के बेहतर विकास के लिए अत्यधिक लाभप्रद माने जाते हैं।
- हालांकि, इस संदर्भ में भारत की प्रगति अत्यधिक निराशाजनक रही है।
- शिक्षा के लिए अनेक समितियों द्वारा समर्थन करने तथा संविधान द्वारा इसके लिए प्रावधान करने के पश्चात भी, भारत द्वारा इन मुद्दों को क्रियान्वित करने के लिए बहुत कम कार्य किया गया है।
- संबंधित मुद्दे: शिक्षकों का निम्न प्रशिक्षण, पुस्तकों तथा अध्ययन सामग्री जैसे साधनों का अभाव; अपर्याप्त धन आदि।
- इस संबंध में कुछ कदमों को अवश्य सम्मिलित किया जाना चाहिए, जैसे- मातृभाषा, स्थानीय अथवा क्षेत्रीय भाषा में कक्षा पांचवीं तक की शिक्षा का प्रावधान, स्कूली शिक्षा में भारतीय संस्कृति, स्थानीय एवं पारंपरिक ज्ञान को पर्याप्त स्थान दिया जाना चाहिए।

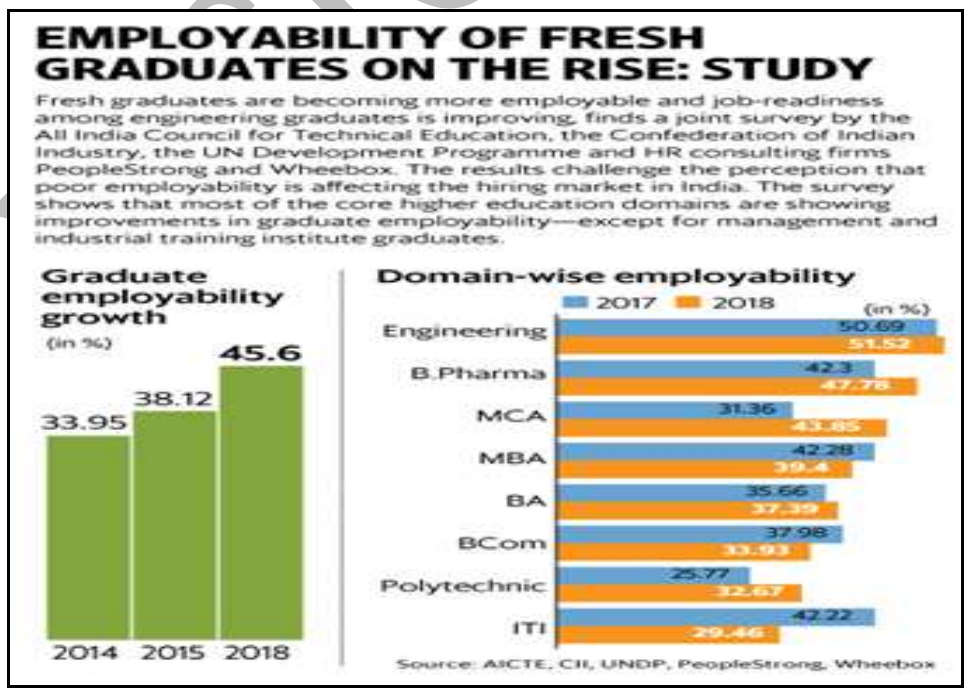
पाठ्यक्रम (Curriculum)

- व्यावहारिक ज्ञान के बजाय तथ्यात्मक सूचनाओं को याद करने पर बल।
- बहु-विषयी शिक्षा की आवश्यकता: वास्तविक जीवन की समस्याओं का समाधान करने एवं जटिल सामाजिक तथा व्यावसायिक चुनौतियों का हल ढूढने के लिए पारंपरिक एकल विषय केंद्रित शिक्षा के स्थान पर संयुक्त बहु-विषयी शिक्षा अपनाने की आवश्यकता है।
- परीक्षा प्रणाली को पुनर्संरचित करना: इसके अंतर्गत प्रत्येक सत्र में एक समान असाइनमेंट एवं परीक्षा की प्रणाली को समाप्त किया जाना चाहिए क्योंकि इससे सूचनाओं तक निर्बाध पहुँच के इस युग में साहित्य चोरी/धोखाधड़ी की संभावना में वृद्धि होती है। साथ ही छात्रों को नैतिकता तथा अकादमिक सत्यनिष्ठा भी पढ़ाने की आवश्यकता है।
- भारत की अकादमिक संस्कृति में सभी स्तरों पर योग्यता आधारित व्यवहार सुनिश्चित करने हेतु महत्वपूर्ण परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता है।

VISION IAS

व्यावसायिक शिक्षा: 'NEET' (नॉट इन एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन ऑर ट्रेनिंग) को टैप करने की आवश्यकता (Vocational Education: A need to tap the 'NEET' (Not in Employment, Education or Training)

- **नॉट इन एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन ऑर ट्रेनिंग अथवा NEET,** 21वीं सदी के प्रथम दशक के प्रारंभिक वर्षों में प्रचलित एक कम ज्ञात युक्ति थी। विद्यालय को बीच में छोड़ने वाले किशोरों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों को उजागर करने हेतु इसका प्रयोग किया गया था। वर्तमान में यह और भी अधिक महत्वपूर्ण बन गया है क्योंकि वर्तमान में, युवा उत्पादकता (विशिष्ट तौर पर वंचित एवं उच्च जोखिम पृष्ठभूमि वाले युवा वयस्कों) पर समग्र रूप से विचार किया जाता है।
- **आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (Organization for Economic Co-operation and Development: OECD) के अनुसार, युवा निष्क्रियता वस्तुतः NEET में शामिल युवाओं (15-29 आयु) की हिस्सेदारी को इसी आयु वर्ग के युवाओं की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में प्रस्तुत करती है।**
- अतः, NEET में उन सभी युवाओं को शामिल किया गया है जो भुगतान रोजगार, औपचारिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्रणाली से बाहर हैं। व्यवस्था में पर्याप्त मात्रा में गुणवत्ता युक्त नौकरियों का सृजन न हो पाने के कारण और इन्हें शिक्षा एवं प्रशिक्षण व्यवस्थाओं में शामिल होने के लिए कम प्रोत्साहन प्राप्त होने या अधिक बाधाएं विद्यमान होने के कारण NEET के रूप में वर्णित किया जाता है।
- **विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO), (2017)** के अनुसार भारत में NEET युवाओं की हिस्सेदारी 32.6% (युवा जनसंख्या का आयु प्रतिशत) है।
- OECD तथा आर्थिक सर्वेक्षण, 2017-18 के अनुसार भारत में 15-29 आयु वर्ग के 30% (30.83) से अधिक युवा NEETs है। जो कि OECD (14.56%) की औसत से दोगुना तथा चीन से लगभग तीन गुना (11.22%) अधिक हैं।



हाल ही में सरकार द्वारा कौशल प्रशिक्षण हेतु उठाए गए कदम (Steps taken recently by the government in Skill training)

- स्किल इंडिया डेवलपमेंट मिशन;
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY);
- दीन दयाल उपाध्याय ग्राम कौशल योजना (DDU-GKY);
- जम्मू एवं कश्मीर के लिए उड़ान (Udaan); और
- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (National Urban Livelihoods Mission: NULM)।

- **व्यावसायिक/कौशल शिक्षा तथा प्रशिक्षण में चुनौतियाँ (Challenges in vocational/skills education and training)**
 - ऑटोमेशन, एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इत्यादि के रोजगार सृजन पर पड़ने वाले प्रभावों की पृष्ठभूमि में व्यापक स्तर पर कृषि छोड़ने वाले ग्रामीण/अर्ध-शहरी श्रमिकों के साथ प्रवास को नियंत्रित करना तथा मांग-आपूर्ति में अंतराल को कम करना।
 - देश में एक कुशल श्रम बल का सृजन करने में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (Industrial Training Institutes: ITIs) की विफलता।
 - देश में कौशल प्रशिक्षण अभी भी विभागीय स्तर पर अव्यवस्थित तथा विखंडित स्थिति में है।
 - उच्च शिक्षा प्रणाली कौशल परिवेश से पूर्णतः पृथक है। कौशल शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान करने में उच्चतर शिक्षा विभाग का योगदान केवल 4% है, जबकि कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) का योगदान 58% है।
 - **2017 में प्रकाशित शारदा प्रसाद समिति की रिपोर्ट** वर्णित करती है कि किस प्रकार निजी प्रशिक्षण भागीदारों ने अल्पावधि पाठ्यक्रमों का दुरूपयोग कर कौशल प्रशिक्षण की उपेक्षा की है।
 - भारत सरकार की **राष्ट्रीय प्रशिक्षु संवर्द्धन योजना (National Apprenticeship Promotion Scheme)** के दायरे को उच्च शिक्षा संस्थानों तक विस्तृत करने की आवश्यकता है, जो कि अभी तक मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन है।
 - भारत को ब्रिटेन जैसे देशों के उदाहरणों से सीखने की आवश्यकता है। ब्रिटेन का व्यावसायिक शिक्षा का मॉडल 'तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण' (Technical & Vocational Education & Training: TVET) कहलाता है। इसके अंतर्गत नीति, वित्त पोषण और कार्यान्वयन के स्तर पर कौशल एवं उच्च शिक्षा को एकीकृत किया गया है। इसमें कौशल की जांच तथा मूल्यांकन करने हेतु नियामक शक्तियां एक गैर-मंत्रालयी विभाग को दी गई हैं।
 - शैक्षणिक संस्थानों तथा कॉर्पोरेट उद्योग के मध्य एक संवादात्मक मंच स्थापित करने की आवश्यकता है ताकि छात्रों की अपेक्षाओं पर भी ध्यान केंद्रित किया जा सके।

शिक्षा में वित्तपोषण (Financing in Education)

- 2016 में गठित **उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी** (Higher Education Financing Agency: HEFA) का उद्देश्य शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में उच्च गुणवत्ता वाली अवसंरचना के निर्माण को बढ़ावा देना है।

VISION IAS

- इसे 2,000 करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी के साथ चिन्हित प्रमोटरों तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) द्वारा संयुक्त रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है।
- यह इक्विटी के माध्यम से 20,000 करोड़ रूपये की राशि जुटाएगा, जिससे IITs/IIMs/NITs तथा इसी प्रकार के अन्य शीर्ष शिक्षण संस्थानों में विश्व स्तरीय प्रयोगशालाओं तथा अवसंरचना के विकास संबंधी परियोजनाओं का वित्तपोषण किया जाएगा।
- इसके अतिरिक्त HEFA अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs) तथा कॉर्पोरेट क्षेत्र द्वारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (CSR) के माध्यम से भी धन जुटाएगा।
- हाल ही में, सरकार ने HEFA को 2022 तक शिक्षा में अवसंरचना और प्रणालियों को सुदृढ़ (Revitalizing Infrastructure and Systems in Education: RISE) करने के लिए 1,00,000 करोड़ रुपये की निधि सृजित करने का कार्य प्रदान करते हुए इसके कार्यक्षेत्र में विस्तार करने और इसके पूंजी आधार को बढाकर 10,000 करोड़ रुपये करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।
- **चिंताएँ (Concerns)**
 - HEFA से धन उधार लेने तथा वापस करने हेतु संस्थानों को राजस्व अधिशेष की स्थिति में होना आवश्यक है, इससे संभावित फीस वृद्धि हो सकती है।
 - कुछ आलोचकों के अनुसार शिक्षा एक सार्वजनिक वस्तु तथा राज्य का मौलिक उत्तरदायित्व है। अतः, HEFA की स्थापना राज्यों की शिक्षा के प्रति उत्तरदायित्व को कम करती है।

सुरक्षा संबंधी मुद्दे एवं चुनौतियाँ (Security Issues & Challenges)

- यद्यपि विद्यालयों को "शिक्षा के मंदिर" के रूप में जाना जाता है, परंतु हाल के दिनों में ये बच्चों के विरुद्ध अपराध के प्रमुख स्थल बन गए हैं।
- 2017 में गुरुग्राम के एक स्कूल के अंदर एक छात्र मृत पाया गया और अगले ही दिन दिल्ली के एक स्कूल में 5 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना घटित हुई।



- **स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा से संबंधित पहलू (Areas of Security of children in schools)**
 - **शारीरिक सुरक्षा (Physical Safety)**
 - स्कूली इमारतों का निर्माण "जीवन की सुरक्षा" को सुनिश्चित करते हेतु किया जाना चाहिए और इन्हें आपदा के प्रति अधिक प्रतिरोधी होना चाहिए।



- स्कूल प्रशासन, कर्मचारियों, शिक्षकों एवं छात्रों को किसी भी प्रकार की आपदा (प्राकृतिक या मानव निर्मित) से निपटने के लिए अधिक जागरूक एवं तैयार रहने की आवश्यकता है।
- स्कूलों को इमारतों की संरचनात्मक सुदृढ़ता तथा सुरक्षा पर समझौता किए बिना कम लागत एवं पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना चाहिए।

- **मनो-सामाजिक सुरक्षा (Psychosocial Safety)**
 - हिंसा से पीड़ित बच्चे डिप्रेशन, असंतोषजनक प्रतिक्रियाएं, असहायता की भावना, भावनात्मक समझ का अभाव एवं आक्रामकता इत्यादि के लक्षणों का प्रदर्शन करते हैं।
 - स्कूल परिसर में असुरक्षित स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने से स्कूल में बच्चे की दैनिक गतिविधियों की रिकॉर्डिंग और उन पर निरंतर निगरानी को सुनिश्चित किया जा सकेगा।
 - सिक्योरिटी कैमरे स्कूल की सुरक्षा जांचों में प्रभावी सिद्ध हो सकते हैं या फिर इस प्रकार की गतिविधियों के प्रति निवारक के रूप में कार्य कर सकते हैं।
 - स्कूल को सदैव सतर्क रहना चाहिए और किसी भी प्रकार के बाल उत्पीड़न संबंधी गतिविधियों (शारीरिक, भावनात्मक या यौन) पर निरंतर निगरानी रखनी चाहिए। कर्मचारियों को बाल-उत्पीड़न के प्रमुख संकेतकों को समझने के लिए प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और उन्हें अनुचित अथवा उत्पीड़क गतिविधि से तुरंत निपटने के लिए तत्पर रहना चाहिए।
 - स्कूलों की नीति-निर्माण की प्रक्रिया में जोखिम प्रबंधन के PPRR (**P**revention, **P**reparedness, **R**esponse, and **R**ecovery) (निवारण, तत्परता, प्रतिक्रिया और रिकवरी) मॉडल का अनुपालन करना चाहिए। बाल सुरक्षा से संबंधित मुद्दों में यह मॉडल स्कूल प्रशासन को सतर्क रहने में सहायता करेगा।
- **स्कूल परिवहन व्यवस्था एवं सुरक्षा (School transportation and safety)**
 - 2014 में, CBSE ने सभी स्कूल बसों में GPS प्रणाली को लगाना अनिवार्य कर दिया था ताकि बच्चों को स्कूल से लाते-ले जाते समय सुरक्षित परिवहन को सुनिश्चित किया जा सके।
 - हालांकि, समय की मांग है कि रीयल-टाइम में बच्चों तथा फ्लीट मैनेजमेंट की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूल प्रशासन को एक सुगम प्रणाली प्रदान की जाए तथा अभिभावकों को उनके बच्चों की अवस्थिति से संबंधित निरंतर सूचना भी प्रदान की जाए।
 - GPS लगाने से ड्राइवर के प्रदर्शन पर निगरानी रखी जा सकती है, जबकि लाइव व्हीकल ट्रैकिंग ऐप अभिभावकों को अपने बच्चे की सुरक्षा हेतु आश्वस्त करेगा।
- **कर्मचारियों की पृष्ठभूमि का सत्यापन (Background verification of staff)**
 - शिक्षकों, प्रशासकों एवं अन्य स्कूल कर्मचारियों की भर्ती करते समय छात्र सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नियुक्ति से पूर्व उनकी पृष्ठभूमि की जांच करने के अनेक आवश्यक कारण विद्यमान होते हैं।
 - सत्यापन में निवास स्थान, पिछले रोजगार तथा पिछले कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड के साथ-साथ वर्तमान में चल रहे आपराधिक मामलों को भी शामिल किया जाना चाहिए।
 - इससे स्कूल परिसर के अंतर्गत छात्रों के संपर्क में आने वाले लोगों की जांच करने में स्कूल को सहायता मिलेगी, जिनमें शिक्षक, प्रशासक, खेल-कोच, सफाई कर्मचारी और स्वयंसेवक शामिल हैं।
- **आगंतुक प्रबंधन प्रणाली (Visitor Management System)**
 - आगंतुकों हेतु जेनेरिक टैग और छात्रों के लिए हैंडरिटन लेट स्लिप एवं अनुमति पर्ची वास्तविक तौर पर जानकारी को दर्ज करने तथा विश्लेषण के उद्देश्य को प्राप्त करने में सक्षम नहीं है।

VISION IAS



- विज़िटर साइन-इन इनफॉर्मेशन एवं फोटो आईडी बैज के साथ ही एक डिजिटल विज़िटर प्रबंधन प्रणाली से स्कूलों में सुरक्षा के स्तर में वृद्धि होगी।
- स्कूलों में बॉयोमीट्रिक सुरक्षा प्रणाली स्वचालित रूप से छात्र के स्वाइप टाइम के आधार पर उसकी उपस्थिति के रिकॉर्ड को ट्रैक कर सकेगी।
- RFID (रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिटीफिकेशन) कार्ड से लेकर फिंगरप्रिंट एवं चेहरे की पहचान करने वाले उपलब्ध उपकरण, स्कूल परिसर में किसी भी प्रकार के अनधिकृत प्रवेश को रोकने में सहायता कर सकते हैं।

बच्चों की सुरक्षा के लिए उठाए जा सकने वाले अन्य कदम (Other Steps that can be taken for security of children)

- यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि स्कूल के प्रत्येक भाग को विशेष रूप से **भोजन अवकाश और खेल-कूद के दौरान शिक्षक द्वारा पर्यवेक्षण** किया जाए। कॉरिडोर, भोजन अवकाश तथा खेल के मैदान की ड्यूटी को शिक्षण ड्यूटी से पृथक किया जाना चाहिए।
- **बडी सिस्टम (Buddy System)** का विकास किया जाना चाहिए, जिसमें बच्चों को एक युग्म अथवा तीन के समूह में संगठित किया जाए। इसमें वे अपने दोस्तों की हर समय की स्थिति को जानने और प्राथमिकता के तौर पर सदैव उनके संपर्क में रहने हेतु उत्तरदायी होंगे। इससे डराने-धमकाने संबंधी घटनाओं को कम किया जा सकेगा या कम से कम इस प्रकार के मामलों की त्वरित रिपोर्टिंग में सहायता मिलेगी।
- **जागरूकता:** बच्चों को शिक्षित करना चाहिए और उन्हें अपने शारीरिक अधिकारों, **बाल-अनुकूल तथा आयु-अनुकूल तरीके से यौन शिक्षा** के संबंध में जागरूक करना चाहिए।
- **सुरक्षा समुदाय में माता-पिता को शामिल किया जाना चाहिए**, ताकि वे भी बच्चों को सुरक्षित रखने से संबंधित अपने सुझाव एवं विचारों को साझा कर सकें।
- स्कूल में मुक्त संचार के वातावरण का निर्माण करना चाहिए। जिसमें बच्चे मुक्त रूप से शिक्षकों, मुख्य शिक्षकों तथा एक-दूसरे के समक्ष अपनी बातों को रखने के अतिरिक्त अपने भय और आशाओं को भी साझा कर सकें।

शिक्षा का निजीकरण (Privatisation of Education)

- **आवश्यकता (Need)**
 - हाल ही में, प्रकाशित टाइम्स हायर एजुकेशन (Times Higher Education: THE) इमर्जिंग इकोनॉमीज यूनिवर्सिटी रैंकिंग- 2018 के आधार पर देखा जा सकता है कि भारत में उच्च शिक्षा की स्थिति निराशाजनक बनी हुई है।
 - **भारत में शिक्षा संबंधित मुद्दे:** वित्त पोषण की कमी, शिक्षकों की निम्न गुणवत्ता, अधिगम के निम्न परिणाम और ब्रेन ड्रेन की समस्या।
 - अमर्त्य सेन के अनुसार, " भारत अशिक्षित और अस्वस्थ श्रम बल के साथ एक औद्योगिक शक्ति बनने का प्रयास करने वाला प्रथम देश है"।
- **लाभ (Benefits)**
 - उच्च स्तर के शोध और नवाचार के साथ अवसंरचना, फैकल्टी, वैश्विक अवसर और वैश्विक शैक्षणिक संस्थानों के साथ व्यापक संपर्क तक बेहतर पहुंच।

VISION IAS

- यह विभिन्न संस्थानों के मध्य फैकल्टी के आदान-प्रदान के लिए मंच के रूप में कार्य करेगा जिससे शिक्षकों को बेहतर प्रशिक्षण एवं बेहतर अवसर प्राप्त होंगे।
- इससे शिक्षा क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा का विस्तार होगा जिसके कारण छात्रों की गुणवत्ता बेहतर होगी।



- **मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण के अनुसार**, 2014-15 में निजी संस्थानों में नामांकित 22 मिलियन छात्रों (65%) के साथ उच्च शिक्षण संस्थानों में कुल 34.2 मिलियन छात्रों का नामांकन किया गया था। जिनमें से लगभग 53% कॉलेज छात्रों ने पर्याप्त सार्वजनिक उच्च शिक्षण संस्थान नहीं होने के कारण निजी संस्थानों में नामांकन कराया था।
- 1950 में, भारत में विश्वविद्यालयों की संख्या केवल 20 थी जो जून 2017 तक, 819 हो गयी है। इनमें 47 केंद्रीय, 367 राज्य, 123 डीम्ड और 282 निजी विश्वविद्यालय शामिल हैं।

- **उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण के अनुसार**, 1,26,451 छात्रों ने Ph.D. में नामांकन कराया है। यह संख्या कुल नामांकित छात्रों की संख्या के 0.4% से भी कम है।
- **अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार सूचकांक (International Property Rights Index: IPRI) रिपोर्ट, 2017 के अनुसार,** शोध प्रकाशनों के संदर्भ में, भारत विश्व में पांचवें स्थान पर है, किन्तु इसके पेटेंट प्रोफाइल के क्षेत्र में व्यापक प्रोत्साहन की आवश्यकता है क्योंकि बौद्धिक संपदा अधिकारों (Intellectual Property Rights: IPR) के संकेतकों के संदर्भ में भारत 45वें स्थान पर है।

चुनौतियां (Challenges)

- **अत्यधिक असमानता:** क्योंकि यह भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली में पहले से ही प्रचलित वर्गीय विभाजन को और अधिक गहरा कर देगा।
- शिक्षा के निजीकरण ने मुख्य रूप से **कोचिंग क्लासेज की समांतर प्रणाली** को लाभान्वित किया है। मध्य और यहां तक कि निम्न वर्ग के लोग कोचिंग क्लासेज में नामांकन के लिए धन व्यय कर रहे हैं।
- कोचिंग संस्थानों के औद्योगिक कारखानों के रूप में परिवर्तित होने का **उत्कृष्ट उदाहरण राजस्थान का कोटा जिला है।** आराम और विश्राम के बिना छात्रों पर अपने प्रदर्शन के लिए अत्यधिक दबाव होता है। इन कोचिंग कारखानों में ट्यूशन लेने वाले **24 छात्रों द्वारा 2017 में आत्महत्या की गयी, जो इन कोचिंग संस्थानों के कठोर कार्यक्रम का सामना करने में असमर्थ थे। गत वर्ष आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लगभग 450 किशोरों ने अकादमिक प्रदर्शन के दबाव के कारण आत्महत्या का मार्ग अपनाया।**
- निजीकरण शिक्षा की वस्तुनिष्ठता को बढ़ावा देती है क्योंकि शिक्षा से संबंधित अधिकांश निजी व्यवसायी इसे व्यवसाय के रूप में देखते हैं। इसके प्रमुख उदाहरण अत्यधिक कैपिटेशन फीस, निम्न जवाबदेही, फर्जी डिग्री, फ्लाई-बाय-नाइट ऑपरेटर इत्यादि मुद्दे हैं।
- निजीकरण को सार्वजनिक संस्थानों की भ्रष्ट और अकुशल कार्य पद्धति के लिए एक विकल्प के रूप में नहीं अपनाया जाना चाहिए।
- शिक्षा के अंधाधुंध निजीकरण ने कमजोर एवं सुविधाहीन वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अवसरों से वंचित कर दिया है।

VISION IAS

UPSC - 2002, भारत में उच्च शिक्षा का निजीकरण।



शारीरिक शिक्षा (Physical Education)

- **2010 से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड** द्वारा निर्मित एक नीति के तहत स्कूलों द्वारा शारीरिक शिक्षा हेतु कक्षा 1 से कक्षा 10 तक के बच्चों को प्रतिदिन स्कूल अवधि के दौरान कम से कम 40 से 45 मिनट की शारीरिक गतिविधियों और कक्षा 10 से कक्षा 12 के लिए कम से कम 90-120 मिनट प्रति सप्ताह शारीरिक गतिविधियां/प्रशिक्षण/योग की शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है।
- **एक्टिव हेल्दी किड्स ग्लोबल अलायन्स द्वारा जारी India's 2016 रिपोर्ट कार्ड ऑन फिजिकल एक्टिविटी फॉर चिल्ड्रेन एंड यूथ'** के अनुसार, अधिकांश भारतीय बच्चे शारीरिक गतिविधि के अनुशंसित स्तर तक नहीं पहुंच पाए हैं और अपनी अधिकांश दैनिक अवधि निष्क्रिय गतिविधियों/कार्यों में व्यतीत करते हैं।
- **हाल ही में हुए एक सरकारी शोध** के अनुसार बच्चे 7.2 घंटे (बिना शारीरिक गतिविधि के) अध्ययन करते हैं, वही इसकी तुलना में प्रतिदिन मात्र 39 मिनट खेल संबंधी गतिविधियों में व्यतीत करते हैं।
- **मुद्दे और चुनौतियाँ (Issues & Challenges)**
 - बजट का अनुचित आबंटन और उपयोग: युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत खेल के लिए दिया जाने वाला बजटीय आबंटन ओलंपिक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले देशों के आबंटन की तुलना में काफी कम है।
 - प्रशिक्षित कोच की कमी: भारत में कोच प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है, जिसके कारण यहां प्रशिक्षित कोचों की कमी है।
 - सुविधाओं, उपकरणों और शिक्षण सामग्री, बड़े आकर के खेल कक्ष आदि हेतु अपर्याप्त प्रावधान।
 - खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु स्कूलों के साथ-साथ माता-पिता द्वारा निवेश का अभाव।
- **समाधान (Solutions)**
 - बच्चों और युवाओं की शारीरिक गतिविधियों के लिए राष्ट्रीय रणनीति का विकास।
 - राष्ट्रीय, राज्य, स्थानीय क्षेत्राधिकार और स्कूल एवं सामुदायिक स्तर पर निवेश।
 - सांस्कृतिक और भौगोलिक दृष्टिकोण से उचित हस्तक्षेप वाली नीतियाँ।
 - नगरीय नियोजन नीति के माध्यम से सक्रिय जीवन पद्धति हेतु सुविधाएं प्रदान करना।
 - परिवार और शिक्षकों द्वारा शारीरिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाना।
 - 2016 में प्रारंभ **खेलो इंडिया** कार्यक्रम युवाओं के मध्य खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक सकारात्मक पहल है।

शारीरिक शिक्षा का महत्व (Importance of Physical Education)

- खेल बच्चों की शिक्षा का एक बड़ा हिस्सा है। यह नेतृत्व, सामूहिकता, टीम भावना, आज्ञाकारिता, अनुशासन, इच्छाशक्ति और सहनशीलता के गुणों के निर्माण में सहायता करता है।
- यह उनके शारीरिक और मानसिक विकास में वृद्धि करके उनके अकादमिक प्रदर्शन में सुधार करता है।
- यह टीम के साथी तथा प्रतिद्वंदी का सम्मान करना और आचरण के नियमों को सिखाता है।

VISION IAS

उद्यमिता, नवाचार और अनुसंधान (Entrepreneurship, Innovation and Research)



- वर्तमान में भारत में शोध प्रणाली निम्नस्तरीय मानक एवं गुणवत्ता आदि समस्यायों से ग्रस्त है, साथ ही छात्रवृति के तौर पर दी जाने वाली अल्प राशि के कारण करियर के तौर पर शोध कार्य करने में छात्रों की रुचि भी कम है।
- मौद्रिक लाभ हेतु **"प्रेडटॉरी जर्नल्स"** (predatory journals) की एक सीमा से अधिक चोरी (plagiarism) जाली दस्तावेजों का निर्माण और फेक पीर रिव्यू के मुद्दे। शोधकर्ता पेटेंट दर्ज कराने की बजाय केवल शोध परिणामों को प्रकाशित करने और वित्तीय लाभों को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
- अधिकांश छात्र बेहतर सुविधाओं, प्रयोगशालाओं, अनुसंधान के लिए अनुकूल परिवेश, सुलभ शीर्ष संकाय, प्रयोगशाला या संस्थान तक सुगम पहुँच और भारतीय रोजगार बाजार में विदेश से प्राप्त डिग्री को वरीयता दिए जाने की उच्च अवधारणा के कारण अनुसंधान हेतु विदेश जाने को अधिक वरीयता देते हैं।
- **इस संबंध में उठाए जा सकने वाले कदम (Steps that can be take in this regard) -**
 - पेटेंट फाइलिंग और नवाचारों के व्यवसायीकरण के लिए औद्योगिक क्षेत्र के साथ सम्बद्धता के लाभ के संदर्भ में शोधार्थियों और संकायों को जागरूक करने की आवश्यकता है।
 - **वैसे मुद्दे जिनका समाधान किया जा सकता है** - पेटेंट की फाइलिंग और रखरखाव हेतु सरकार की ओर से वित्तीय सहायता की कमी, भारत में पेटेंट फाइलिंग में लगने वाला अत्यधिक समय और पेटेंट फाइलिंग के लिए प्रोत्साहन या मान्यता का अभाव।
 - **उन्नत डिग्री हेतु शीर्ष गुणवत्तायुक्त कार्यक्रम की कमी** - राष्ट्रीय संस्थानों में प्रमुख विषयों से संबंधित उच्च गुणवत्तायुक्त क्षमता के निर्माण की आवश्यकता है।
- **सरकार द्वारा उठाए गए कदम:**
 - **प्रधानमंत्री रिसर्च फेलो (Prime Minister's Research Fellows: PMRF) योजना** के तहत 70,000 रुपये मासिक छात्रवृति तथा शिक्षा में बुनियादी ढांचे एवं प्रणालियों का पुनरुद्धार (Revitalising Infrastructure and Systems in Education: RISE) योजना की घोषणा 2018-2019 के केन्द्रीय बजट में की गई। इसके द्वारा 2022 तक आगामी चार वर्षों में 1,00,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जायेगा। यह शोध को बढ़ावा देने हेतु एक सकारात्मक पहल है।
 - **अटल नवाचार मिशन (Atal Innovation Mission)-** इस मिशन का उद्देश्य अटल टिंकरिंग लैब्स और अटल इन्क्यूबेटर्स की स्थापना के माध्यम से स्कूलों, विश्वविद्यालयों, लघु और मध्यम उद्योगों, कॉर्पोरेट, गैर सरकारी संगठनों (NGO's) और अनुसंधान संस्थानों में नवाचारी परिवेश को प्रोत्साहित करना है।

उच्च शिक्षा में विनियमन (Regulation in Higher Education)

- **वर्तमान में भारत की उच्च शिक्षा UGC, MCI, AICTE आदि जैसी विभिन्न एजेंसियों द्वारा विनियमित होती है।**
- **मुद्दे और चुनौतियां (Issues and Challenges)**
 - **विश्व रैंकिंग में निम्न स्थान:** वर्तमान में, भारत का उच्च शैक्षणिक संस्थानों की वैश्विक रैंकिंग में निराशाजनक प्रदर्शन रहा है।

VISION IAS



- **पुरातन कानून (Archaic law):** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 में अधिनियमित किया गया था। हालांकि, यह वर्तमान परिदृश्य में विनियमन के लिए अनुपयुक्त है और बढ़ती जटिलता एवं उच्च शैक्षणिक संस्थानों की संख्या में वृद्धि के अनुरूप विनियमन व्यवस्था में भी परिवर्तन की आवश्यकता है।
- **अपर्याप्त वित्तीय संसाधन और भ्रष्टाचार,भाई-भतीजावाद, पक्षपात की समस्याएं:** भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपर्याप्त वित्तीय संसाधन और भाई-भतीजावाद, भ्रष्टाचार तथा पक्षपात की समस्याएं विद्यमान हैं।
- **प्रमाणन:** भारतीय प्रमाणन व्यवस्था को राजनीतिकरण, हितों के संघर्ष, भ्रष्टाचार और अवैज्ञानिक पद्धति द्वारा चिह्नित किया गया है।
- **अन्य चुनौतियां :** अन्य चुनौतियों में डीम्ड विश्वविद्यालय, फ़र्जी (फेक) विश्वविद्यालय, जाली डिग्री, UGC का राजनीतिकरण (चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम इत्यादि) शामिल हैं।

- **हाल ही में सरकार द्वारा की गई नई पहल (Recent initiatives by government):**
 - हाल ही में, सरकार ने UGC को समाप्त करके उसके स्थान पर भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (Higher Education Commission of India: HECI) की स्थापना के लिए एक मसौदा तैयार किया है।
 - सरकार द्वारा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक (National Medical Commission Bil) प्रस्तावित किया गया है जिसका उद्देश्य भारत में चिकित्सा शिक्षा की जाँच करना और मेडिकल काउंसिल ऑफ़ इंडिया (Medical Council of India) को प्रतिस्थापित करना है।

आगे की राह (Way forward)

- राष्ट्रीय उच्च शिक्षा फैलोशिप कार्यक्रम (national higher education fellowship programme) के प्रबंधन हेतु एक स्वतंत्र तंत्र स्थापित करना।
- उच्च गुणवत्ता वाले सांख्यिकीय विशेषज्ञों से युक्त केंद्रीय डेटा संग्रह, संकलन और समेकन एजेंसी के रूप में केन्द्रीय शैक्षिक सांख्यिकी एजेंसी (Central Educational Statistics Agency: CESA) को स्थापित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही पूर्वानुमानित विश्लेषण, जन संसाधन संबंधी योजना और भविष्य में शिक्षा प्रणाली को सही दिशा में ले जाने के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली का उपयोग किया जाना चाहिए।
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित प्रमाणन प्रणालियों का अध्ययन करने हेतु एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाना चाहिए।

मूल्य आधारित शिक्षा (Value Based Education)

- शिक्षा के विषय में प्राचीन काल से ही यह प्रसिद्ध है कि **"सा विद्या या विमुक्तये",** जिसका अर्थ है कि 'विद्या वह है जो मुक्ति प्रदान करे'। यह छोटा संस्कृत वाक्यांश अनिवार्य रूप से मूल्य आधारित शिक्षा का विचार और सार है जो प्रत्येक दृष्टिकोण से प्रासंगिक है।
- सरल शब्दों में मूल्य-आधारित शिक्षा वह है जो किसी बच्चे के सम्पूर्ण विकास के माध्यम से उनके व्यक्तित्व के निर्माण हेतु कुछ आवश्यक नैतिक, सदाचार, सांस्कृतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक मूल्य प्रदान करती है।

VISION IAS



मूल्य आधारित शिक्षा का महत्व - क्यों ? (Importance of Value-based Education -*WHY?)*

- **एकल और कामकाजी माता-पिता के परिवार की आवश्यकता**- ऐसे परिवारों में अधिकांश सदस्य काम में व्यस्त होने के कारण अपने बच्चों के साथ केवल कुछ ही घंटे व्यतीत कर पाते हैं।
- **समाज में अत्यधिक हिंसा और बेईमानी की उपस्थिति**- छात्र प्रति दिन मीडिया और वास्तविक दुनिया में हिंसा, बेईमानी और अन्य सामाजिक समस्याओं को देखते हैं ।वे इन अपराधों जैसे- यौन हिंसा, स्कूल में गोली चलाना, धौंस दिखाना (bullying) और गुटों के बीच होने वाले झगड़े आदि को देखने और उनका अनुकरण करने का प्रयास करते हैं। स्कूलों में नैतिक मूल्यों की शिक्षा दिए जाने की स्थिति में ऐसी घटनाएं कम घटित होंगी।
- **समाज पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों का सामना करना -** दुर्भाग्यवश, युवाओं को प्रेरित करने वाले उनके आदर्श (role model) अनैतिक उदहारण प्रस्तुत कर रहे हैं। ये सफलता प्राप्त करने के लिए अनैतिक मार्गों यथा यौन संकीर्णता, महिलाओं का अपमान, हिंसा, बेईमानी का मार्ग अपनाने हेतु तैयार हैं।

मूल्य-आधारित शिक्षा छात्रों को क्या सीख देगी? (What Value-Based Education can instill in students?)

- **समाज में भविष्य की भूमिकाओं हेतु बच्चों को तैयार करना:** शिक्षा का प्राथमिक लक्ष्य छात्रों को ज्ञान और नैतिक मूल्य प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। बच्चों को एक बेहतर माता-पिता और नागरिक के रूप में स्वयं को तैयार करने के लिए उपर्युक्त दोनों की आवश्यकता है।
- **यह चरित्र का निर्माण करता है और किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है:** इसके अंतर्गत शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, शिष्टाचार एवं सामाजिक व्यवहार, नागरिक अधिकार एवं कर्तव्य आदि सम्मिलित हैं।
- नैतिक मूल्य **सही और गलत के मध्य विभेद** करने में सक्षम बनाते हैं जिससे व्यक्ति अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं।
- बच्चे **स्वयं के प्रति एक सुरक्षित समझ का विकास** करेंगे। इससे वे अपने अध्ययन की ज़िम्मेदारी लेने हेतु अधिक सक्षम हो जाते हैं।

स्कूल पाठ्यक्रम में कुछ महत्वपूर्ण नैतिक मूल्य (Some Important Moral Values in School Curriculum)

1.स्वामी विवेकानंद: *"यदि हम अपने छात्रों को नैतिक इंसान बनाना चाहते हैं, तो विद्यालयी पाठ्यक्रम इस उद्देश्य को पूरा करने के सर्वोत्तम माध्यमों में से एक है*।" उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण नैतिक मूल्यों का सुझाव दिया जो विद्यालयी पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने चाहिए।

- **शर्त रहित प्रेम और दयालुता:** विश्व में अत्यधिक प्रेम के भाव से दयालुता की भावना में वृद्धि होगी और यह क्रूरता का स्थान ले लेगी।
- **ईमानदारी और कठिन परिश्रम:** स्कूलों में किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं करना, एवं सदैव सत्य बोलना।
- **दूसरों के प्रति सम्मान** अर्थात विभिन्न धर्म, जाति, लिंग, मत, जीवन शैली आदि का सम्मान करना।
- **सहयोग:** उनका आदर्श-वाक्य था- "संगठित होकर हम खड़े रह सकते हैं, विभाजित होकर हम बिखर जायेंगे"।

VISION IAS



- **करुणा:** यदि विश्व में करुणा के भाव का प्रसार होगा तो बेघर, भूख, युद्ध, और दुःख संबंधी समस्याओं में कमी होगी।
- **क्षमा:** अधिकांश मामलों में क्षमा करने के प्रति अनिच्छा ही क्रोध का कारण होती है। यदि छात्र इस नैतिक गुण को सीख लेंगे तब स्कूलों में कम हिंसा और झगड़ा होगा।

2.महात्मा गांधी: *"शिक्षा का अर्थ बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास करना है।"* उन्होंने दक्षिण-अफ्रीका में फीनिक्स आश्रम और टॉल्स्टॉय बाड़ी (उद्यान) में शैक्षणिक प्रयोग किए। इनमें शामिल हैं:

- चरित्र निर्माण के लिए शिक्षा।
- आत्मा की शिक्षा के लिए पुस्तकों की अपेक्षा शिक्षक (model) के जीवन से शिक्षा लेनी चाहिए।
- स्वास्थ्य और शारीरिक फिटनेस के लिए शारीरिक शिक्षा तथा सादा जीवन जीने पर बल।
- स्वयं सहायता और आत्मनिर्भरता का महत्व, सम्पूर्णता के लिए शिक्षा (शक्ति)
- सभी धर्मों की समानता के लिए शिक्षा और सत्य, अहिंसा और न्याय पर आधारित शिक्षा।
- उनके द्वारा (1937 में) ***"वर्धा शिक्षा योजना (जिसे नई तालीम भी कहा जाता है)*** प्रस्तुत की गई: सभी लड़कों और लड़कियों के लिए सात से चौदह वर्ष की आयु तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा; शिल्प या उत्पादक कार्यों के माध्यम से शिक्षा; मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा; नागरिकता के आदर्श संबंधी शिक्षा।

3.रवींद्रनाथ टैगोर: *"उच्चतम शिक्षा वो है जो हमें मात्र जानकारी ही नहीं देती बल्कि हमारे जीवन को समस्त अस्तित्व के साथ सद्भाव में लाती है"।*

- टैगोर के शैक्षिक दर्शन में चार मौलिक सिद्धांत हैं; प्रकृतिवाद , मानवतावाद, अंतर्राष्ट्रीयतावाद और आदर्शवाद। ये निम्नलिखित के माध्यम से परस्पर संबद्ध हैं -
 - टैगोर की शिक्षा ने पूर्व और पश्चिम के विचारों के एक नवीन सम्मिश्रण को चिह्नित किया।
 - उन्होंने कहा है कि प्रकृति छात्र के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है।
 - उन्होंने छात्रों के लिए पुस्तक आधारित शिक्षा को अस्वीकृत कर दिया।
- इन उद्देश्यों के साथ उन्होंने शांति निकेतन, श्री निकेतन और ब्रह्मचारी आश्रम की स्थापना की।
- **उन्होंने ललित कला (नृत्य, नाटक, संगीत, कविता, चित्रकारी इत्यादि) को महत्व दिया है।** उनके अनुसार ये मानव जीवन के ये उत्कृष्ट आयाम आत्मा को समृद्ध करने के लिए अनिवार्य हैं।
- **वह शिक्षा के माध्यम से गरीबी उन्मूलन कर** (विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से) ग्रामीण पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में सहायता करना चाहते थे।

4. जे कृष्णमूर्ति - *"जीवन को समझना स्वयं को समझना है और यह शिक्षा का प्रारंभ और अंत दोनों है"।*

- **शिक्षा का उद्देश्य** सभी छात्रों को अपनी **विशिष्ट व्यक्तिगत प्रतिभा को खोजने और इसे यथासंभव पूर्ण रूप से विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना है।**
- उन्होंने जन शिक्षा की वर्तमान प्रणाली की निंदा करते हुए **व्यक्तिगत शिक्षक-छात्र संबंधों की वकालत की।**
- **स्कूल को सीखने का मंदिर होना चाहिए न कि ज्ञान का कारखाना।** उन्होंने तुलना और प्रतिस्पर्द्धा की अनुपस्थिति की वकालत की है।
- उनका मानना था कि आज के बच्चों (जो भविष्य के पिता बनेंगे) को केवल सूचना और ज्ञान प्रदान करने के बजाय उनका सर्वांगीण विकास, शिक्षकों का प्रथम उत्तरदायित्व होना चाहिए।

VISION IAS

- उनका मानना था कि आधुनिक विश्व में **शिक्षा का प्रसार सूचनाओं के आधार पर न होकर ज्ञान आधारित स्मरण शक्ति और कौशल पर हो।** इस प्रक्रिया में शिक्षक के द्वारा पढ़ाने के माध्यम से सूचना दी जाती है जिसमें थोड़ा ही सही मानवीय संबंध भी है। अगर किसी के पास प्रतिभा नहीं है, तो वह उस परिवेश में दास (slave) जैसा जीवन जीने के लिए अभिशप्त है।



विगत वर्षों में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा पूछे गए निबंध के टॉपिक

(UPSC Essay Previous Year Topics)

- मूल्य आधारित विज्ञान और शिक्षा। (1999)
- आधुनिक तकनीकी शिक्षा और मानवीय मूल्य (2002)
- वास्तविक शिक्षा क्या है? (2005)
- मूल्यों से वंचित शिक्षा, जैसी अभी उपयोगी है,व्यक्ति को अधिक चतुर शैतान बनाने जैसी लगती है। (2015)

क्रेडिट-आधारित उच्च शिक्षा प्रणाली - स्थिति, अवसर और चुनौतियां - UPSC 2011 (Credit – based higher education system :CBES – status, opportunities and challenges – UPSC 2011)

- ग्रेडिंग की एक लचीली प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए जिसमें छात्रों को अन्य पाठ्यक्रमों से विषयों का चयन करने की सुविधा प्राप्त हो।

CBES के सकारात्मक पक्ष (Positives of CBES)

- विषयों का चयन करने के लिए अत्यधिक लचीलापन।
- छात्रों की रुचि के अनुसार व्यापक विकल्प।
- संज्ञानात्मक, भावनात्मक, आध्यात्मिक, अभिनव, सामाजिक, नैतिक, पर्यावरणीय अभिवृत्ति(aptitude) का विकास।
- 'रेनबो' इंटेलिजेंस की अवधारणा को क्रियान्वित करना।
- स्नातकों के प्रशिक्षण की आवश्यकता को कम करना।
- संस्थानों के मध्य एक स्वस्थ सहयोग और प्रतिस्पर्द्धा को प्रोत्साहित करना।
- उच्चतर शिक्षा के लिए भारतीय छात्रों के विदेशों में पलायन को सीमित करना।
- बेहतर अधिगम परिणामों को प्राप्त करने में सहायक होना।
- भारतीय विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में सुधार को प्रोत्साहित करना।
- छात्रों को विभिन्न विश्वविद्यालयों में विषयों के चयन का विकल्प प्रदान करते हुए एक अंतर-विश्वविद्यालय मॉडल स्थापित करना।

- **चुनौतियां**
 - उच्च शिक्षा में संकाय और अवसंरचना की व्यापक कमी, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और IITs में संकाय सदस्यों के लगभग 40% पद रिक्त हैं।
 - विश्वविद्यालयों में अधिदेश, भूमिका, रूपरेखा इत्यादि में एकरूपता का अभाव।
 - मुख्य रूप से व्यावसायिक आवश्यकताओं पर बल और अनुसंधान एवं नवाचार संबंधी आवश्यकताओं की उपेक्षा।

VISION IAS

मूल्यांकन व्यवस्था- मुद्दे एवं पहलें (Evalution Systems- Issues & Initiatives)



- **छात्र (Students)**
 - 'छात्रों का मूल्यांकन' शिक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक विवादास्पद विषयों में से एक रहा है।
 - हालाँकि मूल्यांकन के लिए मात्रात्मक मानकों जैसे-सकल नामांकन अनुपात (Gross enrolment ratio: GER), विद्यालयी शिक्षा के औसत वर्ष, ड्रॉपआउट रेट (स्कूल छोड़ने की दर) आदि पर सर्वसम्मति बनी है किन्तु मूल्यांकन हेतु गुणात्मक मापदंड सम्बन्धी विवाद अभी भी जारी हैं।
 - गैर-सरकारी संगठन **'प्रथम'** द्वारा प्रकाशित **'एनुअल स्टेटस ऑफ़ एजुकेशन रिपोर्ट'** (Annual Status of Education Report: ASER) अधिगम परिणामों (learning outcomes) के मापन के लिए प्रमुख पहलों में से एक है। इसमें कुछ निम्नलिखित मापदंडों का प्रयोग किया गया है:
 - अक्षर की पहचान के माध्यम से बुनियादी पठन कौशल, शब्द कूटानुवाद (decoding) तथा परिच्छेद पठन।
 - मौलिक गणितीय योग्यताएं जैसे-संख्यात्मक अभिज्ञान, घटाना तथा भाग करना।
 - इसके अतिरिक्त सतत और व्यापक मूल्यांकन (Comprehensive and Continuous evaluation: CCE) हेतु प्रावधान होने के बावजूद रटकर सीखने पर ही मुख्य बल दिया जा रहा है।
- **सरकारी पहलें (Government Initiatives)**
 - हाल ही में, सरकार द्वारा विद्यालयों में वार्षिक अधिगम परिणामों के मापन की एक प्रणाली की स्थापना हेतु प्रस्ताव लाया गया है।
 - नीति आयोग भी विद्यालयी छात्रों के मध्य अधिगम परिणामों में सुधार हेतु विद्यालय शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक (School Education Quality Index: SEQI) पर कार्यशालाओं का संचालन कर रहा है।
 - **राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (National Testing Agency: NTA)**
 - हाल ही में, सरकार ने यह घोषणा की है कि 2019 से JEE Main और NEET परीक्षाएं NTA द्वारा वर्ष में दो बार आयोजित की जाएंगी।
 - इनके अतिरिक्त NTA द्वारा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (NET), कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट (CMAT) तथा ग्रेजुएट फार्मेसी ऐप्टिट्यूड टेस्ट (GPAT) जैसी परीक्षाओं का भी संचालन किया जाएगा।

आगे की राह (Way Forward)

- अधिगम परिणामों के लिए विकसित मानदंड निजी एवं सरकारी दोनों तरह के विद्यालयों में समान रूप से लागू होने चाहिए।

VISION IAS



- राज्यों को शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा निर्धारित मानदंडों के अंतर्गत स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अवसंरचना के लिए परिकल्पना और योजना का निर्माण करना चाहिए।
- रटकर सीखने और केवल तथ्यों को याद करने के स्थान पर समझ एवं ज्ञान पर बल देते हुए परीक्षा प्रणाली में सुधार अत्यावश्यक है।

- **शिक्षक (Teachers)**
 - वर्तमान में शिक्षक के प्रदर्शन के मूल्यांकन हेतु एकसमान प्रक्रिया का अभाव है।
 - मूल्यांकन की एकसमान प्रक्रिया हेतु कुछ निम्नलिखित संभावित कदम उठाए जा सकते हैं।
 - समय-समय पर शिक्षक के प्रदर्शन के मूल्यांकन हेतु पारदर्शी और योग्यता आधारित मानदंड सूत्रबद्ध किए जाने चाहिए।
 - टीचर्स एजुकेशन के विभिन्न पहलुओं के उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने और ऐसे मानदंडों को विकसित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक टीचर एजुकेशन यूनिवर्सिटी की स्थापना अवश्य की जानी चाहिए।
- **संस्थान (Institutions)**
 - **रैंकिंग्स (Rankings)**
 - यद्यपि **टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स, QS रैंकिंग्स** इत्यादि जैसी वैश्विक रैंकिंग्स ने वैश्विक स्तर पर उच्च शैक्षणिक संस्थानों की तुलना करने हेतु एक स्थायी पद्धति विकसित की है, परन्तु वे स्थानीय परिस्थतियों को तुलनात्मक अध्ययन में शामिल करने में विफल रही हैं।
 - भारत में मीडिया जैसे **इंडिया टुडे, डेटाक्वेस्ट** सहित अनेक निजी संगठनों द्वारा, राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षणिक संस्थाओं की रैंकिंग जारी करने का प्रयास किया गया है।
 - हाल ही में, वर्ष 2015 में सरकार ने पांच विस्तृत सामान्य मापदंडों जैसे - शिक्षण, अधिगम और संसाधन, अनुसंधान एवं क्रियान्वित संस्थाओं की रैंकिंग हेतु **संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क** प्रारंभ किया है।
 - **प्रत्यायन (Accreditation)**
 - **राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (National Assessment and Accreditation Council:** NAAC) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के अंतर्गत एक नोडल एजेंसी है जो प्रत्यायन हेतु उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) के अंतर्गत राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (National Board of Accreditation: NBA) तकनीकी संस्थाओं के आवधिक मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी है।

मुद्दे और चुनौतियाँ (Issues and Challenges)

- प्रत्यायन से संबंधित पिछले अधिशेष मामलों (backlog) की अत्यधिक संख्या।
- सभी इकाइयों के लिए उनकी विशिष्ट विशेषताओं को ध्यान में रखे बिना मूल्यांकन हेतु समान मानक लागू किए गए हैं, जो मूल्यांकन को वृहद रूप से अप्रासंगिक बना देते हैं।
- बाह्य अभिकर्ताओं के लिए मूल्यांकन और प्रत्यायन क्षेत्र में भागीदारी के अवसरों का अभाव है।

VISION IAS

आगे की राह (Way Forward)



- एक विस्तृत क्षेत्राधिकार युक्त प्रबंधन बोर्ड के रूप में 'राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड' (NBA) की स्थापना की जानी चाहिए जो निम्नलिखित कार्य करेगा:-
 - सम्पूर्ण प्रक्रिया का मूल्यांकन,
 - मानकों का निर्धारण तथा दिशा-निर्देशों को परिभाषित करना,
 - पर्याप्त संख्या में निजी एजेंसियों को लाइसेंस प्रदान करना (लाभ हेतु नहीं)।
- शैक्षणिक संस्थाओं की ग्रेडिंग उनकी विशेषताओं के अनुरूप करने हेतु एक वैज्ञानिक कार्य पद्धति को विकसित करने की आवश्यकता है।

शिक्षा से संबंधित प्रावधान NBA (Provision Related To Education

- **सतत विकास लक्ष्य 4:** सभी के लिए समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना तथा आजीवन अधिगम को प्रोत्साहित करना।
- **राज्य के नीति के निदेशक तत्व (DPSPs) : अनुच्छेद 41** (कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार), **अनुच्छेद 45** (6 वर्ष से कम आयु के बालकों हेतु प्रारम्भिक शैशवावस्था देखरेख तथा शिक्षा का प्रावधान) एवं **अनुच्छेद 46** (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि)।
- **मौलिक अधिकार: अनुच्छेद 21A** यह प्रावधान करता है कि राज्य 6-14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा राज्य विधि के अधीन निर्धारित रीति से प्रदान करेगा।
- **मौलिक कर्तव्य: अनुछेद 51A(k) प्रत्येक नागरिक यदि वह माता-पिता या संरक्षक है तो वह 6 - 14 वर्ष के बीच की आयु के अपने बच्चे या प्रतिपाल्य को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेगा।**

शिक्षा के अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 के मुख्य बिंदु

- 6-14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य और नि:शुल्क शिक्षा एक मौलिक अधिकार है।
- न्यूनतम मानक निर्धारित किए गए हैं।
- शिक्षकों की संख्या एवं योग्यता।
- कोई भेदभाव और उत्पीड़न नहीं।
- विद्यालय प्रबंधन समितियां - लोगों द्वारा, बच्चों के लिए।
- किसी प्रमाणपत्र (जैसे कि जन्म प्रमाणपत्र) के अभाव में बच्चे के नामांकन से इंकार नहीं।

RTE नवाचार

वैश्विक स्तर पर विधिमान्य अवधारणाएं - आयु के अनुसार उपयुक्त कक्षा में प्रवेश (Admission to Age Appropriate Class : AAAC)- आयु के अनुसार उपयुक्त कक्षा में सभी के लिए प्रवेश:

- सतत और व्यापक मूल्यांकन (Continuous and Comprehensive Evaluation: CCE), तथा
- अनुत्तीर्ण न करने की नीति (No Detention Policy: NDP)।

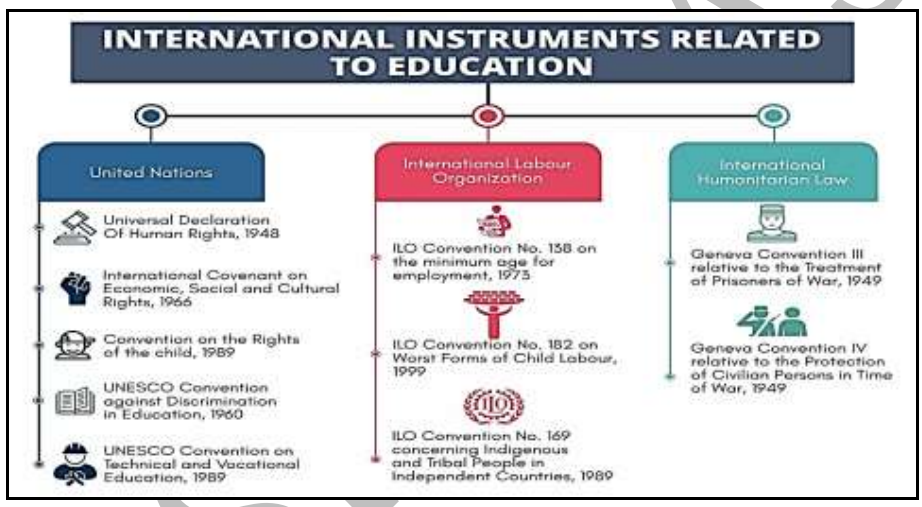
RTE अधिनियम में बाधाएं एवं कमियां

- निजी विद्यालयों (सहायता प्राप्त या गैर-सहायता प्राप्त) में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) हेतु 25% सीटों का आरक्षण।
 - अनुत्तीर्ण न करने की नीति बनाम पुरानी उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण प्रणाली।

VISION IAS

शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण (International Examples In The Field Of Education)

- **ऑस्ट्रेलिया-ग्रामीण क्षेत्रों में पोस्टिंग लेने वाले शिक्षकों को सरकार द्वारा प्रोत्साहन, 20 वर्षों से अधिक स्कूली शिक्षा की प्रत्याशा।**
- **जापान- अकादमिक शिक्षा पर अत्यधिक ध्यान जिसका आरम्भ 6 वर्ष की आयु से होता है (निम्न प्राथमिक स्तर पर ड्रॉपआउट की दर 0.2%)।**
- **फ़िनलैंड-** पांच घंटे के विद्यालयी दिवस के प्रत्येक घंटे में 15 मिनट का अनिवार्य विराम, चतुर्थ श्रेणी तक कोई ग्रेडिंग नहीं।
- **नीदरलैंड-** विद्यार्थियों के लिए सभी विषयों में अध्ययन को प्रोत्साहन देने के लिए डच के अतिरिक्त अन्य भाषाओं में शिक्षण, निर्धन और नृजातीय अल्पसंख्यक विद्यार्थी हेतु अतिरिक्त वित्तपोषण, वंचित विद्यार्थियों के अधिकतम अनुपात वाले प्राथमिक विद्यालयों में लगभग 58 प्रतिशत अधिक शिक्षक और सहायक कर्मचारी की नियुक्ति।



ऑनलाइन शिक्षा - लाभ एवं हानियाँ (Online Education- Advantages & Disadvantages)

- **लाभ (Advantages)**
 - **सस्ता माध्यम:** कोई भी व्यक्ति इंटरनेट से जुड़े किसी भी डिवाइस का उपयोग करके ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसके लिए बहुत अधिक धन व्यय करने जैसे कि-भवनों को किराए पर लेने, अत्यधिक बिजली बिल का भुगतान करने, इन्टरनेट इत्यदि की आवश्यकता नहीं होती है।
 - **समय की बचत:** शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को कक्षा में आने-जाने में समय व्यर्थ करने की आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही, शिक्षक/प्रशिक्षक को विद्यार्थियों के विभिन्न समूह को एक समान विषय बार-बार पढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती।
 - **अपनी सुविधानुसार (self-paced) अध्ययन की अनुमति:** विद्यार्थी या प्रशिक्षु अपने डिवाइसेज का प्रयोग करते हुए किसी भी समय कहीं भी अपने कोर्सेज को पूरा कर सकते हैं। वे विद्यार्थी जिनके पास नियमित कक्षाओं के लिए समय नहीं होता, अपनी सुविधानुसार ऑनलाइन अध्ययन कर सकते हैं।



- **आधुनिक:** आज अधिकांश लोग किसी अन्य साधन की बजाए इन्टरनेट का प्रयोग करते हुए अध्ययन सामग्री प्राप्त करना पसंद करते हैं।
- **आत्मानुशासन सुनिश्चित करता है:** यद्यपि प्राप्त अनुभव दर्शाते हैं कि ऑनलाइन अध्ययन करने वाले विद्यार्थी अधिक आत्मानुशासित बन गए हैं।

- **हानियाँ (Disadvantages)**
 - **साहित्यिक चोरी:** विद्यार्थी निबन्धों और अन्य असाइन्मेंन्टस की चोरी कर सकते हैं।
 - **नकल करना:** ऑनलाइन परीक्षा में नकल करना सरल हो सकता है।
 - **अलगाव:** चूँकि अध्ययन हेतु कक्षा में शारीरिक रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए अन्य विद्यार्थियों के सम्पर्क में रहना अत्यंत कठिन (या असम्भव) हो सकता है।

विगत वर्षों में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा पूछे गए निबंध के टॉपिक (UPSC Essay Previous Year Topics)

- भारत में "सभी के लिए शिक्षा" अभियान: मिथक या वास्तविकता। (2006)
- साक्षरता तेजी से बढ़ रही है, परन्तु शिक्षा में कोई अनुरूप वृद्धि नहीं हुई है। (1996)
- भारतीय शिक्षा प्रणाली का पुनर्गठन। (1995)
- कक्षा की अप्रासंगिकता। (2001)
- राष्ट्र के भाग्य का स्वरूप -निर्माण उसकी कक्षाओं में होता है। (2017)



- **योजना - उत्कृष्टता के संस्थान (Institutions of Eminence: IoE)**
 - भारत में उच्च शिक्षा की निरंतर निराशाजनक स्थिति विभिन्न वैश्विक सूचकांकों में भारत के प्रदर्शन के आधार पर प्रतिबिम्बित होती है। इसीलिए, गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की बढ़ती मांग, उभरते मध्यम वर्ग तथा जनांकिकीय लाभांश हेतु उत्कृष्टता के संस्थान (IoE) योजना प्रारम्भ की गई है। इस योजना का उद्देश्य 20 विश्व स्तरीय शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करना है।

- हालाँकि सकारात्मक उद्देश्य के बावजूद IoE में निम्नलिखित विभिन्न मुद्दें एवं चुनौतियां विद्यमान हैं:-
 - ऐसे संस्थानों के विनियमन के विषय में स्पष्ट और निश्चित रूप से परिभाषित नहीं किया गया है।
 - ऐसे संस्थानों को सुचारू रूप से चलाने हेतु योग्य शिक्षकों की आवश्यकता होगी जो भारतीय उच्च शिक्षा क्षेत्र में एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है।
 - ऐसे संस्थानों से शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् प्रतिभा पलायन (brain drain) जैसे मुद्दे से भी निपटने की आवश्यकता है।



निष्कर्ष (Conclusion

- वृद्ध होते विश्व में भारत सर्वाधिक युवा जनसंख्या वाले देशों में से एक है। वर्ष 2020 तक भारत में औसत आयु, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के 37, पश्चिमी यूरोप के 45 तथा जापान के 49 वर्ष के औसत की तुलना में, केवल 28 वर्ष होगी।
- समग्र दृष्टिकोण के साथ शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति के बौद्धिक, भावनात्मक, सामाजिक, भौतिक, कलात्मक, रचनात्मक तथा आध्यात्मिक क्षमताओं के विकास से संबंधित है।
- जनांकिकीय लाभांश का फायदा उठाने के लिए भारत को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पाठ्यचर्या और शैक्षणिक प्रक्रिया में सुधार, सार्वजनिक-निजी भागीदारी के उपयोग द्वारा आपूर्ति में सुधार, एक सक्षम लेखांकन एवं उत्तरदायित्व तंत्र के विकास तथा प्रचलित संस्थागत प्रणाली में विद्यमान कमियों के समाधान के माध्यम से अपनी विपुल मानवीय पूँजी में निवेश करने की आवश्यकता है। इससे भारतीय नागरिकों की वास्तविक क्षमताओं का दोहन करने में सहायता मिलेगी तथा आर्थिक एवं सामाजिक समृद्धि की भी प्राप्ति होगी।
- चाणक्य नीति का एक श्लोक -

"माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये वको यथा"

(अर्थात जो माता-पिता अपने बच्चों को शिक्षित नहीं करते वे अपनी संतान के लिए सबसे बड़े शत्रु के समान होते हैं। शिक्षित व्यक्तियों में एक अशिक्षित व्यक्ति की स्थिति हंसों के बीच एक बगुले के समान होती है।)

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.



VISIONIAS

www.visionias.in

निबंध : कृषि

VISION IAS

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

विषय सूची

परिचय (Introduction) 3

परिभाषा (Definition) 3

कृषि के प्रकार (Types of Agriculture) 3

भारत में कृषि- एक क्रमविकास (Agriculture in India- A Timeline) 4

कृषि का महत्व (Importance of Agriculture) 6

भारत में कृषि की स्थिति (Status of Agriculture in India) 8

कृषि श्रम और मशीनीकरण (Agriculture Labor & Mechanization) 12

फसल-कटाई के पश्चात् होने वाली क्षति (Post-harvest losses) 13

किसानों के लिए लाभकारी मूल्य (Remunerative prices for farmers) 13

सरकारी पहलें (Government Initiatives) 14

सुधार-अपरंपरागत एजेंडा (Reforms-The Un conventional Agenda) 16

निष्कर्ष (Conclusion) 16

VISION IAS



कृषि से संबंधित उद्धरण (Quotes on Agriculture)

- "कृषि मानव का सबसे स्वस्थ्यपूर्ण, सबसे उपयोगी और सबसे उत्कृष्ट रोजगार है।" - जॉर्ज वाशिंगटन
- "सब कुछ इंतजार कर सकता है, लेकिन कृषि नहीं।" - जवाहरलाल नेहरू
- " कृषि की खोज सभ्य जीवन की ओर मानव का प्रथम कदम था।" - आर्थर कीथ
- "कृषि सभ्यता है।" - ई. एम्मोंस
- "कृषि सभ्यता और किसी भी स्थिर अर्थव्यवस्था की नींव है।" - एलन सवोरी
- "कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है।" - एम. के. गांधी
- "जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान!" - अटल बिहारी वाजपेयी
- "यदि कृषि विफल हो जाती है, तब सब कुछ विफल हो जाएगा।"- एम. एस. स्वामीनाथन
- "हमारे किसान हमारे राष्ट्र का गर्व है।" - नरेंद्र मोदी
- हमें कृषि में एक "सदाबहार क्रांति" की आवश्यकता है। - ए. पी. जे. अब्दुल कलाम

परिचय (Introduction)

भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरु द्वारा उद्धृत किया गया कि "सब कुछ इंतजार कर सकता है लेकिन कृषि नहीं"। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि भारतीय सभ्यता में कृषक और कृषि गतिविधियों को पवित्र दर्जा दिया गया था। हिंदू धर्म में **देवी अन्नपूर्णा** आहार और पोषण की देवी हैं। वर्तमान समय में, भारत ने कृषि के क्षेत्र में अनेक उपलब्धियां अर्जित की हैं जैसे- उदाहरणार्थ यह दुग्ध का सबसे बड़ा उत्पादक; चावल, गेहूं, फल और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक तथा पोल्ट्री का पांचवां सबसे बड़ा उत्पादक देश है।। हालांकि कुपोषण, किसानों की दरिद्रता, किसान आत्महत्या, फसल कटाई के पश्चात होने वाली क्षति, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियां इत्यादि समस्याओं से ग्रसित है। अतः, भारत में कृषि क्षेत्र द्वारा विभिन्न उपलब्धियों को अर्जित करने के बावजूद भी इसे विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

परिभाषा (Definition)

कृषि को प्राथमिक आर्थिक गतिविधि के रूप में परिभाषित किया जाता है। दूसरे शब्दों में, यह खेती का विज्ञान अथवा पद्धति है, इसके अंतर्गत फसल उत्पादन के लिए मृदा की जुताई तथा भोजन, उन एवं अन्य उत्पादों की प्राप्ति हेतु पशुपालन को शामिल किया जाता है।

हालांकि, मानव जीवन और मानव समाज के लिए कृषि के उपयोग सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, पारिस्थितिक, सुरक्षा, सामरिक इत्यादि दृष्टि से अत्यधिक व्यापक हैं।इसलिए, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि कृषि (एग्रीकल्चर) संभवतः एकमात्र आर्थिक गतिविधि है जिसमें 'कल्चर' (संवर्द्धन) प्रत्यय के रूप में प्रयोग किया जाता है जो इसके विविध और बहु-आयामी प्रभावों की पुष्टि करता है।

कृषि के प्रकार (Types of Agriculture)

कृषि एक समरूप गतिविधि नहीं है बल्कि इसके विभिन्न प्रकार भौतिक और मानवीय कारकों पर निर्भर हैं। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:

- **निर्वाह कृषि (Subsistence agriculture)**
 - यह प्राचीन तकनीकों द्वारा भारवाहक पशुओं और परिवार के सदस्यों की सहायता से छोटी और बिखरी हुयी जोतों में की जाने वाली कृषि है। यह विश्व के अधिकांश किसानों द्वारा की जाती है।



- **चलवासी पशुचारण (Nomadic Herding)**
 - यह प्राकृतिक चारागाहों में पशुपालन-आधारित कृषि है। यह कृषि अर्द्ध -शुष्क और शुष्क क्षेत्रों के निवासियों द्वारा की जाती है। उत्तरी अफ्रीका, अरब प्रायद्वीप के कुछ भाग और उत्तरी यूरेशिया के कुछ भाग इस प्रकार की कृषि के विशिष्ट क्षेत्र हैं। यह एक प्रकार की जीवन-निर्वाह की गतिविधि है।
- **रोपण कृषि (Plantation agriculture)**
 - भारत में इसका प्रारंभ अंग्रेजों द्वारा किया गया था। इसमें फसल को विक्रय के उद्देश्य से उगाया और उसका प्रसंस्करण किया जाता है। उदाहरणों में चाय, रबर, कॉफी, कोको आदि के बागान शामिल हैं। यह कृषि मुख्य रूप से असम, उप-हिमालयी, पश्चिम बंगाल, नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम पहाड़ियों में की जाती है।
- **स्थानान्तरी कृषि (Shifting agriculture)**
 - इसमें वृक्षों की कटाई एवं दहन के माध्यम से वन भूमि को साफ करके फसल उत्पादन किया जाता है। मृदा की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाने के 2-3 वर्ष पश्चात भूमि को छोड़ दिया जाता है। यह कृषि लगभग 250 मिलियन लोगों द्वारा (विशेषरूप से दक्षिण अमेरिका, मध्य और पश्चिम अफ्रीका तथा दक्षिण-पूर्व एशिया के उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में) की जाती है।
- **पशुपालन कृषि (Livestock Ranching)**
 - कृषि की इस प्रणाली के तहत पशुपालन पर प्रमुख बल दिया जाता है। इस प्रकार की कृषि में किसान चलवासी पशुचारण के विपरीत एक व्यवस्थित जीवन व्यतीत करते हैं। इस प्रकार की कृषि विश्व के उन क्षेत्रों में वाणिज्यिक आधार के रूप में विकसित हुई है जहां भूमि के वृहद भूखंड पशु चराई के लिए उपलब्ध हैं जैसे- उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के निम्न वर्षा वाले क्षेत्र।
- **वाणिज्यिक अनाज कृषि (Commercial Grain Farming)**
 - इस प्रकार की खेती कृषि मशीनीकरण की प्रतिक्रिया है और यह मुख्यतः कम वर्षा एवं जनसंख्या वाले क्षेत्रों में प्रचलित है। इसके अंतर्गत बोई जाने वाली फसलें मौसम और सूखे की अनियमितताओं से ग्रसित हैं। यहां सामान्यतः गेहूं की एकल कृषि की जाती है। दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के प्रेयरी, स्टेपी और समशीतोष्ण घास के मैदान इस प्रकार की कृषि के मुख्य क्षेत्र हैं।

भारत में कृषि- एक क्रमविकास (Agriculture in India- A Timeline)

- **आरंभिक इतिहास**
 - 9000 ईसा-पूर्व से गेहूं, जौ, बेर को भारतीय उपमहाद्वीप में स्थानिक रूप से उगाया जाने लगा था। इसके पश्चात भेड़ और बकरी को पालतू पशु बनाया गया।
 - सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान, कपास उद्योग बेहतर रूप से विकसित था। सिंधु घाटी सभ्यता में चावल की खेती भी की जाती थी।
 - मिश्रित कृषि व्यवस्था ने सिंधु घाटी अर्थव्यवस्था को आधार प्रदान किया। इसके अतिरिक्त, 4500 ईसा पूर्व के आसपास सिंचाई प्रणाली विकसित हुई थी।
- **वैदिक काल - महाजनपद काल के पश्चात (1500 ईसा पूर्व- 200 ईसा)**
 - उत्तर वैदिक ग्रंथों (1000-500 ईसा पूर्व) में लोहे का अनेक बार उल्लेख किया गया है। **अनाज, सब्जियों और फलों की विस्तृत श्रेणी** में कृषि की जाती थी। मांस और दुग्ध उत्पाद आहार के भाग थे क्योंकि पशुपालन महत्वपूर्ण था। **मृदा की अनेक बार जुताई की जाती थी।** बीज प्रसारित किए जाते थे। परती भूमि और फसल का एक निश्चित अनुक्रम अनुशंसित किया गया था। गाय के गोबर का खाद के रूप में प्रयोग किया जाता था। **सिंचाई प्रणाली भी प्रचलित थी।**

VISION IAS



- **मौर्य साम्राज्य (322-185 ईसा पूर्व)**
 - **मृदा को वर्गीकृत किया गया** और कृषि उपयोग के लिए मौसम संबंधी अवलोकन तैयार किए गए थे।
 - इसके अतिरिक्त, प्रशासन ने **बांधों के निर्माण और रखरखाव** तथा अश्व-चालित रथों की सुविधा प्रदान की थी।
- **प्रारंभिक सामान्य युग- उच्च मध्य युग (200-1200 ईस्वी)**
 - तमिल लोगों ने **चावल, गन्ना, बाजरा, काली मिर्च, विभिन्न अनाज, नारियल, सेम, कपास** आदि जैसी फसलों की विस्तृत श्रेणी की कृषि की।
 - सतत कृषि के लिए **व्यवस्थित जुताई, खाद, खरपतवार, सिंचाई और फसल संरक्षण** संबंधी कार्य किए जाते थे।
 - मसालों के व्यापार में तेजी आई क्योंकि **भारत ने भूमध्यसागरीय क्षेत्रों में मसालों का समुद्री मार्ग से व्यापार करना प्रारंभ कर दिया था।**
- **उत्तर मध्य युग- प्रारंभिक आधुनिक युग (1200-1757 ईस्वी)**
 - चावल, गेहूं अथवा बाजरा उत्पादन में **कृषि 'क्षेत्रों' के विभाजन** के साथ सिंचाई प्रौद्योगिकियों में प्रगति हुई थी।
 - तंबाकू की खेती (पुर्तगालियों द्वारा आरंभ) का तेज़ी से विस्तार हुआ। **मालाबार तट मसालों (विशेषकर काली मिर्च) के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र बन गए।**
 - **फल की नई प्रजातियां, जैसे अनानास, पपीता, और काजू भी** पुर्तगालियों द्वारा लायी गईं।
 - भूमि प्रबंधन की व्यवस्था विशेष रूप से **अकबर के शासनकाल के दौरान** सुदृढ़ थी जिसके अंतर्गत **टोडरमल** ने **कृषि प्रबंधन** के लिए विस्तृत पद्धतियों का निर्माण और कार्यान्वयन किया।
- **औपनिवेशिक युग (1757-1947 ईस्वी)**
 - इस समयावधि को भारत में कृषि के पतन काल के रूप में चिह्नित किया गया। भू-राजस्व प्रणाली के नए तरीकों ने वृहद पैमाने पर कृषि संकट और निर्धनता की समस्याओं को उत्पन्न किया।
 - इसके अतिरिक्त, सुनियोजित विऔद्योगीकरण ने भूमि पर वृहद दबाव को उत्पन्न किया जिससे निर्धनता में और भी अधिक वृद्धि हुई।
 - खाद्य फसलों की अपेक्षा वाणिज्यिक फसलों पर बल दिए जाने से अकालों की बारंबारता तथा कृषि के लिए जोखिम में वृद्धि हुई।
 - युद्ध काल के दौरान कृषि की स्थिति अत्यंत दयनीय थी क्योंकि जनसंख्या वृद्धि उच्च थी किन्तु खाद्य उत्पादन लगभग स्थिर था। यह संकट बंगाल में सर्वाधिक तीव्र था जिसके कारण बंगाल को 1943 के भीषण अकाल का सामना करना पड़ा।
- **भारतीय गणराज्य (1947 ईस्वी के पश्चात)**
 - स्वतंत्रता के पश्चात, भारत को खाद्य कमी, शरणार्थी संकट और पाकिस्तान के साथ युद्ध का सामना करना पड़ा। इसलिए, खाद्य कमी से निपटना महत्वपूर्ण प्राथमिकता बन गई और यह प्रथम पंचवर्षीय योजना का आधार बना।
 - क्रमशः, कृषि विकास के लिए सुसंगत और संतुलित दृष्टिकोण अपनाया गया।
 - "भूमि सुधारों के एजेंडा" ने कृषि विकास की रणनीति का नेतृत्व किया तत्पश्चात बांधों के विकास को "आधुनिक भारत के मंदिर" के रूप में चिन्हित किया गया।

VISION IAS



- ग्रो मोर फूड कैंपेन (1940) और इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन प्रोग्राम (1950) को क्रमशः खाद्य एवं नकदी फसलों की आपूर्ति पर केंद्रित किया गया। इसके अतिरिक्त भूमि सुधार, भूमि विकास, मशीनीकरण, विद्युतीकरण, विशेष रूप से रसायनों-उर्वरकों का उपयोग तथा सरकारी पर्यवेक्षण के अंतर्गत शीघ्र ही एकल पहलू को बढ़ावा देने के बजाय कार्यों की एक व्यवस्था अपनाने के लिए कृषि उन्मुख 'पैकेज एप्रोच' का विकास किया गया।
- 1960 से उत्पादन क्रांतियों की एक श्रृंखला का प्रारंभ-: हरित क्रांति; पीली क्रांति (तिलहन उत्पादन से संबंधित - 1986-1909), ऑपरेशन फ्लड (डेयरी - 1970-1996), और नीली क्रांति (मत्स्य पालन- 1973-2002) इत्यादि।
- संस्थागत समर्थन - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद; डेयरी विकास बोर्ड; राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD)
- 1991 के पश्चात - पूर्व में किए गए सुधारों तथा कृषि प्रसंस्करण एवं जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवाचारों के फलस्वरूप कृषि क्षेत्र में वृद्धि।
- वर्तमान में- खाद्य सुरक्षा के साथ ही वैश्विक निर्यात का केंद्र; कृषि में ई-कॉमर्स के साथ अनुबंध कृषि, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दे रही है; जैविक कृषि में निर्यात के लिए अपार संभावनाएं मौजूद हैं।
- चुनौतियां - सार्वजनिक व्यय में कमी, लघु जोत, कृषि-वस्तुओं की वैश्विक आधिक्य से प्रतिस्पर्द्धा, अपर्याप्त शासन क्षमता, भारत के किसानों के लिए निरंतर समस्याएं उत्पन्न करते हैं।

कृषि का महत्व (Importance of Agriculture)

- **राजनीतिक**
 - यह **सबसे बड़े वोट बैंक** को सृजित करता है क्योंकि भारत का 50% से अधिक श्रमबल कृषि और इससे संबद्ध गतिविधियों में संलग्न हैं।
 - कृषिगत प्राथमिकताएँ और **अन्य संबंधित मुद्दें प्रत्येक पार्टी के घोषणापत्र का प्रमुख हिस्सा बन गए हैं**। 2014 में बीजेपी ने एक मूल्य स्थिरीकरण निधि स्थापित करने एवं **एकल 'राष्ट्रीय कृषि बाजार'** विकसित करने तथा लोगों की आहार संबंधी आदतों से संबद्ध क्षेत्र विशिष्ट फसलों और सब्जियों को बढ़ावा देने का प्रस्ताव रखा। कांग्रेस पार्टी ने सिंचाई, कृषि मूल्य श्रृंखला, शीत भंडारण और गोदामों आदि में निवेश बढ़ाकर कृषि उत्पादकता और किसानों की आय में वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करने का वादा किया।
 - विशेष रूप से **प्याज** से संबंधित **खाद्य मुद्रास्फीति 2004 के लोकसभा चुनावों** में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गई।
 - किसान और किसान आंदोलन भारतीय समाज की एक सतत विशेषता रही है। कुछ सबसे प्रमुख **आन्दोलनों में चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा किसान संघर्ष, गुजरात में बारदोली आंदोलन, मालाबार में मोपला विद्रोह,** तेलंगाना में किसान विद्रोह आदि शामिल हैं।
 - प्रायः यह कहा जाता है कि जो भी दल कृषि क्षेत्र की उपेक्षा करता है वह चुनाव हारने के लिए बाध्य हो जाता है।
- **सामाजिक**
 - कृषि, ग्रामीण जीवन के आधार का निर्माण करती है; यह सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के प्रत्येक पहलू में प्रवेश कर चुकी है। कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ने के कारण **कृषि अधिशेष** में वृद्धि के परिणामस्वरूप विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में **सामाजिक कल्याण में सुधार** होता है।

VISION IAS



- कृषि संस्कृति के प्रत्येक पहलू (विश्वास/आस्था, भोजन, त्योहार, पोशाक इत्यादि) को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए **मकर संक्रांति, बैसाखी, ओणम, पोंगल** आदि फसल कटाई से संबंधित त्योहारों के उदाहरण हैं।
- भारतीय संस्कृति में पीपल जैसे विभिन्न वृक्ष और गाय जैसे पशु पूजनीय हैं।
- कृषि की स्थिति **महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और स्थिति पर** एक वृहद प्रभाव उत्पन्न करती है। इसे कुपोषण से निपटने के लिए सबसे बेहतर साधन माना जाता है।

- **आर्थिक**
 - कृषि रोजगार-गहन क्षेत्रों में से एक है। वास्तव में, उच्च स्तर की प्रच्छन्न बेरोजगारी भारतीय कृषि क्षेत्र की एक प्रमुख विशेषता है।
 - यह अन्य विनिर्माण (कच्चे माल के रूप में) और सेवा क्षेत्रों (सेवाओं का समर्थन करने के लिए) के लिए आधार का निर्माण करता है। औद्योगिक उत्पादन जैसे- कपास, जूट, गन्ना, तंबाकू इत्यादि में उपयोग किये जाने वाले अनेक प्रकार के कच्चे माल और आगतों (इनपुट) की कृषि क्षेत्र द्वारा आपूर्ति की जाती है। इस प्रकार के उत्पादन संबंध यह दर्शाते हैं कि **कृषि उत्पादन में 10% की वृद्धि के** परिणामस्वरूप औद्योगिक उत्पादन में 5% की वृद्धि होती है।
 - कृषि आधारित स्टार्ट-अप में कृषि क्षेत्र, **उद्यमिता** के लिए एक केंद्र बन रहा है उदाहरण के लिए, **कमल किसान** जो विशिष्ट रूप से निर्मित (customized) कम लागत वाले कृषि उपकरण विकसित कर रहा है; **निन्जाकार्ट** जो एक तकनीकी आधारित आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली है।

- **सुरक्षा और सामरिक**
 - खाद्य **राष्ट्र के लिए सुरक्षा** का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।
 - **विश्व युद्धों के दौरान,** खाद्य ले जाने वाले जहाजों/पनडुब्बियों पर हमला करना, युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए एक **शक्तिशाली उपकरण** बन गया था।
 - **खाद्य पदार्थों की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि** अरब स्प्रिंग के दौरान मध्य-पूर्व में अनेक शासन व्यवस्थाओं के अंत का कारण बनी।
 - विगत कुछ समय से, अनेक देश कृषि के लिए **विदेशों में भूमि का क्रय कर रहे हैं।** उदाहरण के लिए 80 से अधिक भारतीय कंपनियों ने **पूर्वी अफ्रीका, इथियोपिया, केन्या, मेडागास्कर, सेनेगल और मोजाम्बिक** जैसे देशों में बड़े बागानों के क्रय के लिए £1.5 बिलियन (लगभग 11,300 करोड़ रुपये) का निवेश किया है जिसका उपयोग घरेलू बाजार में खाद्यानों की आपूर्ति के लिए फसल उत्पादन में किया जाएगा।

- **पारिस्थितिक**
 - ऊर्जा क्षेत्र के पश्चात वानिकी और अन्य भूमि उपयोग सहित कृषि क्षेत्र ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में **दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता है।**
 - कृषि क्षेत्र की भावी गहनता में वृद्धि की संभावनाओं से विश्व के **गैर-कृषि स्थलीय और जलीय पारिस्थितिक तंत्र** पर वृहद हानिकारक प्रभाव होंगे।

VISION IAS

- विगत 35 वर्षों के दौरान कृषि खाद्य उत्पादन में दोगुनी वृद्धि का संबंध नाइट्रोजन उर्वरक में 6.87 गुना वृद्धि, फॉस्फोरस उर्वरक में 3.48 गुना वृद्धि, सिंचित फसल भूमि की मात्रा में 1.68 गुना वृद्धि से था।
- कृषि गैर-कृषि पारिस्थितिक तंत्र की क्षमता को प्रभावित करती है जो मानवता के लिए महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करता है।



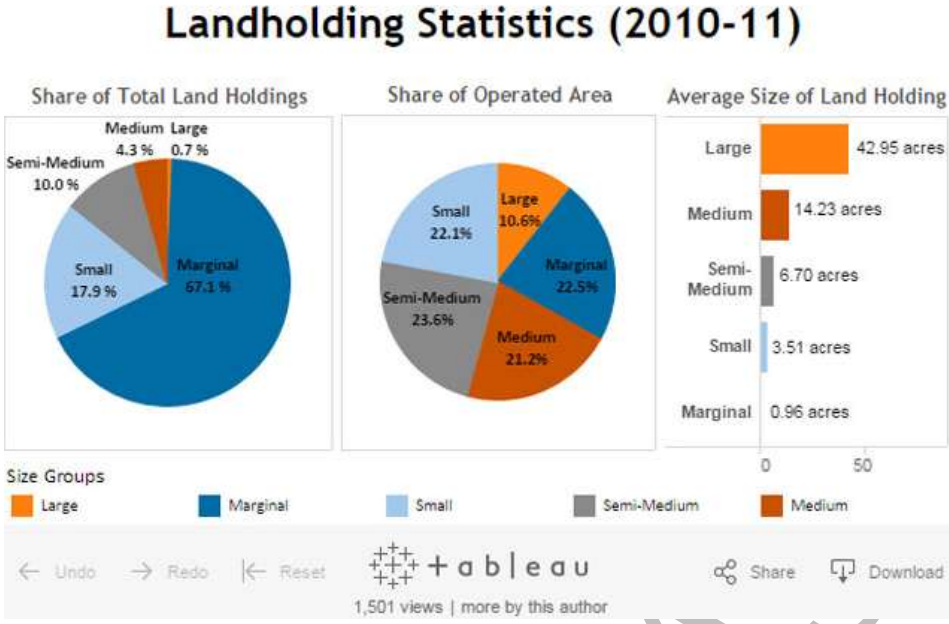
भारत में कृषि की स्थिति (Status of Agriculture in India)

- भारत में कृषि एक अत्यंत विरोधाभासी स्थिति का प्रतिनिधित्व करती है - उम्मीद की स्थिति बनाम संकट की स्थिति:
 - **खाद्य सुरक्षा बनाम पोषण -** ग्लोबल हंगर इंडेक्स, 2017 में भारत 119 देशों में से 100वें स्थान पर था; भारत ने विश्व की तीव्र गति से बढती अर्थव्यवस्था के अपने टैग को बनाए रखा है; किसानों द्वारा निरंतर सरकार की उदासीनता के विरोध में सब्जियां, फल, दूध फेंक दिए जाते हैं; किसान आत्महत्या।
 - कृषि निर्यात में वृद्धि बनाम कृषि क्षेत्र, किसानों को लगभग दो दशकों से लाभ प्रदान करने के लिए पर्याप्त राजस्व का सृजन नहीं कर रहा है (OECD द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार)।
 - भारत को खाद्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने वाले अधिकांश किसान समय-समय पर स्वयं भुखमरी का सामना करते है।

इस प्रकार की स्थिति के कारण (Reasons for such a situation)

भूमि और मृदा (Land and Soil)

- विश्व बैंक के अनुसार, भारत में कुल भूमि का 60% भाग कृषि-योग्य है और यह वैश्विक स्तर पर दूसरी सर्वाधिक कृषि-योग्य भूमि है।
- हालांकि, भूमि सुधार एजेंडा अभी भी एक अपूर्ण एजेंडा बना हुआ है।
- नवीनतम कृषि जनगणना के अनुसार, भारत की 67% कृषि भूमि पर सीमांत किसानों (<1 हेक्टेयर) का अधिकार है।



- इसके अतिरिक्त भारत के केवल 5% किसानों का 32% भूमि पर नियंत्रण है।
- भारत की मृदा का लगभग एक तिहाई हिस्सा समस्याग्रस्त हो चुका है। मृदा के कार्बनिक (जैविक) पदार्थ में अत्यधिक कमी आई है तथा यह गिरकर 0.3% - 0.5% के स्तर तक पहुँच गया है। किन्तु इस तथ्य के बावजूद मृदा के इस निम्नीकरण की अभी तक उपेक्षा ही की गयी है।
- इसके बाद, मृदा की लवणता, मृदा क्षरण, मरुस्थलीकरण और मृदा अपरदन की पारंपरिक समस्याएं बनी हुई हैं।

प्रस्तावित सुधार
• भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण, डिजिटलीकरण, निर्धारित सीमा से अधिक जोतों (ceiling-surplus) और अपशिष्ट भूमि के वितरण द्वारा भूमि सुधारों के एजेंडा को पूर्ण करने की आवश्यकता है। • इसके अतिरिक्त, गैर-कृषि उपयोग के लिए प्रमुख कृषि भूमि और वन भूमि के परिवर्तन (diversion) को रोकने की आवश्यकता है। • स्वामीनाथन समिति के अनुसार, राष्ट्रीय भूमि सलाहकार सेवा (National Land Advisory Service) स्थापित करने की आवश्यकता है।
केस स्टडीज / सर्वोत्तम प्रथाएं
• पश्चिम बंगाल और केरल को प्रायः भूमि सुधार कार्यान्वयन के लिए आदर्श राज्यों के रूप में चिन्हित किया जाता है। • चीन का 'ग्रेट ग्रीन वॉल' कार्यक्रम गोबी मरुस्थल में मरुस्थलीकरण की समस्या से निपटने में अत्यधिक सफल रहा है।

बीज (Seeds)

- कृषि उत्पादकता का लगभग 20-25% भाग बीज की गुणवत्ता पर निर्भर करता है जिसके कारण बीज को कृषि में एक महत्वपूर्ण आगत के रूप में देखा जाता है।

VISION IAS



- यद्यपि, अत्यधिक मांग आपूर्ति अंतराल के कारण भारत निराशाजनक बीज प्रतिस्थापन अनुपात से ग्रसित है।
- विस्तार सेवा (extension service) की विफलता और बीज क्षेत्र से (विशेष रूप से 1991 के बाद से) राज्य एजेंसियों की वापसी के कारण बीज उत्पादन में अविश्वसनीय प्रौद्योगिकियों का आरम्भ हुआ है।
- हाल ही में, जागरूकता के अभाव और सलाहकारी नियामक ढांचे की अनुपस्थिति के कारण संकर बीजों के उद्भव ने किसानों की दक्षता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है।
- उदाहरण के लिए GM सरसों DMH-11 पर विवाद एक प्रमुख मामला रहा है।

प्रस्तावित सुधार
• बीज उत्पादन और वितरण में निजी क्षेत्र की सहभागिता को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ बीजों के क्षेत्र में नियामक ढांचे में सुधार की आवश्यकता है। • इसके अतिरिक्त, बीज के लिए सुदृढ़ तृतीय पक्ष की गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। • एक बीज सूचना प्रणाली (Seed information system) के साथ संरक्षण और प्रजनन दोनों उद्देश्यों के लिए सामुदायिक बीज एवं जर्मप्लाज्म बैंकों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।
केस स्टडीज/सर्वोत्तम प्रथाएं
• तुमकुर (कर्नाटक), दतिया (मध्य प्रदेश) आदि में ग्राम स्तर के बीज बैंकों ने इन गाँवों को बीज में आत्मनिर्भर बनाने में सहायता की है।

सिंचाई (Irrigation)

- भारत के शुद्ध बोए गए क्षेत्र का केवल 46% सिंचित है और शेष मानसून पर निर्भर है।
- यह समस्या अत्यधिक क्षेत्रीय असंतुलन जैसे- वर्षा और जल की उपलब्धता से बढ़ी है।
- इसके अतिरिक्त, सिंचाई अवसंरचना का एक उप-इष्टतम उपयोग है। उदाहरण के लिए चीन, ब्राजील और यूएसए जैसे अन्य प्रमुख कृषि देशों की तुलना में भारत प्रमुख खाद्य फसलों की एक इकाई का उत्पादन करने के लिए 2-4 गुना जल का उपयोग करता है।
- इसके अतिरिक्त, भारतीय कृषि वृहद पैमाने पर 60% से अधिक निर्भरता के साथ भूमिगत जल पर निर्भर है।

प्रस्तावित सुधार
• अनिवार्य जलवाही स्तर (aquifers) द्वारा वर्षा जल संचयन और जल स्तर पुनर्भरण को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। • एक मिशन मोड प्रोजेक्ट- मिलियन वेल्स रिचार्ज प्रोग्राम को प्रारंभ करने की आवश्यकता है जो निजी कुओं पर लक्षित हो। • इसके अतिरिक्त, ड्रिप सिंचाई, सूक्ष्म सिंचाई, चावल की तीव्रता प्रणाली (SRI) आदि तकनीकों का उपयोग कर सिंचाई की विधि को सुधारने की आवश्यकता है। • अंत में PMKSY को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर समर्पित एजेंसी की स्थापना के साथ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के लिए धन जुटाने की आवश्यकता है।

VISION IAS



- इसके अतिरिक्त नदी जोड़ो परियोजना के कार्यक्रम पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए।

केस स्टडीज / सर्वोत्तम प्रथाएं

- सूक्ष्म सिंचाई, विलवणीकरण और पुनर्चक्रण तकनीकों में अपनी विशेषज्ञता के कारण इज़राइल को सिंचाई में एक आदर्श उदाहरण के रूप में उद्धृत किया गया है। यह सिंचाई के लिए अपशिष्ट जल का पुन: उपयोग करने के क्षेत्र में एक आदर्श के रूप में उभरा है।

उर्वरक (Fertilizer)

- भारतीय उर्वरक क्षेत्र अनेक समस्याओं से ग्रसित है। यूरिया की 80%आवश्यकताओं की पूर्ति घरेलू उत्पादन द्वारा ही हो जाती है, परन्तु पोटेशियम और फॉस्फोरस का उत्पादन मुख्य रूप से आयात पर निर्भर है।
- इसके अतिरिक्त, भारत की प्रति हेक्टेयर खपत (लगभग 146 किलोग्राम) विकसित देशों की तुलना में काफी कम है;
- पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना (NBS) से यूरिया को बाहर रखने के अनेक प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं:-
 - N:P:K अनुपात का बदतर होना। 2013-14 में यह अनुपात बिगड़ कर 8.2:3.2:1 के स्तर तक पहुँच गया था जबकी इसका वांछित स्तर 4:2:1 है।
 - शैवाल प्रस्फुटन की समस्या के साथ मृदा पोषक तत्व की गुणवत्ता का खराब होना।
 - नेपाल, बांग्लादेश आदि को सस्ते यूरिया की तस्करी।

प्रस्तावित सुधार

- NBS प्रणाली के क्षेत्र के भीतर यूरिया को शामिल करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त एक उचित नियामिकीय परिवेश की स्थापना के साथ उर्वरक क्षेत्र को विनियमित करना आवश्यक है।
- किसानों को मृदा की गुणवत्ता और फसलों की पसंद के अनुसार इष्टतम पोषक मिश्रण और उर्वरक के इष्टतम स्तर के संदर्भ में जागरूक करने की आवश्यकता है।
- अंत में NPK के अतिरिक्त सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करने की भी आवश्यकता है।

केस स्टडीज / सर्वोत्तम प्रथाएं

- तमिलनाडु के किसान सफलतापूर्वक फर्टिगेशन तकनीकी का उपयोग कर बेहतर उर्वरक दक्षता और फसल उत्पादकता प्राप्त करने में अग्रणी हैं।

वैज्ञानिक जानकारी (Scientific Know-How)

- कृषि में वैज्ञानिक ज्ञान कृषि उत्पादकता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- हालांकि, भारत में प्रति 800-1000 किसानों के पास केवल 1 कृषि विस्तार कार्यकर्ता (1 extension worker) है। इसके अतिरिक्त, लगभग 60% किसानों को कृषि के सन्दर्भ में वैज्ञानिक जानकारी नहीं होती है।
- फसल चक्रण का अभाव, अनाज केंद्रित और जल-गहन फसलें भारत के कृषि परिदृश्य की मुख्य विशेषताएँ हैं।

VISION IAS

कृषि श्रम और मशीनीकरण (Agriculture Labor & Mechanization)



- भारत में कृषि पर अधिकान्शतः मैनुअल श्रम का प्रभुत्व है। हालांकि, इस श्रम संरचना में महिलाओं, निम्न जातियों और अपनी मुख्य भूमि से हस्तांतरित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है।
- इसके अतिरिक्त, कृषि भी मनरेगा के साथ प्रतिस्पर्द्धा के कारण प्रच्छन्न बेरोजगारी और श्रम के अभाव की समस्या से ग्रसित है।
- इसके अतिरिक्त, भूमि जोत के निम्न और खंडित आकार तथा उपकरणों को खरीदने के लिए अपर्याप्त पहुंच के कारण कृषि में मशीनीकरण प्रतिबंधित है।

प्रस्तावित सुधार

- किसान कॉल सेंटर में सुधार करके किसानों को कृषि वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करने की आवश्यकता है।
- इसके अतिरिक्त, स्वयं सहायता समूहों और प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (PACS) की सहभागिता के साथ किसानों को कृषि कौशल प्रदान करना।
- इसके साथ ही निम्नलिखित को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है -:
 - पर्याप्त संरक्षण सहित आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) बीज
 - परिशुद्ध खेती (प्रेसिजन फार्मिंग) और संबंधित नई प्रौद्योगिकियां जैसे- चावल गहनता प्रणाली, फलों और सब्ज़ियों की पॉली हाउस खेती, लेज़र लैंड लेवेलर्स, स्व-चालित स्प्रेयर और मल्टी क्रॉप थ्रेशर्स और हार्वेस्टर
- अंत में, एक व्यावसायिक, उत्तरदायी, बाजार उन्मुख और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्द्धी कृषि अनुसंधान परिवेश को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

केस स्टडीज / सर्वोत्तम प्रथाएं

- नाइजीरिया में कृषि विस्तार सहभागिता में सार्वजनिक क्षेत्र की निगरानी में निजी क्षेत्र की भागीदारी कृषि विस्तार सेवाओं में एक सफल मॉडल रहा है।
- आंध्र प्रदेश में 'ईसगु' वेब आधारित व्यक्तिगत कृषि सलाहकार प्रणाली प्रदान करने के लिए एक सफल केस-स्टडी रही है जो अवैज्ञानिक कृषि प्रथाओं का समाधान करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है।
- मध्यप्रदेश, किसानों को कस्टम हायरिंग सेंटर प्रदान करके कृषि-मशीनीकरण में एक आदर्श मॉडल के रूप में उभरा है जो छोटे किसानों को कृषि मशीनरी किराए पर देता है।

ऋण (Credit)

- कई वित्तीय समावेशन कार्यक्रमों के बावजूद, लगभग 44% ग्रामीण परिवार अनौपचारिक स्रोतों से ऋण लेते हैं।
- इसके अतिरिक्त, ऋण का अधिकांश हिस्सा समृद्ध किसानों द्वारा ले लिया जाता है और इसका उपयोग उत्पादक उद्देश्यों के विपरीत उपभोग के लिए किया जाता है।

VISION IAS



प्रस्तावित सुधार
• वित्तीय समावेश के दायरे का और विस्तार करने की आवश्यकता है। • इसके अतिरिक्त, विशेष रूप से बाढ़ या सूखे जैसी आपदाओं के दौरान ऋण वसूली पर रोक लगाने की आवश्यकता है। • एक कृषि जोखिम निधि स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। • इसके अतिरिक्त, महिला किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाने चाहिए और किसानों के लिए एक एकीकृत क्रेडिट-सह-फसल-पशुधन मानव स्वास्थ्य बीमा पैकेज जारी किया जाना चाहिए।

केस स्टडीज/सर्वोत्तम प्रथाएं
• केन्या में एम-पेसा (M-Pesa), किसानों और फील्ड वर्कर्स के लिए वित्तीय सेवाओं को बढ़ावा देने हेतु एक सफल मॉडल के रूप में उभरा है।

फसल-कटाई के पश्चात् होने वाली क्षति (Post-harvest losses)

- भारत, बड़े पैमाने पर फसल-कटाई के पश्चात् होने वाली क्षति की समस्या से ग्रसित है। निम्न अवसंरचना-परिवहन और शीत भंडारण सुविधाओं का निम्नस्तर तथा अवैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग आदि के कारण लगभग 40% अनाज बर्बाद हो जाता है।

प्रस्तावित सुधार
• इस उद्देश्य से परिवहन, शीत भंडारण अवसंरचना में निवेश की वृद्धि और फसल सर्वोत्तम पोस्ट-हार्वेस्ट पद्धतियों के प्रसार की आवश्यकता है। • विशेष रूप से स्वयं सहायता समूहों (SHGs) एवं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। • अंत में, शांता कुमार समिति की अनुशंसाओं के आधार पर भारतीय खाद्य निगम (FCI) में सुधार किया जाना चाहिए।

किसानों के लिए लाभकारी मूल्य (Remunerative prices for farmers)

- **विपणन संबंधी मुद्दे**
 - भारतीय कृषि नीतिगत विकृतियों और मध्यस्थों की बढ़ती संख्या जैसी समस्याओं से ग्रसित है।
 - इसके अतिरिक्त, निम्नस्तरीय अवसंरचना, ऊर्ध्वाधर एकीकरण (vertical integration), और राज्यों के कृषि उत्पाद बाज़ार समिति अधिनियम (APMC) द्वारा मान्यता प्राप्त आधिकारिक मंडियों की प्रधानता आदि ने प्रभावी कृषि विपणन के मार्ग में एक बड़ी बाधा के रूप में कार्य किया है।
- **न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से संबंधी मुद्दे**
 - इसके परिणामस्वरूप गेहूं, चावल और गन्ने की खेती पर अत्यधिक बल दिए जाने के कारण फसल पद्धति (cropping patterns) में विकृति उत्पन्न हुई है।



- इसके परिणामस्वरूप कुछ राज्यों, विशेषकर उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में जल संसाधनों में कमी, मृदा एवं जल की गुणवत्ता में ह्रास की समस्या उत्पन्न हुई है।
- अंत में, MSP के अंतर्गत खरीदी जाने वाली फसलों की मात्रा अत्यधिक कम है, विशेषकर पूर्वी राज्यों में। उदाहरण के लिए MSP के अंतर्गत 28-30% गेहूं, 30 -35% धान और 1% से भी कम मोटे अनाज की खरीद की जाती है।

- **अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे**
 - WTO के एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर (AOA) और सब्सिडी के संबंध में अनेक चिंताएं उत्पन्न हुई है।
 - उदाहरण के लिए- हाल ही में, WTO के समक्ष प्रस्तुत किया गया खाद्य सुरक्षा हेतु सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग का मुद्दा।
 - विभिन्न देशों, विशेष रूप से विकसित देशों द्वारा कृषि वस्तुओं के व्यापार पर आरोपित प्रशुल्क एवं गैर-प्रशुल्क बाधाएँ।
- **मूल्य संवर्धन**
 - रिकॉर्ड उत्पादन के बावजूद मूल्य संवर्द्धन केवल 2% बना हुआ है जो अत्यंत निराशाजनक है।

प्रस्तावित सुधार

विपणन

- संशोधित APMC अधिनियम को सभी राज्यों द्वारा अपनाए जाने और शीघ्र नष्ट होने वाले उत्पादों को APMC अधिनियम से छूट प्रदान किए जाने की आवश्यकता है।
- आपूर्ति श्रृंखला में निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु नीतियों का निर्माण किया जाना चाहिए।
- इसके अतिरिक्त, किसान उत्पादक संगठन(FPO) के माध्यम से अनुबंध कृषि और सामूहिक कृषि (group farming) को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- अंत में, e-NAM में संशोधन कर तृतीय पक्ष जांच और गुणवत्ता प्रमाणीकरण तंत्र, विवाद निपटान तंत्र, डिजिटल अवसंरचना को राष्ट्रीय कृषि बाजार के दायरे में अवश्य शामिल किया जाना चाहिए।

MSP

- सरकार द्वारा MSP के स्थान पर मूल्य कमीपूरक अदायगी (Price Deficiency Payment) को लागू किया जाना चाहिए।

केस स्टडीज/सर्वोत्तम प्रथाएं

- महाराष्ट्र सरकार द्वारा हाल ही में, फल और सब्जियों के व्यापार को APMC अधिनियम के दायरे से बाहर कर दिया गया है।
- मॉडल योजना के रूप में मध्यप्रदेश, हरियाणा और तेलंगाना की मूल्य कमीपूरक अदायगी योजनाओं के सम्पूर्ण देश में अनुकरण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

सरकारी पहलें (Government Initiatives)

क्षेत्र	योजना
भूमि और मृदा	• मृदा स्वास्थ्य कार्ड • मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंधन पर राष्ट्रीय परियोजना • मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम

VISION IAS

बीज	• राष्ट्रीय बीज नीति, 2002 • कृषि विस्तार एवं प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन के तहत बीज और रोपण सामग्री संबंधी उप-मिशन • बीज ग्राम योजना • बीज बैंक की स्थापना और रख-रखाव • निजी क्षेत्र में बीज उत्पादन को बढ़ाने के लिए सहायता
सिंचाई	• प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)
उर्वरक	• यूरिया उत्पादन में नवीनीकरण • नीम लेपित यूरिया • उर्वरकों के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण
वैज्ञानिक जानकारी	• राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं प्रौद्योगिकी मिशन (NMAET) • ICT का उपयोग
मशीनीकरण	• कृषि का सूक्ष्म स्तरीय प्रबंधन (मैक्रो-मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर)
ऋण (क्रेडिट)	• प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण में सुधार • प्रधानमंत्री जन-धन योजना • बजटीय आवंटन में वृद्धि • ब्याज हेतु अनुदान योजना • किसान क्रेडिट कार्ड • बैंकों द्वारा संयुक्त देयता समूह (JLGs) को प्रोत्साहित करना
फसल कटाई के पश्चात् होने वाली (पोस्ट-हार्वेस्ट) क्षति	• प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
विपणन	• राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM) • मॉडल संविदा खेती और सेवाएं (प्रोत्साहन एवं सुविधा) अधिनियम, 2018 • मौजूदा 22,000 ग्रामीण हाटों का उन्नयन कर इन्हें ग्रामीण कृषि बाजारों (Gramin Agricultural Markets-GrAMs) के रूप में विकसित किया जाएगा- बजट 2018-19 • वृहद क्लस्टर में किसान उत्पादक संगठन (FPOs) और ग्रामीण उत्पादक संगठनों (VPOs) के माध्यम से जैविक कृषि को प्रोत्साहन - बजट 2018-19
न्यूनतम समर्थन मूल्य	• अघोषित सभी खरीफ फसलों के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य को उत्पादन लागत का कम-से-कम 150 प्रतिशत रखा जाना चाहिए - बजट 2018-19



VISION IAS

सुधार-अपरंपरागत एजेंडा (Reforms-The Un conventional Agenda)



- हालांकि पूर्व के भाग में आवश्यक सुधारों का सुझाव दिया गया है और समितियों एवं विशेषज्ञों की एक श्रृंखला द्वारा उन्हें अनुशंसित किया गया है, परंतु कुछ अन्य महत्वपूर्ण विचारणीय क्षेत्रों को कम प्राथमिकता प्रदान की गई है जैसे: -
 - दृष्टिकोण में परिवर्तन
 - इसे अनंत अवसरों के एक क्षेत्र के रूप में देखा जाना चाहिए;
 - किसानों को निर्धन, कमजोर इत्यादि के रूप में समझने के स्थान पर उन्हें आशावान, परिश्रमी, जोखिम लेने में तत्पर आदि के रूप में देखा जाना चाहिए।
 - एकीकृत दृष्टिकोण
 - ग्रामीण विकास के एक भाग के रूप में कृषि के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण को अपनाने वाली नीतियों का निर्माण करने, उन्हें कार्यान्वित करने और उनकी निगरानी करने की आवश्यकता है। इस एकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत कृषि, पशु संसाधन, वानिकी, जल संसाधन इत्यादि को शामिल किया जाना चाहिए।
 - कृषि पर्यटन
 - भारत में कृषि-पर्यटन के लिए व्यापक संभावनाएं विद्यमान है, जिसे राष्ट्रीय पर्यटन नीति के मुख्य घटक के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए।
 - नगरीय कृषि
 - कृषि को सामान्यतः ग्रामीण गतिविधि के रूप में वर्णित किया जाता है। नगरीय कृषि जैसे- अर्द्ध-नगरीय क्षेत्रों में ट्रक फार्मिंग, रूफटॉप फार्मिंग इत्यादि को प्रोत्साहित कर इस धारणा को परिवर्तित किए जाने की आवश्यकता है।
 - उद्यमिता के रूप में कृषि- अगला स्टार्ट-अप क्षेत्र
 - IT के समान, कृषि को भारत में नए स्टार्ट-अप क्षेत्र के रूप में बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
 - सरकारी पहल
 - सरकार द्वारा उठाए जाने वाले विभिन्न कदम-
 - कृषि बजट
 - कृषि नवाचार केंद्रों की स्थापना
 - भारतीय कृषि सेवा अथवा भारतीय ग्रामीण सेवा का गठन
 - निर्यात क्षमता और मूल्य संवर्धन
 - जैविक कृषि की व्यापक संभावनाएं, विशाल घरेलू बाजार, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, 'शाकाहार संबंधी'(वेज) आंदोलन के कारण कृषि को 'सनराइज सेक्टर' के रूप में देखे जाने की आवश्यकता है;
 - सहकारी और प्रतिस्पर्द्धी संघवाद
 - राजकोषीय संघवाद की तर्ज पर कृषि-संघवाद
 - कृषि पर राज्य ग्रामीण विकास/कृषि मंत्रियों की एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन।

निष्कर्ष (Conclusion)

- भारत का कृषि क्षेत्र संरचनात्मक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है जिसके कारण इसके समक्ष नई चुनौतियां एवं अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। सरकार द्वारा कृषि विपणन के क्षेत्र में अनेक सुधार किए गए हैं। साथ ही, कृषि में प्रौद्योगिकी के उपयोग को व्यापक रूप से प्रोत्साहन दिया गया है तथा छोटे एवं सीमांत किसानों को विस्तार सेवाएँ, क्रेडिट एवं अन्य इनपुट (आगत) का समयबद्ध

VISION IAS



वितरण सुनिश्चित करने हेतु प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) को भी अपनाया गया है। हालांकि, कृषि क्षेत्र की चुनौतियों का समाधान केवल सरकार द्वारा नहीं किया जा सकता है। कृषि क्षेत्र में सुधार हेतु निगमों, सिविल सोसाइटी संगठनों, बुद्धिजीवी वर्ग एवं समाज के अन्य सभी वर्गों को शामिल किए जाने की आवश्यकता है। यद्यपि भूमि, सिंचाई, बीज इत्यादि जैसे संरचनात्मक सुधार आवश्यक हैं तथापि सांस्कृतिक परिवर्तनों, कृषि कार्यों हेतु सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने और संबंधित धारणा में परिवर्तन भी आवश्यक है। इस संदर्भ में हमारा अतीत हमें मार्गदर्शन प्रदान करता है जहां भूमि का उपयोग बौद्धिक कौशल युक्त लोगों को उपहार के रूप में देने में किया जाता था। इसे पवित्र माना जाता था। प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन ने कहा है कि - "यदि कृषि विफल हो जाती है, तो अन्य सब कुछ विफल हो जाएगा"। यह हम पर निर्भर करता है कि हम क्या चुनते हैं!

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

- **तथ्य :**
 - 2015-16 में, विनिर्माण क्षेत्र तथा कृषि, वानिकी एवं मत्स्य पालन क्षेत्र के सकल मूल्य वर्द्धन (GVA) में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का योगदान क्रमशः 8.71% तथा 10.04% था।
 - यह एक प्रमुख रोज़गार-गहन उद्योग है। सभी विनिर्माण कारखानों में सृजित रोजगार के 12.77% रोजगार का सृजन इस क्षेत्र में हुआ है।
 - इस क्षेत्र की भारत के निर्यात में 13% और कुल औद्योगिक निवेश में 6% भागीदारी है।
 - यह एक सनराइज सेक्टर है और भारत के FDI में यह 13वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता क्षेत्र है।
- **चुनौतियाँ :**
 - निम्न स्तर- वर्तमान में यह संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के क्रमशः 90% और 40% की तुलना में केवल 2% है; इसमें से लगभग 75% क्षेत्र असंगठित है; गुणवत्ता मानकों का कम अनुपालन करना - उदाहरण के लिए EU ने कीट युक्त भारतीय आमों पर प्रतिबंध लगा दिया;
 - आपूर्ति पक्ष और आधारभूत संरचना संबंधित बाधाएं- लघु एवं विखंडित भू-जोत; पुराने APMC कानून; फसल कटाई के पश्चात होने वाली क्षति की मात्रा 30% से अधिक; निम्नस्तरीय विनियामक संरचना; अनुबंध कृषि पर प्रतिबंध:
- **सरकारी योजनाएं:**
 - **प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना** (कृषि समुद्री उत्पाद प्रसंस्करण एवं कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर विकास स्कीम)
 - खाद्य उत्पादों के ई-कॉमर्स के माध्यम से व्यापार और विनिर्माण हेतु स्वचालित मार्ग के माध्यम से 100% FDI की अनुमति।
 - 42 मेगा फूड पार्क और 128 कोल्ड स्टोरेज के अतिरिक्त, 60 पूर्णरूप से सुसज्जित कृषि निर्यात क्षेत्र (AEZs) की स्थापना;
 - सफलतम उदाहरण- अमूल; मदर डेयरी; लिज्जत पापड़; पेप्सिको इत्यादि

किसान आत्महत्या

- किसानों द्वारा की जाने वाली आत्महत्या की समस्या से निपटने हेतु सुझाए गए उपाय
 - गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा रियायती दरों पर स्वास्थ्य संबंधित बीमा प्रदान करना;

VISION IAS



- आत्महत्या की समस्या से ग्रस्त प्रमुख क्षेत्रों का मानचित्रण;
- राज्य कृषक आयोग में किसानो का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना;
- फसल बीमा द्वारा सभी फसलों को कवर करना;
- रेडियो और टेलीविजन जैसे मास मीडिया के साधनों के माध्यम से मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान करना।

कृषि आय पर कर निर्धारण

- **पृष्ठभूमि**
 - मुगल और ब्रिटिश काल के दौरान प्रचलित किन्तु स्वतंत्रता के पश्चात कृषि आय पर कर को समाप्त कर दिया गया।
 - स्वतंत्रता-पश्चात गठित समितियों जैसे के.एन.राज समिति और विजय केलकर समिति ने कृषि आय पर कर लगाने की अनुशंसा की थी।
 - कर निर्धारण वर्ष 2014-15 में, कृषि आय में कर संबंधी छूट के लिए शीर्ष 10 आवेदनकर्ताओं में से नौ निगम (corporations) थे।
- **तर्क**
 - कर संरचना में समानता लाना; कर-GDP अनुपात में वृद्धि (वर्तमान में 16.5%); विकास हेतु सरकार द्वारा अधिक संसाधनों का निवेश; ग्रामीण अर्थव्यवस्था से संबंधित डेटा संग्रहित करने में सक्षम होना;
 - अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण- जापान, सोवियत संघ और चीन ने औद्योगीकरण हेतु संसाधनों का एक बड़ा भाग कृषि क्षेत्र से प्राप्त किया; छूट के दुरुपयोग को प्रतिबंधित करना महत्वपूर्ण है क्योंकि गैर-कृषकों द्वारा कृषि आय का उपयोग कर परिहार और धन शोधन के लिए एक वाहक के रूप में किया जा रहा है।
- **चुनौतियां**
 - भू-स्वामित्व (land titles) से संबंधित विश्वसनीय और प्रमाणिक डेटा की समस्या; फसल उत्पादकता का आकलन करने में कठिनाई; फसल क्षति के मामले; विशेष रूप से कृषि संकट और आत्महत्या के कारण इस मुद्दे पर राजनीतिक मतैक्य का अभाव है।

कृषि-वानिकी

- खेतों में फ़सल के साथ वृक्षारोपण की पद्धति
- **लाभ**
 - भोजन, चारा, लकड़ी, ईंधन और उर्वरक।
 - भारत में कुल लकड़ी के 65% और ईंधन के रूप में प्रयोग की जाने वाली लकड़ी के 50% से अधिक की आपूर्ति कृषि वानिकी के माध्यम से की जाती है।
 - कार्बन प्रच्छादन - जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने में सहायक होगा।
 - निर्वनीकरण को प्रतिबंधित करता है, मृदा और जल संरक्षण को बढ़ावा देता है;
- **सरकारी पहल**
 - भारत कृषि-वानिकी पर पृथक नीति का निर्माण करने वाला प्रथम देश बन गया है -
 - **राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति, 2014 की मुख्य विशेषताएं:**

VISION IAS

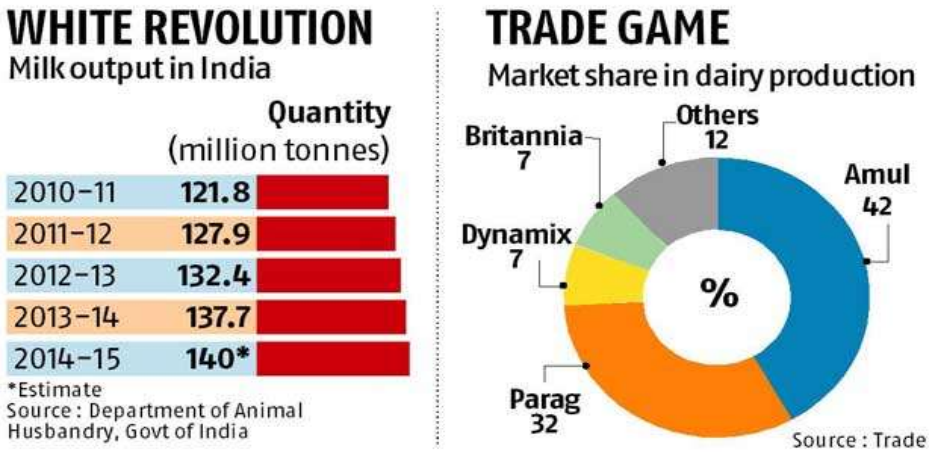
- नियमों के सरलीकरण और भूमि काश्तकारी सुधारों पर बल।
- वृक्षों के लिए ऋण और बीमा का प्रावधान।
- बीजों की गुणवत्ता संबंधी अनुसंधान एवं विकास हेतु प्रावधान।
- गैर-कृषि भूमि के लिए PPP मॉडल का प्रावधान।
- जागरूकता और शिक्षा/प्रशिक्षण पर बल।



पशु संसाधन

- **पशु संसाधन क्षेत्र -** पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन संबंधी क्षेत्र।
- **तथ्य**
 - भारत में विश्व के सर्वाधिक पशु संसाधन (512 मिलियन) हैं;
 - यह छोटे कृषक परिवारों की आय में 16% का योगदान करता है; भारत की 8.8% जनसंख्या को रोजगार प्रदान करता है; GDP में 4.11% और कुल कृषि - सकल घरेलू उत्पाद में 25.6% का योगदान करता है।
- **पशु संसाधन का योगदान-** खाद्य-> दूध, मांस और अंडा; फाइबर और चमड़ा; वजन ढोने में; गोबर और अन्य पशु अपशिष्ट सामग्री प्रदान करता है;

 खरपतवार को नियंत्रित करने हेतु जैविक विधि के रूप में; खेल/मनोरंजन के लिए; सहयोगी पशुओं के रूप में; आय और रोजगार के लिए।
- **सरकारी पहल-** राष्ट्रीय पशुधन मिशन; राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM)
- **डेयरी क्षेत्र**



 - **तथ्य**
 - भारत विश्व में, दूध का सबसे बड़ा उत्पादक; 2020 तक दुग्ध उत्पादन में 15% तक की वार्षिक वृद्धि होने का अनुमान है;
 - **चुनौतियाँ**
 - जीवन-निर्वाह सम्बन्धी गतिविधियों के रूप में बना रहना; दूध उत्पादन का केवल 20% संगठित विपणन हेतु प्रयोग किया जाता है; गुणवत्ता और मानक संबंधी मुद्दे- 2012 में FSSAI सर्वेक्षण ने इंगित किया है कि 70% शहरी और 31% ग्रामीण आपूर्ति निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करती है; भोजन /चारे की कमी; मूल्य संवर्द्धन और



विपणन सुविधाओं अभाव; पशु संबंधी चिकित्सकीय सेवाओं का अभाव।

- **सरकारी योजनाएं**
 - राष्ट्रीय गोजातीय पशु प्रजनन और डेयरी विकास कार्यक्रम।
 - राष्ट्रीय डेयरी योजना (चरण -1)।
 - डेयरी उद्यमिता विकास योजना।
- **मत्स्य पालन**
 - तथ्य - विश्व में जलीय कृषि (एक्वाकल्चर) क्षेत्र में दूसरा तथा मत्स्य पालन (फिशरीज़) के क्षेत्र में तीसरा स्थान;
 - विभिन्न संबंधित गतिविधियों में लगभग 14 मिलियन लोगों को रोजगार प्राप्त है; विश्व के मत्स्य उत्पादन का लगभग 6.3%; देश के सकल घरेलू उत्पाद में 1.1% और कृषि GDP में 5.15% योगदान करता है; जिसमें अंतर्देशीय क्षेत्र का लगभग 65% योगदान है।
- **चुनौतियां**
 - अवसंरचना का अभाव- पुरानी एवं परंपरागत लकड़ी की नौकाओं का उपयोग, कम गुणवत्ता वाले ट्रैवलर और मछली पकड़ने वाले जाल; गहरे सागर में मछली पकड़ने की क्षमता का अभाव; मछली को दिए जाने वाले खाद्य पदार्थों की निम्नस्तरीय गुणवत्ता;
 - मछुआरों की सुरक्षा (विशेष रूप से श्रीलंका और पाकिस्तान के साथ समुद्री सीमाओं में); राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (NFDB) से सम्बंधित संरचनात्मक मुद्दे।
- **सरकारी योजनाएं**
 - नीली क्रांति: मात्स्यिकी का **एकीकृत विकास और प्रबंधन**
 - राष्ट्रीय मात्स्यिकी कार्य योजना-2020
- **चर्चित शब्द**
 - तटीय जलीय कृषि; अंतर्देशीय मत्स्यन; स्वच्छ जल की जलीय कृषि; शीतजल मत्स्यन; सजावटी मछली पालन।

बागवानी

- बागवानी में फल, सब्जियां, बागानी फसलें, फूल, मसालों और सुगंधित पौधे शामिल हैं।
- **प्रवृति**
 - विश्व में फल और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक;
 - आम, केला, पपीता, काजू, आलू और भिंडी इत्यादि सहित कई बागवानी फसलों में अग्रणी;
 - बागवानी उत्पादन- 305.4 मीट्रिक टन (2017-18)
- **कारण**
 - **सिंचाई तक बेहतर पहुंच**
 - बागवानी के तहत लगभग 70% क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हैं।
 - **बढ़ती आय और शहरीकरण**
 - बढ़ती आय, शहरीकरण और फलों एवं सब्जियों की उच्च खपत -> प्रोटीन समृद्ध आहार की बढ़ती मांग।

VISION IAS



- **अवसंरचना**
 - शीत भंडारण परिवहन आदि आधारभूत सुविधाओं ने उत्पादन के सुरक्षित विपणन में सहायता प्रदान की है।
- **फॉरवर्ड लिंकेज**
 - फॉरवर्ड लिंकेज जैसे अनुबंध कृषि (जहां इसकी अनुमति है) ने अपव्यय को कम करने, किसानों के लिए अधिक आय सुनिश्चित करने में सहायता की है।
- **सरकारी सहायता**
 - 2005 में प्रारंभ राष्ट्रीय बागवानी मिशन, पोषण संबंधित सुरक्षा और बागवानी से कृषि आय में वृद्धि पर केंद्रित है।

- **चुनौतियां**
 - कटाई के पश्चात होने वाली क्षति में उच्च वृद्धि; कम उत्पादकता; अपर्याप्त वित्त; विपणन संबंधी चुनौतियां; शीत भंडारण सुविधाओं का अभाव; मूल्य संवर्धन में कमी।
 - उदाहरण के लिए सब्जियों और फलों का APMC कानून के दायरे में होना; भारत में फलों और सब्जियों के लिए केवल 10-11% शीत भंडारण का उपयोग किया जाना।
- **सरकारी योजनाएं**
 - एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH)
 - राष्ट्रीय बागवानी मिशन (NHM)
 - पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन (HMNEH)
 - ऑपरेशन ग्रीन- बजट 2018-19।

VISION IAS

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

Courier service Available



whatsapp NO 9310521834

DEEPAK PHOTOSTAT

& Consultant

Most appreciated SHOP by TOPPERS from last many years..
By a survey No.1 Shop in INDIA who deals with IAS,IES, PCS,SSC,Bank Po, NET/JRF/All Competitive exams.

Study Materials for IAS,PCS,SSC BANK PO NET/JRF,

Old/New NCERT,IGNOU etc are available here.

741/4,Near AGGARWAL SWEET,DR.MUKHERJEE NAGAR,DELHI-110009

E-mail; deepakkumarnirala88@gmail.com